दशम माला, खंड 38, अंक 1

शुक्रवार, 24 मार्च, 1995
3 चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

24 मार्च, 1995 के लोक सभा वाद विवाद

के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	नीचे से 12	बेजल नाल	बईजल नल
"	नीचे से 5	मगलदेई	मंगलदेई
44	नीचे से 10	1494	1594
55	नीचे से 4	श्री आनन्द रत्नमौ	श्री आनन्द रत्न मौर्य
59	नीचे से 15	श्रीमती दीपिका एव॰ टोंपोवाला	श्रीमती दीपिका एव॰ टोपोवाला
62	नीचे से 14	डुंगरामल	डुंगरोमल
87	नीचे से 17	पं बंगाल	पश्चिम बंगाल
115	नीचे से 7 के ऊपर ये पंक्तियां जोड़िए :	(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य में अपनी इकाइयों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई हैं,	
153	1	(ग) और (ख)	(ग) और (घ)
164	नीचे से 13	श्री एम॰ एम॰ लालजान वाशा	श्री एस॰ एम॰ लालजान वाशा
184	नीचे से 11	(ख) का लोप कीजिए ।	
199	17	कुमारी ममता बेनर्जी	कुमारी ममता बनर्जी
232	2	श्री गोपीनाथ गजपति	श्री गोपी नाथ गजपति
233	6	(घ)	(ङ)
234	नीचे से 7	श्री बजभूषण शरण सिंह	श्री बृजभूषण शरण सिंह
260	15	सैंतालीसवां	तैंतालीसवां
"	नीचे से 1	"	"
265	6, 11 और नीचे से	बेजल	बईजल
274	नीचे से 18	श्री राम नाथक	श्री राम नाईक

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 9, शुक्रवार, 24 मार्च, 1995/3 चैत्र, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	161-164	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	165-180	22—37
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1581-1811	37—236
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		249—260
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति		
इकतालीसवां, बयालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		260
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति		
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		261
कृषि सम्बन्धी समिति		
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		261
लोक लेखा समिति		
नब्बेवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		261
सभा का कार्य		261—264
सदस्य द्वारा त्यागपत्र		264
जम्मू-कश्मीर बजट, 1995-96—प्रस्तुत		264
अनुदानों की अनुपूरक मांगें		
(जम्मू और कश्मीर), 1994-95—प्रस्तुत		264—265
नियम 377 के अधीन मामले		265—267
(एक) उड़ीसा के गजपति जिले में बैजल नाल लघु सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता		
श्री गोपी नाथ गजपति		265
(दो) महाराष्ट्र के कराड़ में स्वर्गीय श्री वाई.बी. चव्हाण की समाधि को कृष्णा नदी के कटाव से बचाने हेतु कृष्णा नदी पर सुरक्षा दीवार और बांध के निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण		265—266
(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का विपथन करने और असम के मंगलदेई शहर में मगलदेई नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता		
श्री प्रबीन डेका		266
(चार) उड़ीसा में आपदा राहत कोष से और अधिक धनराशि शीघ्र जारी किये जाने की आवश्यकता		
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी		266

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) बिहार के नालंदा जिले में फलगू नदी पर पक्के बांध के निर्माण के लिये पर्याप्त धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार यादव	266—267
प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक	
श्री संतोष कुमार गंगवार	267—270
श्री मनमोहन सिंह	270—274
श्री राम नाईक	274—276
श्री एम. रमन्ना राय	276—277
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	277—278
श्री याइमा सिंह युमनाम	278—279
प्रो. रासा सिंह रावत	279—282
प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया	
श्री संतोष कुमार गंगवार	286—287
प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक	
खंड 2 से 26 और 1	287
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	287
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	287—288
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाये जाने सम्बन्धी संकल्प	
श्री सत्यदेव सिंह	288—297
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही	297—303
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	303—305
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	305—309
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा	309—311
श्री सैयद शहाबुद्दीन	311—315
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	315—318
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	318—321
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	321—323
कार्य मंत्रणा समिति	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	324

लोक सभा

शुक्रवार, 24 मार्च, 1995/3, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी बीमा कम्पनियां

+

*161. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी बीमा कम्पनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या हाल ही में किसी अमरीकी शिष्टमंडल ने इस संबंध में भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव के विरूद्ध 30 जनवरी, 1995 को नई दिल्ली में धरना दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय बीमा परिषद, वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत में 23 जनवरी से 4 फरवरी, 1995 तक एक शिष्ट मंडल के दौरे का संयोजन किया जिसमें संयुक्त राज्य अमेरीका की बीमा कम्पनियां शामिल थीं। इस दौरे का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार की आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और भारत के बीमा कारोबार में भागीदारी के लिए बाजार की सम्भावनाओं और अवसरों का मूल्यांकन करना था।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कुछ कर्मचारियों ने 30 जनवरी, 1995 को जीवन बीमा निगम की जीवन भारती बिल्डिंग के बाहर इस दौरे के विरोध में एक धरना दिया।

3. सरकार ने बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के लिए मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बीमा कर्मचारियों के वैध हितों सहित, सम्बन्धित पहलुओं को इस पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने विदेशी बीमा कम्पनियों को देश में प्रवेश करने तथा बीमा उद्योग में भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? इसी से संबंधित, मैं यह भी जानना चाहूंगी कि यदि विदेशी बीमा कम्पनियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गयी तो क्या उसका भारतीय बीमा उद्योग पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कम्पनियों के भारत में आने से बीमे की प्रीमियम की दरें बढ़ जायेंगी जिससे कृषि बीमा, पशु बीमा, झुग्गी-झोंपड़ी बीमा जैसे छोटे उद्योग बीमे का लाभ नहीं उठा पायेंगे और विदेशी बीमा कम्पनियां केवल उन्हीं उद्योगों का बीमा करना चाहेंगी जिनमें उन्हें विशेष लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी ने अभी यह उल्लेख किया है कि सरकार ने देश में विदेशी बीमा कम्पनियों के प्रवेश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः यह पूर्णतया काल्पनिक है। इस बारे में कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी विषयों पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है और मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं कि अक्सर लोगों को बीमा पॉलिसी पूरी होने पर भी बीमा राशि का भुगतान देरी से करने की शिकायत रहती है, क्या सरकार ने बीमा कम्पनियों के कार्य में सुधार करने, ग्राहक सेवा मे सुधार करने और उनके लाभ के लिये कोई योजना बनाई है। यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह पृथक विषय है। इसका विदेशी बीमा कम्पनियों की भूमिका से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि पॉलिसी धारकों को विभिन्न बकाया राशि के भुगतान किये जाने में विलम्ब किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है जबकि हमारे देश को यह मानना चाहिये कि बीमा उद्योग में कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा भारत के लिये उपयोगी होगी। आज स्थिति एकाधिपत्य की है। अतः कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। सीमित साधनों के अन्तर्गत पालिसी

धारकों की समस्याओं के समाधान के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी, प्रतिस्पर्धा होने से सेवा में और सुधार होने को बल मिलेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम दोनों ही अपनी सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का आठवीं योजना में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का अंशदान रहा है और इसी प्रकार भारतीय साधारण बीमा निगम ने निर्धनों के लिये गृह निर्माण, पेय जल योजनाओं और इसी प्रकार के अन्य सरकारी विकास पर कई हजार करोड़ का निवेश किया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विवन बोस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी, जिसमें इन बीमा संगठनों के निजी क्षेत्र में होने पर उनमें व्याप्त कमियों, त्रुटियों और दुरूपयोग का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, उन्हीं बातों के आधार पर इन दो संगठनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सरकार ने विदेशी बीमा कम्पनियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विदेशों में चल रही प्रोत्साहन देने वाली अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करेगी और देश में कर्मचारियों की दक्षता और कार्य कुशलता में और सुधार लाने के लिए उनका उपयोग करेगी और उनको भारतीय जीवन बीमा निगम और उसकी सहयोगी कम्पनियों में क्रियान्वित करेगी जिससे वे और सुदृढ़ होगी और इसके साथ ही यह राष्ट्रीय हित भी होगा तथा वे जनता के लिये सहायक भी होंगी।

श्री मनमोहन सिंह : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि कुल मिलाकर हमारे बीमा उद्योग ने जीवन बीमा क्षेत्र और साधारण बीमा क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन जैसा कि अभी अन्य माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है अभी सेवा के स्तर में कुछ कमियां हैं। कार्य कुशलता में सुधार लाने और लागत में कमी लाने के लिये सेवा में विस्तार की गुंजाइश है। बीमा उद्योग के भविष्य के बारे में कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभी तत्संगत मामलों, जिनमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित रिपोर्ट भी शामिल है, पर विचार किया जायेगा और हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो देश के हित में नहीं होगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं बीमा क्षेत्र में उदारीकरण सम्बन्धी मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के बारे में जानना चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि इससे उन कर्मचारियों का वैध हित कैसे प्रभावित होगा जिन्होंने 30 जनवरी से अपना धरना और आन्दोलन आरम्भ किया है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि बीमा उद्योग में कर्मचारियों के किसी भी वर्ग द्वारा आन्दोलन अथवा धरना देने का कोई आधार नहीं है। दोनों बीमा विंगों में लगभग दो लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। हमारे आठ करोड़ पालिसी धारक हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का क्या हुआ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अतः सदन को सरकार को इस बारे में मार्ग निर्देश देना है कि किन का हित सर्वोच्च है—आठ करोड़ पालिसी धारकों का अथवा दो लाख कर्मचारियों का। सरकार ने मार्ग से हटकर भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है। मैं अनेक बार यह कह चुका हूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी। हाल ही में सरकार पालिसी धारकों के लाभ को कम कर बीमा कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने पर सहमत हो गई है। अतः किसी भी कर्मचारी वर्ग द्वारा आन्दोलन का मार्ग अपनाने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का प्रश्न है, इन पर चर्चा की जा चुकी है। सर्वप्रथम समिति ने यह सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र को बीमा व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिये। लेकिन किसी भी कम्पनी को दोनों ही—जीवन बीमा और साधारण बीमा व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

दूसरे, इस व्यवसाय में नये प्रवेश करने वालों के लिये न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपये होनी चाहिये। तथापि राज्य स्तर पर जीवन बीमा व्यवसाय आरम्भ करने वाली सहकारी संस्थाओं के लिये कम पूंजी निर्धारित की जा सकती है।

तीसरे, निजी बीमा कम्पनी में प्रमोटरों का निवेश कुल निवेश से 48 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। तथापि, यदि प्रमोटर्स अधिक पूंजी से निवेश करना चाहें तो उन्हें इसकी अनुमति दे दी जानी चाहिये, बशर्ते उनकी पूंजी जनता को शेयर जारी करके 48 प्रतिशत तक लाई जा सकती हो। प्रमोटर्स के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को एक प्रतिशत से अधिक इक्वटी शेयर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। प्रमोटर्स के पास कभी भी प्रदत्त पूंजी के 26 प्रतिशत से कम के शेयर नहीं होंगे।

चौथे, जब कभी भी विदेशी बीमा कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो ऐसा चयन के आधार पर किया जाना चाहिये। उन्हें इस प्रयोजन के लिये भारतीय कम्पनी में, प्रमुखतया भारतीय भागीदार के साथ, संयुक्त उद्यम में पूंजी लगानी आवश्यक होगी।

पांचवें, निजी क्षेत्र को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने से पहले बीमा नियंत्रक को प्रभावशाली ढंग से कार्य करना आरंभ करना चाहिये।

छठे, बीमाकर्त्ताओं को सुनिश्चित करने के लिये विधिवत और दूरदर्शी नियम और शर्तों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये ताकि बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने के इच्छुकों को भविष्य में पालन करने वाली शर्तों की जानकारी मिल सके।

इन शर्तों का उद्देश्य यह निश्चित करना होना चाहिये कि जीवन बीमा क्षेत्र साधारण व्यक्ति अथवा ग्रामीण की उपेक्षा नहीं करता है और साधारण बीमा भी संतुलित है।

सातवें, यद्यपि राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियां प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में, तथापि यह आवश्यक है कि वे अपनी प्रौद्योगिकी में शीघ्र सुधार लायें, अपने को और अधिक कार्यकुशल बनायें और वे एक बड़े उद्यम के रूप में कार्य करने में समर्थ हों।

यही मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का सार हैं।

श्री इन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से यह विदित होता है कि ये विदेशी कम्पनियां अपने बाजार के लिये क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिये भारत आ रही हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि चर्चा के दौरान इन कम्पनियों ने भारत सरकार से क्या रियायतें अथवा अवसर अथवा शर्तों की मांग की है। दूसरे, क्या हमने उन क्षेत्रों का अध्ययन किया है हमारी बीमा कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों का आपस में टकराव हो सकता है। तीसरे, क्या हम अपनी बीमा कम्पनियों को इन कमजोर क्षेत्रों में सुधार करने के लिये तैयार कर रहे हैं जिससे वे विदेशी कम्पनियों के कार्य आरम्भ करने पर उनका मुकाबला कर सकें।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी विदेशी कम्पनी से बातचीत नहीं कर रही है। आज हमारे देश में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अतः जब तक हम इस विषय में विपरीत निर्णय नहीं लेते हैं, मेरे विचार से किसी से भी बातचीत करना असंगत होगा और न ही उस बारे में कोई विशिष्ट मांग की गई है।

जिस प्रतिनिधिमंडल का प्रश्न में उल्लेख किया गया है, वह निजी दौरे पर आया था। उसको सरकार ने आमंत्रित नहीं किया था। प्रतिनिधिमंडल ने अनेक लोगों से मुलाकात की लेकिन भारत सरकार और बीमा कम्पनियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के लम्बे-चौड़े उत्तर से कोई स्पष्ट भावना प्रतीत नहीं होती। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास अनेक विदेशी कम्पनियों ने प्रस्ताव किए हैं, शिष्टमंडल मिले हैं, ऐसे कौन से विदेशी राष्ट्र हैं जिनके प्रस्ताव आपको अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुए हैं? अपने उत्तर में आपने प्रतिस्पर्धा की बातें की हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप प्रतिस्पर्धा चाहते हैं और नैशनलाईजेशन को समाप्त करने जा रहे हैं। आप यह स्पष्ट करें कि क्या प्रतिस्पर्धा विदेशी बीमा कम्पनियों को बुलाकर होगी या आप भारत में ही अन्य एजेंसियों को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के रूप में भारत में ही काम करने की छूट देने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बीमा उद्योग का सम्बन्ध है, अनेक देशों ने भारतीय बाजार में प्रवेश की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन हमने किसी भी देश से इस बारे में विचार-विमर्श नहीं किया है। कुछ सदस्यों ने मल्होत्रा समिति की विभिन्न सिफारिशों का उल्लेख किया है लेकिन सरकार ने, जैसाकि मैंने पहले जोर देकर कहा है, इनमें से किसी भी विदेशी कम्पनी से कोई बातचीत नहीं की गई है।

जहां तक अब इस उद्योग की भविष्य में संरचना का सम्बन्ध है, यह उद्योग पूर्णतया राष्ट्रीकृत है। लेकिन हमें यह समझना चाहिये कि अभी भी इस उद्योग में सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं यह चाहूंगा कि यह सदन इस विशेष सुझाव पर विचार करे कि अभी और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनियों के आधार पर हो। हमारे लिये अनेक विधियां खुली हैं। सरकार ने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जीवन बीमा का कारोबार बहुत बढ़ा है, इससे बहुत लोगों का सम्बन्ध है। आपने कहा है कि 8 करोड़ लोगों का इस बीमा कम्पनी से सम्बन्ध है। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, आपके और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी लोक प्रतिनिधियों की कुछ कंसलटेटिव कमेटीज हैं लेकिन यहां न डिवीजनल लेविल पर, न जोन लेविल पर और न सैण्ट्रल लेविल पर कंसलटेटिव कमेटीज हैं। मैंने 10-15 साल एल आई सी में काम किया है। मुझे मालूम है कि आज भी बहुत सी तकलीफें लोगों को, पालिसी होल्डर्स को होती हैं। वहां कंसलटेटिव कमेटी या एडवाइजरी कमेटी बनायें, जिसमें लोक सभा या राज्य सभा के प्रतिनिधि हों। क्या ऐसी कमेटियों में आप उनको लेने वाले हैं, जिनको इसके बारे में मालूम है? यहां करोड़ों रुपये का व्यापार होता है लेकिन वह सब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पूरा कारोबार रहने की वजह से कोई भी छोटा आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो आप लोग प्रतिनिधि को इस कमेटी में लेने वाले हैं क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित है?

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ पूछा है उसका मूल प्रश्न से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी, मैंने उनका सुझाव नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, बीमे के व्यवसाय में विदेशी कम्पनियों के आने की चर्चा चल रही है। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पशुओं का बीमा किया जाता है लेकिन आपकी कम्पनी की सर्विस इतनी खराब है कि पशु अगर मर जाता है तो बेचारा किसान बीमा पालिसी लेकर दफ्तरों में मारा-मारा घूमता है, इसके लिए कई बार वित्त मंत्री जी को लिखा भी गया है। मेरा सवाल आ रहा है। मैं उसी पर पूछना चाहता हूं कि इतनी दयनीय दशा अगर इनकी बीमा कम्पनी की है, सर्विस अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि कहीं सरकार जान बूझकर

अपनी देशी कम्पनियों के बीमे की जो एफीसिऐंसी है, वह डाऊन कर रही है, खत्म कर रही है ताकि विदेशी कम्पनियों को लाने का एक बड़ा बहाना मिल सके, क्या यह सच है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मेरे विचार से ऐसा सोचने का कोई आधार नहीं है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा भारतीय साधारण बीमा निगम की कार्यकुशलता में कोई सुधार करने की इच्छुक नहीं है। यह निश्चित रूप से सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम दोनों ही की सेवाओं का विस्तार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व सदन में प्रस्तुत बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में समूह जीवन बीमा के विस्तार के लिये प्रावधान किया है।

जहां तक साधारण बीमा निगम सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष घटना के बारे में मुझे सूचित करेंगे तो मैं इस बारे में ध्यान दूंगा।

विदेशी ऋण

*162. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विदेशी ऋण में हो रही कमी की प्रवृत्ति के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक भारत पर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया है;

(ग) बकाया विदेशी ऋण कुल बकाया ऋण की दृष्टि से और सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता की दृष्टि से 2000 तक कितना कम हो जाएगा; और

(घ) विदेशी ऋण का भार कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). यद्यपि 1993-94 तक कुल विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है लेकिन वृद्धि दर में गिरावट आयी है। 31 मार्च, 1991, 1992, 1993, और 1994 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी ऋण क्रमशः 83.9 बिलियन अमरीकी डालर, 83.5 बिलियन अमरीकी डालर, 89.9 बिलियन अमरीकी डालर तथा 90.7 बिलियन अमरीकी डालर था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जब 1990-91 के दौरान देश का कुल ऋण 8.06 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ा तो 1991-92 में वृद्धि केवल 1.38 बिलियन अमरीकी डालर, 1992-93 में 4.65 बिलियन अमरीकी डालर और 1993-94 में 0.74 बिलियन अमरीकी डालर थी। 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1994 की छः महीने की अवधि में कुल विदेशी ऋण में वास्तविक रूप से 90.7 बिलियन अमरीकी डालर से 90.4 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट हुई।

(ग) सरकार देश के विदेशी ऋण देयता के बारे में जागरूक है और देश की ऋणग्रस्तता के स्तर और ऋण परिशोधन के सामान्य भार पर लगातार दृष्टि रखती है। विदेशी ऋणों का करार करने की अनुमति यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है कि कुल नयी वचनबद्धताएं विवेकपूर्ण सीमाओं में रहें जिसमें इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि देश के ऋण परिशोधन देयता ऐसे ऋणों का परिशोधन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो जाए। यद्यपि, सन् 2000 तक वास्तविक रूप से और सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में विदेशी ऋण भार का संक्षिप्त अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति गैर-ऋण सृजन करने वाले पूंजीगत अन्तःप्रवाहों को बढ़ाने की ओर अग्रसर हुई है और उससे कुल ऋण संग्रह में और कमी आएगी। विदेशी ऋण में वृद्धि/कमी तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हमारे भुगतान शेष के चालू और पूंजी खाते दोनों में निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जन, लिए जाने वाले नए ऋण, किए जाने वाले ऋण-परिशोधन आदि सहित कई घटकों पर निर्भर करेगी।

(घ) सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने, अनावश्यक तथा निम्न प्राथमिकता वाले व्यय को समाप्त करने, निर्यातों को बढ़ाने, अदृश्य अर्जनों को बढ़ाने, कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने, विदेशी निधियों के अन्तर्प्रवाह का सृजन करने के लिए गैर ऋण बढ़ाने तथा व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि विवरण में मामूली सी शुद्धि है। विवरण की पंक्ति 4 में '83.5 बिलियन यू.एस डालर' के स्थान पर ' 85.3 बिलियन यू.एस. डालर' पढ़ा जाये।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, देश की ऋण की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। जैसाकि माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता लगता है कि विदेशी ऋणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। चाहे यह धीमी गति से अथवा तेज गति से हो रही हो लेकिन यह सच है कि ऋण में वृद्धि हो रही है। वृद्धि के रुख को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मार्च,1995 तक यह ऋण बढ़कर 97 अथवा 98 बिलियन अमरीकी डालर हो जायेगा।

वर्ष 1995 के दौरान ही यह 100 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर को भी पार कर जायेगा। यद्यपि यह दावा किया गया है कि वर्ष 1994-95 में केवल 8.74 बिलियन डालर के ऋण की वृद्धि हुई है तथापि इन वर्षों में आन्तरिक ऋण में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 के दौरान आन्तरिक ऋण 1,54,004 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1994-95

में बढ़कर 2,77,561 रुपये तक पहुंच गया था। यदि दोनों को साथ रखें तो इसमें 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है और यहां तक कि यह वृद्धि 6 लाख करोड़ के लगभग है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऋण पर क्या सेवा शुल्क होगा और कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में इसका क्या अनुपात होगा। देश ऋण सेवा शुल्क को वित्तीय घाटे में कम रखने की चुनौती का कैसे मुकाबला करेगा। यह मेरे प्रश्न का भाग-एक है।

अध्यक्ष महोदय : पहला भाग ही काफी लम्बा है।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : प्रश्न बहुत ही विशिष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : अतः इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : प्रश्न के भाग (क) से लेकर (घ) का सम्बन्ध विदेशी ऋणों से है। यदि माननीय सदस्य आन्तरिक ऋण के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके उत्तर के लिए उन्हें पृथक नोटिस देना होगा।

जहां तक विदेशी ऋण का प्रश्न है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऋण में वृद्धि को कम करने के लिये विश्वसनीय उपाय किये हैं। 31 मार्च, 1991 को देश पर लगभग 84 बिलियन डालर के ऋण का भार था। इन चार वर्षों में ऋण बढ़कर 98 बिलियन डालर हो गया है। जब आप इसकी हमारे रिजर्व में हुए सुधार से तुलना करते हैं—जो एक बिलियन डालर से बढ़कर 28 बिलियन डालर हो गया है। मेरे विचार से कोई भी अर्थशास्त्र का निष्पक्ष प्रेक्षक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सरकार ने कर्ज के भार को कम करने के लिये प्रभावशाली उपाय किये हैं, जो कि गत 20-30 वर्ष में नहीं किये गये थे।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि विदेशी ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 के दौरान विदेशी ऋण पर ब्याज मुश्किल से 9.7 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया है। अतः इसमें भारी वृद्धि हुई है। प्रवृत्ति यह है कि ऋण में वित्तीय घाटा भी शामिल है। लेकिन केन्द्रीय सरकार के बकाया सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के भुगतान के कारण आगामी वर्ष में इसमें कमी आयेगी।

सामान्यतया, कुछ देश विदेशी ऋण एजेंसियों से ब्याज दर और कुल ऋण भार में भी कमी करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार ने भी ब्याज दर में तथा ऋण के भार में कमी करने के लिये ऐसी ऋण एजेंसियों से बातचीत करने के प्रयास किये हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त आई.सी.आई.सी.आई, आई.डीबी.आई., आई.एफ.सी.आई. जैसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित एजेंसियां तथा अन्य एजेंसियां भी विदेशी एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने के लिये अनुरोध कर रही हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी निगरानी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ऋण स्तर को नियंत्रित रख सके जिससे उसे एक विशेष स्तर पर बनाये रखा जाये अन्यथा देश का समस्त ऋण भार, चाहे वह सरकार पर हो अथवा अन्य एजेंसियों पर, बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, विदेशी ऋण पर कोई एक जैसी ब्याज दर नहीं है। ब्याज दर भिन्न-भिन्न होती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण किस एजेंसी से लिया गया है। जब हम विश्व बैंक से ऋण लेते हैं तो उनकी एक निर्धारित ब्याज दर होती है लेकिन बहुराष्ट्रीय एजेंसियों की ब्याज दर भिन्न होती है। जब हम अन्य देशों की सरकारों से ऋण लेते हैं तो उनकी ब्याज की दर अलग होती है। मैं यह नहीं कह सकता कि हम 9 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण ले रहे हैं। मेरे विचार से औसतन ब्याज दर इससे काफी कम होगी। जब हम अपनी तुलना अन्य विकासशील देशों से करते हैं तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि हमारे लगभग 47-50 प्रतिशत ऋण मध्यम और दीर्घावधि के हैं। हमारे लघु अवधि ऋण, जो किसी भी सरकार के लिये अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, हमारे कार्यभार संभालने पर 10.3 प्रतिशत से अधिक थे। आज वे 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। अतः अस्थिरता की स्थिति नहीं है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि विदेशी ऋण पर निगरानी रखने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है? भारत सरकार ऋण लेने के बारे में नियंत्रित निगरानी रखती है। मैंने जो भारत के कुल ऋण के बारे में उल्लेख किया है उसमें आई.सी.आई.सी.आई. और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण भी शामिल हैं। इनकी निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। हमारे इस बारे में आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं कि हम अपने ऋण में किस सीमा तक वृद्धि कर सकते हैं।

श्री संदीपन भगवान थोरात : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी ऋण का कुछ भाग देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री संदीपन भगवान थोरात : मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या एन.एच.एफ.डी.सी. ने ऋण लेने के लिये सरकार से अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का कम से कम मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध होना चाहिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : यह तथ्य है कि विदेशी ऋणों के अनुपात में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है। विदेशी ऋण, जो आठवें दशक में 10,000-20,000 रुपये के थे, बढ़कर 19.7 बिलियन अमरीकी डालर के हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस तेज गति से हमारे विदेशी ऋणों में वृद्धि हो रही है, क्या उसकी कोई सीमा है। यदि हां, तो क्या यह ऋणों में वृद्धि

सीमा में है और इससे हमारे लिये कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्या उन्होंने ऐसी कोई बात ध्यान में रखी है कि इसका सम्बन्ध हमारे पास जो विदेशी रिजर्व हैं उससे होगा। माननीय मंत्री 23 बिलियन अमरीकी डालर के रिजर्व पर गर्व कर रहे हैं। इस 23 बिलियन डालर रिजर्व में भी, एक बहुत बड़ी राशि स्थायी नहीं है क्योंकि यह राशि हमने किसी से उधार ली है अथवा यह राशि अनिवासी भारतीय की है जो कभी भी देश से जा सकती है। क्या वह विदेशी रिजर्व और विदेशी ऋण के किसी प्रकार के अनुपात पर विचार कर रहे हैं और क्या इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण होगा ताकि इसमें असीमित स्थिति तक वृद्धि न हो जाये?

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब मैंने विदेशी ऋण के आंकड़े दिये थे तो उसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा दिये गये ऋण भी शामिल थे। उनकी जो भी जमाराशि हमारे बैंकों में है उसे भारत के विदेशी ऋण में शामिल किया जाता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि हमारी सरकार ऋण की वृद्धि को सीमित रखना चाहती है। मैं यह नहीं कह सकता कि ऋण में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि जब हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, जब हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है तब सब चीजों में वृद्धि स्वाभाविक ही है। उचित तुलना यह होगी कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण की स्थिति क्या होगी। हमारी ऋण सेवा का अनुपात क्या हो रहा है? इन सब क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1991-92 में भारत का कुल विदेशी ऋण उसके 41 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के बराबर था। वर्ष 1992-93 में हम उसे 40 प्रतिशत तक ले आये। वर्ष 1993-94 में हम उसे 36 प्रतिशत तक ले आये। इसी प्रकार ऋण सेवा अनुपात में भी सुधार हुआ है। हम उसे धीरे-धीरे नीचे ला रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई जादुई फार्मूला नहीं है जिससे मैं ऋण में भारी कमी ले आ सकूं।

दीर्घावधि में देश के ऋण में तब ही कमी हो सकती है जब इसके निर्यात में भारी वृद्धि होगी। आज हमारी स्थिति चार पांच साल पहले की स्थिति से अच्छी है। 1980 के दशक में हमारा लगभग 40 प्रतिशत आयात निर्यात से होने वाली आय पर निर्भर करता था और 40 प्रतिशत आयात एक अथवा दूसरे प्रकार के ऋण पर निर्भर करता था। आज हमारा 90 प्रतिशत आयात निर्यात से होने वाली आय से पूरा होता है। भारत के निर्यात में तेजी से वृद्धि होनी चाहिये ताकि समय रहते हमारे निर्यात से होने वाली आय में भारी वृद्धि हो। यही एक तरीका है जिससे हम अपने ऋण का भुगतान करने में समर्थ हो सकते हैं।

श्री इ. अहमद : इस समय हमारे विदेशी ऋण 90.4 बिलियन अमरीकी डालर के हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके पास ऐसे कोई विशेष सुझाव हैं कि हमें वर्ष 2000 तक पहुंचने पर ऋण लेने की आवश्यकता न हो।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न का पहले ही जवाब दिया जा चुका है।

श्री मनमोहन सिंह : हमारा प्रयास यही है कि जहां तक सम्भव हो कम से कम ऋण लिया जाये। इसीलिये हम विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वह ऋण की तुलना में कम खतरनाक है। अतः गत तीन चार वर्षों में हमने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदार बना दिया है जिससे कि हमारे विदेशी ऋण के अनुपात में कमी आ सके।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 1991 में भारत के ऊपर विदेशी कर्ज 84 बिलियन डालर था। मेरी जानकारी के अनुसार उस वर्ष दो बार डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। इनकी शब्दावली में रिएडजस्मेंट जुलाई में हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1991 में जून, जुलाई के महीने में विदेशी मुद्रा के मुकाबले भारतीय मुद्रा का जो रिएडजस्टमेंट हुआ, बिना कर्ज लिये, यह विदेशी कर्जा भारतीय मुद्रा में कितना था और रिएडजस्टमेंट से वह भारतीय मुद्रा में बढ़कर कितना हो गया? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो कर्ज लेते हैं वह वित्तीय संस्थाओं और सरकार से लेते हैं, क्या भारत सरकार इस तरह का कोई आकलन अपने पास तैयार रखती है कि इस कर्ज में से कितना कर्ज हमने फाइनेंसिंग एजेंसी से और कितना सरकारों से लिया है, उसका रेश्यो क्या है? इसी के साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं, इसमें पूछा गया है कि इस कर्जे को कम करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत सारे कर्ज भारत सरकार की गारंटी पर राज्यों की सरकारें या भारत में काम करने वाली बहुत सारी एजेंसीस लेती हैं, लेकिन कर्ज लेने के बाद उस काम को नहीं करतीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह का कोई आंकड़ा आपने तैयार किया है कि जो कर्ज बाहर से लिया गया, उस कर्ज को लेने के बाद उसमें से कितना प्रतिशत भारत में इस्तेमाल हुआ और कितना बेकार पड़ा रहा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये बहुत अधिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे बकाया ऋण और वितरित ऋण के हैं। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैंने भारतीय रुपये में जानबूझकर आंकड़े नहीं दिये हैं क्योंकि ऐसा करने पर पसन्द और नापसन्द का आरोप लगाया जाता क्योंकि विनिमय दर में परिवर्तन हो गया है। लेकिन सदन की जानकारी के लिये मैं विदेशी ऋण के अन्तिम आंकड़े हजार करोड़ रुपये में दे सकता हूं। ये वर्ष 1990-91 में 163.31, 1991-92 में 253.03, 1992-93 में 280.63, 1993-94 में 284.20 और सितम्बर, 1994 के अन्त में 278.90 थे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यानि दुगना हुआ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

+

*163. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण हेतु 2005 करोड़ रुपये की परियोजना अभी भी केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) आधुनिकीकरण की इस परियोजना को कब तक लागू किया जायेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). वस्त्र अनुसंधान संघों ने 79 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 2005.72 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक योजना तैयार की थी। आधुनिकीकरण योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 36 गैर-क्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिला करके उनकी पुनर्संरचना करने की परिकल्पना की है। श्रम मंत्रालय की एन टी सी विषयक विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की थी कि एन टी सी मिलों के साथ-साथ उसकी अधिग्रहित मिलों को वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा प्रस्तावित अनुसार आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है।

सरकार एन टी सी के लिए एक सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है क्योंकि एन टी सी के 8 सहायक निगमों के मामले की आई एफ आर को भेजे गए हैं, इसलिए कोई भी योजना अन्तिम रूप में उभर कर सामने आएगी। उसके क्रियान्वयन से पहले उस पर बी आई एफ आर की सहमति भी प्राप्त करनी अपेक्षित होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि योजना के आधुनिकीकरण पर विचार करने में कितना समय लगेगा। विवरण में यह कहा गया है कि :

> "क्योंकि एन.टी.सी. के 8 सहायक निगमों के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे गये हैं, इसलिये जो कोई भी योजना अन्तिम रूप से उभर कर सामने आयेगी उसके क्रियान्वयन से पहले उस पर बी.आई.एफ.आर की सहमति भी प्राप्त करनी अपेक्षित होगी।"

लेकिन मैं यह चाहता हूं कि कपड़ा मिलों के इन विशेष मामले में कुछ को रुग्ण समझा जायेगा आदि—के मामले बी.आई.एफ.आर. को सौंपे जायेंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मजदूर संघों की सहमति से यह निर्णय लिया था कि यह आधुनिकीकरण 70 मिलों में किया जायेगा और निवेश आदि के बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया गया था। अतः क्या आधुनिकीकरण की इस योजना में इन 79 मिलों में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है और बी.आई. एफ.आर. के विचाराधीन इन 79 मिलों में से किसी विशेष छोटी अथवा कुछ मिलों के आधुनिकीकरण का विचार अस्वीकार कर दिया गया है। इसको पूरा करने तक वह प्रतीक्षा कर सकता है। क्योंकि इन मिलों को पुनः चालू करने के लिये आधुनिकीकरण योजना का एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : एन.टी.सी. की 120 मिलों का आधुनिकीकरण करने के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि सारी टेक्सटाइल मिलें पुरानी मशीनरी को लेकर चल रही हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने काफी इंटरेस्ट लिया है, आधुनिकीकरण प्लान के लिये टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को रैफर किया, उसके बाद ट्राइपारटाइड कमेटी की सिफारिशें आई, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे लीगल इशूज आ गये, उनको भी ध्यान में रखना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या लीगल प्राब्लम है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सारा इल्लीगल काम करते हैं, लीगल क्या है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे बोलने का मौका देंगे। 105 से 15 टेक ओवर मिले हैं, जिनमें लीगल प्राब्लम आई हैं, जिनको पहले नेशनलाइज कर दिया गया है, उनकी कोई प्राब्लम नहीं है। मगर दोनों को कंबाइंड करके, नेशनलाइज्ड और टेक ओवर मिल्स को कंबाइंड करके आधुनिकीकरण हो सकता है, उसमें कुछ देर हो रही है। बीआईएफआर ने 11 अप्रैल लास्ट डेट दी है, आधुनिकीकरण का जो प्लान सबमिट किया गया है, टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने जो सिफारिशें की हैं, उस लिहाज से आधुनिकीकरण करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और 11 अप्रैल से पहले डिसीजन करेंगे और आधुनिकीकरण प्रोग्राम को जारी रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 15 मिलें तो ऐसी हैं, जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है और प्रपोजल यह था कि जो सिक मिल्स हैं, जिनको सिक कहा जाता है, इन 18 मिलों को दूसरी हैल्दी मिलों के साथ मर्ज कर दिया जाए, उसका क्या हुआ, यह हमको पता नहीं चल रहा है। इस बारे में मंत्री महोदय कुछ बताएं। पिछले महीने फरवरी में एक खबर निकली थी —

[अनुवाद]

"सरकार यह अनुभव करती है कि पैकेज केवल उन्हीं मिलों के बारे में सप्लाई किया जाना चाहिये जिन्हें पुनः चालू किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

यानी पहले उनको नरूर्ड बैक है टू हैल्थ, फिर देखा जाएगा कि पैकेज एप्लाई होता है या नहीं।

[अनुवाद]

"इसी कारण केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पैकज का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को भेजा था और यह निर्देश दिया था कि वह इस विषय पर वित्त मंत्रालय से सलाह कर नये सुझाव प्रस्तुत करें।"

[हिन्दी]

संगमा जी की सदारत में बनी कमेटी ने इस पैकेज को अप्रूव किया है कि 79 मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब यह खबर दुरूस्त है या नहीं मैं जानना चाहता हूं कि केबीनेट ने तय किया है कि इस स्कीम् को फिर वापिस भेजो और उस पर लीगल एडवाइज लो। फिर तय करेंगे कि यह मॉड्रनाइजेशन लेकर आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, जो भी त्रिपक्षीय-कमेटी का रिकमेंडेशन है उसको लेकर ही मॉड्रनाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी खबर जो भी आई है तो ऑनरेबल मेम्बर को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जो त्रिपक्षीय रिकमेंडेशन हुआ है उसी लिहाज से केबिनेट की तरफ से भी उसको मंजूर करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, 9 अगस्त, 1994 को मैंने अनशन किया था और यहां चर्चा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, उसी वक्त इसी सदन में मंत्री महोदय ने इस मॉड्रनाइजेशन के ऊपर एक वचन दिया गया था कि नो क्लोजर, नो प्राइवेटाइजेशन और मजदूरों की छंटनी नहीं करेंगे और राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाएंगे। आपने जो कहा था क्या आप उसका पालन करेंगे?

दूसरा यह कि मनमोहन सिंह जी यहां पर उनके पास में बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि मंत्री जी के पास जाओ, उनके पास जाएंगे तो वह कहेंगे कि मेरे पास प्रस्ताव नहीं भेजते हैं। तो सच क्या है? क्या रॉ-मैटीरियल नहीं मिलने के कारण जो मिल बंद होने जा रही है और जिसे वर्किंग केपिटल बम्बई शहर में नहीं मिल रही है उसे आप वर्किंग कैपिटल देंगे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : वर्किंग कैपिटल का प्रश्न नहीं है यह मॉड्रनाइजेशन का है।

श्री मोहन रावले : माड्रनाइजेशन करते समय मिलों को वर्किंग कैपिटल देने की बात है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : जो त्रिपक्षीय कमेटी ने कंडीशन्स रखी हैं अध्यक्ष जी, वे सारी शर्तें वस्त्र मंत्रालय ने स्वीकार करके कैबिनेट में पेश की हैं तथा जैसा भी सरकार का निर्णय होगा मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को बता दूंगा। उसमें से किसी कंडीशन को निकाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पिछले एक वर्ष से यह उत्तर दे रहे हैं। मेरे विचार से त्रिपक्षीय समिति ने एक वर्ष पहले निर्णय ले लिया था। लेकिन इस बारे में आगे कोई प्रगति नहीं हुई। गत सत्र से पहले सत्र में माननीय वस्त्र मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि वह उसी सत्र में अधिग्रहीत की गई मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विधेयक लायेंगे। **(व्यवधान)** एक और सत्र हो गया है। लेकिन अभी तक विधेयक का कोई पता नहीं है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि विधेयक लाने में क्या कानूनी कठिनाइयां हैं क्योंकि त्रिपक्षीय समिति द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार योजना के आधुनिकीकरण और संरचना की क्रियान्वित के लिये यह पहली शर्त है। अभी आपने बताया है कि बी.आई.एफ.आर. को अभी योजना को स्वीकार करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने योजना को स्वीकृत हेतु बी.आई.एफ.आर. को भेजा है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, पहले प्रश्न का जवाब तो यही है कि मॉड्रनाइजेशन प्लान क्यों डिले हुआ है? मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को बता देना चाहता हूं कि हमने उसमें किसी कंडीशन को निकाला नहीं है और 122 मिलों का मॉड्रनाइजेशन हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में एक साथ कहीं नहीं हुआ। इसमें डिले हो रहा है लेकिन हम इसको करने जा रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के बजाय मॉड्रनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में करने जा रहे हैं। अभी 11 तारीख को बी.आई.एफ.आर. की लास्ट डेट है। अध्यक्ष जी, उससे पहले करने का विश्वास मैंने इन्द्रजीत गुप्त को दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने हाउस को दिया है।

श्री मोहन रावले : आप बतायें कि जो कंडीशन आपने हिन्दुस्तान के सामने पहले रखी थीं उस पर आप निर्भर हैं या नहीं, या त्रिपक्षीय कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसी को करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी वैसे देखा जाये तो पूरे हिन्दुस्तान में कपड़ा उद्योग की स्थिति खराब है। मैं केवल राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल्स के बारे में ही प्रश्न करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में उनके सात मिल्स हैं। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आधुनिकीकरण का मामला लम्बित पड़ा हुआ है। यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आपका आधुनिकीकरण का प्लान बन नहीं जाता, मशीनरी नहीं आती, पैसा नहीं आता, तब तक इन मिल्स की मशीनरी को जंग तो लगेगा ही और साथ ही साथ जो मिल्स आधे तरीके से चल रही हैं या बन्द पड़ी हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों के हाथों में भी जंग लग जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल्स के लिए क्रियाशील पूंजी, जो लगभग 30 करोड़ रुपये है, उसकी आवश्यकता है। आइडियल वेजेज जो माहवार मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है। जब तक आधुनिकीकरण का प्लान तैयार नहीं होता है, तब तक ये मिल्स चलती रहें, इसके लिए क्रियाशील पूंजी की व्यवस्था क्या सरकार करेगी? इसके साथ ही मैं यह भी जानना

चाहती हूं कि जो आइडियल वेजेज नहीं मिल रहा है उससे प्रोविडेंड फंड का पैसा नहीं भरा जा रहा है, ई.एस.आई.का पैसा नहीं भरा जा रहा है और विद्युत मंडल के बिल का भी भुगतान नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप प्रश्न को और लम्बा बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या इसकी कोई व्यवस्था राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल्स के लिए करेंगे?

श्री जी. वेंकट स्वामी : यह सही है कि सारे हिन्दुस्तान में...

अध्यक्ष महोदय : उनको चलाने के लिए क्या मदद कर रहे हैं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : हम कर रहे हैं। हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं, बावजूद इसके कि पैसा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : तनख्वाह नहीं मिल रही है। **(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : अगर माननीय सदस्य थोड़ा मौका दें तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर वह बोल रहे हैं तो आप सुन लें।

श्रीमती सरोज दुबे : पहले आप मेरी सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में आप कभी भी उठकर नहीं बोले सकते हैं। आप बैठ जायें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मध्य प्रदेश की माननीय सदस्या जो कह रही हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप एक जगह का भी उदाहरण दे दें कि जहां मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। अगर इस प्रकार से पूछेंगे तो लोग समझेंगे कि आपके पास पूछने के लिए कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या इन 79 मिलों में उन 15 मिलों को भी शामिल किया गया है जिनसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को होने वाली कुल हानि में .85 प्रतिशत हानि होती है। यदि हां, तो बी.आई.एफ.आर. इनको प्राथमिकता किस आधार पर देगी?

क्या आप केवल मशीनरी का आधुनिकीकरण कर रहे हैं अथवा आप शीर्षस्थ प्रबन्ध में भी लोगों को बदल रहे हैं और ऐसे जनरल मैनेजरों की नियुक्ति कर रहे हैं जिन्हें उत्पादन गारंटी के आधार पर अद्यतन तकनीक की पूरी जानकारी होगी, जिसकी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में भारी कमी है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : आधुनिकीकरण के बाद हमारी ऐसी ही योजना है। हम प्रबन्ध में ऊपर से नीचे तक परिवर्तन करेंगे?

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : माननीय मंत्री जी को शायद स्मरण होगा कि दीपावली के दिनों में आपसे पर्सनली आपके घर पर मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई दीपावली का प्रश्न नहीं है। अब कोई लड्डू खिलाने नहीं हैं।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में 70 टैक्सटाईल मिल्स थीं। आज 10 साल में पूरे अहमदाबाद शहर में 10 मिलें चालू नहीं हैं। मैं बार-बार सदन में कामगारों के वेतन के लिये खड़े होकर कहता रहा हूं। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आपके दिल में श्रमिकों के लिये बहुत सम्मान और प्यार है, इसलिये मुझे अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र अहमदाबाद में 7 में से 5 टैक्सटाईल मिलें बंद पड़ी हैं। दीपावली के दिनों में 2 मिलें बंद हो गयी क्योंकि बिजली के बिलों के ड्यूज पे नहीं किये इसलिये गुजरात इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने कनेक्शन काट दिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानते हैं कि यह प्रश्न मिलों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है। उनके पास सब मिलों के बारे में जानकारी नहीं हो सकती।

श्री हरिन पाठक : लेकिन यह प्रश्न उन सात मिलों से सम्बन्धित है जिनकी बिजली के बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः उनके बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं जिसके कारण 10,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों के बिजली के बिलों की बकाया राशि का भुगतान करेगी ताकि ये मिलें सुचारू रूप से कार्य कर सकें और बेरोजगार हुए कर्मचारियों को भी काम मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं अन्यथा आप फिर उठ जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, यह सही है और आनरेबल मैम्बर जानते हैं कि गुजरात में सारी मिलें ड्यू टू सिकनैस बंद हैं। उसकी वजह से एन.टी.सी. मिलें बंद पड़ी हैं। जहां तक इलैक्ट्रिसिटी चार्जेज पे करने की बात है, हम वेट कर रहे हैं कि 10-15 दिनों में मॉडूनाइजेशन का प्लान आयेगा तो सारे के सारे ड्यूज पे करेंगे और नई माडर्न स्कीम को लेकर आयेंगे।

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि माडूनाइजेशन में देर लगेगी लेकिन बहुत सी कम्पनियां जैसे स्वदेशी काटन मिल में मजदूर काम करना चाहते हैं

लेकिन काम नहीं है तो कहीं पर आइडियल वेजेज दिये जा रहे हैं और कहीं नहीं दिये जा रहे हैं और इस समय जो कम्पनियां बंद हैं, उसमें मैनेजमेंट के पास कोई काम नहीं है और वहां की मशीनरी का सामान बेचा जा रहा है। मैनेजमेंट ने बहुत अत्याचार कर रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब तक मॉडूनाइजेशन की स्कीम पूरी नहीं हो रही है तो क्या आप इन सारी एन.टी.सी. मिलों पर निगरानी रखने के लिये कोई उपाय कर रहे हैं तथा इसमें चोरी न हो, सभी मजदूरों को आइडल वेजेज मिले, क्या इन सबके लिये कोई नीति लाने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने शिकायत की थी कि यहां पर चोरियां हो रही हैं, आफिसर को निकाल दो। जैसा इन्होंने दिया, उसी के मुताबिक मैंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बावजूद भी अगर शिकायत है तो मैं जरूर एग्जामिन करूंगा।

श्रीमती सरोज दुबे : मंत्री जी ने ट्रांसफर कर दिया लेकिन जांच नहीं हुई। ट्रांसफर कर देने से चोरी का अपराध नहीं रुका। वह अधिकारी तो अच्छी जगह जाकर बैठ गया है। इसलिये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रही हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने जवाब देते हुये बताया कोई ऐसी मिल नहीं जहां मजदूरों को बंद होने की स्थिति में लायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि है, तो आप लिखकर दीजिये, उसमें एक्शन लेने के लिये बाध्य रहेंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उज्जैन में विनोद रैयन मिल बंद हो गयी है और मजदूरों को उनके अधिकार का पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह मामला एकदम बहुत ही संवदेनशील है, कष्टपूर्ण स्थिति में मजदूर रह रहे हैं। एक-एक करके मिलें बंद हो रही हैं। यह केवल एन.टी.सी. का ही मामला नहीं है, सारी की सारी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि वर्षों से सरकार से यहां सुनते चले आ रहे हैं कि हम मिलों की हालत ठीक करने वाले हैं। इसलिये कोई समयबद्ध ऐसा कार्यक्रम बनायें जिससे एन.टी.सी., एस.टी.सी. की सभी कपड़ा मिलों के बारे में कार्यवाही की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : जटिया जी, यह एन.टी.सी. मिलों के मॉडूनाइजेशन का क्वश्चन है और आप सारी मिलों को इसके अंदर ला रहे हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो हीरा मिल है, उसमें मजदूरों को रोजगार दिलाने और उसको चालू रखने के लिए सुचारू रूप से कौन से उपाय करने वाले हैं या उसके लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे?

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अगर वह अपनी बात लिखकर दें तो मैं उनको पूरी जानकारी दे दूंगा।

[अनुवाद]

भारत-अमरीका व्यापार संबंध

+

*164. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के कामर्स सेक्रेटरी के भारत दौरे के बाद हाल ही के महीनों में भारत-अमरीका के बीच व्यापार संबंधों में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से अमरीका सरकार द्वारा व्यापार संबंधी मामलों से मानव अधिकारों को पृथक करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका की नीति में उक्त परिवर्तन से भारत और अमरीका के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापार-साझीदार है। जनवरी, 1995 में अमरीकी वाणिज्य सचिव के भारत के दौरे से भारत-अमरीकी वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में भारत और अमरीका के बीच मानव अधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(ग) और (घ). ऐसी आशा है कि अमरीकी वाणिज्य सचिव के उक्त दौरे के परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे और हमारे प्रमुख क्षेत्रों में अमरीकी पूंजी निवेश अधिक बढ़ेगा। गैर-सरकारी व्यापार के आदान-प्रदान बढ़ने से द्विपक्षीय व्यापार के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था कि अमेरिका के वाणिज्य सचिव यहां आए थे और भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसमें भारत की वाणिज्य नीति में कोई परिवर्तन हुआ है.या नहीं? जवाब आना चाहिए था कि परिवर्तन नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा साफ किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अमेरिका बराबर व्यापार के मामले में किसी न किसी रूप में मानवाधिकार का सवाल उठाता रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि इस बार यह मामला नहीं उठा है, लेकिन अगर आगे यह मामला उठाया जाता है तो भारत सरकार की नीति क्या होगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि अमरीकी वाणिज्य सचिव के दौरे के परिणामस्वरूप भारत की व्यापार नीति में कोई परिवर्तन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी विदेशी सरकार के मंत्री के भारत के दौरे के परिणामस्वरूप देश की व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार सम्बन्धी नीति निर्धारित की जाती है।

जहां तक मानव अधिकारों का प्रश्न है, यदि वे मानव अधिकारों को व्यापार सम्बन्धों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम इसका जोरदार विरोध करेंगे। लेकिन यदि अन्य मंच पर विदेशी सरकार सामान्य रूप से मानव अधिकारों का मामला उठाते हैं, तो भारत की स्थिति सर्वविदित है और मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय इन शंकाओं का उचित रूप से समाधान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यापार के किन-किन क्षेत्रों में हाल के दिनों में ये बढोत्तरी हुई है और भारत को इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अभी तक प्राप्त हुई है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। भारत के कुल निर्यात का 18 प्रतिशत निर्यात अमरीका को किया जाता है और अमरीका भारत को 12 प्रतिशत आयात करता है। गत चार वर्षों में भारत से अमरीका को किये जाने वाला निर्यात चालू वर्ष में दिसम्बर तक 2.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 3.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। आयात लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की दर से स्थिर रहा है।

जहां तक अमरीका को निर्यात करने वाली और अमरीका से आयात करने वाली मुख्य वस्तुओं का सम्बन्ध है—हम अमरीका को कपड़ा और सिले-सिलाये वस्त्रों, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, इंजीनिरी उत्पाद, बिजली उत्पाद, हीरे और जेवरात और कीमती पत्थर, समुद्री केकड़ा और झींगा मछली का निर्यात करते हैं। हम अमरीका से मुख्यतया उर्वरक, विमान, टर्बोजैट, विमानों के पुर्जे, मशीनों के पुर्जे, जौ का सत, सोयाबीन का तेल, स्वचालित डेरा प्रोसेसिंग मशीनें, इलैक्ट्रानिक सामान, लकड़ी की लुगदी और रेलवे इंजनों के पुर्जों का आयात करते हैं।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या सरकार को मि. जॉन शैट्टक एसिसटैंट सेक्रेटरी आफ स्टेट एण्ड ह्यूमन राइट द्वारा मानव अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही सम्बन्धी विदेश सम्बन्धों सम्बन्धी उप-समिति की संयुक्त सुनवाई के दौरान दिये गये इस साक्ष्य की मानव अधिकारों के बारे में भारत का रिकार्ड संदिग्ध है और उनकी मानव अधिकार मिशन के बारे में मई में भारत की यात्रा करने की योजना है, जानकारी है।

लेकिन उसी साक्ष्य के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन राज्यों के मामले में, जिनके मानव अधिकारों के बारे में संदिग्ध रिकार्ड हैं, वाशिंगटन व्यापार प्रतिबन्ध जैसे हथियार का उपयोग करेगा, बहुराष्ट्रीय विकास बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति का विरोध करेगा। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार इसे एक धमकी और मानव अधिकारों से व्यापार सम्बन्धी मामलों को जोड़ना मानती है।

अध्यक्ष महोदय : आप राय जानना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम व्यापार सम्बन्धों और कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बीच किसी सम्बन्ध का विरोध करेंगे। यदि विभिन्न मंचों पर मानव अधिकारों का मामला उठाया जाता है तो सरकार निश्चित रूप से उन मंचों पर एक आशंका को निराधार करेगी।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : अमरीका भारत को व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम की विशेष धारा 301 के अन्तर्गत प्राथमिक निगरानी सूची में रखता है। क्या इस विषय पर अमरीका के वाणिज्य सचिव से विचार विमर्श किया गया था?

श्री पी. चिदम्बरम : जी, हां। इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। जब हमारे अधिकारियों ने अमरीका का दौरा किया था तब भी हमने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखने का विरोध किया था। जैसाकि मैंने उल्लेख किया है यह उनकी सूची है। किसी अन्य देश द्वारा हमारे नाम को अपनी सूची में शामिल किये जाने से अनावश्यक रूप से चिन्तित नहीं होना चाहिये। यदि हमारे नाम को किसी सूची में शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप, हमारे व्यापार सम्बन्ध प्रभावित होते हैं, यदि प्रतिबन्धात्मक उपाय अपनाये जाते हैं, तो हम इस बात का निश्चित रूप से विरोध करेंगे और हम निश्चय ही इसका उचित जवाब देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कॉफी का निर्यात

*165. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी :**
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा में कॉफी का उत्पादन और निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने कॉफी बीज/पाउडर के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है और कॉफी पर निर्यात संशोधित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वदेशी बाजार में कॉफी बीजों/पाउडर का मूल्य बढ़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दिसम्बर, 1994 की तुलना में स्वदेशी बाजार में इसका वर्तमान मूल्य क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कॉफी का मूल्य विनियमित करने तथा स्वदेशी बाजार में प्रतियोगी दरों पर कॉफी बीज/पाउडर उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान (अब तक) कॉफी का कुल उत्पादन और निर्यात निम्नानुसार होने का अनुमान है :—

वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादन : 1,80,000 मी.टन

वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात : 1,16,000 मी.टन

(ख) तथा (ग). जी, हां। सरकार ने दिनांक 31.12.1994 को कॉफी के निर्यात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध समाप्त कर दिया है और कॉफी के ऐसे कुछ ग्रेडों के निर्यात की अनुमति भी दे दी है जिन पर पहले प्रतिबंध लगा हुआ था। निर्यात हेतु कॉफी पर लगने वाले सीमा शुल्क में दिनांक 21.1.1994 से संशोधन किया गया है जो 25/-रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 35/- प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(घ) तथा (ङ). कॉफी की कीमतें जो जून, 1994 में तेजी से बढ़ी थीं, वे पिछले कुछ सप्ताहों से स्थिर हो गई हैं। यह अभूतपूर्व कीमत वृद्धि इसलिए हो गई क्योंकि सर्वाधिक बड़े उत्पादक देश ब्राजील में पाला पड़ने के कारण फसल में क्षति हो गई और इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमत में तेजी से वृद्धि हो गई। घरेलू बाजार में कॉफी की मौजूदा औसत कीमत इसकी दिसंबर, 1994 की कीमत की तुलना में निम्नानुसार है :—

	काफी बीज	काफी पाउडर
	(दर-रु. प्रति किग्रा.)	
दिसम्बर, 1994	119	166
फरवरी, 1995	118	162

(च) घरेलू उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से और संदिग्ध जमाखोरी के निवारण के रूप में सरकार ने अगस्त, 1994 में कॉफी के कुछ ग्रेडों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त कॉफी के निर्यात पर मात्रा संबंधी सीमा-निर्धारण किया था। जून-जुलाई, 1994 की अधिकतम कीमत की तुलना में कीमतें जब काफी निचले स्तर पर स्थिर हो गईं तब दिनांक 31 दिसंबर, 1994 को इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। किन्तु, कॉफी की घरेलू कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के रुख से प्रभावित होती रहती हैं। घरेलू बाजार में कॉफी की कीमतें विनियमित करने हेतु इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के उपाय किए जाएंगे जिसमें कीमतों पर कॉफी की घरेलू उपलब्धता पर्याप्त हो।

श्रम सम्मेलन

*166. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के श्रम मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में जिस "सामाजिक खण्ड" (सोशल क्लाज) प्रस्ताव पर विस्तार में चर्चा की गई थी उसके माध्यम से जिन नये रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की जा रही है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली घोषणा तथा कार्य-नीति पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) क्या भारत ने श्रम मानदण्डों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने की भर्त्सना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). 19 से 23 जनवरी, 1995 तक नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के श्रम मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में तिरासी देशों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से दिल्ली-घोषणा तथा कार्य-योजना को स्वीकार किया। दिल्ली घोषणा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय लिया गया है कि सामाजिक खंड को लागू किये जाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रममानकों के प्रवर्त्तन के बीच संबंध स्थापित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाए। कार्रवाई कार्यक्रम, जो दिल्ली घोषणा पर आधारित है, के लिए श्रम मानकों को व्यापार संबंधी मुद्दों से जोड़े बिना अं.श्र.सं. के भीतर ही उनकी समीक्षा करना, अद्यतन करना और समेकित और समेकन; और अ.श्र.सं. के अभिसमयों की राष्ट्रीय स्तर पर आवधिक समीक्षा करने तथा श्रम मानकों के प्रवर्त्तन को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया गया है। भारत उपर्युक्त संकल्प का एक पक्षकार है।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिक

*167. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में कृषि श्रमिकों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सरकार को कृषि श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी, कार्यघंटों और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में सामना की जा रही समस्याओं की जानकारी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कृषि श्रमिकों से संबंधित सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधान है क्योंकि इसमें न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन, कार्य घंटे, समयोपरि मजदूरी की अदायगी, विश्राम दिवसों आदि का प्रावधान है। अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ, 29-30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के, 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में आयोजित दक्षिणी क्षेत्र के और 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में आयोजित मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों में व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्त्तन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक निर्णय लिये गये हैं। इनमें प्रिन्ट मीडिया, रेडियो प्रसारण, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंगों आदि के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार, अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए शास्तियों में वृद्धि, दावा प्राधिकारियों की नियुक्ति संबंधी पात्रता मानदण्डों का विस्तार करना, दावा निपटान प्रक्रियाओं का सरलीकरण आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने और जिलास्तरीय निगरानी समितियां आदि गठित करने के लिए अन्य सहयोगी मंत्रालयों की सहायता लेकर प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करें।

कृषि कर्मकारों के कार्य वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रित अनेक अन्य विधान जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1970 आदि अधिनियमित किये गये हैं। केरल और त्रिपुरा राज्यों द्वारा क्रमशः 1973 और 1986 में कृषि कर्मकारों के लिए व्यापक विधान अधिनियमित किये गए हैं तथा अन्य राज्यों को इसी प्रकार के विधान, जिनके लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित कर दिया गया है, बनाने की सलाह दी गयी है। "वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, जिनमें कृषि कर्मकार भी शामिल हैं, को प्रभावी और दक्ष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन स्थापित 1.31 लाख से अधिक उप-केन्द्र, 21,024 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और 2293 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 4.15 लाख ग्राम स्वास्थ्य गाइड प्रशिक्षित किये गये हैं जिनमें से 3.25 लाख ग्राम स्वास्थ्य गाइड राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्यरत हैं।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी निवेश

*168. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी संस्थागत पूंजी निवेशकों द्वारा किये जाने वाले पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा को कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से विद्युत तथा दूरसंचार जैसे संरचनागत क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने का अनुरोध भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). प्रश्न में उठाए गए मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के एक अनौपचारिक समूह रसेल 20-20 के दौरे के दौरान, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित की गई विचार-विमर्श की एक बैठक में चर्चा के विषय थे। तथापि, कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारिताओं पर मौजूदा सीमा में कोई संशोधन करने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(ग) से (ङ). वृद्धि और समग्र विकास को बढ़ावा देने में आधार ढांचे के महत्व को स्वीकारते हुए, सरकार ने आधार ढांचे विशेषकर विद्युत और दूरसंचार मे निवेश के लिए महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं। इनमें, विद्युत क्षेत्र के लिए रियायती कर व्यवस्था तथा 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति शामिल है। टेलीकाम क्षेत्र के सुधारों में, ये शामिल हैं : बुनियादी और मूल्य वर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता की परिकल्पना से युक्त राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति की घोषणा, टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार, पट्टे पर वित्तपोषण और आस्थगित भुगतान अवधियों के माध्यम से निजी वित्तपोषण संस्थाओं से संसाधन प्राप्त करना।

[हिन्दी]

एन.आर.ई. खाते

*169. **श्री अरविंद त्रिवेदी**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.आर.ई. खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख). प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जहां अनिवासी बाह्य (एन.आर.ई.) खातों का विदेशी मुद्रा के विनियम में गैर कानूनी व्यापार के लिए दुरूप्रयोग किया गया है।

(ग) अनिवासी बाह्य खातों के गैर कानूनी प्रयोग को रोकने के लिए सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। जब भी इसके गैर कानूनी प्रयोग की आसूचना प्राप्त होती है तब विस्तृत जांच की जाती है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों की लेखा परीक्षा/निरीक्षण के दौरान अनिवासी बाह्य खातों में लेन-देन पर निगरानी रखें।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर

*170. **श्री वी.एस. विजयराघवन :**
श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचालित कई गैर-सरकारी एअरलाइन्स अतिदेय हो चुके अंतर्देशीय विमान यात्रा कर का भुगतान करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर का भुगतान न किए जाने पर गैर-सरकारी एअरलाइनों के कुछ हवाई जहाज जब्त किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एअरलाइनों से प्राप्त कर की शीघ्र वूसली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख)

	एअरलाइन का नाम	अवधि	बकाया राशि (लाख रुपये)
(i)	मैसर्स जगसन एअरलाइन्स	1992-93	5.81
(ii)	मैसर्स कान्टीनेन्टल एवीएशन प्रा. लि.	1991-92 तथा 1992-93	74.86
(iii)	मैसर्स सिटी लिंक एअरवेज	1992-93	60.15
(iv)	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स	1992-93	77.00
(v)	मैसर्स राज एवीएशन	1994 (जनवरी-अप्रैल)	46.64

उपर्युक्त राशियों के अलावा, कथित रूप से अदा न की गयी अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर की राशियों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित एअरलाइनों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किए गए हैं :—

(i) मैसर्स ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स

(ii) मैसर्स एअर एशियाटिक लि.

(iii) मैसर्स गोवावेज एवीएशन प्रा. लि.

(ग) जी, हां।

(घ)

	एअरलाइन का नाम	वायुयान को रोकने की तारीख	छोड़ने की तारीख
(i)	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स	8.11.94	10.11.94
(ii)	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स	24.2.95	28.2.1995
(iii)	मैसर्स दमानिया एअरवेज	25.2.95	22.3.1995
(iv)	मैसर्स कान्टीनेन्टल एवीएशन	10.2.95	अभी छोड़ा नहीं गया है।

(ङ) चूक के सभी मामलों में, अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर नियमावली, 1989 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1989 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

शेयर दलाल

*171. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख दलालों की कम संख्या होने के कारण शेयर बाजार में उप-दलालों की संख्या काफी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन उप-दलालों को शेयर बाजार में लेन-देन करने के लिए कानूनी मान्यता प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि उप-दलाल लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से नियमितताएं न बरतें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार शेयर-बाजार में प्रमुख दलालों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) स्टॉक एक्सचेंज में उपदलाल तथा सदस्य शेयर बाजार में भिन्न वर्गों के मध्यवर्ती हैं तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों की सीमित संख्या के कारण उपदलालों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ गई है।

(ख) प्रतिभूति बाजार में मध्यवर्तियों की श्रेणी के रूप में उपदलालों को सेबी अधिनियम 1992 के अन्तर्गत बनाये गये सेबी (शेयर दलाल तथा उपदलाल) नियम एवं विनियम, 1992 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा कानूनी मान्यता दी गई है।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). सेबी (शेयर दलाल एवं उपदलाल) नियम एवं विनियम, 1992 में, अन्य बातों के अलावा, उपदलालों के पंजीकरण की एक योजना तथा उनके लिए एक आचार-संहिता निहित है। उपदलालों के लिए आचार-संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि उपदलाल सम्पूर्ण निवेश व्यापार के संचालन में सत्यनिष्ठा, तत्परता तथा निष्पक्षता के उच्च मानदंडों को बनाए रखेगा तथा इसमें ग्राहकों एवं सामान्य निवेशक जनता शेयर दलालों तथा विनियामक प्राधिकारियों के साथ उनके व्यवहार के संबंध में उनके लिए अनेक कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गये हैं।

(च) ऊपर (घ) एवं (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों की संख्या से संबंधित मामले और नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रियाएं स्टॉक एक्सचेंज के नियमों द्वारा शासित होती हैं। इसलिए, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का आधारभूत निर्णय संबंधित एक्सचेंज में निहित होता है। गत दो वर्षों के दौरान, सेबी ने सदस्यता बढ़ाने से संबंधित अनेक स्टॉक एक्सचेंजों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

[अनुवाद]

कालीन बुनकर

***172. श्री गोपी नाथ गजपति :**
डा वसंत पवार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीन बुनकरों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कालीन बुनकरों के लाभार्थ कोई कल्याण निधि बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। कौशल के निर्माण एवं संवर्धन, डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विकास और विपणन से सम्बन्धित समस्याएं हैं। इनमें बुनकरों के कल्याण से सम्बन्धित मामले भी शामिल हैं।

सरकार देश के विभिन्न कालीन क्षेत्रों में 437 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है। अब अन्य संगठनों जैसे राज्य निगमों, सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के जरिए उत्पादन आधार को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। ऐसे अभिकरणों की सहायता से मधुबनी तथा ग्वालियर में दो शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना सहित 87 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक कालीन प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन संस्थान भदोही में शीघ्र खोला जा रहा है। कालीन बुनकरों को समय-समय पर आयोजित विभिन्न शिल्प बाजारों, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय खेलों और प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने की सुविधा दी जाती है। हाल ही में सरकार ने देश में कालीन बुनकरों सहित शिल्पकारों के लिए वर्कशेड-सह आवास, सामूहिक बीमा तथा हैल्थ पैकेज की कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की हैं। सरकार ने कालीन बुनाई में तथाकथित बाल श्रम के प्रयोग को रोकने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें संबद्ध नियमों को सख्ती से लागू करना, व्यवसाय से मुक्त कराए गए बालकों के लिए कल्याण तथा शैक्षिक निवेशों की व्यवस्था करना, कालीन बुनाई में बालकों को नियोजित करने के विरूद्ध आम जनता में जागरूकता पैदा करना तथा देश एवं विदेश दोनों में मीडिया और राजनयिक चैनलों के जरिए बाल श्रम के प्रयोग सम्बन्धी बढ़ाचढ़ाकर किए जा रहे प्रचार की समस्या का समाधान करना आदि शामिल है। स्वतः विनियमित तथा स्वैच्छिक आचार-संहिता को अपनाने के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के जरिए व्यापार करने हेतु प्रेरित किया जाता है और सरकार द्वारा हाथ से बने कालीनों के निर्यातकों के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

(ग) और (घ). कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को प्रशासनिक समिति में बाल कल्याण निधि स्थापित करने का निश्चय किया है जो 1.1.95 से लागू है तथा इसमें सदस्य अपने हाथ से बुने कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 0.25 प्र.श. योगदान करेंगे। इस प्रकार से एकत्रित की गई राशि भारतीय कालीन उद्योग में कार्यरत बुनकरों के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी।

[हिन्दी]

वी.ए.बी.ए.एल. योजना

***173. श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूल्य आधारित अग्रिम लायसेंसिंग योजना (वी.ए.बी.ए.एल.) के दुरूपयोग के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के एक विकल्प के रूप में इस योजना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस योजना के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें आवेदक-फर्मों का नहीं होना, ओवर इनवाइसिंग तथा गलत घोषणा करने के आरोप लगाए गए हैं। तथापि, जांच पड़ताल से एग्जिम नीति का किसी बड़े पैमाने पर उल्लंघन अथवा मूल्य आधारित अग्रिम लाइर्सेसिंग प्रणाली का सामान्य दुरूपयोग नहीं पाया गया है।

सरकार ने मूल्य आधारित अग्रिम लाइर्सेसिंग (वैबल) योजना में परिवर्तन कर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना का विकल्प बनाने का निर्णय नहीं किया है। तथापि, 1 मार्च, 1995 को एक नई योजना, जिसको इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (लोहा एंव इस्पात मध्यवर्ती की प्रतिपूर्ति) योजना कहा गया है, की अधिसूचना जारी की है ताकि इस्पात के स्वदेशी उत्पादकों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आस-पास लोहा एवं मध्यवर्ती इस्पात निवेश के स्रोत प्राप्त किए जा सकें। इस योजना के तहत, इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के बाद किसी स्वदेशी इस्पात उत्पादक से मध्यवर्ती लोहा एवं इस्पात प्राप्त किया जा सकता है।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइर्सेसिंग योजना के उल्लंघन से निपटने के लिए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अलावा, इस योजना के प्रचालन के समय ध्यान में आयी कमियों/अनियमितताओं का पता लगाने और उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की दृष्टि से इस पर निरन्तर निगरानी भी रखी जाती है।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

*174. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश से यूरोपीय समुदाय के देशों को हथकरघा और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र और गुजरात से इन वस्त्रों के निर्यात का अलग-अलग कुल कितना हिस्सा है;

(घ) इन वस्त्रों के निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है/दिये जा रहे हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). दिनांक 31.12.1994 को हस्ताक्षरित इण्डो-ई. सी. वस्त्र करार के परिणामस्वरूप यूरोपीयन यूनियन के हमारे हथकरघा तथा कुटीर उद्योग उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी नियंत्रणों को हटा लिया गया है। वर्तमान लोचशीलताओं के अतिरिक्त 7000 टन की अपवादात्मक लोचशीलता भी प्रदान की गई है। इन उपायों से यूरोपीय यूनियन के देशों को हमारे हथकरघा तथा सिले-सिलाए परिधानों की निर्यात सम्भावनाओं में सुधार आने की आशा की गई है।

(ग) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ). परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादनों के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त कच्चे सामान को आयात करने के लिए विशेष व्यवस्था, निर्यात साख आदि की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना।

[हिन्दी]

निर्यात प्रोत्साहन

*175. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातकों द्वारा निर्यात प्रोत्साहनों का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में निर्यातकों द्वारा निर्यात प्रोत्साहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) नकद क्षतिपूर्ति सहायता (सीसीएस), लाइर्सेसों की प्रतिपूर्ति (आरईपी), एग्जिम स्क्रिप्स, अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना (आईपीआरएस), वास्तविक एवं माने गए निर्यातों के संबंध में वापसी इत्यादि जैसे निर्यात प्रोत्साहनों के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि गलत घोषणाओं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाया गया या लाभ उठाने का प्रयास किया गया। ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और संबंधित कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत वंचित करने, आर्थिक दण्ड लगाने और आयातक-निर्यातक कोड खत्म करने जैसी दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों को अभियोजन के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भी भेजा जाता है। ये उपाय निर्यातकों द्वारा प्रोत्साहनों का दुरूपयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन

*176. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया है;

(ख) विश्व व्यापार संगठन में एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं;

(ग) ये शर्तें किस प्रकार पूरी की गईं;

(घ) क्या इसमें शामिल हो जाने से भारत को नये आर्थिक सुधारों को कारगर बनाने में मदद मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) स्थापित करने वाले करार के अनुच्छेद-II में यह प्रावधान है कि "इस करार के लागू होने की तारीख को गाट 1947 के संविदाकारी पक्ष तथा यूरोपीय समुदाय, जो इस करार तथा बहुपक्षीय व्यापार करारों को स्वीकार करते हैं तथा जिनके लिए रियायतों और वचनबद्धताओं की अनुसूचियां गाट 1994 में अनुबंध के रूप में लगाई गई हैं तथा जिनके लिए विशिष्ट वचनबद्धताओं की अनुसूची गाट में अनुबन्धित हैं, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के मूल सदस्य होंगे।"

चूंकि भारत गाट, 1947 का संविदाकारी पक्षकार था तथा इसने डब्ल्यू टी ओ करार के लागू होने की तारीख तक बहुपक्षीय व्यापार करार, रियायत अनुसूची तथा वचनबद्धताओं सहित डब्ल्यू टी ओ स्थापित करने वाले करार का अनुसमर्थन किया था, इसलिए भारत इसका संस्थापक सदस्य बन गया।

डब्ल्यू टी ओ की सदस्यता से यह सुनिश्चित होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के संदर्भ में होगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता, संभाव्यता तथा गैर-विभेदीकरण होगा। माल एवं सेवाओं के लिए विश्व व्यापी बाजार पहुंच बढ़ाकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के अलावा उरूग्वे दौर के परिणामों से विश्व व्यापार की मात्रा के काफी बढ़ने की संभावना है, जिससे रोजगार बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी तथा सामान्यतः जीवन स्तर ऊंचा होगा।

कपास और सूती धागा

*177. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में देश में कपास और सूती धागे के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र को रियायती दरों पर कपास और सूती धागा सप्लाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कपास की जमाखोरी रोकने तथा उसके बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां। कपास और सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ख) कपास और सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि के कारण हैं : बाजार में कपास की कम आवक, कुछ क्षेत्रों में कपास की उपज को क्षति, अन्धाधुन्ध खरीददारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जटिल उपलब्धता।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 में 15 रु. प्रति किग्रा की आर्थिक सहायता पर हथकरघा क्षेत्र को वितरण के लिए 20 मिलियन किग्रा हैंक यार्न आवंटित किया गया।

(ङ) सरकार स्थिति की निरंतर मानीटरिंग कर रही है। शून्य शुल्क की दर पर कपास को ओ जी एल के अन्तर्गत रखा गया है। शून्य शुल्क की दर पर लगभग 30,000 मी. टन विस्कोस स्टेपल फाईबर का आयात किया जा रहा है। मिलों तथा व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले कपास के स्टाक की उच्चतम सीमा लागू की गई है। हैंक यार्न दायित्व आदेश को सख्ती से लागू किया जा रहा है। मौजूदा घरेलू स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब तक घोषित 5 लाख गांठों की मात्रा में से निर्यात के लिए बंगाल देशी कपास की केवल 1 लाख गांठों की अनुमति दी गई है। वस्त्र आयुक्त कपास की जमाखोरी को रोकने के लिए विभिन्न आदेशों का प्रवर्तन सुनिश्चित कर रहे हैं।

भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग

*178. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ के बारह देशों के साथ आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए एक पंचवर्षीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहभागिता और विकास के बारे में भारत और यूरोप के बीच हाल ही में हुए नए समझौते के अंतर्गत ब्रूसेल्स में कोई सम्मेलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या निकले;

(ङ) भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के मसौदे की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या यूरोपीय संघ के साथ किसी द्विपक्षीय आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ङ). भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की दिनांक 10-11 अक्तूबर, 1994 को ब्रूसेल्स में आयोजित बैठक में दोनों प्रतिनिधिमण्डल वर्ष 2000 तक आर्थिक एवं विकास संबंधी सहयोग के लिए पंचवर्षीय कार्य नीति के व्यापक सिद्धातों पर सहमत हुए थे। इस दूरदर्शी लचीली एवं गतिशील कार्यनीति में भारत को विकास संबंधी प्रयासों, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परस्पर लाभदायक आर्थिक सहयोग जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए समुदाय से लगातार सहायता देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, इस कार्यनीति में कृषि, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, पर्यावरण, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है और साथ ही परियोजनाओं और कार्यक्रमों के चयन के लिए मानदंड के ब्यौरे दिए जाते हैं।

(ग) और (घ). भागीदारी एवं विकास संबंधी भारत-यूरोपीय संघ सहयोग करार के अगस्त, 1994 में लागू होने के बाद से भारत यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग का पहला अधिवेशन दिनांक 10-11 अक्तूबर, 1994 को ब्रूसेल्स में हुआ था। आर्थिक एवं विकास संबंधी सहयोग के लिए दीर्घावधि-कार्यनीति पर सहमत होने के साथ-साथ दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने समुद्रवर्ती, दूरसंचार और इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया।

(च) और (छ). नए करार में भी आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय सहयोग का भी प्रावधान है।

भविष्य निधि निवेश पैटर्न

*179. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भविष्य निधि के निवेश के वर्तमान पैटर्न का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि के अंशदान का गत चार दशकों से संचालन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भविष्य निधि अंशदानों का संचालन करने के प्रति अनिच्छा प्रकट की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में क्या वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं;

(छ) क्या सरकार ने हाल ही में भविष्य निधि की विशेष जमा राशियों पर ब्याज दरों में कमी करने का प्रस्ताव किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) निवेश के वर्तमान ढांचे के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि राशि का 15 प्रतिशत सरकार की प्रतिभूतियों में, 55 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में तथा 30 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बान्डों/प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमाण पत्र निक्षेपों में निवेश किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जमा की गई भविष्य निधि निवेश राशि 20,289.37 करोड़ रुपये थी, जिसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक को करना था।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेश कार्य का संचालन न करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह कार्य सार्वजनिक ऋण के प्रबन्धक के रूप में उसके कृत्यों के प्रतिकूल है।

(च) कर्मचारी भविष्य निधि की राशि निवेश करने का कार्य 1.4.1995 से भारतीय स्टेट बैंक को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्शाखागत लेखाओं का मिलान

*180. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को लेखाओं के अंतर्शाखागत मिलान के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंक उपरोक्त निदेशों का पालन कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) अंतर्शाखागत मिलान का कितना कार्य बाकी है; और

(च) बाकी कार्य के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल ने लेखों के अंतर-शाखा मिलान में बकाया प्रविष्टियों के मिलान के लिये कुछ उपायों की सिफारिश की थी और इसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए शीघ्र कदम उठाने को कहा था।

भारतीय रिजर्व बैंक का परामर्श दैनिक लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करने में लगातार देरी करने, उनके कार्यकरण को मजबूत करने, ध्यान देने के लिए कड़े मूल्य की प्रविष्टियों को अलग करने, कम्प्यूटरीकरण, समाशोधन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण, मानीटरिंग प्रणाली अपनाने और 31 मार्च, 1993 तक के अन्तर शाखा लेखों के मिलान में सभी बकाया प्रविष्टियों का कार्य 31 मार्च, 1994 तक पूरा करने के लिये चरणबद्ध ढंग से बकायों के मिलान आदि के लिये समय अनुसूची तैयार करने से संबंधित है। किसी भी बैंक से किसी भी प्रविष्टि को 1993-94 के बाद 6 महीने से अधिक तक बिना मिलान किये रखने की अपेक्षा नहीं की गई थी।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि बैंकों द्वारा बकायों के कार्य को समाप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, अतः उनके विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई करने का प्रश्न अब तक नहीं उठा है।

(ङ) 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1993 तक की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लेखों को अंतर शाखा मिलान में 65.55 लाख प्रविष्टियां थीं जिनमें 3,69,199.48 करोड़ रुपये की बकाया राशि अन्तर्गस्त थी।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों ने अन्य बातों के साथ लेखों के शीघ्र अन्तर शाखा मिलान के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) पुरानी प्रविष्टियों के मिलान के लिये समय सीमा तैयार की गई है;

(2) उच्च मूल्य वाली प्रविष्टियों को अलग किया गया है और उन्हें समायोजन/अनुवर्ती कार्रवाई के लिये प्राथमिकता दी गई है;

(3) मांग ड्राफ्ट से संबंधित प्रविष्टियों को अलग किया जा रहा है;

(4) बकायों की समाप्ति के लिये कुछ बैंकों द्वारा विशेष कक्ष/कृतिक बल का गठन किया गया है।

चीनी का निर्यात एवं आयात

1581. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1994 से 20 फरवरी 1995 के बीच कुल कितनी चीनी का आयात एवं निर्यात किया गया तथा प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : जनवरी, 94 से दिसंबर, 94 के आंकड़े देशवार ब्यौरे के बिना केवल अनंतिम योग के रूप में ही उपलब्ध हैं। इनके अनुसार जनवरी, 94 से दिसंबर, 94 के दौरान चीनी का निर्यात तथा आयात निम्नानुसार रहा है :—

निर्यात		आयात	
मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
9,807	934	17,54,346	2,23,157

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता।

कॉयर कर्मचारियों हेतु कल्याण निधि

1582. श्री थाइल चॉन अंजलोस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कॉयर कर्मचारी कल्याण निधि बोर्ड ने कॉयर कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपायों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तांबे के तारों की तस्करी

1583. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 नवम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के बाजार तस्करी के तांबे के तारों की "राडों" से भरे पड़े हैं जो कि सट्टाबाजारियों तथा अनैतिक व्यापार में लिप्त व्यापारियों को अवैध रूप से कानूनी तौर पर आयात मूल्य से कम दरों पर बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के दिनांक 3 नवम्बर, 1994 के संस्करण में तांबे के तार की छड़ों की तस्करी के संबंध में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि तस्करी की गयी तार की उन छड़ों को दिल्ली के बाजारों में बेचा जा रहा है जिन्हें नेपाल के लिए आशयित आयातों से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है और जिसका स्रोत बम्बई है।

(ग) तांबे की तार की छड़ों की तस्करी सहित तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए तस्करी रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं।

इंटरकॉटिनेंटल लेदर्स लिमिटेड को पुनः शुरू किए जाने संबंधी योजना

1584. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इंटर-कॉटिनेंटल लेदर्स लिमिटेड को पुनः चालू करने हेतु 1.12 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) योजना का पूरा ब्यौरा दिनांक 3 जनवरी, 1995 के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामला सं. 139/89 में दिए गए आदेश में दिया गया है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विनियमों में इस बात का प्रावधान है कि इच्छुक पार्टी दस्तावेजों की जांच कर सकती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली धनराशि पर रोक

1585. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी 1995 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "आई.डी.बी.आई. कैंप आन फंड्स टू ए.पी.लाइकली" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, नहीं। वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश को मंजूर औ. संवितरित सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

	मंजूर	संवितरित
	1	2
1991-92	492.9	606.3
1992-93	781.3	612.7
1993-94	1088.3	495.4
1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर)	815.3	497.5

यह भी बताया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंकों ने आन्ध्र प्रदेश के लिए पुनर्वित्त तथा बिलों संबंधी योजना के अंतर्गत सहायता पर कोई रोक नहीं लगायी है।

विदेशी ऋण

1586. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार अनुमानतः कितना विदेशी ऋण था और विगत वर्ष के दौरान कुल कितना ऋण लिया गया और कितना अदा किया गया;

(ख) संस्थागत, द्विपक्षीय ऋण और वाणिज्यिक ऋण के रूप में विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितना ऋण दीर्घावधि के लिए और कितना ऋण अल्पावधि के लिए लिया गया;

(घ) क्या विदेशी ऋण प्राक्कलनों में उपयोग में न लाया गया ऋण शामिल किया जाता है और उस पर कोई ब्याज अदा किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सभी स्रोतों अर्थात् बहुपक्षीय, द्विपक्षीय (सरकारी और गैर-सरकारी ऋण), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाणिज्यिक ऋण, अनिवासी भारतीय और विदेशी मुद्रा (बी.एण्ड ओ.) निक्षेपों, रुपया ऋण, अल्पावधिक ऋण (रक्षा ऋण सहित), से बकाया कुल विदेशी ऋण सितम्बर, 94 के अन्त तक 90.452 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। पिछले वर्ष 1993-94 के दौरान बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी वाणिज्यिक ऋण स्रोतों तथा अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर विदेशी ऋण का कुल अन्तर्प्रवाह 7.45 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। वर्ष 1993-94 के दौरान मूलधन की वापसी अदायगी 4.568 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ख) संस्थागत (बहुपक्षीय) ऋण, द्विपक्षीय ऋण तथा वाणिज्यिक ऋण क्रमशः 26.860 बिलियन अमरीकी डालर, 17.974 बिलियन अमरीकी डालर और 11.829 बिलियन अमरीकी डालर के हैं।

(ग) दीर्घावधि और अल्पवधि के कारण बकाया विदेशी ऋण क्रमशः 87.613 बिलियन अमरीकी डालर तथा 2.839 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। उपयोग में न लाया गया ऋण वास्तव में ऋण नहीं है। इस प्रकार इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति ऋण

1587. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग-अलग प्रति व्यक्ति बैंक ऋण का ब्यौरा क्या है और संभवतः देश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण औसतन कितना है;

(ख) उपरोक्त राज्यों में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति बैंक ऋण और समूचे देश के लिए प्रति व्यक्ति औसत ऋण, जो दिनांक 1.7.94 की स्थिति के अनुसार अनन्तिम जनसंख्या आंकलनों पर आधारित है, की स्थिति निम्नानुसार है :—

(राशि रु. में)

अवधि	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण		
के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	उत्तर प्रदेश	बिहार	अखिल भारत
मार्च, 1994	748	488	2000
सित. 1994 (अद्यतन उपलब्ध)	771	510	2112

किसी क्षेत्र विशेष में ऋणों का अभिनियोजन आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाओं, निवेश के अन्य अवसरों और उस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के लिये ऋण जमा अनुपात से संबंधित एक समिति और बिहार के लिये ऋण जमा अनुपात से संबंधित एक कृतिक बल का गठन किया है जो इन राज्यों में निम्न ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) के कारणों की जांच करेगा और उसमें सुधार करने के उपाय सुझायेगा। बैंकों द्वारा ऋणों के अभिनियोजन में वृद्धि करने के उद्देश्य से समिति/कृतिक बल की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

सहकारी कताई मिलों का निजीकरण

1588. **श्री एन.चे. राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेषकर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी कताई मिलों का निजीकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों के निजीकरण की स्थिति में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

1589. **कुमारी क्रिडा तोपनो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरंभ में तीन महानगरों में आयकर मामलों का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है;

(ग) देश के सभी महानगरों को इस योजना के तहत शामिल करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) प्रत्येक महानगर में कम्प्यूटरीकरण से कुल कितने करदाता लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित तीन नए कम्प्यूटर केन्द्रों ने पहले से ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के तीन महानगरों में इन प्रणालियों को मजबूत कर दिए जाने के बाद विस्तृत कम्प्यूटरीकरण की चरणबद्ध रूप से अन्य शहरों में भी लागू कर दिया जाएगा।

(घ) दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में लगभग 25 लाख कर निर्धारितियों को कम्प्यूटरीकरण द्वारा शामिल किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बिहार में यात्री निवास का निर्माण

1590. **श्री प्रेम चन्द्र राम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से मध्य वर्गीय पर्यटकों के लिए गया में यात्री निवास निर्माण का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है और इस उद्देश्य के लिए क्या कोई वित्तीय सहायता दी गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). गया में एक यात्रिका के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान 15.92 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की थी। उस अवधि के दौरान 8 लाख रु. की राशि रिलीज कर दी थी।

बिहार में गैर–बैंकिंग वित्तीय सस्थाएं

1591. श्री ललित उरांव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिहार में कार्य करने हेतु जिन गैर–वित्तीय संस्थाओं को अनुमति दी गयी है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संस्थाओं ने बिहार में जमाकर्ताओं को बड़े पैमाने पर धोखा दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में पंजीकृत 283 गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) उसकी डाक सूची में थीं। अपना कारोबार शुरू करने के लिए एन बी एफ सी को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि परिपक्व हुई जमाराशियों को वापस न करने के संबंध में बिहार में कार्य कर रही अवशिष्ट गैर–बैंककारी कंपनियों (आर एन बी सी) के विरूद्ध लोगों से उसे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बिहार में पंजीकृत पांच आर एन बी सी को उसने इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि वे किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में और राशियां स्वीकार न करें।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक का ऋण

1592. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राजस्थान में कृषि विकास परियोजना की सफलता से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अन्य अनक परियोजनाओं का वित्त पोषण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं तथा उनके लिये प्रस्तावित सहायता की राशियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारत सरकार के साथ विचार–विमर्श के आधार पर विश्व बैंक कृषि क्षेत्र में अपनी ऋण देने की नीति के एक भाग के रूप में व्यापक कृषि विकास परियोजनाओं को हाथ में ले रहा है। राजस्थान कृषि विकास परियोजना ऐसी पहली परियोजना थी जिसे विश्व बैंक के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया था और असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए भी इसी प्रकार की परियाजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण सड़कें, जल संसाधनों का विकास और कृषि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सहित कार्यकलापों का एक एकीकृत पैकेज शामिल है।

(ग) ये परियोजनाएं तैयारी और मूल्यांकन की परिवर्तनीय अवस्थाओं में है। विश्व बैंक की सहायता राशि सहित परियोजनाओं के ब्यौरों की जानकारी, परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राप्त होगी।

चालक दल के सदस्यों को निलम्बित किया जाना

1593. श्री राम नाईक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1995 के दौरान एयर इंडिया के चालक दल के कितने सदस्यों को निलम्बित किया गया था;

(ख) इनके निलम्बन के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). फरवरी, 1995 के दौरान एयर इंडिया के केबिन कर्मीदल के 140 सदस्यों को निलंबनाधीन रखा गया था क्योंकि उन्होंने बिना पूर्व नोटिस के तथा उड़ानों के अनुसूचित प्रस्थान के कुछ घंटों पहले बड़ी संख्या में बीमार होने की सूचना देने और आकस्मिक अवकाश लेने जैसी विघटनकारी कार्रवाइयों का सहारा लिया।

(ग) केबिन कर्मी दल से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उनका सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एयर इंडिया केबिन कर्मीदल संघ के साथ बातचीत करने के बाद एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें एयर इंडिया प्रबन्धक और केबिन कर्मीदल संघ के प्रतिनिधि हैं।

आक्सीजन सान्द्रणों पर सीमा शुल्क

1494. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सीजन सान्द्रणों को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है और इसे जीवन रक्षक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1994–95 के दौरान ऐसी वस्तुओं तथा धर्मार्थ न्यासों को दान में दी गयी वस्तुओं पर बहुत अधिक सीमा शुल्क वसूल करने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार वसूल किये गये शुल्क की राशि वापस लौटाई जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि वापस लौटाई जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। आक्सीजन कंसंट्रेटर्स जीवन रक्षक उपस्करों के रूप में निःशुल्क आयात के लिए पात्र हैं।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना

1595. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी कार्य योजनाएं शामिल की गई हैं, तथा इसके लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) इसके लिए दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों को योजनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। राजस्थान में आठवीं योजना के दौरान अर्थात् 1992-93, 1993-94 के प्रथम दो वर्षों में दी गई सहायता वाली परियोजना ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1992-93 (153.31 लाख रुपए स्वीकृत किए गए)

- जैसलमेर, जोधपुर-बीकानेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र
- बारमेड़ में पर्यटक परिसर
- बीकानेर में फ्रास्ट फूड केन्द्र
- सीकर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
- अजमेर और जैसलमेर में जन-सुविधाएं
- झालावाड़, कुम्बलगढ़ और गगनेर में कैंपिंग स्थल
- अजमेर में तीर्थ शेड
- चित्तौड़गढ़ की प्रकाश-पुंज व्यवस्था

1993-94 (260.43 लाख रु. स्वीकृत किए गए)

- जैसलमेर, पोखरन, बीकानेर, उदयपुर और सरिस्का में पर्यटक बंगला
- बर और गंगानगर में पर्यटक परिसर
- स्लारर में मार्गस्थ सुविधाएं
- बीवाड में पर्यटक लाज
- उदयपुर में मोटी मगरी ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन
- जैसलमेर किले की प्रकाश पुंज व्यवस्था
- जोधपुर में फास्ट फूड केन्द्र
- जैसलमेर किले पर मल निर्यात परियोजना

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1596. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन बैंकों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इन उपलब्धियों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों के प्रधान कार्यालय खम्माम, कुडप्पा, श्रीकाकुलम, अनन्तपुर, चित्तूर आदिलाबाद, महबूबनगर, संगारेड्डी, नेल्लोर, हन्नामकुंडा, तेनाली, करीमनगर, हैदराबाद, निजामाबाद, गुडिवाड़ा और राजमुंद्री में स्थित हैं।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के घर तक और विशेष रूप से अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवायें प्रदान करना; समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना; ग्रामीण बचत जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक कार्यों की सहायता करने के वास्ते इस राशि का उपयोग करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की लागत को कम करना है। पिछले दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

क्र. सं.	विवरण	उपलब्धि 1992-93	1993-94
1.	राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	16	16
2.	इनके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या	23	23
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या	1126	1126
4.	बकाया अग्रिम (मार्च)	59380.66	63876.57
5.	जमा राशियां (मार्च)	54678.54	72536.90
6.	दिए गए ऋण (अप्रैल-मार्च)	24814.06	29051.46

(ग) कमजोर वर्गों तक पहुंचने और विस्तृत सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में, कुछ बैंकों को वित्तीय संकट का

सामना करना पड़ रहा था। मार्च, 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में सोलह में से दस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12.11 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानियां होने के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे–ग्राहकों के चयन पर प्रतिबंध, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन के बाद बढ़ती हुई स्थापना लागत आदि।

(ङ) उनकी अर्थक्षमता को सुधारने के लिए दिसम्बर, 1993 में कई उपायों की घोषणा की गई है, ताकि उनके उधार परिचालनों में अधिक लचीलापन लाया जा सके और उनके संबद्ध बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सके। इन उपायों में यें शामिल हैं–गैर–लक्ष्य समूह के वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर–निधि कारोबार में वृद्धि करना, वर्ष 1992–93 के दौरान जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संवितरण 2 करोड़ रुपए से कम था, उन्हें सेवा क्षेत्र की बाध्यताओं से मुक्त करना और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुक/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों जैसे स्थानों पर ले जाने की अनुमति प्रदान करना और उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलना, जिनके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य बैंकर हैं। इसके अलावा, जनवरी 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी गैर एस एल आर अधिशेष निधियों का निर्दिष्ट लाभप्रद अवसरों और ऋण के विस्तार के लिए निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। वर्ष 1994–95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुभव बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

बीमा उद्योग में वेतन वृद्धि सम्बन्धी बातचीत

1597. श्री पवन कुमार बंसल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में वेतन वृद्धि सम्बन्धी बातचीत चल रही है तथा बैंकिंग क्षेत्र में वेतन वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) बीमा उद्योग में इस सम्बन्ध में करार के बावजूद भी वेतन वृद्धि के बारे में बातचीत न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। बैंकिंग क्षेत्र में लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है और अधिकारियों के वेतन में संशोधन के बारे में बातचीत प्रगति पर है।

(ख) बैंकिंग क्षेत्र में हुए समझौते की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ग) बीमा उद्योग में कम्प्यूटरीकरण के लिए एक वेतन बन्धि पहले ही स्वीकृति की जा चुकी है। हाल ही में बीमा उद्योग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी अनुमोदित की जा चुकी है। वेतन वृद्धि में और आगे बातचीत इन उपायों का पूर्णतया प्रभाव ज्ञात होने के पश्चात् ही आरम्भ हो सकेगी।

विवरण

छठे द्विपक्षीय समझौते की प्रमुख विशेषताएं

वेतनमान

लिपिक

1750–100–1950–145–2530–195–3310–215–3955–230–4875–395–5270–230–5500

2 4 4 3 4 1 1

अधीनस्थ कर्मचारी

1600–40–1640–50–1690–60–1930–70–2210–80–2450–90–2720–100–3020

1 1 4 4 3 3 3

मंहगाई भत्ता

1148 बिंदु से ऊपर 4 बिंदु की वृद्धि या गिरावट के लिए देय मंहगाई भत्ता

4800 रुपए तक	= 0.35 प्रतिशत जमा
4800 रुपए से अधिक और 7700 रुपए तक	= 0.29 प्रतिशत जमा
7700 रु. से अधिक	= 0.17 प्रतिशत

भविष्य निधि

प्रस्तावित मूल वेतन पर भविष्य निधि 10 प्रति शत

नगर भत्ता

क्षेत्र		दर	राशि रु.
1		2	3
उच्च केन्द्रीय	लिपिक	4.5%	न्यूनतम 100
			अधिकतम 200
	अधीनस्थ कर्मचारी	4.5%	अधिकतम 125
			न्यूनतम 75
निम्न केन्द्रीय	लिपिक	3.5%	न्यूनतम 75
			अधिकतम 150
	अधीनस्थ कर्मचारी	3.5%	अधिकतम 150
			न्यूनतम 75

1	2	3

मकान किराया भत्ता

(लिपिक और अधीनस्थ)

क्षेत्र	दर
विशेष/अर्ध-विशेष स्थान	12%
2 लाख और उससे अधिक	10.5%
10,000 से 2 लाख	9.5%
10,000 से कम	8.5%

चिकित्सा सहायता (वार्षिक)

कर्मचारियों के लिए विद्यमान सीमा में 370 रुपए प्रतिवर्ष की वृद्धि की गयी है। वार्षिक चिकित्सा सहायता की प्रस्तावित सीमा निम्न प्रकार होगी :—

(i) 5 वर्षों तक की सेवा के लिए 870 रुपए प्रति वर्ष; तथा

(ii) 5 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए 1070 रुपए प्रति वर्ष।

वाहन भत्ता

लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए 100 रुपए प्रति माह।

विशेष भत्ता

विद्यमान विशेष भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। विशेष भत्ते पर मंहगाई भत्ता देय होगा।

कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधकीय विषय

1. विशेष भत्ता प्राप्त करने वाले पदों के कार्यकलापों में काफी वृद्धि की गई है। अधिकांश मामलों में नकदी/चैक, अन्य प्रपत्रों आदि का स्वतंत्र रूप से लेन-देन का संचालन करने की मीट्रिक सीमाओं को बढ़ाकर दुगुने से अधिक किया गया है।
2. यूनियनों के लिए आंदोलन करने वाले सभी सदस्यों के बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रयासों के बारे में वक्तव्य लिए गए हैं।
3. प्रतिबंधात्मक गतिविधियों का सहारा लेने के साथ-साथ ग्राहकों के साथ दुराचार को कदाचार का मामला माना जाएगा जिस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।
4. किसी स्पष्ट लिखित अनुमति के बगैर चुनाव लड़ने को घोर कदाचार माना जाएगा।
5. ग्राहकों के प्रति दुराचार को घोर कदाचार माना जाएगा और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने की योजना

1598. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई नई प्रणाली तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यों का कोई मूल्यांकन किया गया है, विशेषकर बहुत सी कंपनियों द्वारा वित्तीय रियायतों के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत लाये जाने की मांग को देखते हुए इसका रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने में क्या योगदान रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहा होता।

(ग) और (घ). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने सूचित किया है कि उसके द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजनाओं में एक कार्यान्वयन अनुसूची शामिल होती है, जिसके अनुपालन की समीक्षा योजना मंजूर करने के 2-3 महीने के अन्दर की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कार्यान्वयन किया जा रहा है। पुनरुद्धार योजना को कार्यान्वित करने वाली कंपनियों को आवधिक प्रगति रिपोर्ट बी आई एफ आर के पास भेजनी होती है और इन रिपोर्टों की बारीकी से संवीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है वहां कार्रवाई शुरू की जाती है, जिन मामलों में प्रगति असंतोषजनक होती है, उनमें बी आई एफ आर सभी संबंधियों को सुनवाई अवसर प्रदान करने के बाद योजना को "असफल" घोषित कर स है।

बी आई एफ आर की प्राप्त संदर्भों की, पंजीकरण से पूर्व, उसके रजिस्ट्रार द्वारा बारीकी से संवीक्षा की जाती है और सभी संबंधितों का व्यक्तिगत सुनवाई करने के बाद तथा अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित कंपनी के लेखा परीक्षित तुलनपत्र द्वारा यथा प्रकाशित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी को रुग्ण घोषित किया जाता है।

नेदुम्बसेरी विमानपत्तन के लिए अनिवासी भारतीयों से निधियां

1599. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विमानपत्तन विकास प्राधिकरण ने केरल में

नेडुम्बसेरी में एक नए हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों से निधियां एकत्र की हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोसाइटी ने अब तक 3,0021,156/- रुपए एकत्र किये हैं।

रूस के साथ व्यापार

1600. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के इन्टरनेशनल कांग्रेस ऑफ इन्डस्ट्रियेलिस्ट एण्ड इण्टरप्रेनर्स के चेयरमेन और मुख्य समन्वयकर्ता भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आई.टी.ई.सी. (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस के उद्योगपतियों तथा उद्यमियों के संघ के अध्यक्ष एवं मुख्य समन्वयकर्ता श्री ए. वोल्सकी को 15.2.1995 से 19.2.1995 तक भारत का दौरा करने के लिए निमंत्रित किया गया।

(ख) इस दौरे के दौरान, श्री वोल्सकी भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों के अधिकारियों तथा भारतीय उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधियों से भी मिले। श्री वोल्सकी द्वारा की गई गहन और अर्थपूर्ण मुलाकातों के दौरान भारत-रूस व्यापार में वृद्धि करने के उपायों पर कृपा चर्चा हुई।

(ग) और (घ). इस दौरे के दौरान, अंतःसरकारी स्तर पर कोई चल समझौता नहीं हुआ। तथापि, "भारतीय उद्योग परिसंघ" तथा उद्योगपतियों एवं उद्यमियों के रूसी संघ" के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता-ज्ञापन में यह प्रावधान है कि दोनों संगठन विकास तथा व्यापार के और ज्यादा विस्तार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के रूप में रूस और भारत के संगठनों और उद्योगों के बीच आर्थिक और अन्य सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

1601. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की कुछ और शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का अगले शैक्षणिक सत्र से बम्बई, गांधीनगर तथा हैदराबाद में तीन और राष्ट्रीय फैशन टैक्नालाजी संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, संबंधित राज्य सरकारों से उनके खर्चों को बांटा जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश सहकारी बैंक

1602. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से 25 अप्रैल, 1994 को विदेशी मुद्रा के व्यवसाय के लेन-देन के लिए नाबार्ड से आवर्ती लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए लाइसेंस हेतु उनसे 25 अप्रैल, 1994 को सम्पर्क किया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

[अनुवाद]

एयर कार्गो संबंधी आधारभूत ढांचा

1603. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1995 के "द फायनेंशियल एक्सप्रैस" में "कार्गो इंन्डस्ट्री वेड डाउन बाई पूअर एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाश में आई कमियों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) एयर कार्गो संबंधी आधारभूत ढांचा नेटवर्क के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए की गई कार्यवाही अथवा आगामी वर्षों के दौरान प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषज्ञ समिति द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और इस संबंध में परियोजना-वार क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). यह समाचार वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वायु मार्ग द्वारा निर्यात संवर्धन-संबंधी स्थाई समिति (स्कोप एयर) द्वारा गठित बहुरूचि कार्यबल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संबंधित है। इस रिपोर्ट में हवाई कार्गो टर्मिनलों पर मौजूदा सुविधाओं, समस्या-क्षेत्रों और कार्य पद्धतियों आदि का उल्लेख, रिपोर्ट में किसी चूक का उल्लेख नहीं किया गया है; सिफारिशों में कार्गो टर्मिनलों की कार्यचालन के सभी पहलू आते हैं, इसलिए इन मुद्दों पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करना आवश्यक होगा।

सरकारी कर्मचारियों का कार्य निष्पादन

1604. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** सरकारी कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन के बारे में 20 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न 3764 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में चैल्लय्या समिति द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जायेंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम

1605. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई "इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम" ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(घ) यदि नहीं, तो स्पष्ट दृश्यता बनाए रखने हेतु क्या प्रबंध किए गये हैं; और

(ङ) इस हवाई अड्डे पर "इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम" पुनः कब से शुरू किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

आगरा में ड्राई-पोर्ट

1606. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में "ड्राई-पोर्ट" की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त पोर्ट की स्थापना के बारे में कब तक स्वीकृत दे दी जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). ड्राई-पोर्ट्स (इनलैंड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन) की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति देने से संबंधित अंतरमंत्रालयी समिति ने अपनी 10 जनवरी, 1995 को हुई अपनी बैठक में आगरा में एक इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना करने के लिए, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है, बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा उसे स्वीकृति दी जाए।

[अनुवाद]

गैर-न्यायिक स्टाम्प-पत्रों की कमी

1607. श्री पी.सी. चाको : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में गैर-सरकारी स्टाम्प-पत्रों की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कमी के कारण विशेषकर 1,2,5,10,20,30 रुपये के स्टाम्प-पत्रों की काला बाजारी आरम्भ हुई है;

(घ) क्या कोषाधिकारियों और दिल्ली के स्टाम्प-संग्रहकर्ताओं की मिलीभगत से स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध इन स्टाम्प-पत्रों को कोषाधिकारियों द्वारा जारी करने की रीति को निर्धारित करने का है;

(च) क्या सरकार का विचार लोगों द्वारा स्टाम्प-पत्रों की कृत्रिम कमी पैदा किये जाने की शिकायत दर्ज किये जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों और भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को शामिल करके विक्रेताओं और राजकोष के स्टाफ के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ज). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य व्यापार निगम

1608. श्री अन्ना जोशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अब तक राज्य व्यापार निगम के निर्यात तथा आय में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम का निजीकरण करने का है ताकि यह अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पिछले 3 वर्षों के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के निर्यात तथा कर-पूर्व लाभ निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रु.)

	1991-92	1992-93	1993-94
निर्यात	625	551	798
कर पूर्व लाभ	36	27	30

कारपोरेशन के निर्यात 1991-92 में 625 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 798 करोड़ रु. के हो गये। तथापि वर्ष 1991-92 के निर्यातों में 234 करोड़ रु. के मूल्य के सरणीकृत निर्यात शामिल थे, जो 1992-93 में कम होकर 9 करोड़ रु. और 1993-94 में शून्य ही रह गये थे। इस प्रकार सरणीकृत निर्यातों के अलावा निर्यात 1991-92 में 391 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 542 करोड़ रु. तथा 1993-94 में 798 करोड़ रु. के हो गए।

(ग) से (ङ.) सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का निजीकरण करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

यूरिया खरीद समझौते

1609. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए यूरिया खरीदने हेतु कोई नीति अथवा मानदंड बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों ने सरकारी क्षेत्र की छह अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ हाल ही में "बी.ओ.बी." आधार पर यूरिया खरीदने के लिए कोई समझौते किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न उपक्रमों द्वारा इस संबंध में अलग-अलग नीति और मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (छ). यूरिया के आयात के लिए निर्दिष्ट सरणीयन एजेन्सी एम.एम.टी.सी. लि. है। यूरिया के आयात की आवश्यकता का निर्धारण उर्वरक विभाग द्वारा, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उर्वरक की खपत के अनुमान, उर्वरक के देशी उत्पादन के अनुमान और वर्ष के लिए यूरिया के अपेक्षित प्रारंभिक भंडार के आधार पर किया जाता है। इस कार्य को काफी पहले कर लिया जाता है और आयात की योजना उर्वरकों के आयात संबंधी सचिवों की अस्थायी समिति को प्रस्तुत कर दी जाती है। इस समिति के अनुमोदन के अनुसार एम.एम.टी.सी. को उपयुक्त चरणों में अपेक्षित मात्रा का आयात करने के लिए अधिकृत किया जाता है। एम.एम.टी.सी. को आगमन कार्यक्रम भी बता दिया जाता है ताकि मांग और देशीय उपलब्धता के अंतर को किसी भी समय आयात द्वारा पूरा किया जा सके। एम.एम.टी.सी. यूरिया की अधिकृत मात्रा का आयात अपने वाणिज्यिक कार्य के भाग के रूप में करती है। चालू वर्ष के दौरान यूरिया के आयात की अधिक मांग को देखते हुए उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम नामतः मद्रास फर्टीलाइजर लि. (एमएफएल), नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. (एनएफएल) और पाईराइटस फास्फेटस एण्ड केमिकल लि. (पीपीसीएल) को भी एमएमटीसी के प्रयासों की पूर्ति के लिए सीमित मात्रा में यूरिया का आयात करने की अनुमति दी गई। एमएमटीसी ने बताया है कि उसने यूरिया की खरीद के लिए सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, बंगलादेश, रोमानिया और रूस जैसे देशों की सरकारी स्वामित्व वाली यूरिया का उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ दीर्घावधि करार के किए हैं।

उर्वरक विभाग ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों उर्वरक उपक्रमों, जिनको सीमित मात्रा में यूरिया के आयात की अनुमति दी गयी थी, ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी कंपनी के साथ एफ ओ बी के आधार पर यूरिया की खरीद के लिए कोई करार नहीं किया है।

पेन्सिलीन को आयात की नकारात्मक सूची से निकालना

1610. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयात की नकारात्मक सूची से पेन्सिलीन को हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). निर्यात और आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब भी आवश्यक होता है उसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

सुपारी (अरेका) की तस्करी

1611. **श्री वी. धनंजय कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सुपारी पेड़ों की तस्करी की जाती है;

(ख) इस तस्करी के कारण देश में सुपारी के पेड़ लगाने वालों को कितनी आर्थिक हानि हुई है; और

(ग) देश में सुपारी के पेड़ों की तस्करी रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में तस्करीकृत सुपारी (अरेका) की जब्ती के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) अरेका की तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं।

मानव संसाधन विकास में निवेश

1612. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1994 की रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास हेतु निवेश के संबंध में दुनिया के 173 देशों में हमारे देश का स्थान 135वां है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय बजट की 20 प्रतिशत राशि नियत करने के बारे में सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बजट में खेलों, युवा कार्यक्रमों और शिक्षा के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है और इनके लिए आवंटित की गई राशि के वास्तविक आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1613. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान क्या नीति अपनाई है;

(ख) इस संबंध में अब तक की उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2000 ईसवी तक कृषि उत्पाद तथा इसके निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े व्यक्तियों को आधारभूत संरचना तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्य-नीति में ये शामिल हैं—निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, चुनिन्दा मदों पर लागू न्यूनतम निर्यात की कीमत की शर्त तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करना, रियायती ऋण का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय जरूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन विकास, भण्डारण तथा परिवहन सुविधाओं का प्रौद्योगिकीय उन्नयन, मूल्यवर्धित मदों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और क्वालिटी तथा उत्पादकता बढ़ाना।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कृषिजन्य निर्यात क्रमशः 7039.61 करोड़ रु. और 9057.99 करोड़ रु. मूल्य के रहे थे।

(ग) और (घ). हालांकि सन 2000 ई. तक कृषिजन्य उत्पादन के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारिस नहीं किए गए हैं लेकिन सरकार की नीति यह है कि घरेलू उपलब्धता और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषिजन्य निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए।

(ङ) कृषिजन्य निर्यात के लिए अवस्थापना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए उपायों में मोटे तौर पर ये शामिल हैं—विशेषीकृत ट्रांसपोर्ट यूनिट खरीदने के लिए निर्यातकों को सहायता देने का प्रावधान, यथोचित एअर हैण्डलिंग प्रणालियों वाली प्रशीतन पूर्व सुविधाएं स्थापित करना, उन्नत पैकेजिंग, क्वालिटी नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना, हवाई-अड्डों/बंदरगाहों पर कोल्ड स्टोरों की स्थापना, उत्पाद नमूनों की सप्लाई, प्रचार, ब्रांड संवर्धन अभियानों के

जरिए अभिज्ञात उत्पादों का निर्यात संवर्धन, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता करना। इस संबंध में की गई निश्चित कार्रवाइयों/निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) निर्यात अभिमुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की योजना के तहत उपलब्ध लाभ कृषि क्षेत्र को भी प्रदान करना है और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50 प्रतिशत भाग की बिक्री की अनुमति देना।

(2) इनके संबंध में न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) की शर्त समाप्त करना-(1) एफसीवी तंबाकू; (2) एएसटीए क्वालिटी की काली मिर्च; (3) ग्वार गम; (4) आर्किड; (5) गेहूं उत्पाद, (6) बासमती चावल; और (7) भेड़, बकरी तथा भैंस का मांस।

(3) सीमा शुल्कों को और कम करना-विशेषरूप से कृषि वस्तुओं पर तथा प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों द्वारा अपेक्षित विभिन्न मदों पर।

(4 ताजे फलों, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादों के निर्यात के लिए हवाई-अड्डों पर अवस्थापना सुविधा का विकास।

(5) वर्ष के दौरान निर्यात हेतु सरसों तथा अरण्डी की 50-50 हजार मी. टन मात्रा रिलीज करना।

(6) गेहूं उत्पादों के निर्यात पर नियंत्रण समाप्त करना।

(7) गैर-एफएक्यू ज्वार (फीड ग्रेड) के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति देना।

(8) नियमित चीनी पर प्रतिकर से छूट।

(9) 5 किग्रा. तक के उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों (सामग्री को छोड़कर) के निर्यात की अनुमति देना।

हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड को पुनः चालू करना

1614. श्रीमती दीपिका एच. टोंपीवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड को पुनः चालू करने का प्रस्ताव आई डी बी आई के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लि. (एच.एफ.एल) को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण घोषित किया था और आई डी बी आई को परिचालन एजेंसी के रूप में तैनात किया गया था। इसके अलावा, आई डी बी आई ने एच एफ एल की अर्थक्षमता पर एक रिपोर्ट बाइफर को प्रस्तुत किया था जिस पर 9 जनवरी, 1995 को बाइफर में सुनवाई के दौरान चर्चा हुई थी। बाइफर के निर्देशों के अनुसार, प्रस्ताव पर 1995-96 के बजट के प्रभाव के संबंध में एच एफ एल की सूचना मिलने पर आई डी बी आई संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

1615. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मिलों के कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य में अन्य वस्त्र मिलों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना के अंतर्गत प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बी आई एफ आर ए ए आई एफ आर की राय प्राप्त करने के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापक नियुक्त किया जाना अनिवार्य है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इस प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के दृष्टिगत राष्ट्रीय नवीकरण कोष में से कर्मचारियों को उनकी देय राशि का भुगतान किये जाने और बाद में समाप्ति पर उक्त धनराशि वसूलना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कतिपय औद्योगिक कंपनियों, जिनके मामले या तो बी आई एफ आर ए ए आई एफ आर को भेजे गए हैं अथवा जो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रबन्धित हैं, के कामगारों को प्रतिपूर्ति पैकेजों के भुगतान के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए अनुरोध किया है। ऐसी श्रेणियों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता अनुदान के लिए प्रचालन रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देने के बाद आरंभ की जाएंगी। रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20(3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय, रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने के उद्देश्य से उपाकर्ता के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों के लिये केन्द्रीय सहायता

1616. श्री मंजय लाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 17 दिसम्बर, 1994 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सेंट्रल एड अन्डर फार चाइल्ड लेबर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, हां। उक्त समाचार, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गयी टिप्पणी के संबंध में है। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार को बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने हेतु राज्यों की योजनाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट है कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यह सहायता एक बार अनुदान के रूप में भी हो सकती है।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार सरकार ने बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए अनेक उपाय पहले ही किये हैं। नीति के एक भाग के रूप में, तमिलनाडु राज्य सहित आठ राज्यों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य से हटाए गए बालकों को प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार और छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को उन परियोजना समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिनमें अधिकांश चेयरमैन उन जिलों के कलक्टर/जिलाधीश होते हैं जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

वर्तमान में 8 राज्यों में 12 परियोजना समितियां हैं। जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत 13668 बालकों को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने बाल श्रम की अधिकतम जनसंख्या वाले 100 जिलों की पहचान की है और जिन राज्य सरकारों के अंतर्गत ये जिले आते हैं। वहां की राज्य सरकारों को बाल कल्याण संबंधी विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में लाई जा रही निधियों का समायोजन करने तथा जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सी की निधियां उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखे गये हैं ताकि बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपयुक्त परिष्कृत कार्यक्रम विकसित किये जा सकें।

सरकार जोखिमकारी उद्योगों में अनुमानित 2 मिलियन बाल श्रम को चरणबद्ध ढंग से सन 2000 तक समाप्त करने के लिए परियोजनाओं को भी अंतिम रूप दे रही है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1995-96 के लिए योजना आयोग ने 34.4 करोड़ रुपए का आरंभिक आबंटन किया है।

आधुनिक शस्त्रों की तस्करी

1617. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सीमा पार से आधुनिक शस्त्रों की तस्करी किए जाने संबंधी समाचार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लघु उद्योग हेतु अनुसंधान केन्द्र

1618. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता किस वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु स्तरीय विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे-माल का आयात

1619. डा. खुशीराम डुंगरामल चेस्वाणी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निर्यात गृहों ने विदेशों से कच्चा माल जैसे सूत और वस्त्र के अन्य मदों का आयात आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से सूत और अन्य प्रकार का कच्चा माल आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या नई वस्त्र नीति के अंतर्गत भारत में ही ऐसे सामान का उत्पादन करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्तमान एक्जिम नीति के अंतर्गत, कपास तथा अन्य वस्त्र फाइबरों यानों (अपरिष्कृत रेशम के अतिरिक्त) जैसी अपरिष्कृत सामग्रियों का निर्यात सदनों सहित सभी व्यक्तियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) अपरिष्कृत कपास, अपरिष्कृत ऊन तथा सिंथेटिक फाइबरों के प्रमुख आयातक देशों का विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ). देश में कपास के उत्पादन में मात्रात्मक तथा गुणवत्ता संबंधी सुधारों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, सरकार देश में कृत्रिम फाइबरों के बढ़े हुए उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं जिनमें सरकार की अवस्थिति संबंधी नीति को पूरा करने वाले एककों की स्थापना के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की समाप्ति, ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात शुल्कों में उत्तरोत्तर कटौती आदि शामिल है।

विवरण

अपरिष्कृत कपास, अपरिष्कृत ऊन तथा सिंथेटिक फाईबरों के प्रमुख आयातक देश

मद		प्रमुख आयातक देश
अपरिष्कृत कपास	—	मिस्र, सूडान, तुर्की, तुर्कमेनीस्तान।
अपरिष्कृत ऊन	—	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका।
सिंथेटिक फाइबर	—	कोरिया गणराज्य, जापान, थाईलैंड, इण्डोनेशिया।

नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार

1620. श्री सुधीर सावन्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों और पूरोवर्ती रसायनों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु परस्पर सहयोग करने के लिए एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से प्रभावी होगा और दोनों देशों द्वारा इसे कब से लागू किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारत तथा पाकिस्तान सरकार ने ऐसे किसी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, दोनों देश स्वापक औषध तथा साइकोट्रोपिक पदार्थ पर सार्क सम्मेलन हुए हैं। पदार्थों की तस्करी तथा स्वापक औषधों के अवैध व्यापार को रोकने के संबंध में दोनों देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता भी हुआ है। यह समझौता, क्षेत्र में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 15-16 सितंबर, 1994 को हुई सरकार के सचिवों के स्तर तथा भारत तथा पाकिस्तान के सचिवों के बीच हुई प्रथम अर्धवार्षिक बैठक को मजबूत तथा उन्नतिशील बनाएगा। इसे जनवरी, 1995 में इस्लामाबाद में हुई इन दो देशों के औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रभारी स्तर पर हुई बैठक में जारी रखा गया था। दोनों पक्षों ने अपने-अपने देश में स्वापक औषध के अवैध व्यापार की स्थिति की समीक्षा की तथा स्वापक संबंधी मामलों पर दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की पेशकश की।

आर्थिक नीति

1621. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई आर्थिक नीति का विश्लेषणात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों और रोजगार के अवसरों पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों ने सार्थक सुधार किया।

समग्र आर्थिक अभिवृद्धि 1991-92 में 0.9 प्रतिशत से 1992-93 और 1993-94 प्रत्येक वर्ष में 4.3 प्रतिशत तक बढ़ी और वर्ष 1994-95 में इसके 5.3 प्रतिशत होने की संभावना की गई है। औद्योगिक उत्पादन, जो कि 1991-92 में वस्तुतः स्थिर था, 1992-93 में 2.3 प्रतिशत, 1993-94 में 4.4 प्रतिशत और अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान 8.7 प्रतिशत तक बढ़ा। खाद्यान्न उत्पादन में 1991-92 में 168 मिलियन टन की गिरावट हुई। 1994-95 में इसके 185 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर को प्राप्त करने की संभावना की गई है। केन्द्रीय पूल सहित खाद्यान्नों के सार्वजनिक भण्डार पिछले तीन वर्षों में 13.9 मिलियन टन की तुलना में, 1 जनवरी, 1995 के अनुसार 30 मिलियन टन थे। 1991-92 में वास्तविक गिरावट की तुलना में, निर्यातों की डालर कीमत में 1994-95 के प्रथम 10 महीनों में 17 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई, और 1993-94 में 20 प्रतिशत की शिखर वृद्धि हुई। 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष में, भारत ने विदेशी ऋण के अपने भण्डार में 8 बिलियन डालर की वृद्धि की। 1994-95 की प्रथम छमाही में, विदेशी ऋण के स्तर में वास्तव में लगभग 300 मिलियन डालर की गिरावट हुई। जून, 1990-91 में मुश्किल से 1 बिलियन डालर के स्तर से, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार में 10 मार्च, 1995 के अनुसार 20 बिलियन डालर से अधिक की वृद्धि हुई। 1991-92 में कुल अर्थव्यवस्था-व्यापी रोजगार के केवल लगभग 3 मिलियन तक होने का अनुमान किया गया है। वर्तमान वर्ष में अधिक वृद्धि के लिए भावी आशा सहित 1992-93 और 1993-94 के प्रत्येक वर्ष में लगभग 6 मिलियन के विस्तार का अनुमान किया गया है।

बाल श्रमिक और बंधुआ श्रमिक

1622. डा. जी.एल. कनौजिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर भारत में बाल मजदूरी प्रथा और बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). भारतीय संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य, आर्थिक आवश्यकताओं के कारण बालकों को उनकी आयु और सामर्थ्य के प्रतिकूल व्यवसायों में जाने के संरक्षण प्रदान करेगा। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का खतरनाक और जोखिमकारी कार्यों में नियोजन किया जाना प्रतिषिद्ध है।

सरकार ने भी बाल श्रम की समस्या से निपटने हेतु अनेक कदम उठाये हैं। 1986 में एक व्यापक कानून, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 1987 की राष्ट्रीय श्रम नीति के अनुसार, बाल श्रम समस्या से (क) विधान (ख) बाल श्रमिकों के लाभ हेतु सामान्य विकास कार्यक्रम; और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम द्वारा निपटाया जा रहा है। अं.श्र.सं. के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में भारत भी एक प्रतिभागी है। सितम्बर, 1994 में केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के कार्य ये हैं :-

(i) बाल श्रम, विशेष रूप से जोखिमकारी नियोजनों में उन्मूलन कार्यक्रम और नीतियां बनाना।

(ii) बाल श्रम उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों, परियोजना और योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगति को मॉनीटर करना।

(iii) भारत सरकार ने अनेक सहयोगी मंत्रालयों के बाल श्रम उन्मूलन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वयन करना।

सरकार इस समय उन जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम, जिनकी अनुमानित संख्या 20 लाख है, के उन्मूलन हेतु एक प्रमुख कार्रवाई योजना तैयार कर रही है। वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बालकों के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न अधिनियमों और श्रम कानूनों में भी संरक्षात्मक उपबंध हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन (कर्मकार) अधिनियम, 1961 आदि। इस अधिनियमों के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु केन्द्रीय और राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र विद्यमान है। इन अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन हेतु नियोजकों के विरुद्ध मुकदमे चलाए जा सकते हैं। इन कानूनों के बेहतर प्रवर्तन हेतु प्रवर्तन कार्मिक को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधित श्रम प्रणाली पहले ही समाप्त कर दी गई है।

ऋणों का उपयोग

1623. **डा महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को विदेशी दाताओं तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रयुक्त पड़ी धनराशि का परियोजनावार तथा मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऋणों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी ऋणों का शीघ्र तथा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) अधिकांश सहायता परियोजना सहबद्ध है। उपयोग में न लाई गई सहायता के कारणों को परियोजना की समयावधि, जो सामान्यतः 5 से 7 वर्ष होती है, विनिमय दर के उतार-चढ़ावों, प्रति-पक्षी निधियों की अपर्याप्त व्यवस्था, वसूली और संविदात्मक विलम्बों, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और परियोजना से जुड़े अन्य विशिष्ट विषयों में ढूंढा जा सकता है।

(घ) विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के रूप में ए.सी.ए. जारी किया जाना; राज्यों को ए.सी.ए. अग्रिम तौर पर जारी करना; बोली संबंधी दस्तावेजों का मानकीकरण और वसूली संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी की जाने वाली विदेशी सहायता के प्रभाव में मध्यस्थता को हटाना; पोर्टफोलियों यौक्तिकीकरण और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध यूनिट की स्थापना किया जाना है जो सरकार द्वारा सहायता के उपयोग को सुधारने के लिए किए गए उपायों में से कुछ उपाय हैं।

विवरण

कृषि मंत्रालय (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्रोत	परियोजना का नाम	28.2.95 की स्थिति के अनुसार अनाहरित शेष
1	2	3	4
1	स्विस	राष्ट्रीय पशुधन नीति	0.78
	जोड़		0.78

1	2	3	4
कृषि एवं सहकारिता विभाग			
1.	आस्ट्रेलिया	बंजरभूमि वन रोपण परियोजना	0.00
2.	ई.ई.सी. अनुदान	अंतर्देशीय मत्स्य विकास	87.85
3.	जर्मनी	प्रजनक पशु	4.25
4.	जर्मनी	प्रजनक पशुओं की आपूर्ति	0.13
5.	जर्मनी	महाराष्ट्र में विकास परियोजना	21.83
6.	जापान	अपतट एवं गहरे समुद्र के लिए जी.ए. मत्स्य पोत	0.00
7.	जापान	भूजल का जी.ए. अन्वेषण	0.00
8.	अं.पु.वि.बैं.	राष्ट्रीय डेयरी	399.61
9.	अं.वि.सं.	तृतीय राष्ट्रीय बीज	159.25
	जोड़		672.92
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग			
1.	अं.वि.सं.	द्वितीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान	36.38
	जोड़		36.38
उर्वरक			
1.	ईईसी अनुदान	उर्वरकों की आपूर्ति क्षारीय भूमि उद्‌गार	29.59
2.	फ्रांस	नाइट्रो-फास्फेट का आयात	0.00
3.	जापान	रामगुंडम उर्वरक संयंत्र की पुनर्स्थापना	358.34
4.	जापान	उद्योग मंडल अमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापना परियोजना	787.69
5.	जापान	खाद्य उत्पादन संवर्धन के लिए जी.ए.-उर्वरक आयात	0.00
6.	यू.के.	यू.एफ.सी. वर्षापोषित कृषि	5.42
7.	जर्मनी	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-II	0.00
8.	जर्मनी	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-III	36.48
9.	ओ.पी.ई.सी.	उर्वरक परियोजना की पुनर्स्थापना	5.15
	जोड़		122.67
नागर विमानन विभाग			
1	फ्रांस	हेलिकाप्टर निगम	0.42
2.	यू.के.	मुम्बई एवं दिल्ली हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण	3.17
	जोड़		3.59
पर्यटन विभाग			
1.	जापान	अजन्ता, एलौरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास	117.69
	जोड़		117.69
वाणिज्य मंत्रालय			
1.	अं.वि.सं.	रबड़ परियोजना	264.78
	जोड़		264.78

1	2	3	4
दूरसंचार			
1.	ए.वि.बैं.	दूरसंचार परियोजना	193.13
2.	अं.पु.वि.बैं.	9वीं दूरसंचार	15.11
3.	इटली	आई.टी.आई., बंगलौर	16.95
	जोड़		225.19
कोयला विभाग			
1.	जर्मनी	एन.एल.सी.–II	23.5
2.	जर्मनी	एन.एल.सी.–III	93.69
3.	जर्मनी	रामागुंडम ओपन कास्ट माइन्स–II	120.19
4.	फ्रांस	ब्लास्टिंग गैलरी पद्धति का कार्यान्वयन	7.84
5.	फ्रांस	पूर्वी कटरा परियोजना उपलब्धि	0.69
6.	फ्रांस	ब्लास्टिंग गैलरी पद्धति का कार्यान्वयन	7.58
7.	आई.बी.आर.डी.	कोयला (खनन और गुणवत्ता)	64.31
8.	यू.के.	कोयला क्षेत्र अनुदान	44.83
	जोड़		362.63
विद्युत विभाग			
1.	ए.डी.बी.	विद्युत कारगरता परियोजना	775.18
2.	कनाडा	पामेरा परियोजना	238.71
3.	जर्मनी	रामागुंडम एनटीपीसी	8.27
4.	जर्मनी	फरक्का थर्मल विद्युत केन्द्र	49.95
5.	जर्मनी	दादरी विद्युत परियोजना (एनटीपीसी)	182.22
6.	फ्रांस	एन.एच.पी.सी. ऋण	84.72
7.	फ्रांस	सी.पी.आर.आई. के लिए परीक्षण उपस्कर	7.64
8.	फ्रांस	पूर्वी कटरा परियोजना उपलब्धि	0.07
9.	फ्रांस	पूर्वी कटरा परियोजना उपलब्धि	0.08
10.	फ्रांस	तलचर विद्युत परियोजना	85.28
11.	फ्रांस	कोयला फ्रिक्वेटिंग उपस्कर के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन	355.68
12.	फ्रांस	कोयला फ्रिक्वेटिंग उपस्कर के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन	0.36
13.	जापान	असम गैस टर्बाइन परियोजना	331.96
14.	जापान	असम गैस विद्युत स्टे. और सम्प्रेषण लाइन	39.38
15.	जापान	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना	65.79
16.	जापान	विद्युत प्रणाली सुधार एवं लघु पन विद्युत	784.64
17.	जापान	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना	139.95
18.	जापान	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना	382.57
19.	जापान	फरीदाबाद ताप विद्युत चरण परियोजना	757.62

1	2	3	4
20.	जापान	उत्तरी क्षेत्र प्रसारण	0.73
21.	ओपेक	रामागुन्डम परियोजना	2.92
22.	सऊदी फंड	रामागुन्डम ताप विद्युत परियोजना चरण-II	89.84
23.	स्वीडन	उरी परियोजना	70.46
24.	स्वीडन	चन्द्रपुर पोडगेह, महाराष्ट्र	49.05
25.	स्वीडन	उरी परियोजना	3.42
26.	स्वीडन	चन्द्रपुर पोडगेह महाराष्ट्र	123.18
27.	यू.के.	1983 विद्युत क्षेत्र परियोजना	23.02
28.	यू.के.	उरी पन-बिजली परियोजना	0
29.	यू.के.	ऊर्जा कार्यकुशलता अनुदान	312.96
30.	अं.पु.वि.बैंक	द्वितीय फरक्का थर्मल	102.36
31.	अं.पु.वि.बैंक	संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना	0
32.	अं.पु.वि.बैंक	राष्ट्रीय राजधानी बिजली आपूर्ति	238.67
33.	अं.पु.वि.बैंक	तलचर ताप विद्युत	494
34.	अं.पु.वि.बैंक	नथपा झाकड़ी विद्युत	1169.61
35.	अं.पु.वि.बैंक	उत्तरी क्षेत्र प्रसारण परियोजना	1369.02
36.	अं.पु.वि.बैंक	विद्युत उपयोगिता कार्यकुशलता	778.96
37.	अं.वि.सं.	इन्दिरा सरोवर	17.25
38.	नीदर.	ग्रांट इंडिया 94	4.45
39.	संयुक्त रा. अमेरिका	ऊर्जा प्रबंध निर्माण एवं प्रशिक्षण	37.52
	जोड़		9157.94
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत			
1.	अं.वि.सं.	नवीकरणीय स्रोत विकास परियोजना	350.22
	जोड़		350.22
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
1.	स्वीडन	II एफ. एम.	12.31
2.	अं.वि.सं.	वन अनुसंधन शिक्षा विस्तार	137.04
3.	अं.वि.फंड अनुदान	अं.वि.फंड पर्यावरण मंत्रालय को सहायता	0.67
	जोड़		150.02
वित्त मंत्रालय			
1.	नीदरलैंड	ग्रांट इंडिया 1994	94.75
2.	संयुक्त राज्य	वित्तीय संस्थान सुधार एवं विस्तार	13.54
	जोड़		108.29

1	2	3	4
आर्थिक कार्य विभाग			
1.	जापान	औद्योगिक प्रौद्योगिक विकास	6.14
2.	जापान	आयात-निर्यात बैंक-ई.एस.ए.एल.	0.00
3.	जापान	सिडवी-IV	643.80
4.	स्विस	ए.आर.डी.सी. स्विस अनुदान नाबार्ड	0.60
5.	स्विस	नाबार्ड के लिए इन्डो-स्विस करार	23.47
6.	स्विस	नाबार्ड-VI	0.00
7.	स्विस	नवीकरणीय स्रोत विकास के लिए वित्त निगम	15.02
8.	स्विस	लघु उद्यमों का ई.आई.डी.पी. संवर्धन	1.11
9.	यू.एस.ए.	प्रसारण प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	26.96
10.	यू.एस.ए.	प्रतिवर्धन एवं वाणिज्यक ऊर्जा स्रोत के लिए कार्यक्रम	38.43
11.	यू.एस.ए.	पर्यावरणीय सेवाओं एवं प्रौद्योगिकी में कारोबार	78.18
12.	यू.के.	यू.के.-भारत कृभको-इंडो-ब्रिटिश पोषित कृषि	12.48
13.	यू.के.	पर्यावरणीय अनुदान	298.36
14.	आईबीआरडी	सीमेंट उद्योग	0.92
15.	आईबीआरडी	औद्योगिक वित्त एवं तकनीकी सहायता	39.07
16.	आईबीआरडी	निर्यात विकास	29.39
17.	आईबीआरडी	औद्योगिक तकनीकी विकास	180.11
18.	आईबीआरडी	सीमेंट उद्योग पुनर्निर्माण परियोजना	281.30
19.	आईबीआरडी	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	176.30
20.	आईडीए	औद्योगिक तकनीकी विकास परियोजना	109.62
21.	ओपेक	नाबार्ड	0.00
22.	नार्वे	विश्व बाघ फॉरम	0.59
	जोड़		1986.95
स्वास्थ्य विभाग			
1.	डेनमार्क	अन्धत्व के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चरण-II	43.13
2.	जापान	गुणवत्ता नियंत्रण स्वास्थ्य	256.36
3.	नार्वे	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	2.11
4.	यू.एस.ए.	एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना	31.27
5.	आईडीए	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	206.95
6.	आईडीए	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन	256.41
7.	आईडीए	अन्धत्व नियंत्रण	0.00
	जोड़		796.23

1	2	3	4
परिवार कल्याण विभाग			
1.	यू.एस.ए	प्रतिरोधी नैदानिक टीका विकास	9.51
2.	यू.एस.ए	स्वास्थ्य-II के लिए निजी स्वैच्छिक संगठन	23.08
3.	यू.एस.ए.	परिवार नियोजन सेवाओं में नवीकरण	686.38
4.	यू.एस.ए.	परिवार नियोजन संचार एवं विपणन	40.16
5.	आईडीए	चौथी जनसंख्या परियोजना	0.00
6.	आईडीए	छठी जनसंख्या परियोजना	94.05
7.	आईडीए	आठवीं जनसंख्या	91.73
8.	आईडीए	बाल-उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व	382.46
9.	आईडीए	परिवार कल्याण	234.53
10.	नार्वे	अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम-II	24.46
	जोड़		1586.36
संस्कृति विभाग			
1.	जापान	वर्दमान विश्व विद्यालय के लिए सांस्कृतिक अनुदान सहायता	0.02
	जोड़		0.02
महिला एवं बाल-विकास विभाग			
1.	नार्वे	महिला विकास कार्यक्रम	0.00
2.	आईडीए	आईसीडीएस-II	575.57
	जोड़		575.57
भारी उद्योग विभाग			
1.	एडीबी	द्वितीय दूसंचार परियोजना	54.61
2.	डेनमार्क	सहबद्ध अनुदान नं. 3 (आपटिक फाइबर परियोजना)	12.65
	जोड़		67.26
उद्योग मंत्रालय			
1.	आईडीए	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	92.56
2.	डेनमार्क	सहबद्ध अनुदान नं. 2 (टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र)	76.25
	जोड़		168.81
रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग			
1.	आईबीआरडी	II पैट्रो-रसायन	32.01
	जोड़		32.01
श्रम मंत्रालय			
1.	आईडीए	व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना	297.87
	जोड़		297.87

1	2	3	4
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
1.	कनाडा	ऋण रेखा नं. 880	111.74
2.	कनाडा	तेल एवं गैस अन्वेषण एवं विकास	146.01
3.	फ्रांस	एच.बी.जे.	148.37
4.	जापान	गैस पाइप लाइन परियोजना	49.05
5.	आईबीआरडी	अखिल भारतीय पैट्रोलियम	4.85
6.	इटली	ओएनजीसी बम्बई	8.77
	जोड़		468.79
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
1.	यू एस ए	तकनीकी सहायता और सहयोग	54.19
	जोड़		54.19
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग			
1.	यू.एस.ए.	विकास पुनर्उत्पादक प्रतिरक्षा	7.44
	जोड़		7.44
खान-विभाग			
1.	जापान	मालखंड तांबा विस्तार परियोजना	10.96
2.	यू.के.	1987 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	0.21
3.	आईडीए	झरिया खान अग्नि शमन	35.96
4.	फ्रांस	उड़ीसा एल्युमीनियम	0.89
5.	फ्रांस	राष्ट्रीय एल्युमीनियम परियोजना	1.09
6.	फ्रांस	नेल्को	2.02
7.	फ्रांस	नेल्को	23.69
	जोड़		74.82
भू-तल परिवहन मंत्रालय			
1.	ए.डी.बी.	कोयला पत्तन परियोजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता	879.48
2.	ए.डी.बी.	पत्तन विकास परियोजना	0.00
3.	जापान	राष्ट्रीय राजमार्ग-II सुधार परियोजना	156.28
4.	जापान	राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनीकरण	365.60
5.	जापान	नाटिकल एण्ड मेरीन के लिए सिम्युलेटर के आयात के लिए सामान्य करार	0.86
6.	जापान	डीजी शिपिंग के लिए सिम्युलेटर	27.67
7.	जापान	संवर्द्धनात्मक प्रशिक्षण उपस्कर समुद्री अभियांत्रिकी शिक्षा के लिए सामान्य करार	0.46
8.	सऊदी फंड	नावा सेवा पत्तन परियोजना	26.42
9.	आई.बी.आर.डी.	राष्ट्रीय राजमार्ग	92.56
10.	आईबीआरडी	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	478.43
	जोड़		2027.84

1	2	3	4
कपड़ा मंत्रालय			
1.	स्विस	अन्तर-राज्य/टसर परियोजना	2.66
	जोड़		2.66
शहरी विकास मंत्रालय			
1.	जर्मनी	हुडको-IV	42.50
2.	जर्मनी	एचडीएफसी-II	59.50
3.	जर्मनी	बिल्डिंग प्रौद्योगिकी के लिए हुडको विनियोजन कार्यक्रम	15.94
4.	जर्मनी	एचडीएफसी	0.00
5.	जापान	शहरी जलापूर्ति परियोजना	188.29
6.	यूएसए	गृह वित्त प्रणाली विस्तार कार्यक्रम	1126
	जोड़		317.49
जल संसाधन मंत्रालय			
1.	आईडीएफ अनुदान	जल संसाधन मंत्रालय को अनुदान	0.83
2.	डेनमार्क	बाढ़ नियंत्रण प्रणाली	3.54
	जोड़		4.37
इलैक्ट्रानिक मंत्रालय			
1.	जापान	इलैक्ट्रानिक उद्योग विकास	6.41
2.	स्विस	आईबीआरडी से सम्बद्ध इलैक्ट्रानिक उद्योग विकास	44.86
3.	आईबीआरडी	इलैक्ट्रानिक उद्योग विकास	23.36
	जोड़		74.63
महासागर विकास मंत्रालय			
1.	जर्मनी	महासागरीय पोत	0.00
रेल मंत्रालय			
1.	एडीबी	रेलवे परियोजना	498.2
2.	एडीबी	द्वितीय रेलवे परियोजना	278.43
3.	जर्मनी	रेलवे बोर्ड की ब्रेक डाउन क्रेनें	0.79
4.	जर्मनी	रेलवे निवेश कार्यक्रम	136.84
5.	जर्मनी	रेल बोगी फेक्टरी कपूरथला	1.88
6.	यू.के.	1983 रेलवे परियोजना	2.15
7.	यू.के.	रेल पथ निरूपण प्रणाली	0.36
8.	यू.के.	रेलवे क्षेत्र अनुदान	10.81
9.	आईबीआरडी	रेलवे आधुनिकीकरण	67.79

1	2	3	4
10.	आईबीआरडी	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	293.94
11.	जापान	रोलिंग स्टाक आधुनिकीकरण (आईडीपी-68)	40.43
12.	सऊदी फंड	कोरापुट रेलवे परियोजना	33.8
	जोड़		1365.42
राजस्व विभाग			
1.	आईडीएफ अनुदान	वीएटी के प्रवेश के लिए क्षमता निर्माण	1.4
	जोड़		1.4
अन्य			
1.	आस्ट्रीया	आस्ट्रीयाई केपिटल गुड्स 1991	2.43
2.	बेल्जियम	18वां ऋण	0.46
3.	बेल्जियम	19वां सामान्य उद्देश्य ऋण	9.29
4.	बेल्जियम	20वां केपीटल गुड्स क्रेडिट	24.24
5.	फ्रांस	रॉक फास्फेट का अध्ययन	0.01
6.	फ्रांस	पोटाश पर अध्ययन	0.01
7.	फ्रांस	राजुर खानों के संबंध में अध्ययन	0.43
8.	फ्रांस	सामान्य ऋण	9.86
9.	फ्रांस	सामान्य ऋण	16.43
10.	फ्रांस	सामान्य उद्देश्य ऋण	22.97
11.	फ्रांस	आईटीपीओ	2.96
12.	फ्रांस	सामान्य आयात	5.54
13.	फ्रांस	सामान्य ऋण	31.37
14.	फ्रांस	सामान्य आयात	12.14
15.	फ्रांस	सामान्य ऋण	3.55
16.	फ्रांस	सामान्य ऋण	1.20
17.	जापान	ऋण-राहत अनुदान सहायता	0.59
18.	जापान	ऋण-राहत अनुदान सहायता	9.03
19.	जापान	ऋण राहत (भारतीय विकास अर्थव्यवस्था)	8.76
20.	जापान	ऋण राहत	8.11
21.	जापान	केपिटल गुड्स क्षेत्र परियोजना	1.93
22.	जापान	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र	529.77
23.	जापान	अग्नि निरोधक उपस्करों का सुधार	5.47
24.	जापान	संवर्द्धनात्मक प्रशिक्षण उपस्कर	21.42
25.	जापान	आईजीएनओयू का सुधार	5.62
26.	जापान	निर्यात विकास परियोजना	7.57
27.	जापान	केपीटल गुड्स क्षेत्र	2.06

1	2	3	4
28.	नीदरलैंड	इंडिया 1987	5.58
29.	नीदरलैंड	ग्रांट इंडिया 1990	21.35
30.	नीदरलैंड	इंडिया 1991	105.35
31.	नीदरलैंड	ग्रांट इंडिया 1991	26.44
32.	नीदरलैंड	सीएमडीए अनुदान	14.59
33.	स्विस	स्विस संयुक्त अनुदान-I	4.91
34.	स्विस	स्विस संयुक्त अनुदान-II	67.02
35.	स्विस	संयुक्त अनुदान-III	32.71
36.	स्विस	आईसीटीआरईओएस चरण-III	0.73
37.	स्विस	इंडो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र	1.53
38.	यू.के.	1987 स्थानीय लागत अनुदान	24.45
39.	यू.के.	1980 संयुक्त परियोजना	8.2
40.	यू.के.	यू.के.-इंडिया नेटवर्क	0.56
41.	यूएसए	गुणवत्ता नियंत्रण	15.64
42.	यूएसए	पौध अनुवांशिक संसाधन	50.12
43.	यूएसए	कृषि का वाणिज्यिकीकरण	25.64
44.	यूएसए	तकनीकी विकास केन्द्र	3.93
45.	जर्मनी	केपीटल गुड्स XXIV	15.64
46.	जर्मनी	अध्ययन और विशेषज्ञ कोष-III	0.07
47.	जर्मनी	अध्ययन और विशेषज्ञ कोष-VI	22.74
48.	जर्मनी	दवाइयों का आयात	9.95
49.	जर्मनी	अध्ययन विशेषज्ञ फंड-IV	2.68
50.	जर्मनी	अध्ययन विशेषज्ञ फंड-V	9.40
51.	जर्मनी	उर्वरक आयात ऋण	119.75
52.	आस्ट्रेलिया	लघु गतिविधि स्कीम	0.23
53.	आस्ट्रेलिया	अनुदान सहायता ए एस डी	80.71
54.	ईईसी	प्राथमिक शिक्षा	519.19
55.	ईईसी	पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	156.72
56.	ए.डी.बी.	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्बन	390.88
57.	ए.डी.बी.	ऊर्जा सरंक्षण कार्यक्रम	122.67
58.	कनाडा	संस्थागत सहायता परियोजना	6.71
59.	डेनमार्क	10वां ऋण	2.58
60.	डेनमार्क	11वां ऋण	32.22
61.	डेनमार्क	इंडो-डेनिश अनुदान-I	24.42
62.	डेनमार्क	भारतीय सीमेंट उद्योग	21.48
63.	डेनमार्क	धानभूसी विद्युत जनरेटर	3.02
	जोड़		2693.30

[अनुवाद]

बालश्रम

1624. श्री एन. डेनिस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए जनमत जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में पहल कब तक की जाएगी?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). जी हां। बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, सरकार ने बाल नियोजन के विरूद्ध आम जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। बाल श्रम मुद्दे पर त्रिवेन्द्रम, भुवनेश्वर तथा जयपुर में आयोजित श्रम मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन और हाल ही में सम्पन्न स्थायी श्रम समिति की बैठक तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में भी चर्चा की गयी है।

बाल श्रम के विरूद्ध प्रचार का समन्वय करने के लिए, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित "राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण" नामक उच्चस्तरीय निकाय में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्राधिकरण ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता सृजन को एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में अभिज्ञात किया है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय, गैर सरकारी संगठनों की सहायता करके, संगठनों को निधि प्रदान करके, शोधकर्ताओं, विद्वानों, मास मीडिया, व्यवसाय संघ के नेताओं, नियोजकों, कार्यक्रम संचालकों, नीति निर्माताओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सूचना, प्रशिक्षण शोध मार्ग-दर्शन आदि प्रदान करके बाल श्रम के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने के कार्य में लगा है।

उपर्युक्त के अलावा, बाल श्रम के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई पी ई सी/आई एल ओ), जिनमें भारत सरकार एक सहभागी है, के अंतर्गत प्रमुख पहल की गई है। जागरूकता सृजन क्रियाकलापों में शामिल हैं : (क) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल श्रम के विरूद्ध एक राष्ट्र-व्यापी अभियान को मदद करना, (ख) व्यवसाय संघों द्वारा क्रियान्वित परियोजनओं को निधि प्रदान करके संगठित कर्मकारों के बीच बाल श्रम के विरूद्ध जागरूकता पैदा करना; (ग) सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बाल श्रम के बारे में संपुष्टिका (कैपसूल्स) प्रस्तुत करके असंगठित कर्मकारों के बीच बाल श्रम के विरूद्ध विचार संचारित करना; (घ) नियोजकों के लिए कार्यशाला आयोजित करके उन्हें सुग्रहित करना; और (ङ) चार चुनिन्दा उद्योगों अर्थात् ताला बनाने, ग्लास बनाने, रत्न को पालिश करने और पीतल का सामान बनाने में लगे बालकों के लिए पोस्टर बनाकर सुरक्षा और जोखिम पहलुओं के बारे में प्रकाश डालना।

शेयर पर ऋण सीमा

1625. श्री जीवन शर्मा :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरों के बदले ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदम उठाए जाने के क्या कारण हैं और इससे किस वर्ग के लोगों को लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, व्यक्तियों और न्यासों तथा धर्मस्वों को शेयरों एवं डिबेंचरों की प्रतिभूति के बदले अग्रिमों की मंजूरी की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है। अन्य श्रेणियों के उधारकर्ताओं को इस प्रकार के अग्रिमों की मंजूरी के लिए कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऊपर उल्लिखित 5 लाख की अधिकतम सीमा भारतीय रिजर्व बैंक के समीक्षाधीन है।

त्रिवेन्द्रम से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1626. श्री ए. चार्ल्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विदेशी विमान कम्पनियों ने त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की अनुमति हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). पिछले पांच वर्षों में कुवैत एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन्स और कतार एयरवेज से त्रिवेन्द्रम से सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सीमित आधारभूत सुविधाओं और हमारी राष्ट्रीय वाहक कम्पनियों को पर्याप्त प्रतिफल के अभाव के कारण ये अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं।

सामान्य बिक्री एजेंट

1627. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने चारों महानगरों से अपने सामान्य बिक्री एजेंट हटा लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). विदेशी एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार अपने सामान्य विक्रय एजेंटों को नियुक्त करती हैं और उन्हें हटाती हैं। सरकार को इस विषय के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा के बारे में संगोष्ठी

1628. श्री शरत पटनायक :
श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा के बारे में एक संगोष्ठी सम्पन्न हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 6-10 फरवरी, 1995, के दौरान नई दिल्ली में उड़ान सुरक्षा पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी।

(ख) इस संगोष्ठी का उद्देश्य, उड़ान-योग्यता, दुर्घटनाओं/घटनाओं की रोकथाम और जांच, हवाई सुरक्षा आदि से सम्बन्धित मामलों के संबंध में सहयोग आदि जैसे मुद्दों पर अन्य देशों की सूचनाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान करना था।

दुर्गापुर, पं. बंगाल में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय

1629. श्री बसुदेव आचार्य :
डा. सुधीर राय :
श्री पूर्ण चन्द मलिक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दुर्गापुर, पं. बंगाल में अपना कार्यालय खोलने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या इस हेतु भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और उक्त कार्यालय के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो कार्यालय को दुर्गापुर में स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्यालय को वहां शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि 1982/83 में कलकत्ता निगम विभाग का एक उप कार्यालय दुर्गापुर में खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन दूसरा पूर्ण विकसित कार्यालय खोलने की कोई प्रतिबद्धता नहीं थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). मुद्रा प्रबंध, सरकारी कार्य के संचालन आदि के क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को और शक्तियों के प्रत्योजन के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक की निकट भविष्य में दुर्गापुर में उप कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

लोह-अयस्क का निर्यात

1630. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सरणीकृत लोह-अयस्क के निर्यात से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा में इस वर्ष कमी होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने हेतु खनिज धातु और व्यापार निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत से लौह-अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए एम. एम.टी.सी. द्वारा किए जा रहे उपायों में थाइलैंड तथा मलेशिया जैसे नए बाजारों का निर्धारण तथा विकास, और भारत से लौह अयस्क के निर्यात हेतु स्लोवाकिया (पहले चैकोस्लोवाकिया का भाग) और रूमानिया जैसे पुराने बाजारों को पुनरुज्जीवित करना तथा बेहतर इकाई मूल्य अधिप्राप्ति के लिए प्रयास शामिल हैं।

[हिन्दी]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन

1631. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 28 और 30 (2) के संबंध में राज्य सरकारों के मत प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिनियम की इन धाराओं को समाप्त अथवा संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसका निर्णय कब तक लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 की उप-धारा (2) में संशोधन/अपमार्जन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/ संघ शासित राज्य क्षेत्रों के विचार/ टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। उनके विचार प्राप्त होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अतः इस स्तर पर यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त निर्णय कब तक लिया जाएगा।

[अनुवाद]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण राशि वसूली अधिनियम, 1993

1632. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण राशि वसूली अधिनियम, 1993 के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 संसद द्वारा 27 अगस्त, 1993 को पारित किया गया था। इसके तुरंत पश्चात अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। अब तक पांच ऋण वसूली अधिकरण और एक अपीलीय अधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं। पीठासीन अधिकारी के पद के लिए पात्र कार्मिकों से पर्याप्त प्रत्युत्तर के अभाव के कारण बाकी अधिकरणों की स्थापना नहीं की जा सकी। सरकार ने ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष करने और अपीलीय ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की आयु सीमा को 62 से 65 वर्ष करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने हेतु 5.12.94 को लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक इस समय लोकसभा में लंबित है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.3.95 के अपने निर्णय में (दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन बनाम भारत संघ और अन्य) यह अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनियम मुख्यतः इस आधार पर असंवैधानिक और शून्य है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करता है। सरकार विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को ले जाने के निर्णय की जांच कर रही है।

म्युचुअल फण्ड्स

1633. श्री इन्नान मोल्लाह :
श्री रूपचन्द पाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि म्युचुअल फण्ड्स में उनकी धनराशि के संबंध में केवल चुनिंदा जानकारी ही दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप लघु निवेशकों में भ्रान्ति बनी रहती है और इन्हें घाटा उठाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो लघु निवेशकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जो म्युचुअल फण्डों के कार्यकलापों को विनियमित करता है, ने बताया है कि उसे चुनिन्दा सूचना दिए जाने, जिसके परिणामस्वरूप छोटे निवेशकों को घाटा उठाना पड़ता है, के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

1634. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की नीति का चाय बोर्ड की भूमिका व कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, अब तक चाय उत्पादन के आंकड़े, इसका घरेलू उपभोग व निर्यात सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका तुलनात्मक मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय का उत्पादन करने वाले अन्य देश विशेषकर श्रीलंका, भारत की तुलना में सस्ते दामों पर चाय का निर्यात कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घटिया किस्म की चाय की पूर्ति किये जाने के कारण रूस को किये जाने वाले चाय के निर्यात में हाल ही में भारी कमी आई है; और

(च) सरकार चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जैसाकि चाय अधिनियम में परिभाषित किया गया है, चाय बोर्ड की भूमिका और कार्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता सुधार, विपणन और निर्यातों सहित भारत में चाय उद्योग का विकास करना है। चाय बोर्ड के ये प्राथमिक उद्देश्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई उदारीकृत व्यापार नीति के अनुरूप ही है।

(ख) अपेक्षित जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की औसत यूनिट मूल्य प्राप्ति केन्या और श्रीलंका, जैसे प्रतिस्पर्द्धी देशों की तुलना में अधिक हैं। इसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

अमरीकी डालर में निर्यात की प्रति कि.ग्रा. इकाई एफ ओ बी कीमत

देश	1991	1992	1993
भारत	2.45	2.16	2.08
श्रीलंका	2.02	1.85	1.51
केन्या	1.58	1.77	1.71

(ङ) वर्ष 1993 के दौरान कुछ भारतीय चाय निर्यातकों द्वारा रूस को घटिया किस्म की चाय की आपूर्ति की एक आध घटना सामने आयी है। तथापि, वर्ष 1993-94 के दौरान, भारतीय चाय के रूस को निर्यात में 1992-93 की तुलना में सुधार हुआ है। भारत से रूस तथा श्रीलंका को होने वाले चाय के निर्यातों में 1994-95 के दौरान उनके द्वारा कम खरीद के कारण, हानि हुई है।

(च) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में विदेश में चाय बोर्ड के कार्यालयों के माध्यम से संवर्धनात्मक अभियान शामिल है। इन संवर्धनात्मक उपायों में शामिल हैं : (i) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता (ii) भारतीय चाय की विभिन्न अद्वितीय विशेषताओं के कारण उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार अभियान (iii) चाय बोर्ड विपणन चिन्ह के माध्यम से भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान तथा (iv) भारतीय चाय के विभिन्न विदेशी ब्रांडों को सहयोग। संवर्धनात्मक अभियानों के लिए आयातकों द्वारा किए गए व्यय ने एक भाग को चाय बोर्ड के बजट से पूरा किया जाता है। चाय बोर्ड के यू.के. में दार्जिलिंग तथा असम लोगों अभियान तथा परम्परागत भारतीय चायों को लोकप्रिय बनाने के लिए ब्रांड संवर्धन योजनाएं शुरू की हैं।

विवरण

(i) चाय के उत्पादन, घरेलू खपत तथा निर्यात

(आंकड़े मिलि. किग्रा. में)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन	अनुमानित घरेलू खपत	निर्यात
1992-93	729.09	545	181
1993-94	753.53	565	161
1994-95 (अप्रैल से जनवरी)	699.72	—	130
1993-94 (अप्रैल से जनवरी)	714.86	—	138

(ii) घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत प्रवृत्तियां

(संबंधित मुद्रा में कीमत प्रति कि.ग्रा.)

मुद्रा :	भारत	:	भारतीय रुपया
	कोलम्बो	:	श्रीलंका का रुपया
	जकार्ता	:	अमरीकी सैंट
	मोमबासा	:	केन्याई शिलिंग
	लिम्बे और	:	ताम्बला/अमरीकी सैंट
	लंदन	:	पैंस

नीलामी का नाम	1992	1993	1994
अखिल भारतीय (औसत)	38.88	48.93	40.65
कोलम्बो (श्रीलंका)	62.24	69.28	65.34*
जकार्ता (इंडोनेशिया)	129.60	134.39	117.23*
मोमबासा (केन्या)×	53.88	155.00	158.00*
लिम्बे (मालावी)×	296.39	100.11	82.37*
लंदन	113.32	123.84	119.46

* नवंबर, 1994 तक

× 1993 से कीमत अमरीकी सैंट में है।

[अनुवाद]

फटे-पुराने नोट

1635. श्री शिवाजी पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उसकी जानकारी है कि 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये वर्ग मूल्य के फटे पुराने करेंसी नोट बड़ी संख्या में प्रचलन में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन फटे-पुराने करेंसी नोटों का प्रचलन क्रमशः बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों को चरणबद्ध ढंग से सिक्कों में ढालने के लिए सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते

हुए, इन मूल्यवर्ग के नए नोटों का उत्पादन कम कर दिया गया है और इसलिए, प्रचलन में नोटों की गुणवत्ता कुछ सीमा तक खराब हुई है। देवास और नासिक में विद्यमान नोट प्रिंटिंग प्रेसें भारतीय रिजर्व बैंक की उच्चतर मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ हैं। दो नई नोट प्रेसें स्थापित किए जाने पर, जिन्हें वर्ष 1999 के अन्त तक प्राप्त किए जाने की सम्भावना है, नए नोटों के उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी और स्थिति में सुधार आएगा।

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा विमानों की खरीद

1636. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा कुछ और विमान खरीदे जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर निमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). एयर इंडिया के प्रबंधक विभिन्न किस्मों के विमानों के मूल्यांकन-अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वायुदूत को घाटा

1637. श्री लाल बाबू राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत में भर्ती करते समय समन्वित योजना का अभाव रहा है जिसके कारण इसका खर्च बढ़ गया है और कम्पनी घाटे में जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

नागर निमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). वायुदूत को हानि होने के मुख्य कारण, यद्यपि, नेटवर्क का अनावश्यक विस्तार, अलाभकर किराया ढांचा, कम दूरी के प्रचालन और गैर-किफायती विमान बेड़ा होना है तथापि, कुछ हद तक अधिक जनशक्ति का भी इसमें योगदान रहा है।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से चयनित किए गए त्यौहार और मेले

1638. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जिन त्यौहारों और मेलों का केन्द्रीय सरकार ने चयन किया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वर्ष 1994-95 के दौरान इस हेतु राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागर निमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) शिनाख्त किए गए त्यौहारों और मेलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्ध पर प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

शिनाख्त किए गए त्यौहार और मेले

आंध्र प्रदेश

- अन्तर्राष्ट्रीय पर्व और बैंगल उत्सव
- हैदराबाद शहर की 400 वीं वर्षगांठ-डेकन उत्सव

असम

- चाय उत्सव

बिहार

- सोनपुर मेला
- पाटलीपुत्र महोत्सव, पटना
- राजगीर नृत्य और खाद्य उत्सव
- छोटा नागपुर आदिवासी मेला

गोवा

- अन्तर्राष्ट्रीय सी फूड उत्सव
- शिगमो
- कार्निवल महोत्सव

गुजरात

- अंतर्राष्ट्रीय पंतग मेला
- सोमनाथ उत्सव (रन ऑफ कच्छ)
- तारनेत्र उत्सव

हरियाणा

- कुरुक्षेत्र मेला
- सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला

हिमाचल प्रदेश

- शिमला ग्रीष्म उत्सव
- कुल्लू-दशहरा उत्सव
- कांगड़ा घाटी/चाय उत्सव
- चम्बा मिंजोर उत्सव
- रामपुर में लोची मेला

जम्मू व कश्मीर

— दिल्ली और लद्दाख दोनों में हेमिस उत्सव
— सनासर में पर्यटक मेला
— मनसर में फूड एण्ड क्राफ्ट मेला

राजस्थान

— मारवाड़ उत्सव, जोधपुर
— मरू उत्सव, जैसलमेर
— नागौर उत्सव
— झालावाड़ उत्सव
— इसके अतिरिक्त शिल्पग्राम क्राफ्ट मेले को भी सहायता दी जाएगी।

सिक्किम

— सिक्कम फूल उत्सव

तमिलनाडु

— ऊटी ग्रीष्म उत्सव
— चिदम्बरम में शिवरात्रि नाट्यांजली उत्सव
— चित्तराई उत्सव, मदुरै
— महाबलीपुरम नृत्य उत्सव
— चाय और पर्यटन उत्सव, कुनूर

उत्तर प्रदेश

— ताज महोत्सव, आगरा
— अकबर उत्सव, फतेहपुर सीकरी
— अवध उत्सव, लखनऊ
— योगा उत्सव, ऋषिकेष

पश्चिम बंगाल

— विष्णुपुर उत्सव
— कलकत्ता/शांतिनिकेतन उत्सव
— दार्जिलिंग चाय उत्सव
— वसन्त मेला

अण्डमान और निकोबार

— द्वीप महोत्सव/पर्यटक महोत्सव

चण्डीगढ़

— गुलाब उत्सव
— तीज उत्सव

पांडिचेरी

— फेटे डे पांडिचेरी/योगा उत्सव

दिल्ली

— अन्तर्राष्ट्रीय आम उत्सव
— कुतुब उत्सव
— रेनबो उत्सव
— उद्यान उत्सव

पंजाब

— होला मोहल्ला
— राम तीर्थ

विवरण–II

वर्ष 1994–95 के दौरान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को त्यौहारों और मेलों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	त्यौहार	स्वीकृत की गई राशि	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5
1.	गोवा	अंतर्राष्ट्रीय सी फूड उत्सव	—	163,762*
		कार्निवल महोत्सव 95	3,75,540	2,00,000
				1,62,800*
		शिगमो उत्सव 95	1,92,500	1,00,000
				167,070*
2.	गुजरात	तारनेत्र उत्सव	1,69,253	1,00,000
3.	हरियाणा	सूरजकुंड क्राफ्ट मेला	—	14,98,400*
4.	हिमाचल प्रदेश	शिमला ग्रीष्म उत्सव	2,05,490	2,05,490
		लेवी मेला	2,50,779	2,50,779
5.	केरल	इंदिरा गांधी नौका दौड़	15,00,000	12,00,000

1	2	3	4	5
6.	मध्य प्रदेश	ओरछा उत्सव	3,10,000	2,00,000
7.	महाराष्ट्र	गणेश उत्सव	—	2,87,734*
		एलीफेंटा उत्सव	—	2,37,773
		गणेश उत्सव 94	5,00,000	5,00,000
8.	मिजोरम	चपचरकुट उत्सव	3,60,000	2,00,000
9.	मणिपुर	कुट उत्सव	1,05,000	80,000
10.	उड़ीसा	बीच उत्सव	10,00,000	8,00,000
11.		राजारानी उत्सव	1,60,000	1,00,000
11.	सिक्किम	फूल उत्सव	4,98,000	4,98,000
12.	तमिलनाडु	चितराई उत्सव	3,83,000	2,00,000
			—	67,000*
		नाट्यांजली उत्सव	1,74,264	1,00,000
		मामल्लापुरम नृत्य उत्सव	2,69,764	1,35,000
			—	1,13,000*
		चाय और पर्यटन उत्सव कुनूर	2,24,265	2,24,265
13.	राजस्थान	शिल्पग्राप उत्सव	2,00,388	2,00,388
14.	उत्तर प्रदेश	ताज महोत्सव	5,00,000	2,50,000
			—	5,00,000*
		अवध उत्सव	2,34,000	1,50,000
15.	पश्चिम बंगाल	चाय उत्सव, दार्जिलिंग	4,28,441	4,228,441*
16.	चण्डीगढ़	तीज उत्सव	2,85,000	1,50,000
		गुलाब उत्सव	3,06,000	2,00,000
17.	दिल्ली	आम्र उत्सव	2,68,490	2,68,490

* पिछले वर्ष का बकाया

बैंकों द्वारा लाभांश का भुगतान

1639. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार को लाभांश का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लाभांश की राशि किस आधार पर निर्धारित की जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने कितने लाभांश का भुगतान किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 (हाल में यथासंशोधित) की धारा 10(7) के अनुसार, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, आस्तियों के मूल्य ह्रास कर्मचारी और अधिवर्षिता निधियों में अंशदान करने के बाद और अन्य सभी मामलों, जिनके लिए किसी कानून के अंतर्गत प्रावधान करना आवश्यक है या जिनके लिए सामान्यतया बैंककारी कंपनियों द्वारा प्रावधान किया जाता है, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक अपने निवल लाभ में से लाभांश की घोषणा कर सकता है और अधिशेष, यदि कोई हो, अपने पास रख सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1992, 1993 और 1994 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अदा किए गए लाभांश का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	मार्च की स्थिति के अनुसार		
		1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	3.11	—	—
2.	आंध्रा बैंक	0.87	—	—
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	15.00	—	5.00

1	2	3	4	5
4.	बैंक ऑफ इंडिया	12.63	—	—
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.44	—	—
6.	केनरा बैंक	16.59	1.06	5.35
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5.00	—	—
8.	कारपोरेशन बैंक	2.00	1.00	1.00
9.	देना बैंक	2.70	—	—
10.	इंडियन बैंक	5.00	0.50	—
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.55	—	—
12.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	—	—	—
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	3.38	—	1.00
14.	पंजाब नेशनल बैंक	5.00	1.01	—*
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	—	—	—
16.	सिंडिकेट बैंक	1.26	—	—
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3.85	—	2.00
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.50	—	—
19.	यूको बैंक	—	—	—
20.	विजया बैंक	—	—	—

* तुलन पत्र को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

दंगों के कारण पर्यटन उद्योग को हानि

1640. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में दंगों के कारण पर्यटन उद्योग को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन दंगों के कारण कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को इस प्रकार की हानि से बचाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). वर्ष 1994 में विदेशी पर्यटक आगमन में अक्तूबर और नवम्बर मास के दौरान प्लेग और इसके प्रतिकूल प्रचार के फलस्वरूप धक्का लगने के बावजूद भी लगभग 6.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय में भी लगभग 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पर्यटक यातायात में वृद्धि अभी भी जारी है और इसलिए पर्यटन उद्योग को कोई नुकसान होने की आशा नहीं है।

[अनुवाद]

सिक्कों की कमी

1641. डा. असीम बाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिक्कों की सप्लाई पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में सिक्कों की अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना

1642. श्री रामटहल चौधरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन का तेजी से विकास करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कुछ नए कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों में यह कार्यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). मई, 1992 में घोषित पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके देश में पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं :—

1. एकीकृत विकास हेतु 11 यात्रा परिपथ तथा 6 गन्तव्यों का अभिनिर्धारण करना। यात्रा परिपथों तथा गंतव्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।
2. पर्यटन सुविधाओं के एकीकृत विकास हेतु विशेष पर्यटन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण तथा सृजन। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, निम्नलिखित विशेष पर्यटन क्षेत्र अभिनिर्धारित किए गए हैं :-
   - बेकल समुद्रतट (केरल)
   - मुत्तुकाडु-महाबलीपुरम (तमिलनाडु)
   - सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
   - पुरी-कोणार्क समुद्रतट (उड़ीसा)
   - दीव (दीव)

3. हैरिटेज होटलों के संवर्धन को प्रोत्साहन देने की स्कीम।
4. महत्वपूर्ण पर्यटक मार्गों पर पैलेस-आन-व्हील्स की सफलता पर आधारित, पर्यटक रेलगाड़ियों का प्रारंभ किया जाना।
5. उदार एअर चार्टर नीति।

विवरण

राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत गहन विकास हेतु अभिनिर्धारित परिपथ-व-गंतव्यों का अभिनिर्धारण

यात्रा परिपथ

1. कुल्लू-मनाली-लेह
2. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो
3. बागडोगरा-सिक्किम-दार्जिलिंग-कालिम्पोंग
4. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क
5. हैदराबाद-नागार्जुननगर-तिरूपति
6. मद्रास-महाबलीपुरम-पांडिचेरी
7. ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ
8. इंदौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-मांडु
9. जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर
10. रायगढ़ दुर्ग-जंजीरा दुर्ग-कुडा गुफाएं-श्रीवर्धन- हरिरेश्वर-सिंधुदुर्ग
11. बंगलौर-मैसूर-हसन

गन्तव्य

1. लक्षद्वीप द्वीपसमूह
2. अंडमान द्वीपसमूह
3. मनाली (सोलंग-नालाह)
4. बेकल समुद्रतट
5. मुत्तुकाडु समुद्रतट
6. कांगड़ा (पोंग बांध)

ब्याज की दर

1643. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री जे. चोक्का राव :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बैंकों ने जमा धनराशियों और ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों के संबंध में प्रतिस्पर्धा माहौल तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने अद्यतन क्या दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ग) क्या ब्याज दरों में निरंतर परिवर्तन करने के कारण बैंकों में जमा धनराशि पर कोई प्रतिकूल असर पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जमा दरों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, दिनांक 22.4.92 से भारतीय रिजर्व बैंक ने 46 दिनों से 3 वर्षों और इससे अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए अधिकतम जमा दर निर्धारित की है। बैंक निर्धारित अधिकतम दर के अंदर विभिन्न परिपक्वता और ब्याज दरें नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक ऋण का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के निर्धारण के तत्व को कम करने के लिए दिनांक 18 अक्तूबर 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरें स्वतंत्र कर दी गई थीं। अलबत्ता, 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमाएं प्राप्त करने वाले छोटे उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, उधार दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। चूंकि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम दर के अन्दर विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए अपनी जमा दरें नियत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसलिए जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है।

(ग) और (घ). ब्याज दरों को अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रभारित करनी होती है। इनसे इन प्रभारों की आवृत्ति भी निर्धारित होगी। दरों में परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि बचतकर्ताओं का बैंक जमाराशियों के प्रति आकर्षण बना हुआ है और जमाराशियों के संग्रहण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

अत्यधिक ध्यान दिये जाने वाले उत्पादों की सूची

1644. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अत्यधिक ध्यान दिये जाने वाले उत्पादों की सूची में तंबाकू को शामिल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तम्बाकू जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा मध्यम अवधि में, मात्रा अथवा मूल्य के रूप में, प्रति वर्ष 30 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने की क्षमता तम्बाकू में नहीं है। इसलिए तम्बाकू को "अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पादों" की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

इलायची के मूल्यों में कमी

1645. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान इलायची के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने भारतीय इलायची की गुणात्मक उत्कृष्टता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार और मसाला बोर्ड ने देश इलायची के व्यापक औषधीय तथा अन्य उपयोगों के संबंध में समुचित प्रचार और जानकारी प्रदान करने के संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रचार अभियान पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). चालू वित्त वर्ष में इलायची के मूल्यों में गिरावट का रूख रहा है। इसका मुख्य कारण अधिक घरेलू उत्पादन तथा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कम खरीद रहा।

(ग) और (घ). मसाला बोर्ड टी बी, प्रेस, सीधे डाक के जरिए भारतीय इलायची के नियमित संवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाता है और इनस्टोर संवर्धन का मुख्य उद्देश्य मध्यपूर्व में इलायची की खपत करने वाले प्रमुख बाजार हैं। बोर्ड महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भाग लेता रहा है। भारत में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करता रहा है, और ब्रांड संवर्धन संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।

(ङ) मसाला बोर्ड ऐसे चुनिंदा घरेलू मेलों में नियमित रूप से भाग लेता है जिनका आयोजन देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों में किया जाता है। यह भारत में इलायची की खपत को बढ़ाने के लिए घरेलू बाजार में संवर्धनात्मक साहित्य का नियमित वितरण भी करता है।

(च) मेलों में भागीदारी सहित घरेलू बाजार में प्रचार/संवर्धन पर हुए कुल खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(लाख रु. में)
1992-93	1.87
1993-94	1.65
1994-95	2.22

खाड़ी युद्ध पीड़ितों के दावे

1646. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान हुई क्षति अथवा चोटग्रस्त होने के संबंध में क्षतिपूर्ति दावों के निपटान हेतु विशेष खाते खोलने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने बैंकों को नामित किया गया है;

(ख) क्या इन बैंकों की केरल में पर्याप्त शाखाएं हैं, क्योंकि केरल में दावेदारों की संख्या किसी भी अन्य राज्य से अधिक है; और

(ग) प्रत्येक शाखा में दावेदारों की संख्या कितनी है और अब तक स्वीकृत दावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एस.टी.सी. तथा एम.एम.टी.सी. द्वारा चीनी का आयात

1647. श्री श्रीकान्त जेना :
डा. एस.पी. यादव :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम ने निविदाएं खुलने से पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संगठन-वार कुल कितनी चीनी का आयात किया गया तथा लागत बीमा भाड़ा और पोत पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर इसकी प्रति मीट्रिक टन दर क्या थी और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(घ) क्या उक्त संगठनों ने आयातित चीनों के निपटान की कोई योजना बनाई है तथा इन संगठनों द्वारा इस चीनी को घरेलू बाजार में किस-किस मूल्य पर बेचा जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विदेशों से खरीदी गई चीनी का उपयोग कैसे होगा और इससे चीनी के घरेलू मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और एम.एम.टी.सी. ने सूचित किया है कि निविदाओं के सरकारी रूप से खुलने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी का आयात नहीं किया है। प्रस्तुत संविदा पर चीनी की खरीद करने के सरकार के निर्देश के अनुसरण में दोनों निगमों ने अब तक लगभग 427.65 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की औसत सी एण्ड एफ कीमत पर जुलाई और अगस्त, 95 में डिलीवरी अनुसूचियों के साथ चीनी की 3.63 लाख मी. टन मात्रा के लिए संविदा की है। इस चीनी के अन्य उपयोग के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण

1648. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकृति मिल गई है;

(ग) उन परियोजनओं का निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा; और

(घ) उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). भारत सरकार ने कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों को क्रमशः बंगलौर और कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों का निर्माण करने की अनुमति दे दी है। परियोजना की लागत और अन्य तौर तरीके राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने हाल ही में दिल्ली के निकट कुंडली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करके यातायात और कार्गो की प्रत्याशित बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकता है।

गेहूं का आयात और निर्यात

1649. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश-वार कुल कितनी मात्रा में दुरुम और नान-दुरुम गेहूं का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किस-किस किस्म की गेहूं का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) देश में इसका आयात करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गेहूं के आयात को रोकने और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दुरुम और गैर-दुरुम गेहूं की निर्यातित कुल मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :—

मूल्य करोड़ रुपए में
मात्रा एमटी में

मद	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दुरुम गेहूं	5146	1.30	0.0	0.0	39	0.02
गैर-दुरुम गेहूं	653104	143.08	36749	10.21	351	0.18
योग	658250	144.38	36749	10.21	390	0.20

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं निर्यात के देशवार आंकड़े नियमित मासिक प्रकाशन भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं और देश) उपलब्ध हैं, इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आयात किए गए दुरुम और गैर-दुरुम गेहूं की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है:-

मात्रा : एमटी में
मूल्य : करोड़ रुपए में

मद	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दुरुम गेहूं	शून्य	शून्य	22940	11.47	12060	6.01
गैर-दुरुम गेहूं	शून्य	शून्य	1340755	698.59	218427	119.62
कुल	शून्य	शून्य	1363695	710.06	230587	125.65

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता।

(ग) विशेष रूप से भंडार का कम स्तर, पिछले वर्षों में कम खरीद, और थोक कीमत में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए आयात किए गए।

(घ) चालू निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत गेहूं का आयात एक सरणीकृत मद है और चूंकि यह सार्वजनिक खपत की मद है

इसलिए आयात की अनुमति घरेलू उपलब्धता और मात्रा को ध्यान में रखकर दी जाती है।

निर्यात बढ़ाने के लिए गेहूं की न्यूनतम कीमत (एम ई पी) के प्रतिबंध के बिना, मात्रात्मक सीमा निर्धारित करके मुक्त रूप से निर्यात योग्य बना दिया गया है।

[अनुवाद]

पंजीकृत श्रमिक संघ

1650. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के अलग-अलग श्रमिक संघों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में नियोक्ता इकाइयों की संख्या कितनी है तथा इस संख्या का किस प्रकार आंकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार-नियोक्ता संघों को श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1989.* की स्थिति के अनुसार पंजीकृत व्यवसाय संघों की संख्या निम्नलिखित थी :—

(i) नियोक्ता संघ — 761(+)

(ii) कर्मकार संघ — 47293(+)

(स्रोत-डी एल बी श्रम सांख्यिकी-1994-भाग 1)

(+ — आंकलित)

(* — अनन्तिम)

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (1993-94) के अनुसार, 31.3.94 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 236881 प्रतिष्ठान शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कस्टम हाउस

1651. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवनिर्मित कस्टम हाउस का प्रबन्ध उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है, जैसाकि 8 जनवरी, 1995 के "सन्डे मेल" (हिन्दी) में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कस्टम हाउस के कुशल संचालन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). जी, नहीं। यद्यपि, कर्मचारियों की कमी है, फिर भी भवन की स्वच्छता, उद्यान का रख-रखाव और अनुरक्षण का स्तर काफी अच्छा है।

महिला पायलट

1652. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रशिक्षित किए गए महिला पायलटों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में कितने महिला पायलट सेवारत हैं और कितने बेरोजगार हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1.1.92 से 31.12.94 तक के दौरान देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुल 49 महिला वाणिज्यिक विमानचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय नियोजित/गैर नियोजित विमानचालकों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय होटल समूह के साथ भारत पर्यटन विकास निगम का समझौता

1653. **श्री आर. अन्बारासु :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने भारत में इस निगम के छोटे होटलों के आधुनिकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय होटल समूह के साथ समझौता करने हेतु एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने छह प्रमुख होटलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ विपणन और प्रबंधन संबंध हेतु बिड आमंत्रित की हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

1654. श्री जनार्दन मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश की स्थिति अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास में अध्ययनों के लिए संस्था ने, वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर, विदेशी निवेश स्वीकृतियों का व्यापक अध्ययन, अगस्त, 1991 से जुलाई, 1993 की अवधि के लिए विश्लेषण किया। रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं :—

— विदेशी सहयोग के व्यापक आधार और पहले की अपेक्षा उद्यमकर्ताओं के व्यापक समूह विस्तार को दर्शाते हुए लघु निवेशों की अधिकता।

— 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी धारिताओं सहित आर्थिक सहायता नए निवेशों का एक महत्वपूर्ण भाग है।

— जबकि आहरण और सहयोग अभिकल्पना में तेजी से कमी आई है, फिर भी वित्तीय, तकनीकी सहयोगों में तेजी से वृद्धि हुई है।

— अप्रवासी भारतीयों ने विदेशी पूंजीगत अन्तःप्रवाह का एक महत्वपूर्ण साधन होने का वायदा किया।

— नए स्वीकृत निवेशों में विद्युत, तेल शोधन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में माने गए। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पहले से आरक्षित क्षेत्रों के संयुक्त शेयर स्वीकृत कुल निवेशों के लगभग आधे हैं।

— प्राथमिक पूंजीगत बाजार में विदेशी कंपनियों और अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश निरर्थक हो गए।

— पूर्वी एशिया के देशों जैसे दक्षिणी कोरिया, ताईवान और सिंगापुर ने भी भारतीय कंपनियों द्वारा अर्जित प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया है। "सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक समग्र वृहत अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूंजीगत अन्तःप्रवाह के प्रभाव की तेजी से अनुवीक्षा कर रही है।" औद्योगिक स्वीकृतियों का सचिवालय (एस. आई.ए.) अपने मासिक समाचार पत्रों में भी स्वीकृतियों पर, विदेशी इक्विटी की संख्या और राशियों पर, और निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रीय/क्षेत्रक वितरण की सूचना प्रदान करता है। फरवरी, 1995 के औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय के समाचार-पत्र के अनुसार, अगस्त, 1991 से जनवरी, 1995 की अवधि के दौरान, सरकार ने 2837 प्रस्तावों सहित 5672 विदेशी सहयोग प्रस्तावों की स्वीकृति दी जिसमें 279.1 बिलियन राशि की विदेशी इक्विटी शामिल है।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

1655. श्री वी. कृष्णा राव :
श्री के.वी. शिवप्पा :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 01 जनवरी, 1995 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस किस्त को कब तक दे दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने से संबंधित मौजूदा फार्मूले के अनुसार, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960-100) के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिससे 1.1.86 से प्रभावी मौजूदा वेतनमान संबद्ध है, में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से देय होती है। पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते की किस्त सामान्यतया मार्च महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है जिसका भुगतान अप्रैल में किया जाता है।

अचल संपत्ति की बिक्री

1656. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अचल संपत्ति की बिक्री विशेषकर मद्रास जैसे महानगरों के लिए निर्धारित 10 लाख रु. की वर्तमान सीमा में ढील देने के लिए व्यक्तियों और संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान सीमा में ढील देने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अचल संपत्ति की पूर्व क्रयाधिकार खरीद संबंधी योजना को लागू करने के लिए 10 लाख रु. की वर्तमान सीमा को बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एअर इंडिया तथा निजी विमान सेवाओं के विमानों में यात्री वहन क्षमता

1657. श्री के.वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया तथा निजी विमान सेवाओं के पास कितने-कितने विमान हैं;

(ख) एअर इंडिया तथा निजी विमान सेवाओं के पास प्रत्येक विमान में यात्रियों के बैठने की कुल कितनी क्षमता है तथा एअर इंडिया के विमानों में बैठने की क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग होता है;

(ग) क्या एअर इंडिया द्वारा नए स्थानों के लिए विमान सेवा शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एअर इंडिया द्वारा गत एक वर्ष के दौरान शुरू की गई नई उड़ानों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन नई सेवाओं से कितनी आय हो रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). एअर इंडिया/निजी एयरलाइनों के पास विमानों की संख्या और उनमें सीट क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1993-94 के दौरान एअर इंडिया का यात्री भार गुणक 59.6 प्रतिशत था।

(ख) और (घ). मार्ग विस्तार एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात संबंधी अधिकारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और यह प्रचालनात्मक और आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन है।

(ङ) एअर इंडिया ने हब एण्ड स्पोक प्रचालन आरंभ किये हैं जिसमें अहमदाबाद, हैदराबाद और अमृतसर को दिल्ली और बम्बई से जोड़ा गया है। टोरंटो, रियाद, हांगकांग, नैरोबी, दुबई, सिंगापुर और पर्थ के लिए आवृत्तियों में वृद्धि की गयी है। अतिरिक्त उड़ानें आरंभ की गयी हैं जिनमें बंगलौर और त्रिवेन्द्रम से सिंगापुर और मद्रास से पेरिस और लंदन के लिए नयी सेवाएं भी शामिल हैं।

(च) इन उड़ानों की आर्थिक साध्यता का आकलन करना अभी जल्दी होगा। तथापि, एअर इंडिया ने सूचित किया है कि यातायात में वृद्धि हो रही है।

विवरण

एअर इंडिया और निजी एअरलाइनों के पास उनकी सीट क्षमता सहित विमानों की संख्या के ब्यौरे

एअर इंडिया

विमान का प्रकार	संख्या	प्रत्येक विमान की सीट क्षमता
बी-747-400	4	417
बी-747-200	9	394
बी-747-300 (कोम्बो)	2	283
ए-300-300	3	206
ए-300-बी-4	5	238
आईएल-62		129(पट्टे पर लिया गया
ए-300		विमान)

निजी एअरलाइन

मै. ईस्ट वेस्ट ट्रेवल रोड एंड लिंक लि.		
बी-737-200	7	122
एफ-27	3	52
मै. जेट एयरवेज प्रा. लि.		
बी-737-300	4	125
बी-737-400	2	134
मै. दमानिया एयरवेज		
बी-737-400	4	119
मै. मोदी लुफ्त लि.		
बी-737-200	4	107
मै. एन.ई.पी.सी. मिकोन लि.		
एफ-27-500	5	49
बीच किंग सी-90	1	8
मै. अर्चना एयरवेज		
एल-410	3	17
डैश-8	1	30

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण

1658. श्री खोलन राम बांगडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा मध्य प्रदेश में कुल कितना ऋण मंजूर किया गया;

(ख) उपरोक्त वर्ष में कुल मंजूर की गई राशि में से कितना पैसा वितरित किया गया; और

(ग) मंजूर की गई तथा वितरित की गई धनराशि का संस्थावार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय वित्तीय और निवेश संस्थाओं द्वारा औद्योगिक एककों को मंजूर और संवितरित की गई सहायता निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

1993-94*	
मंजूरियां	संवितरण
1853.1	1202.3

* ये संथाएं शामिल हैं :- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई),इण्डस्ट्रियल फाइनांस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आई.एफ.सी.आई) भरतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आईआरबीआई), एससीआईसीआई लिमिटेड, जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड (आरसीटीसी), भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टीएफसीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)।

(ख) और (ग). 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में उपर्युक्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई सहायता का संस्थावार और क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड रुपए)

	मंजूरियां		संवितरण	
	पिछड़े क्षेत्र	गैर-पिछड़े क्षेत्र	पिछड़े क्षेत्र	गैर-पिछड़े क्षेत्र
आईडीबीआई	586.6	331.3	245.6	343.6
आईएफसीआई	342.5	0.3	216.2	1.3
आईसीईसीआई	193.4	149.8	143.1	113.9
सिडबी	27.3	81.4	22.6	65.4
आईआरबीआई	0.3	0.3	4.1	4.5
एससीआईसीआई	–	4.0	–	1.9
आरसीटीसी	–	0.2	–	–
टीएफसीआई	–	15.5	–	3.6
एलआईसी	24.0	40.0	3.0	18.0
यूटीआई	7.5	2.0	1.8	7.8
जीआईसी	–	26.7	–	5.9
कुल	1181.6	671.5	636.4	565.9

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

1659. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में राज्यवार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम और सहकारी वस्त्र मिलों में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कर्मचारियों की मनमाने ढंग से छंटनी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री वी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94, 1994-95 (28-2-95 तक) के दौरान एन टी सी मिलों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कामगारों की राज्य वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। आई डी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एन टी सी में न कोई मिल बन्द की गई है और न ही कोई छंटनी की गई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 (28-2-95 तक) के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्त कामगारों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्व. से. नि. योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्त कामगारों की संख्या			
		1992-93	1993-94	1994-95 (28.2.95 तक)	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	735	260	62	1057
2.	कर्नाटक	558	347	166	1071
3.	माहे	38	–	–	38
4.	दिल्ली	324	196	85	605
5.	पंजाब	189	44	3	236
6.	राजस्थान	710	291	163	1164
7.	गुजरात	5318	1229	628	7175
8.	महाराष्ट्र	6551	3022	1328	10901

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	3396	748	137	4281
10.	तमिलनाडु	83	41	127	251
11.	पाण्डिचेरी	60	–	38	98
12.	उत्तर प्रदेश	4021	1292	590	5903
13.	पश्चिम बंगाल	2013	165	321	2499
14.	असम	47	–	6	53
15.	बिहार	335	6	39	380
16.	उड़ीसा	–	–	4	4
	कुल	24378	7641	3697	35716

राष्ट्रीय पर्यटन कार्य योजना

1660. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पर्यटन कार्य योजना हेतु कोई निधि बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसरण में यह प्रस्ताव किया गया था कि विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रों के लिए सहायता की नामावली के तहत पर्यटन विकास कोष की स्थापना की जाए। सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया था और केवल हैरिटेज होटलों के लिए पूंजी इमदाद से संबंधित घटक को अनुमोदित किया था।

[अनुवाद]

गुजरात में भारत पर्यटन विकास निगम की इकाइयों का विकास

1661. श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर :
श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत पर्यटन विकास निगम ने गुजरात में अपने उद्यमों में कितना पूंजी निवेश किया और ये उद्यम किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गुजरात में किसी नई परियोजना की स्थापना पर भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग). भारत पर्यटन विकास निगम की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में गुजरात में किसी योजनागत स्कीम/परिव्यय पर विचार नहीं किया गया है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगार

1662. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों में कार्य करने वाले भारतीय कामगारों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है और सरकार ने अब तक संबंधित अभिकरणों/ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनके बारे में अन्तिम कार्यवाही नहीं की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान विदेशों में कार्यरत भारतीय कर्मकारों से क्रमशः 28,52 और 15 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपरोक्त 95 शिकायतों में से 71 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है और 24 मामले अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित हैं। उपरोक्त शिकायतों के आधार पर, 6 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए गए और निलम्बन की अवधि के दौरान उन्हें भर्ती व्यवसाय की अनुमति नहीं दी गयी।

रेशम का निर्यात

1663. श्री जावनल अबेदिन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में रेशम का निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को रेशम का निर्यात किया गया तथा इस निर्यात से प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी आय अर्जित हुई है;

(ग) क्या रेशम के निर्यात में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) के दौरान निर्यात की गई रेशम वस्तुओं की मात्रा निम्नानुसार थी :-

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मी.)
1991-92	386.88
1992-93*	–
1993-94	466.32

* केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण करना बंद कर दिया है इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान भारत से रेशम वस्तुओं के प्रमुख आयातक देशों के नाम तथा उन्हें किए निर्यातों से होने वाली आय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1994-95 (अप्रैल 94-फरवरी 95) के दौरान रेशम की वस्तुओं के निर्यातों से कुल आय संपूर्ण 1993-94 के दौरान 786.22 करोड़ रु. की तुलना में 838.77 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान भारत से रेशम की वस्तुओं के प्रमुख आयातक देशों के नाम तथा उन्हें किए गए निर्यातों से होने वाली आय दर्शाने वाला विवरण।

मूल्य करोड़ रु. में

देश	1991-92	1992-93	1993-94
स.रा. अमेरिका	198.01	201.94	279.15
जर्मनी	112.75	118.06	115.54
ब्रिटेन	75.94	67.20	91.29
इटली	37.27	37.17	22.55
स्पेन	31.57	19.76	12.27
फ्रांस	25.66	28.11	31.36
कनाडा	22.73	16.56	26.41
यू.ए.ई.	21.26	22.21	36.33
आस्ट्रेलिया	17.68	17.76	11.37
स्विट्जरलैंड	11.29	10.99	14.71
जापान	9.34	8.80	7.86
सिंगापुर	13.89	13.41	17.37
हांगकांग	10.82	10.58	8.83
अन्य	82.78	91.67	111.18
	671.99	664.22	786.22

[हिन्दी]

रूई भंडारण सीमा

1664. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत चार महीनों में रूई भंडारण सीमा की दो बार पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मिल क्षेत्र के संबंध में, अप्रैल, 94 में लागू की गई स्टाक सीमाएं अभी भी जारी हैं। व्यक्तियों के संबंध में (कपास कृषकों, तथा गिनिंग/प्रेसिंग फैक्टरियों को छोड़कर) दिनांक 8-12-94 से लागू नियन्त्रण अभी जारी हैं। गिनिंग फैक्टरियों, प्रैसिंग फैक्टरियों, प्रैसिंग और गिनिंग फैक्टरियों के संबंध में 8-12-94 को लागू की गई सीमा को 22-2-1995 से हटा लिया गया है।

(ग) कपास की ऊंची कीमतों तथा कुछ गिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों द्वारा कपास की जमाखोरी की शिकायतों की रिपोर्टें प्राप्त होने के कारण 8-12-94 से स्टाक नियंत्रण पुनः लगाए गए थे, तथापि मौसम की चरम सीमा में कपास की भारी आवकों तथा नए गिनिंग तथा प्रैसिंग एककों के सामने आ रही समस्याओं के कारण प्रैसिंग तथा गिनिंग एककों द्वारा व्यापार न कर सकने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, 22-2-95 को गिनिंग तथा प्रैसिंग फैक्टरियों के संबंध में नियंत्रण हटा लिए गए हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वायु सेवाओं में कटौती

1665. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने देश में निजी वायु सेवाएं शुरू होने के बाद अपनी वायु सेवाओं में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स ने किन-किन मार्गों पर वायु सेवाओं को कम किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार एयरलाइन्स को वायु सेवाओं के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है, ताकि निजी विमान कम्पनियों की सेवाओं का मुकाबला किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कुछ मार्गों की आवृत्तियों में कटौती और कुछ सैक्टरों से सेवाओं की प्रचालन कर्मीदल की कमी को देखते हुए की गई थी।

(ग) और (घ). प्रतियोगी वातावरण की चुनौती से निपटने के लिए इंडियन एयरलाइन्स निम्नलिखित उपाए कर रही है:-

1. भूमि व विमान दोनों जगह सेवाओं में सुधार
2. समय-पाबंदी कार्यनिष्पादन में सुधार
3. ग्राहकों और एजेंटों के लिए प्रोत्साहन तथा रियायतों का पेशकश
4. और अधिक व्यवसाय जुटाने के लिए विक्रय वालों की स्थापना

5. वातावरण में तीव्र और सशक्तिशील अनुक्रिया के लिए संगठनात्मक ढांचे और प्रणालियों में परिवर्तन
6. परस्पर समझ-बूझ का वातावरण बनाने के लिए कर्मचारी यूनियनों/संघों के साथ अधिक निकट से परामर्श
7. उपलब्ध क्षमता के लाभकारी नियोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि
8. विभिन्न क्षेत्रों में एअर इंडिया के साथ तालमेल स्थापित करना

[अनुवाद]

बैंकों के अन्तःशाखा खातों का समायोजन

1666. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बैंकों की अन्तःशाखा खाता के समायोजन की बकाया राशि के निपटान के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1993 को देश के विभिन्न बैंकों में ऐसी कितनी प्रविष्टियां बाकी थीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी समूह की सिफारिश पर अंतर-शाखा लेखा प्रविष्टियों के मिलान कार्य के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(ग) 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर-शाखा मिलान खातों में 65.55 लाख प्रविष्टियां बकाया थीं, जिसमें 31 मार्च, 1993 तक की अवधि से संबंधित प्रविष्टियां शामिल हैं।

कर उगाही

1667. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राजस्व वसूली में वृद्धि करने के उद्देश्य से देश में करदाताओं की संख्या को बढ़ाने हेतु जोरदार अभियान चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को वेतन वितरित करते समय छिपाई जाने वाली आय का पता लगाने के लिए स्रोत पर ही काटने हेतु कोई प्रकोष्ठ गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आयकर अधिनियम की धारा 115-ट के अन्तर्गत पूर्वानुमानित कर स्कीम का प्रचार करते हुए इलैक्ट्रानिक और मुद्रित प्रचार सामग्रियों के माध्यम से एक व्यापक अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 133-ख के अधीन सर्वेक्षणों के द्वारा नए करदाताओं का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं। स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों को भी शक्ति से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ). प्राइवेट कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को किए गए वेतनों के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती की प्रभावशाली ढंग से मानीटरिंग और जांच करने के लिए प्रत्येक आयकर आयुक्त के प्रभार में और कुछ स्थानों पर आयकर उपायुक्त के स्तरों पर भी आयकर अधिकारियों (स्रोत पर कर की गई कटौती) के अधीन विशेष कक्षों का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

खनिजों का निर्यात

1668. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन खनिजों का निर्यात किया गया और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान खनिजों के निर्यात को बढ़ावा देने और खनन उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) खनिजों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) खान उद्योग के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं। जैसे :-

- निजी क्षेत्र द्वारा खनन के लिए 13 खनिजों का आरक्षण समाप्त करना;
- निजी उद्योग में विदेशी इक्विटी को प्रोत्साहन;
- निजी खानों (अर्थात ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयला, प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अयस्क) में उच्च इक्विटी की अनुमति है।

खनिजों सहित विभिन्न उत्पादों एवं वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए एक्जिम नीति के तहत कई योजनाएं लागू की जा रही हैं और कर संबंधी लाभ तथा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

निर्यात संवर्धन परिषदों एवं विदेशों में भारतीय मिशनों के जरिए संवर्धन सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) खनिजों के निर्यात के लिए मानदण्ड घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने, उच्चे श्रेणी एवं महत्वपूर्ण अयस्कों का संरक्षण करने और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान मे रखकर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

मात्रा : लाख मी टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क	295.13	1435.39	221.67	1104.09	288.31	1357.20	173.75	903.65
अभ्रक	0.34	35.25	0.27	23.94	0.28	25.73	0.20	14.59
कोयला	1.35	15.04	3.82	50.02	5.45	60.19	2.84	30.71
प्रसंस्कृत खनिज	उ.न.	360.94	उ.न.	425.60	उ.न.	611.62	उ.न.	553.78
अन्य अयस्क एवं खनिज	उ.न.	445.36	उ.न.	533.08	उ.न.	730.57	उ.न.	644.03
योग		2291.98		2136.73		2785.31		2146.76

उ.न.- उपलब्ध नहीं

(स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

[अनुवाद]

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

1669. श्री आर. जीवरत्नम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के मुख्य आयुक्तों और आयकर महानिदेशक का दो दिन का सम्मेलन अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई तथा किन निष्कर्षों पर पहुंचा गया;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें अगले वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी :—

(i) बजट-वसूली और कर-बकाया की वसूली पर जोर देते हुए कार्ययोजना की पुनरीक्षा,

(ii) आयकर विभाग में आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण,

(iii) कर-आधार को व्यापक बनाना,

(iv) आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में प्रशासनिक सुधार,

(v) जांच और सर्वेक्षण एवं तलाशी कार्यों को चलाना।

सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं :—

(i) मध्यावधि एवं दीर्घावधि योजना कार्यनीति संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना;

(ii) एक अनुसंधान कक्ष का गठन,

(iii) फील्ड कार्यालयों की कार्यदशाओं को सुधारना,

(iv) संपत्ति के पूर्व-क्रयाधिकार का उचित कार्यान्वयन,

(v) वर्तमान कर निर्धारितियों को नयी स्थायी खाता संख्य (पान) का आबंटन,

(vi) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, और

(vii) यदि कर निर्धारिती चाहे तो तलाशी के दौरान उक्त कर निर्धारिती के बयान को उसके वकील की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।

(ग) से (ङ). सरकार द्वारा अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

राजनैतिक दलों के खाते

1670. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों द्वारा आयकर अधिनियम की आधारभूत और प्रमुख सांविधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के कुछ मामले गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी पर्यटक

1671. श्री राम कापसे :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया और ऐसे पर्यटकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐतिहासिक, धार्मिक और राजस्थान के मरूभूमि क्षेत्रों की यात्राएं कीं;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा के रूप में कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों ने कोई शिकायतें/सुझाव दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी शिकायतों/सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जो विदेशी यात्री भारत आए और जो राजस्थान आए उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है :-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	
	भारत	राजस्थान
1992	18,67,651	5,47,802
1993	17,64,830	5,40,738
1994	18,86,433	4,36,801

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय के अंतिम अनुमान नीचे दिए अनुसार हैं:-

वर्ष	अनुमानित विदेशी मुद्रा आय (रु. करोड़ों में)
1991-92	4892
1992-93	6060
1993-94	6509

(ग) और (घ). विदेशी पर्यटकों से जो शिकायतें मिलती हैं वे प्रायः दुकानदारों द्वारा धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार करने और एयरपोर्टों पर सुविधाओं आदि के संबंध में होती हैं। ऐसी शिकायतों को निरपवाद रूप से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ उठाया जाता है और उनके यथा सम्भव शीघ्र निवारण का प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

कागज का उत्पादन

1672. श्री राम पूजन पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कागज के आयात पर आने वाले व्यय से भी कम लागत पर इसे तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कागज के आयात को घटाने की दृष्टि से देश में घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने सूचित किया है कि छपाई वाले कागज की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है तथा कीमतों का निर्धारण प्रचलित बाजार शक्तियों तथा विभिन्न निविष्टियों अर्थात कच्ची सामग्री और रसायन, आदि की लागत के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ). घरेलू आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गैर-परंपरागत कच्ची सामग्री अर्थात कृषि अपशिष्ट, खोई, पटसन आदि से निकली कम से कम 75 प्रतिशत लुग्दी पर आधारित कागज-इकाइयों की स्थापना नीति के अधीन, लाइसेंसिंग में छूट दी गई है।

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंज

1673. डा. मुमताज अंसारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी स्टाक एक्सचेंजों में इस समय समान संहिता का पालन किया जा रहा है;

(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी स्टाक एक्सचेंजों में समान संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). देश में स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना अलग-अलग समय पर या तो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित कम्पनियों के रूप में अथवा व्यक्ति संघों के रूप में की गई है तथा, इसलिए, स्टाक एक्सचेंजों के गठन तथा प्रबन्ध को संबंधित नियमों में कोई एकरूपता नहीं है। किसी एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में लेन-देन, सौदों, दलाली तथा संविदा पत्रों के निपटान एवं प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित अन्य मामले उस एक्सचेंज के उपनियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होते हैं। मुख्य तौर पर ये सभी एक्सचेंजों के लिए समान होते हैं।

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने स्टाक एक्सचेंजों के नियमों, उपनियमों तथा विनियमों में तथा स्टाक एक्सचेंजों के प्रचालनात्मक मामलों में भी एकरूपता लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये स्टाक एक्सचेंजों के प्रबन्धन, मध्यस्थता, चूक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई समितियों के गठन, गैर-विनिर्दिष्ट शेयरों में निपटान पद्धतियों तथा ग्राहकों एवं स्टाक दलालों के मध्य लेन-देन को विनियमित करने हेतु मानदण्डों से संबंधित हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता का भुगतान

1674. श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2.7.1991 से पूर्व अधिकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सी सी एस) के भुगतान की मंजुरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सी.सी.एस. के शीघ्र भुगतान किए जाने के बारे में कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के, 2 जुलाई,1991 तक किए गए निर्यातों के लिए, नकद प्रतिपूर्ति सहायता संबंधी कोई दावे अब लंबित नहीं हैं।

(घ) से (ज). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बौद्ध धर्म स्थलों का विकास

1675. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जापान की सहायता से बौद्ध धर्म स्थलों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से स्थल हैं और देश के किन भागों में स्थित हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उनके विकास के लिए जापान ने कितनी वित्तीय सहायता दी और क्या उक्त सहायता कुछ शर्तों के तहत दी गयी है; और

(घ) वे कौन से राज्य हैं जहां उक्त वित्तीय सहायता से बौद्ध धर्म स्थल विकसित किए गए हैं और उनका कितना विकास किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ). उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध यात्रा परिपथों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सरकार ने 15 दिसम्बर, 1988 को विदेश आर्थिक सहायोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) जापान के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश में अभिनिर्धारित किए गए स्थान, कुशीनगर, सारनाथ, पिपहरवा तथा श्रावस्ती हैं। बिहार में बौद्धगया, नालन्दा, राजगीर तथा वैशाली अभिनिर्धारित किए गए हैं।

महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा के संरक्षण तथा पर्यटन विकास हेतु विदेश आर्थिक सहायोग निधि जापान के साथ 9 जनवरी, 1992 को एक अन्य ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार परियोजना हेतु ऋण 9.244 बिलियन जापानी येन (बाद में 7.76 बिलियन येन में परिवर्तित) और अजन्ता

और एलोरा परियोजना हेतु 3.75 बिलियन जापानी येन, जो कि क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत कार्मिक पर सुलभ हैं। दोनों ऋणों का वापस भुगतान 20 वर्ष के अन्दर होना है तथा 10 वर्ष की रियायत अवधि है।

विदेश आर्थिक सहयोग निधि ऋण अग्रिम रूप में सुलभ नहीं होते हैं। कार्यान्वयन-कर्त्ता एजेंसियों का पहले अपने संसाधनों से खर्च करना पड़ता है तथा तत्पश्चात् ओ.ई.सी.एफ. से प्रतिपूर्ति का दावा करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न घटकों पर किए गए कार्य, जैसेकि, राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों की स्तर-वृद्धि तथा मजबूतीकरण स्मारकों के गिर्द भू-दृश्यांकन, माग्रस्थ सुख-सुविधाओं की स्थापना तथा बिजली और पानी में वृद्धिकरण पर किए गए कार्यों हेतु ओ.ई.सी.एफ. द्वारा लगभग 42.76 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। अजन्ता और एलोरा परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन के लिए वित्तीय सहायता

1676. श्री हरिन पाठक :
श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए यह सहायता दी गई है;

(ग) उपरोक्त में से उन स्थानों के क्या नाम हैं जो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित हैं;

(घ) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ङ) सरकार का लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 65.76 लाख रु. की लागत की सात परियोजनाओं/स्कीमों को मंजूरी दी है। वर्ष 1994-95 के दौरान 21.19 लाख रु. की लागत की तीन स्कीमों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं और राशि एवं स्थल संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1993-94		
1.	नालसरोवर पर पर्यटक परिसर	19.68
2.	पोरबंदर में कैफेटेरिया	14.60
3.	सोमनाथ मंदिर की प्रकाशपुंज-व्यवस्था	17.46
4.	स्पिरिट टाइप लैंड सेलिंग याच की दो यूनिटें	4.48
5.	नवरात्रि उत्सव	1.85
6.	तारनेतर मेला	2.69
7.	प्रचार सहायता	5.00
1994-95		
1.	जिला भावनगर के कुडा पर पर्यटक-गृह	14.450
2.	रायल ओरियंट ट्रेन के लिए प्रचार	5.00
3.	तारनेतर मेला	1.59

(ग) नाल सरोवर और तारनेतर गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं और सोमनाथ धार्मिक महत्व के साथ एक ऐतिहासिक स्थल है। पोरबंदर एक ऐतिहासिक स्थल है।

(घ) और (ङ). अधूरे प्रस्ताव राज्य सरकार को वापिस भेज दिए गए थे।

सहकारी कताई मिलों को ऋण

1677. श्री धर्मण्णा मॉडव्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्थापित की जा रही नयी कताई मिलों के लिए अमेरिका से 300 मिलियन डालर ऋण लेने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर क्या कार्यवाही की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

निजी एअरलाइनों द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और प्रसाधन वस्तुओं का आयात

1678. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान लाइनों ने सरकार से अपनी उड़ानों के

दौरान प्रयोग के लिये विदेशों में निर्मित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा प्रसाधन सामग्री के लिये शुल्क रहित आयात की मांग की है;

(ख) क्या इस विषय में कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(घ) क्या एअर इंडिया को उड़ानों के दौरान आयातित खाद्य सामग्री परोसी जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ). सरकार को सामान्य आयात नीति पर निर्भर करते हुए विमान कम्पनियां खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से एअर इंडिया प्रस्थान के स्टेशनों से कुछ खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुएं उठाती हैं।

[अनुवाद]

कम क्षमता वाली कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

1679. श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार की ओर से राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम क्षमता वाली कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य में कम क्षमता वाली वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए गुजरात सरकार से उसको कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बटेश्वर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1680. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगरा के निकट एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बटेश्वर को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का विचार है, जिसके विकास के लिए सरकार ने आबंटन पहले ही कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). पर्यटक केन्द्रों की घोषणा करना और विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों को पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन विभाग ने वर्ष 1993-94 के दौरान क्रमशः 13.59 लाख और 20.00 लाख रु. की अनुमानित लागत से दो परियोजनाएं (1) पर्यटक लाज का निर्माण और (2) बटेश्वर के घाटों का विकास, स्वीकृत की है। लाज के निर्माण और घाटों का विकास करने के लिए क्रमशः 3 लाख और 10 लाख रु. की राशियां वास्तव में रिलीज कर दी गई थीं। परियोजनाओं का निष्पादन करना राज्य सरकार का काम है।

गोश्त, गोमांस और सुअर के मांस के निर्यात पर रोक

1681. श्री बारे लाल जाटव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितना और कितने मूल्य का गाय सुअर और भैंस के गोश्त का निर्यात किया गया और वर्ष 1994-95 के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा भारत के उन क्षेत्रों के नाम क्या है जहां से यह निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि आमतौर पर गोश्त के निर्यात पर विशेषकर गाय तथा सुअर के गोश्त पर रोक लगाई जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए मांस के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। निर्यात-आयात नीति के अनुसार गाय के मांस के निर्यात पर प्रतिबंध है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल निर्यात निम्नानुसार रहा :-

मात्रा : टन में
मूल्य : लाख रुपया में

	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भैंस का मांस	83869	1945031	82084	21564.01	101668	28076.46
सुअर का मांस	-	-	.96	.05	.58	13.1

पिछले तीन वर्षों के दौरान सुअर और भैंस के मांस के, मात्रा और मूल्य दाना में, दशवार निर्यात के ब्यौरे डी.जी.सी. एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े" (वार्षिकांक) में उपलब्ध हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। मांस के निर्यात के क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ). निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत आयात और निर्यात की निषेधात्मक सूची की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय, सामान्यतः मांस के निर्यात पर और खासकर सुअर के मांस के निर्यात पर प्रतिबंध बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

देवनहाली में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1682. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देवनहाली, कर्नाटक में एक नया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और क्या सरकार ने उस भूमि को अधिग्रहीत कर लिया है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उक्त निर्माण कार्य का इस आधार पर विरोध किया है कि इससे येलहंका स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के आधार के सुरक्षा उपायों को गंभीर खतरा पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देवनहाली (बंगलौर) के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को अपनी अनापत्ति दे दी है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 2500 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। राज्य सरकार भूमि प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

(ग) और (घ). भारतीय वायु सेना के साथ परामर्श करके मामले का समाधान कर लिया गया है। आकाशी क्षेत्र प्रबंधन का प्रचालन/नियंत्रण सिविल और रक्षा कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कार्यकरण*

1683. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की चालू विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निदेश कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण में सुधार करने के लिए और इसकी योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की वर्तमान में प्रचालनाधीन विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण से संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, ट्रस्ट के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा एक सामाजिक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था।

(ग) समिति ने बचत संग्रहण, निधि प्रबन्ध, लागत दक्षता, संस्था निर्माण, कार्पोरेट वित्त एवं उत्पाद नवीनता के क्षेत्रों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निष्पादन की अनुशंसा करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट की प्रबन्ध संरचना, निवेशक सेवा सुधार, विक्रय बल प्रबन्ध तथा निवेश प्रबन्ध के बारे में विशिष्ट सिफारिश की है। विशेष रूप से निवेश प्रबन्ध के संबंध में समिति ने कहा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का अंतिम लक्ष्य निवेशक संवर्धन होना चाहिए।

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक स्वायत्त संगठन है जिसका कार्यचालन भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 द्वारा शासित किया जाता है। सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यचालन को विनियमित करना आवश्यक नहीं समझती।

विवरण

चालू योजनाएं		आरम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि
1		2	3
असीमित अवधि वाली योजनाएं			
1.	यूनिट योजना, 1964	1 जुलाई, 1964	
	(क) पुनर्निवेश प्लान, 1966	1 जुलाई, 1966	
	(ख) बाल उपहार प्लान, 1970	1 जुलाई, 1970	
2.	यूनिट योजना, 1971	1 अक्तूबर, 1971	
3.	धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों और पंजीकृत सोसायटियों के लिए यूनिट योजना, 1981	1 अक्तूबर, 1981	

1	2	3
4. पूंजीगत लाभ यूनिट योजना, 1983	1 दिसम्बर, 1983	सितम्बर, 1993
5. बाल उपहार विकास फंड यूनिट योजना, 1986	14 अप्रैल, 1986	
6. ओमनी प्लान, 1991	16अगस्त, 1991	
7. आवास यूनिट योजना, 1992	25 जून, 1992	जून, 1994
8. राजलक्ष्मी यूनिट योजना, 1992**	2 अक्तूबर, 1992	
9. भोपाल गैस पीड़ित मासिक आय प्लान, 1993	25 जनवरी, 1993	
10. संस्थागत निवेशक विशेष यूनिट निधि योजना, 93*	1 मार्च, 1993	
11. वयोवृद्ध नागरिक यूनिट प्लान, 1993	3 मई, 1993	
12. बाल कॉलेज एवं कैरियर निधि, 1993	12 जुलाई, 1993	
13. गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान, 1994	6 अगस्त, 1994	
14. सेवानिवृत्ति लाभ प्लान, 1994	26 दिसम्बर, 1994	
15. यूनिट योजना, 1995	2 जनवरी, 1995	

** 30 अक्तूबर, 1993 से 30 जून, 1994 के दौरान बिक्रियां समाप्त की गईं।

* 30 अक्तूबर, 1993 से अस्थायी रूप से बिक्रियां स्थगित की गईं।

मासिक आय यूनिट योजनाएं (एम.आई.एस. पूल) और एम.आई.एस.बी.	आरम्भ की तिथि	(अवधि) तक प्रचालन में
सीमित अवधि वाली योजनाएं		
1. मासिक आय यूनिट योजना बोनस सहित 1993 (एम.आई.एस.बी.-93)	5 अप्रैल, 1993	जुलाई, 1998
मासिक आय यूनिट प्लान (एम.आई.यू.पी.)		
1. मासिक आय यूनिट योजना बोनस सहित, 1993	16 सितम्बर, 1993	अक्तूबर, 1998
2. मासिक आय यूनिट प्लान, 1994	3 जनवरी, 1994	फरवरी, 1998
3. मासिक आय यूनिट प्लान, 1994 (II)	23 मई, 1994	जून, 1998
4. मासिक आय यूनिट प्लान, 1994 (III)	10 नवम्बर, 1994	दिसम्बर, 1999
7-वर्षीय मासिक आय स्कीमें (एम.आई.एस.जी.-90 पूल)		
1. नई 7-वर्षीय मासिक आय यूनिट योजना	1 अप्रैल, 1990	अप्रैल/मई/जून, 1997
2. 7-वर्षीय मासिक आय यूनिट योजना बोनस और वृद्धि सहित, 1990	1 नवम्बर, 1990	नवम्बर/दिस./जन. 1998
3. 7-वर्षीय मासिक आय यूनिट योजना बोनस और वृद्धि सहित, 1991	1 अप्रैल, 1991	जून, 1998
बढ़ती आय यूनिट योजनाएं (जी.आई.यू.एस. पूल)		
1. बढ़ती आय यूनिट योजना, 1989((II)	1 नवम्बर, 1989	अप्रैल/मई, 1995
2. बढ़ती आय यूनिट योजना-1990	1 जनवरी, 1990	जून, 1995
आस्थगित आय यूनिट योजना		
1. आस्थगित आय यूनिट योजना 1990	20 अगस्त, 1990	अगस्त/सित, 1995
(क) 5 वर्षीय विकल्प		
(ख) 7-वर्षीय विकल्प		अगस्त/सित, 1997
2. आस्थगित आय यूनिट योजना-1991	1 अगस्त, 1991	अगस्त, 1996
3. आस्थगित आय यूनिट योजना-1992	10 अगस्त, 1992	अगस्त, 1997
4. आस्थगित आय यूनिट प्लान-1993	3 अगस्त, 1993	सितम्बर, 1998

1	2	3
बढ़ती मासिक आय यूनिट योजनाएं (जी.एम.आई.एस. पूल और जी.एम.आई.एस.बी. पूल)		
1. बढ़ती मासिक आय यूनिट योजना-1991	1 अक्तूबर, 1991	नवम्बर, 1996
2. बढ़ती मासिक आय यूनिट योजना-1992	3 फरवरी, 1992	मार्च, 1997
3. बढ़ती मासिक आय यूनिट योजना 1992-II	16 अप्रैल, 1992	जून, 1997
4. बढ़ती मासिक आय यूनिट योजना बोनस सहित, 1992	7 सितम्बर, 1992	अक्तूबर, 1997
5. बढ़ती मासिक आय यूनिट योजना बोनस सहित, 1992-II	16 दिसम्बर, 1992	जनवरी, 1998
वृद्धि योजनाएं		
1. म्युचुअल फंड (सबसिडरी) यूनिट योजना, 1986(मास्टर शेयर)	19 सितम्बर, 1986	अक्तूबर, 2003
2. यूनिट वृद्धि योजना, 2000	1 सितम्बर, 1990	दिसम्बर, 2000
3. मास्टर इक्विटी प्लान, 1991	15 फरवरी, 1991	मार्च, 2001
4. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना, 1991 (मास्टर गेन)	15 अप्रैल, 1991	जून, 1998
5. यूनिट वृद्धि योजना, 5000	1, सितम्बर, 1991	दिसम्बर, 2001
6. मास्टर शेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टर प्लस)	9 दिसम्बर, 1991	दिसम्बर, 1998
7. मास्टर इक्विटी प्लान, 1992	1 जनवरी, 1992	मार्च 2002
8. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना, 1992 (मास्टर गेन)	20 अप्रैल, 1992	जुलाई, 1999
9. यूनिट योजना, 1992	2 सितम्बर, 1992	@
10. मास्टर इक्विटी प्लान, 1993	15 जनवरी, 1993	मार्च, 2003
11. मास्टर ग्रोथ, 1993	18 जनवरी, 1993	अप्रैल, 2003
12. ग्राडं मास्टर, 1993	29 अप्रैल, 1993	जुलाई, 2000
13. मास्टर इक्विटी प्लान, 1994	27 दिसम्बर, 1993	अप्रैल, 2004
14. मास्टर इक्विटी प्लान, 1995	26 दिसम्बर, 1994	अप्रैल, 2005
आय एवं वृद्धि योजनाएं		
1. ग्रोइंग कार्पस बढ़ती आय योजना, 1994	2 अप्रैल, 1994	जून, 2004
ऑफ-शोर निधियां		
1. भारत निधि यूनिट योजना, 1986	जुलाई, 1986	
2. भारत वर्धित निधि यूनिट योजना, 1988	अगस्त, 1988	
वेंचर पूंजी		
1. वेंचर पूंजी यूनिट योजना, 1989	28 मार्च, 1989	
2. वेंचर पूंजी यूनिट योजना-II, 1990	29 मार्च, 1990	
3. वेंचर पूंजी यूनिट योजना-III, 1991	29 अक्तूबर, 1991	

नई दिल्ली-हैदराबाद मार्ग पर विमान यातायात

1684. श्री येल्लैया नंदी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-हैदराबाद विमान मार्ग पर यात्रियों को भारी यातायात के कारण बड़ी कठिनाइयां हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर भारी यातायात को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). 25 फरवरी, 1995 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के लिए दिल्ली-हैदराबाद मार्ग पर क्षमता में वृद्धि करने के लिए ए-320 विमान द्वारा प्रचालित सेवा को ए-300 विमान सेवा से बदल दिया गया है। इंडियन एयरलाइन्स इस समय ए-300 विमान से इस मार्ग पर प्रतिदिन दो उड़ानों का प्रचालन करती है।

बैंक कर्मचारियों का वेतन संबंधी समझौता

1685. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और बैंक कर्मचारी संगठन ने हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में बैंक कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत कर्मचारियों को लाभ हुआ है; और

(ङ) कुल कितनी राशि का अतिरिक्त भार पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उसने 14.2.1995 को बैंक कर्मचारी यूनियनों के साथ छठे द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (ङ). कर्मकार कर्मचारियों के वेतन संशोधन से विद्यमान वेतन बिल पर 10.5 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रभाव पड़ेगा। प्रभावों की दृष्टि से लागत लगभग 388 करोड़ रुपए वार्षिक होगी। यह लाभ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सभी अवार्ड कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। यह समझौता केवल अवार्ड कर्मचारियों के लिए है, अधिकारियों के लिए नहीं है।

विवरण

छठे द्विपक्षीय समझौते की प्रमुख विशेषताएं

वेतन मान

लिपिक :

1750-100/2-1050-145/4-2530-195/4-3310-215/3-3955-230/3-4875-395/1-5270-230/1-5580

अधीनस्थ कर्मचारी

1600-40/1-1640-50/1-1690-60/4-1930-70/4-2210-80/3-2450-90/3-2720-100/3-3020

मंहगाई भत्ता

4 बिन्दु की वृद्धि या 1148 बिन्दु से अधिक की कमी के लिए देय मंहगाई भत्ता :-

4800 रुपए तक	= 0.35 प्रतिशत +
4800 रुपए से अधिक 7700 रु. तक	= 0.29 प्रतिशत +
7700 रुपए से अधिक	= 0.17 प्रतिशत

भविष्य निधि

प्रस्तावित मूल वेतन पर 10 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि।

नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

क्षेत्र	दर	राशि
बड़े	लिपिक 4.5%	न्यूनतम 100
केन्द्र		अधिकतम 200
	अधीनस्थ कर्मचारी 4.5%	अधिकतम 125
छोटे	लिपिक 3.5%	न्यूनतम 75
केन्द्र		अधिकतम 150
	अधीनस्थ कर्मचारी 3.5%	अधिकतम 75

मकान किराया भत्ता
(लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी)

क्षेत्र	दर
विशेष/अर्ध-विशेष स्थान	12%
2 लाख और अधिक	10.5%
10,000 से 2 लाख	9.5%
10,000 से कम	8.5%

चिकित्सा सहायता (वार्षिक)

वर्तमान अधिकतम सीमा में प्रति कर्मचारी 370/- रुपए वार्षिक की वृद्धि। वार्षिक चिकित्सा सहायता की प्रस्तावित अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :-

(i) 5 वर्ष तक की सेवा-870/- रुपए वार्षिक

(ii) 5 वर्ष से अधिक की सेवा -1070/- रुपए वार्षिक

वाहन भत्ता

लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी की 100/- रुपए प्रति माह।

विशेष भत्ता

वर्तमान विशेष भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि/विशेष भत्ते पर मंहगाई भत्ता देय।

प्रबंधन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे

1. विशेष भत्ते वाले पदों के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। नकदी/चेकों के लेनदेन का स्वतंत्र रूप से कार्य करने की मौद्रिक सीमाएं अधिकांश मामलों में दुगनी कर दी गई हैं।
2. बेहतर ग्राहक सेवा के लिए भरसक प्रयास करने के वास्ते सदस्यों को प्रेरित करने के लिए यूनियनों के वक्तव्य।
3. ग्राहकों के साथ प्रतिबंधात्मक पद्धतियां अपनाने और दुर्व्यवहार को कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
4. सुस्पष्ट लिखित अनुमति के बिना चुनाव लड़ना घोर कदाचार माना जाएगा।
5. ग्राहकों के प्रति दुर्व्यवहार घोर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात में सेरामिक टाइल्स परियोजना को ऋण

1686. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सेरामिक टाइल्स परियोजना हेतु लम्बी अवधि के ऋण मंजूर करने हेतु गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

जलगांव हवाई अड्डे का विकास

1687. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलगांव में राज्य सरकार ने एक हवाई अड्डे का निर्माण किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इस हवाई अड्डे के विकास तथा विस्तार के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये प्रस्तावित सहायता तथा इस पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). जलगांव हवाई अड्डा महाराष्ट्र राज्य सरकार का है। एयरलाइन आपरेटरों से मांग की कमी के कारण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे के विकास की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बड़े ग्राहकों के लिये महत्वपूर्ण कारोबार एककों की स्थापना

1688. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक अपने बड़े ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण कारोबार एककों (स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स) की स्थापना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना से बड़े ग्राहकों को कितनी सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि लीजिंग और निगमित बैंकिंग जैसे विशिष्ट कारोबार का संचालन करने के लिये महत्वपूर्ण कारोबार एककों (स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स) की स्थापना का उनका प्रस्ताव है। ऐसे एककों का उद्देश्य निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की बृहत् लीजिंग फाइनेंस सुविधाओं और अन्य निगमित बैंकिंग सेवाओं की अपेक्षा रखने वाले बड़े ग्राहकों की सेवा करना है।

निवेशकों की सुरक्षा

1689. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूंजी बाजार की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, आयात और लेन-देन को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश के पश्चात् निवेशकों को "पी.एस.यू. शेयर सर्टिफिकेट" हस्तांतरित करने और लौटाने में अत्यधिक विलम्ब करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने, इसके विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सांविधिक शक्तियों और कार्यों से सम्पन्न करके स्थापित किया गया है। इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए और पूंजी बाजार को वृद्धि और कार्य-कुशलता प्रदान करने के लिए 'सेबी' द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं : स्टाक एक्सचेंजों के शासी निकायों की पुनर्संरचना करना जिसमें स्टाक-ब्रोकर-निदेशकों तथा बाहरी व्यक्तियों का पचास-पचास का अनुपात आधार हो, स्टाक-बाजार में स्टाक एक्सचेंजों और स्टाक-ब्रोकरों जैसे विभिन्न मध्यवर्तियों के खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच करना, स्टाक-ब्रोकरों के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी मापदण्डों का निर्धारिण, ग्राहकों और स्टाक-ब्रोकरों के बीच प्रतिभूतियों के लेन-देनों के विनियमन हेतु मापदण्डों का निर्धारण, प्राथमिक बाजार में पूंजी निर्गमकर्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु प्रकटन और निवेशक के संरक्षण के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना और पूंजी जुटाने से पूर्व कम्पनियों के पेशकशी दस्तावेजों का पुनरीक्षण करना।

(ख) और (ग). शेयरों के अन्तरण में हुए विलम्ब के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और सरकार ने सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों को शेयरों का अन्तरण यथाशीघ्र करने की जरूरत के बारे में कहा है।

पटसन क्रय केन्द्र

1690. श्री अमर रायप्रधान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पटसन का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1994-95 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) निकट भविष्य में भारतीय पटसन निगम द्वारा खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क)

वर्ष (जुलाई/जून)	कच्ची पटसन का उत्पादन (लाख गाठों में - प्रत्येक 180 कि.ग्रा)	लक्ष्य
1992-93	89.89	-
1993-94	84.81	-
1994-95	89.05	93.00

(अनंतिम)

स्रोत : पटसन आयुक्त का कार्यालय

(ख) भारतीय पटसन निगम का नए खरीद केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है।

बचत बैंक खाता

1691. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने बचत बैंक खातों में जमा न्यूनतम राशि में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के इस निर्णय का छोटे ग्राहकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों को बचत बैंक/चालू खातों में न्यूनतम शेष राशि के सम्बन्ध में कोई निर्देश/अनुदेश जारी नहीं किया है। ऐसी शर्तें अलग-अलग बैंकों द्वारा ऐसे खातों इत्यादि की सेवा लागत को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्य बैंकों से कहा है कि प्रत्येक बैंक के बचत बैंक/चालू खातों में, जितना उचित समझा जाए, न्यूनतम शेष की राशि नियत करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में हस्तक्षेप करना वांछनीय/उचित नहीं समझा है।

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका का मुम्बई गोदी में रोका गया स्टाक

1692. श्री रूपचन्द पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के वर्ष 1995 के संस्करण का स्टाक छः महीनों से भी अधिक समय से मुम्बई गोदी में रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्टाक को कब तक छोड़ दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते। तथापि, एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के वर्ष 1994 के संस्करण, जिसमें भारत की बाह्य सीमाओं को गलत रूप में चित्रित किया गया पाया गया है, की एक खेप को भारत में लाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि भारत में ऐसी पुस्तकों का आयात दिनांक 6 मार्च, 1976 की अधिसूचना सं 10-सीमाशुल्क के उपबंधों के अंतर्गत निषिद्ध है।

कास्टिक सोडा/फ्लेक्स/ठोस पदार्थ/क्षारीय जल/सोडा एश का आयात

1693. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत देश में सोडा एश/कास्टिक सोडा/फ्लेक्स/ठोस पदार्थ/क्षारीय जल का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार सी.आई.एफ. दर प्रति मीट्रिक टन शुल्क रहित और शुल्क के भुगतान पर कितना आयात किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। सोडा एश/कास्टिक सोडा/फ्लेक्स/सालिड्स×लाई की विभिन्न रसायन और सहबद्ध उत्पादों के निर्यात के लिए, जहां निवेश-उत्पादन तथा मूल्यवर्द्धन मानदंडों को मानकीकृत और अधिसूचित कर दिया गया है, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग के अंतर्गत आयात की अनुमति दी जाती है।

(ख) शुल्क-मुक्त योजना के अंतर्गत और शुल्क के भुगतान पर मदवार आयात के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान इन मदों के आयात की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है :-

मात्रा एमटी में
मूल्य करोड़ रुपये में

मद	1992-93		1993-94		1994-95 (अप्रैल-सितम्बर, 94)		तीन वर्षों के लिए औसत सीआईएफ मूल्य रुपया/एमटी
	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	
सोडा एश	2001	0.92	5027	2.46	400	0.24	4876
कास्टिक सोडा लाई	61005	30.53	110634	44.22	22637	5.89	4151
कास्टिक सोडा फ्लेक्स	923	1.30	240	0.04	603	0.41	9904
कास्टिक सोडा फ्लेक्स के अलावा	2429	2.83	6407	2.52	11059	3.65	4526

[हिन्दी]

स्वदेश वापसी

1694. डा. झाझीजी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 20 जनवरी, 1995 के 'दैनिक हिन्दुस्तान' (हिन्दी) में "पचीस भारतीय यात्री सिंगापुर से जबरन भारत वापस भेजे गए" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क). जी, हां।

(ख) से (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ भर्ती एजेन्टों द्वारा 16.1.1995 को नई दिल्ली से जाने वाली रशियन ऐरोफ्लोट उड़ान सं. एस.यू. 557 द्वारा 25 व्यक्तियों को सिंगापुर भेजा गया था। सिंगापुर पहुंचने पर इन व्यक्तियों को 19.1.1995 को नई दिल्ली पहुंचने वाली ऐरोफ्लोट उड़ान सं. एस.यू. 560 द्वारा प्रत्यावर्तित कर दिया गया क्योंकि वे जाली दस्तावेजों के आधार पर यात्रा कर रहे थे। प्रत्यावर्तित कर्मकारों में से एक द्वारा इस संबंध में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जांच पड़ताल के पश्चात्, पुलिस प्राधिकारियों ने इस मामले में अभिकथित अंतर्ग्रस्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। एक मुख्य अभियुक्त के फरार होने की सूचना है। यह भी पाया गया कि इनमें से 23 व्यक्तियों के संबंध में उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं पृष्ठांकन मै. रॉयल एजेन्सी, शेख सराय, नई दिल्ली द्वारा झूठा शपथ पत्र जमा करवा कर प्राप्त किया गया था। सरकार ने इस भर्ती एजेन्ट के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता का नवीकरण करने से इन्कार कर दिया है, जो पहले ही समाप्त हो गई है।

तम्बाकू का निर्यात

1695. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश-वार कितना तम्बाकू निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान तम्बाकू के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों की कुल मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1991-92	84245.08	377.03
1992-93	88252.45	474.04
1993-94	1,05,01019.59	460.96

(स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.)

पिछले तीन वर्षों के ऐसे निर्यातों के देशवार विस्तृत विवरण भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी (मुख्य मदें तथा देश) के नियमित मासिक प्रकाशन प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). वर्ष 1995-96 के दौरान तम्बाकू के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तम्बाकू के उत्पादन को पुनः अनुकूल बनाना, गुणवत्ता और उत्पादकता स्तरों में सुधार, वृद्धि, कृमिनाशी-अवशिष्टों की मानिटरिंग और कठोर नियंत्रण, वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण मानकों के समकक्ष बनाना तथा उत्पाद विकास के लिए आयातों की अनुमति देना शामिल है।

कालीनों का निर्यात

1696. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य कितना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कालीनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई;

(ग) इस संबंध में 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है, और

(घ) कालीनों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :-

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		करोड़ रु. में	अमरीकी डालर (मिलियन में)	करोड़ रु. में	अमरीकी डालर (मिलियन में)
1.	1992-93	967.00	345.00	1043.19	365.39
2.	1993-94	1260.00	400.00	1390.00 (अनंतिम)	443.18
3.	1994-95	1570.00	500.00	1445.10 (अप्रैल, 94 से जनवरी, 95 तक अनंतिम)	460.73

(ग) 1950.00 करोड़ रु.
(622 मिलियन अमरीकी डालर)

(घ) कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, समुद्रपार प्रचार तथा कैटलाग का प्रकाशन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करना और प्रतिवर्ष भारतीय कालीन व्यापार मेला आयोजित करना शामिल है।

[अनुवाद]

जमा राशियों पर ब्याज दरें

1697. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक पिछले कुछ महीनों के दौरान जमा राशियों पर ब्याज दरें लगातार बदलते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दीर्घकालीन योजनाओं को ध्यान में नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले छः वर्षों के दौरान अल्पकालीन जमाराशियों पर कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जमा दरों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, दिनांक 22.4.1992 से भारतीय रिजर्व बैंक ने 46 दिनों से 3 वर्षों तथा इससे अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए अधिकतम जमा दर निर्धारित की है। बैंक निधियों की लागत और प्रतिफल, व्यक्तिगत

बैंक के अंतर बैंक उधार लेने/उधार देने के स्तर, भावी मुद्रास्फीति की उनकी अवधारणा आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अधिकतम दर के अन्दर विभिन्न परिपक्वता और ब्याज दरें नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधिक स्थायी परिसंपत्ति देयता संतुलन विकसित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जमा दर आकर्षक बनी रहे, दिनांक 10 फरवरी, 1995 से अधिकतम सावधि जमा दर को "10.0 प्रतिशत वार्षिक अनधिक" से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत वार्षिक अनधिक" कर दिया गया है। चूंकि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम दर के अन्दर विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए अपनी ब्याज दर नियत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसलिये वे जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए उनके द्वारा निश्चित की गई जमा दरों को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात् 2 सितम्बर, 1994 और 3 मार्च, 1995 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा दरों में होने वाली वृद्धि, 1993-94 की तदनुरूप अवधि के दौरान 25,324 करोड़ रुपए (8.7 प्रतिशत) की तुलना में 25,727 करोड़ रुपए (7.6 प्रतिशत) थी।

मैक्सिको जैसी स्थिति

1698. श्री विजय एन. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.एस.) सरकारी बांडों व अन्य स्टाकों को बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में मैक्सिको जैसी स्थिति होने वाली है; और

(ग) यदि नहीं, तो हाल के सप्ताहों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा दर्शायी गई अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए सरकार मैक्सिको जैसी स्थिति से बचने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) ने अब तक सरकारी बाण्डों अथवा अन्य मुद्रा बाजार साधनों में निवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग). दो देशों के बीच वृहत्-आर्थिक मूल सिद्धान्तों में अनेक अन्तर हैं। चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में मैक्सिको का चालू लेखा घाटा लगभग 8 प्रतिशत था। जबकि भारत के संबंध में यह घाटा 0.6 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त 1993 में मैक्सिको का सकल रिजर्व अनुपात की तुलना में 1994 के अंत में भारत के लिए यह केवल 18 प्रतिशत था। भारत के लिए निम्न अनुपात यह निर्दिष्ट करता है कि पोर्टफोलियो निवेशों के बहिर्प्रवाहों को किसी घटना से रिजर्वों में ऐसी महत्वपूर्ण कमी नहीं आएगी जो अर्थव्यवस्था के लिए मैक्सिकन प्रकार का खतरा उत्पन्न कर सके। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी में व्यक्तिगत/सामूहिक निवेशों के लिए उच्चतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं और ऋण साधनों का विदेशी संस्थागत निवेशक पर असर भी, भारत में इसके कुल निवेश के 30 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उदारीकरण-प्रक्रिया के भाग के रूप में पूंजी-बाजार सुधारों के लिए सरकार द्वारा आरम्भ किए गए उपायों का आशय घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है।

राज्य सरकारों में ऋण की वसूली

1699. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई ऋण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य से कितना-कितना ऋण वसूल किया जाना है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों से ऋणों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). इस मंत्रालय द्वारा राज्यों को 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान दी गई ऋण सहायता की राशि और राज्यों की तरफ 31.3.1994 के अनुसार बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकारों के प्रति बकाया ऋणों की राशि की जानकारी वर्ष समाप्त हो जाने के बाद ही हो सकेगी।

(ग) राज्य सरकारों को ब्याज की दर और वापिसी की अवधि से संबंधित कतिपय शर्तों पर ऋण सहायता की राशि जारी की जाती है। किसी भी विशेष वर्ष के दौरान मूलधन, वापिसी की किस्त तथा ऋण पर देय ब्याज वसूल किया जाना होता है। राज्य सरकारें सामान्यतः मूलधन की वापिसी अथवा ब्याज की अदायगी करने में चूक नहीं करती हैं। केन्द्र की ओर से विरले मामलों में ही देय राशि को संबंधित राज्य को गैर-सांविधिक अंतरण (योजनागत सहायता) के

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई ऋण सहायता तथा 31.3.1994 के अनुसार बकाया ऋणों की राशि

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई ऋण सहायता की राशि			31.3.1994 के अनुसार बकाया ऋण
		1991-92	1992-93	1993-94	
1	2	3	4	5	
1.	आंध्र प्रदेश	872.39	977.10	1472.50	6979.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.79	26.44	26.01	141.35
3.	असम	126.48	173.22	194.86	3115.73
4.	बिहार	789.73	671.46	799.83	7120.64
5.	गोवा	48.88	50.73	35.64	679.49
6.	गुजरात	1072.52	769.19	764.06	6958.12
7.	हरियाणा	250.31	327.33	297.12	2190.72
8.	हिमाचल प्रदेश	98.17	109.10	139.18	978.10
9.	जम्मू व कश्मीर	110.97	121.78	160.21	2467.06
10.	कर्नाटक	500.68	639.51	666.75	4284.60
11.	केरल	365.11	389.36	507.29	3052.74
12.	मध्य प्रदेश	554.35	484.76	565.32	4625.57
13.	महाराष्ट्र	1492.18	1176.89	1476.27	10935.35
14.	मणिपुर	13.15	12.58	20.09	161.49
15.	मेघालय	19.01	19.13	26.74	180.00
16.	मिजोरम	12.66	12.77	16.24	94.28
17.	नागालैण्ड	32.38	18.88	27.31	192.96
18.	उड़ीसा	358.13	409.54	425.74	3266.49
19.	पंजाब	952.40	922.84	1335.80	8393.14
20.	राजस्थान	508.74	554.09	631.07	4605.32
21.	सिक्किम	9.79	11.07	10.99	94.04
22.	तमिलनाडु	825.06	945.50	1059.54	5430.61
23.	त्रिपुरा	33.39	34.40	29.53	282.56
24.	उत्तर प्रदेश	2054.76	1913.12	1725.41	14334.45
25.	पश्चिम बंगाल	828.22	792.54	1143.10	7860.42
	जोड़	11951.25	11473.33	13556.60	98424.89

अखिल भारतीय सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन

1700. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत) ने 20 तथा 21 मार्च, 1995 को सिंडिकेट बैंक मुख्यालय, मणिपाल में भूख-हड़ताल करने के संबंध में एक नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार/बैंक प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि संघ द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर नवीनतम गतिविधियों और बैंक द्वारा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मुख्य सम्पर्क अधिकारी द्वारा अखिल भारतीय सिंडिकेट बैंक अ.ज./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ के महामंत्री को दी गई है जिन्हें उन्होंने आन्दोलनात्मक तरीके से अलग रहने की सलाह दी है।

नशीली दवाओं, पुरावस्तुओं और वन्य जीव-उत्पादों की तस्करी

1701. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं, पुरावस्तुओं और वन्य जीव उत्पादों को भारत के बाहर तस्करी करके भेजने की घटना में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इस तरह की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नए हवाई अड्डे का निर्माण

1702. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नए हवाई अड्डों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बिहार में नये हवाई अड्डे बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आना

1703. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आने में जबर्दस्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पर्यटकों, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप संचार के क्षेत्र में रेलवे तथा होटल की सुविधा सहित अतिरिक्त ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटक अन्तर्वाह निम्नानुसार था :-

वर्ष	हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आगमन (लाखों में)
1992	15.39
1993	14.67
1994	17.73

(ख) राज्य में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी, मूलतः राज्य सरकार की है। तथापि, विभिन्न सुविधाओं, जैसे कि, पर्यटक परिसर, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, पर्यटक लॉज, परिवहन सुविधाओं आदि के सृजन हेतु उनसे प्राप्त विशेष प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु मंजूर की गई केन्द्रीय आर्थिक सहायता निम्नानुसार है :-

वर्ष	मंजूर की गई राशि (लाखों में रु.)
1991-92	150.96
1992-93	111.94
1993-94	350.42

(ग) और (ख). विशेषकर गर्मी के महीनों के दौरान पर्यटक अन्तर्वाह में वृद्धि के साथ निपटने के लिए रेलवे ने कुछ गाड़ियों की क्षमता में वृद्धि की है तथा दिल्ली-जम्मू-तवी एक्सप्रेस की बारम्बरता को बढ़ाया है। राज्यों में सभी महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य इस समय एस टी डी तथा फैक्स सुविधाओं से जुड़े हैं। राज्य में होटल आवास की सुलभता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा कई अनुमोदित होटल परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किया जाना

1704. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा कामगारों को सांविधिक मजदूरी का भुगतान न किए जाने के संबंध में दिनांक 6 मार्च, 1995 के "पायनियर" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क). जी, हां।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्त्तन के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में इलैक्ट्रॉनिक माल बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन तथा प्रवर्तन के लिए समुचित सरकार है, ने सूचित किया है कि प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों की जांच की जा रही है और चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नारियल तेल का निर्यात

1705. श्री के. मुरलीधरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल तेल के भारी मात्रा में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। निर्यात की निषेधात्मक सूची के भाग-2 के क्रमांक 24 (1) के अनुसार, नारियल तेल सहित वनस्पति तेलों के 5 कि.ग्रा. से ज्यादा के उपभोक्ता पैकों में निर्यात की अनुमति लाइसेंस के तहत दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बित मामले

1706. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर से संबंधित विवादों के कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) न्यायालयों द्वारा कितने मामलों में स्थगन आदेश जारी किए गए हैं और सरकार द्वारा इन स्थगन आदेशों को वापिस कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ये मामले कब से लम्बित हैं और इन मामलों में फंसे हुए सरकारी राजस्व की वसूली हेतु इन्हें निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच पड़ताल और मुकदमों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क और आयकर के बकाया मामलों की संख्या और ऐसे मामलों की संख्या जिनमें इन न्यायालयों द्वारा रोक प्रदान की गई है, वह निम्नानुसार है :-

	बकाया मामलों की कुल संख्या		मामलों की संख्या जिनमें रोक प्रदान की गई है	
	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
(i) केन्द्रीय उत्पाद (31.12.94 तक)	2710	4471	365	1616
(ii) सीमा शुल्क	1627 (31.12.94 तक)	7940	111	317 (31.12.93 तक)
(iii) आयकर (30.9.94 तक)	6398	48954	17	2873

(ग) विधि मंत्रालय से परामर्श करके रोक के इन आदेशों को रद्द कराने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। बकाया की अवधि संबंधी सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

चाय संबंधी उच्च-स्तरीय समिति

1707. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय संबंधी एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। चाय के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने कोई उच्च स्तरीय समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, चाय उद्योग के साथ और अधिक गहन सम्पर्क स्थापित करने के लिए वर्ष 1993 से चाय संबंधी एक कोर समिति कार्य कर रही है।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हैदराबाद विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलना

1708. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) इस परिवर्तन पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). हैदराबाद हवाई अड्डा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 43.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्तर का बनाया जा रहा है। इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जायेगा।

जम्मू और कश्मीर में पशमीना ऊन की खरीद

1709. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर ऊन बोर्ड ने गत वर्ष खरीदी गई 13,800 कि.ग्रा. की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में मात्रा 2 कि.ग्रा. पशमीना ऊन की खरीददारी की;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से चांग यांग अथवा उत्तरी उच्च भूमि घाटी में गडरिये "पशमीना ऊन" के अपने समूचे वार्षिक उत्पादन के बदले में चीनी व्यापारियों से सामान खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). जम्मू व कश्मीर राज्य भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 14 कि.ग्रा. पशमीना ऊन की खरीद की, जबकि पिछले वर्ष पशमीना ऊन की खरीद नहीं की गई थी। पशमीना ऊन की बहुत कम मात्रा में खरीद होने का एक कारण यह था कि बोर्ड के अपने स्टाक में 2.5 टन पशमीना ऊन थी तथा उसे वर्ष 1994-95 के दौरान इस स्टाक को 5 लाख रु. के घाटे पर बेचना था। जम्मू और कश्मीर के चांग यांग के ऊन उपजकर्त्ता राज्य बोर्ड को उसके द्वारा निर्धारित कीमतों पर पशमीना ऊन को बेचने के प्रति अनिच्छुक थे। ऐसा सूचित किया गया है कि सरकार को इस समस्या की जानकारी है तथा उसने बोर्ड को ऊन उपजकर्त्ताओं से उचित कीमतों पर पशमीना ऊन खरीदने के लिए प्राधिकृत किया है।

व्यापार घाटा

1710. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से नवम्बर, 1994 के दौरान वर्ष 1993 की इसी अवधि की तुलना में मूल्य की दृष्टि से प्रमुख मदों के निर्यात और आयात में हुई वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत कितना है;

(ख) वर्ष 1993 की इसी अवधि की तुलना में किन-किन देशों के साथ हमारे व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है; और

(ग) इन देशों में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) प्रमुख निर्यात उत्पाद/उत्पाद समूह जिनके निर्यात में अप्रैल-नवम्बर, 1993 की अपेक्षा अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान वृद्धि हुई है, वे हैं:- बागान (39.4%) समुद्री उत्पाद (44.5%) अयस्क और खनिज (11.9%) चमड़ा और उससे बनी वस्तुएं (14.3) रत्न और आभूषण (10.5%) खेलकूद का सामान (62.7%) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद (30.7%) इंजीनियरिंग वस्तुए (8.3%) इलैक्ट्रानिक्स वस्तुएं (30.6%) परियोजना वस्तुएं (43.3%) टैक्सटाइल्स (26.4%) हस्तशिल्प (28.2%) और पैट्रोलियम उत्पाद (3.5%)। इस अवधि में जिन निर्यात में गिरावट आयी है वे प्रमुख उत्पाद/उत्पाद-समूह हैं-कृषि और सहबद्ध उत्पाद (8.3%) और कालीन (1.4%) अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान जिन प्रमुख उत्पादों/उत्पाद समूहों के आयात में वृद्धि हुई वे हैं :— खाद्य तेल (282.8%) मेटनीफरस अयस्क और धातु कतरने (136.7%) अलौह धातुएं (62.6%) लोहा और इस्पात (61.5%) मशीनरी (32.9%) और परियोजना वस्तुएं (28.6%) तथा कच्चा माल

आदि (40.1%)। लेकिन, अप्रैल-नवम्बर, 1993 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान मोती, मूल्यवान और अर्द्धमूल्यवान परस्पर (43.9%) और अनाज तथा उससे बनी वस्तुओं (67.5%) के आयात में गिरावट आई है। विस्तृत जानकारी डीजीसीआई एण्ड एस कलकत्ता द्वारा नवम्बर, 1994 में प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े" (प्रमुख वस्तुएं और देश) पुस्तिका में उपलब्ध हैं। इसमें अप्रैल-नवम्बर, 1993 और अप्रैल-नवम्बर 1994 के आंकड़े भी दिए गए हैं। इसकी प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जिन 10 प्रमुख देशों अर्थात् यू.एस.ए., जापान, जर्मन संघीय गणराज्य, यू.के. हांगकांग, यू.ए.ई., इटली, बेल्जियम, रूस और सिंगापुर को अप्रैल, नवम्बर, 1994 के दौरान हमारे कुल निर्यातों का लगभग 64% निर्यात तथा कुल आयातों का 47% आयात हुआ, इनमें से अप्रैल-नवम्बर, 1993 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान केवल जापान, एफ.आर.जी., यू.ए.ई. और रूस के साथ व्यापार में ही घाटा हुआ है। आयात और निर्यात के देशवार आंकड़े, जिनके आधार पर व्यापार घाटा/बेशी का अनुमान लगाया जा सकता है, डी.जी.सी.आई. एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा नवम्बर, 1994 में प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं और देश) पुस्तिका में दिए गए हैं। इसकी प्रतियां, जैसा कि भाग (क) में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और व्यापार निष्पादन की लगातार समीक्षा की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश विशेष को और वस्तु विशेष के निर्यात बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं।

केरल में प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

1711. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत केरल के कितने उद्यमियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है; और

(ख) कितने शिक्षित बेरोजगारों के नाम जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सिफारिश किए गए थे लेकिन उन्हें अब तक ऋण स्वीकृत नहीं किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन उद्यमियों की संख्या जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 (31 जनवरी 1995 तक-नवीनतम उपलब्ध) के दौरान बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए, क्रमशः 1577 तथा 5741 हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत, 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किए गए 8047 आवेदन लम्बित पड़े थे।

आंतरिक ऋण

1712. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आंतरिक ऋण राशि कितनी है;

(ख) सरकार का किन क्षेत्रों में इन ऋणों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) आंतरिक ऋण के भार को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में चालू वर्ष के दौरान अन्य देयताओं सहित कुछ आन्तरिक उधार राशि 57088 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्रस्तावित उधार राशि राजस्व घाटे के कारण हुए संसाधन अन्तराल और अंशतः आयोजना और गैर-आयोजना, दोनों के अन्तर्गत पूंजी लेखे में हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

(ग) राजस्व बढ़ाने और व्यय को बजटीय स्तर तक सीमित रखने के जरिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जब्त की गयी वस्तुओं की बिक्री

1713. श्री ललित उरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 31 जनवरी, 1995 तक जब्त की गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन वस्तुओं की बिक्री/नीलामी से सरकार द्वारा वर्ष-वार अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की पुनर्वास योजना

1714. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कामगारों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कितनी रुग्ण इकाइयों का प्रबंध कार्य सौंप दिया गया है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कामगारों से किन-किन परियोजनाओं के पुनर्वास प्रस्ताव मांगे गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कामगारों द्वारा प्रस्तुत ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उसने कर्मचारियों की सहकारिता के माध्यम से पांच रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में पुनरुद्धार योजनायें मंजूर की हैं। इनमें से एक को कार्यान्वित किया जा रहा है, एक की पुनरीक्षा करने के लिए उसे सूचीबद्ध किया गया है, एक मामले में परिचालन एजेंसी को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना में संशोधन करें तथा दो मामलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(ख) से (ङ). बाइफर ने सूचित किया है कि वह उन मामलों के संबंध में आंकड़े समेकित नहीं करता है जिनके लिए पुनर्वास के प्रस्ताव कर्मचारियों से मांगे गए हों। फिर भी, जब कभी, कर्मचारियों की सहकारिता के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो बाइफर द्वारा उन्हें उचित महत्व दिया जाता है।

बिक्री के लिए रुग्ण कपड़ा एककों का पता लगाना

1715. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने बिक्री के लिए ग्यारह रुग्ण कपड़ा एककों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एककों को फिर से चालू करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) की धारा 20 (4) के उपबंधों के अनुसार, बाइफर, समापन के लिए उपयुक्त पाई गई किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी की परिसम्पत्तियों को बेचने की आज्ञा दे सकता है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार बिक्री की प्राप्ति को संवितरण के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार बाइफर ने निम्नलिखित छः कपड़ा मिलों के मामलों में सिका की धारा 20 (4) के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों को बेचने के आदेश दिये थे :-

1. मथुराशी काटन मिल्स लि., पश्चिम बंगाल
2. श्री पृथ्वी काटन मिल्स लिमिटेड, गुजरात
3. गोगटे टेक्सटाइल्स लि., कर्नाटक
4. चीमोक्स सिन्थेटिक टेक्सटाइल्स (प्रा.) लि., गुजरात
5. कापरी इन्टरनेशनल प्राइवेट लि., उत्तर प्रदेश
6. संकेम प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज लि., हरियाणा

भुवनेश्वर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में परिवर्तित करना

1716. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कुछ अन्य विमानपत्तनों को भी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिए जाने के बाद, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में हवाई यातायात को बढ़ावा देने संबंधी कदम

1717. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में विमानपत्तनों के निर्माण और हवाई यातायात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वायु सेवाओं के द्वारा अधिकाधिक शहरों को जोड़ने और वर्तमान वायु सेवाओं को आरामदेह बनाने और इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में नये विमानपत्तनों के निर्माण हेतु कोई कार्य योजना बनाई है अथवा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) क्या नये विमानपत्तनों के निर्माण और नये वायुमार्गों को शुरू करने हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण राजस्थान में निम्नलिखित कार्य कर रहा है :-

- जयपुर हवाई अड्डे का उन्नयन
- उदयपुर में धावनपथ का विस्तार
- जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का विस्तार
- जैसलमेर सिविल एन्कलेव टर्मिनल में आशोधन किया गया है
- कोटा हवाई अड्डे को डोर्नियर प्रकार के विमानों के लिए प्रचालनयोग्य बनाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से गांव सर्दाना में एक चुने हुए स्थान पर भूमि प्राप्त करने और इसे निःशुल्क राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

निजाम के आभूषणों की खरीद

1718. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजाम नवाब के बहुमूल्य आभूषणों को खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजाम और उसके उत्तराधिकारियों को आयकर और अन्य करों की विशाल धनराशि अदा करनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की इन बकाया राशियों की कटौती की जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 20 अक्तूबर, 1994 और 29 दिसम्बर, 1994 के आदेशों के अनुसरण में हैदराबाद के पूर्व निजाम से संबंधित 173 आभूषण 12 जनवरी, 1995 को अधिगृहीत किए हैं। सरकार ने 180,37,33,959 रु. की धनराशि और उस पर 27 जुलाई, 1991 से 10 जनवरी, 1995 तक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुसार उक्त भुगतान दो न्यासों अर्थात् महामहिम (एच.ई.एच.) निजाम ज्वैलरी ट्रस्ट और एच.ई.एच. निजाम सप्लीमेंटल ट्रस्ट को किया गया है।

(ग) और (घ). 7.1.1995 की स्थिति के अनुसार निजाम ग्रुप के विरुद्ध बकाया धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i) एच.ई.एच. निजाम ज्वैलरी ट्रस्ट के मामले में ब्याज सहित बकाया धनकर की मांग 1308.98 लाख रु.

(ii) विभिन्न निधियों के संबंध में ब्याज सहित धनकर बकाया 1028.66 लाख रु.

(iii) एच.ई.एच. निजाम सप्लीमेंटल ट्रस्ट के मामले में ब्याज सहित धनकर बकाया 543.19 लाख रु.

(iv) प्रिंस मुकर्रम झा के मामले में बकाया धनराशि 301.00 लाख रु.

(ङ) और (च). आभूषणों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान योग्य खरीद मूल्य से बकाया देय धनराशि के लिए कोई धनराशि नहीं काटी गई है। परन्तु न्यास द्वारा प्राप्त आभूषणों की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से आयकर विभाग द्वारा 15.45 करोड़ रु. वसूल किए गए थे और आवधिक जमा में रखी गई 15.05 करोड़ रु. की दूसरी धनराशि की आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम-26 (i) (iii) के अधीन कुर्की की गई है।

(छ) खरीद मूल्य से कोई कटौती नहीं की गई थी क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान योग्य खरीद धनराशि से बकाया कर की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 (3) के उपबंधों को लागू नहीं किया जा सका।

बैंक के बकायेदार

1719. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 जनवरी, 1995 के "बिजिनेस स्टेण्डर्ड" नई दिल्ली में "सिलब्रिटिज फिगर आन बैंक डिफाल्टर्स लिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निगमित बाकीदारों की सूची का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने चूककर्ताओं और मुकदमा-दायर खातों के बारे में सूचना एकत्र करने और उसका प्रसार करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन उधार खातों का विस्तृत ब्यौरा प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल और अक्तूबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दें जिन्हें एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के बकाया (निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध दोनों) सहित संदिग्ध, घाटा देने वाली और मुकदमा दायर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम चरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गई सूचना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस आशय के साथ भेजी गई है कि वे चूककर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा और उन स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों जिनके नाम सूची में दिये गये हैं, द्वारा भी अपने नामों पर या अन्य एककों, जिनसे वे जुड़े हैं, के नाम पर किये गये नये या अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोध पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय इसका उपयोग करें।

मदईपुरा में विमानपत्तन का निर्माण

1720. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मदईपुरा कन्नानौर, केरल में कोई नया विमानपत्तन बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर विमानपत्तन के निर्माण की सम्भावना का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कन्नानौर, जिला केरल में मदईपुरा में नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

गोबर का आयात

1721. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 से 28 फरवरी, 1995 तक आयात मूल्य और कुल मूल्य सहित देश वार कुल कितना गोबर आयात किया गया;

(ख) इसके आयात के क्या कारण हैं;

(ग) यह गोबर किन-किन राज्यों और संस्थाओं को सप्लाई किया गया है;

(घ) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान गोबर का कितनी मात्रा में आयात का लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) गोबर के आयात को नियन्त्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). वर्तमान निर्यात और आयात नीति के अन्तर्गत बिना आयात लाइसेंस के गोबर या पशु-मल के आयात की अनुमति नहीं है। गोबर के आयात के लिए अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

खेरिआ (आगरा) में विमानपत्तन का विस्तार

1722. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा में खेरिआ विमानपत्तन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). खेरिआ (आगरा) स्थित हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्कलेव का रख-रखाव करता है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन करने, एप्रेन का विस्तार करने और संयोजी टैक्सी-पथ का निर्माण करने की योजनाएं हैं। भवन का निर्माण कार्य जून, 1995 से और एप्रेन का विस्तार और संयोजी टैक्सी-पथ का निर्माण कार्य सितम्बर, 1995 से शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

व्यापार बोर्ड

1723. श्री एम.एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकास के लिए कोई व्यापार बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों और निदेश पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रमुख कार्यकलापों के संबंध में व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श करने के लिए व्यापार बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :-

(1) उभरते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में निर्यात बढ़ाने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार की योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए नीतिगत उपायों के बारे में सरकार को सलाह देना;

(2) विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, बाधाओं का पता लगाना और निर्यात आय को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने तथा आयात को कम करने की आवश्यकता के अनुरूप सरकार तथा उद्योग/व्यापार क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना;

(3) निर्यात के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे की जांच करना और उसके पुनर्गठन/सुव्यवस्थीकरण के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना जिससे समन्वित और समयबद्ध निर्णयन सुनिश्चित किया जा सके;

(4) निर्यात हेतु नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहन पैकेज और क्रियाविधियों की समीक्षा करना और अत्यधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाने तथा उन्हें सरणीबद्ध करने हेतु उपाय सुझाना।

(ग) से (ङ). देश की व्यापार नीति बनाते समय व्यापार बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानचालक

1724. श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के अनुभवी विमानचालक तथा ग्राउंड इंजीनियर सामूहिक रूप से हाल ही में अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं अथवा छोड़ने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके इस प्रकार नौकरी छोड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वे संतुष्ट नहीं हैं अथवा वे निजी विमान टैक्सी चलाने वाली एजेंसियों द्वारा पेश की गई बेहतर सेवा शर्तों से आकर्षित हैं;

(घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा उनके प्रशिक्षणार्थ प्रति विमान-चालक कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). जबकि एयर इंडिया को 1992-94 की अवधि के दौरान इसके विमानचालकों/ग्राउण्ड इंजीनियरों के बड़े पैमाने पर पलायन का सामना नहीं करना पड़ा है, परन्तु इंडियन एयरलाइंस में काफी संख्या में विमानचालकों और ग्राउण्ड इंजीनियरों ने एयरलाइन को छोड़ दिया, संगठन छोड़ते समय इन व्यक्तियों ने कोई कारण नहीं बताए हैं।

(घ) इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया द्वारा विमानचालकों के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय 4.6 लाख रु. से 15.3 लाख रु. के बीच होता है जो बी-737 सह-विमानचालकों एयरबस ए-320 का सह-विमानचालक बनने से बोइंग 747-200 कमांडर तक के लिए है।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस से विमानचालकों/ग्राउंड इंजीनियरों का पलायन रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) निजी एयरलाइनों/हवाई टैक्सी ऑपरेटरों को निदेश दिया गया है कि वे पिछले नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना" राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के किसी भी कर्मचारी को नौकरी पर न लें।

(2) इंडियन एयरलाइंस की सेवा से त्यागपत्र देने के लिए नोटिस की अवधि बढ़ाकर छः महीने कर दी गई है।

(3) विमानचालकों के लिए प्रतिभूति राशि बढ़ा दी गई है।

(4) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ उड़ान ड्यूटी सीमाओं तथा उत्पादकता सम्बद्ध भुगतान के बारे में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(5) सीधे सम्पन्न कार्य से सम्बद्ध अतिरिक्त परिलब्धियों के भुगतान के लिए इंजीनियरों के लिए एक उत्पादकता सम्बद्ध योजना तैयार की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश से अंगूरों का निर्यात

1725. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से अंगूर निर्यात की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में अंगूर निर्यात करने के लिए उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). निर्यात के लिए अंगूरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। तथापि, घरेलू और निर्यात विपणन दोनों के लिए अंगूरों सहित फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम है। इसके अलावा, फसल पश्चात् अवस्थापन सुविधाओं के सृजन, निर्यात बाजार विकास, बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रचार के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में बेराजगारों की संख्या

1726. श्री एन.जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषतः राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में जनवरी, 1995 तक विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज स्नातकोत्तर/डिग्री धारियों/ डिप्लोमा धारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने बेराजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने राज्य में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31.12.1992 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) गुजरात में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में स्नातकोत्तरों, डिग्री धारकों एवं डिप्लोमा धारकों (इंजीनियरिंग में) के रूप में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेराजगार हों, की संख्या क्रमशः 8.2 हजार, 66.4 हजार तथा 7.7 हजार थी। आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग). 1992, 1993 तथा 1994 के वर्षों के दौरान गुजरात के रोजगार कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगारों की संख्या क्रमशः 24.9, 28.1 तथा 25.3 थी। 1993 तक श्रेणीवार ब्यौरा उपलब्ध है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(हजारों में)

वर्ष	कुल	अनुसूचित जाति (योग सहित)	अनुसूचित जनजाति (योग सहित)
1992	24.9	2.3	4.3
1993	28.1	2.1	4.4

(घ) किसी भी राज्य में, इसी प्रकार गुजरात में भी, आमतौर पर रोजगार राज्य के विकास की गति तथा ढांचे पर निर्भर करता है, जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रमों, जिनमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं :-

(i) केन्द्र प्रायोजित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर.डी.पी.) जवाहन रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई) तथा रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) तथा (ii) शिक्षित बेराजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक विशिष्ट रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी. एम.आर.वाई.) के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन में, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

रेशम उद्योग का विकास

1727. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री काशीराम राणा :
श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री एन.जे. राठवा :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में रेशम का राज्य-वार उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कोई रेशम प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) देश में राज्य-वार रेशम उद्योग का विकास करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) के दौरान अपरिष्कृत रेशम के राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग). इस समय देश में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 19 रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान (रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालयों सहित) कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के आठवें योजना प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ असम तथा मेघालय में दो और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए योजनाएं मुख्यतः संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभागों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है। हालांकि, उनके प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने देश भर में स्थित 340 एककों के नेटवर्क के माध्यम से रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए अनिवार्य अनुसंधान एवं विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता देता है। ऐसे एककों का राज्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रेशम उत्पादन परियोजनाएं प्रत्येक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. **विश्व बैंक/स्विस सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना :** कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश।

2. **भारतीय-स्विस मलबरी परियोजना :** आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु।

3. पूर्वांचल रेशम उत्पादन परियोजना : उत्तर प्रदेश

4. प्राकृतिक रूप से उपजाए गए तसर कोसों के विकास के लिए परियोजना : मध्य प्रदेश।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन का विकास तेज करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है।

विवरण–I

वर्ष 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान आधारभूत अनधिकृत रेशम (मीट्रिक टन में) का राज्य वार उत्पादन

राज्य	1991–92	1992–93	1993–94
आन्ध्र प्रदेश	2847	3140	2859
असम	465	469	514
अरुणाचल प्रदेश	5	6	7
बिहार	289	339	214
गुजरात	नेग.	1	नेग.
हिमाचल प्रदेश	4	9	11
हरियाणा	नेग.	नेग.	नेग.
जम्मू तथा कश्मीर	27	23	15
कर्नाटक	5489	7285	8250
केरल	1	नेग.	2
मध्य प्रदेश	21	24	45
महाराष्ट्र	6	4	8
मणिपुर	163	179	191
मिजोरम	1	1	नेग.
मेघालय	128	138	156
नागालैंड	35	19	22
उड़ीसा	74	76	83
पंजाब	नेग.	नेग.	नेग.
राजस्थान	1	नेग.	नेग.
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	1188	1342	1099
त्रिपुरा	3	2	नेग.
उत्तर प्रदेश	21	21	19
पश्चिम बंगाल	995	1090	1038
	11763	14168	14533

विवरण–II

विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित संस्थानों/एककों की राज्यवार सूची

	राज्य	एककों की संख्या
1.	कर्नाटक	44
2.	आंध्र प्रदेश	32
3.	तमिलनाडु	20
4.	पश्चिम बंगाल	38
5.	जम्मू तथा कश्मीर	21
6.	केरल	10
7.	महाराष्ट्र	17
8.	गुजरात	8
9.	मध्य प्रदेश	22
10.	बिहार	20
11.	उड़ीसा	30
12.	राजस्थान	6
13.	उत्तर प्रदेश	20
14.	हिमाचल प्रदेश	4
15.	हरियाणा	3
16.	पंजाब	2
17.	असम	25
18.	मेघालय	9
19.	मणिपुर	3
20.	मिजोरम	1
21.	अरुणाचल प्रदेश	1
22.	त्रिपुरा	1
23.	नागालैंड	2
23.	सिक्किम	1
	कुल	340

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता

1728. श्री पी. चुमारासामी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों ने मंहगाई भत्ते के मुद्दे का शीघ्र समाधान करने की मांग की है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, जैसाकि 21 जनवरी, 1995 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सरकार को दिनांक 21 जनवरी, 1995 को "इकोनोमिक टाइम्स" में "पी.एस.यू. स्ट्राइक थ्रेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। सरकार ने 1.1.1989 से, 800 अंक से ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति अंक वृद्धि होने पर औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर को 1.65 रु. से 2.00 रु. प्रति अंक करने संबंधी बढ़ोत्तरी को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की स्लैब पद्धति शुरू किये जाने संबंधी एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

भारत-रूस संयुक्त आयोग

1729. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा रूस को देय ऋण की अदायगी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु हाल ही में मास्कों में भारत-रूस संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए प्रत्येक मुद्दे के संबंध में क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत-रूस संयुक्त आयोग की पहली बैठक 13-14 सितम्बर, 1994 को मास्को में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान रूस को ऋण-भुगतान से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक के दौरान लिए गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय संक्षिप्त रूप से नीचे दिए गए हैं :—

(1) रूस के राष्ट्रपति की जनवरी, 1993 में भारत-यात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री के जून-जुलाई, 1994 में रूस के दौरे के समय व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में करारों एवं निर्णयों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए ठोस उपाय करना।

(2) निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा दुगुनी करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार करना।

(3) निवेशों, हवाई सेवाओं तथा व्यापारिक जल-परिवहन को पारस्परिक संरक्षण प्रदान करने संबंधी करार शीघ्र तैयार करना ताकि भारत-रूस सहयोग के कानूनी आधार में सुधार जारी रहे।

(4) सूचना-विज्ञान परिस्थिति-विज्ञान के क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग के लिए विस्तृत गुंजाइश को देखते हुए सूचना-प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण संबंधी दो पृथक-पृथक कार्यकारी दल स्थापित करना।

(5) भूमि, समुद्र तथा हवाई परिवहन में जो समस्याएं सामने आती हैं उनका पता लगाने तथा इस संबंध में विशेष उपाय करने के लिए व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी कार्य दल के तत्वावधान में परिवहन संबंधी पृथक उप-दल स्थापित करना; इस दल को यह भी निदेश दिया गया था कि वह नोवोरोस्सिक पत्तन के विकास एवं आधुनिकीकरण में सहयोग के क्षेत्र निर्धारित करें।

(6) ऋण-पुनर्भुगतान निधियों का प्रयोग करते हुए चाय, तम्बाकू, सोयामील तथा भेषज मदों की खरीद के लिए 3 वर्षों की दीर्घावधि योजना तैयार करना।

(7) ऋण पुनर्भुगतान निधियों के उपयोग के लिए कार्य-तंत्र सहित द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों में स्पष्ट प्रभावकारी एवं भविष्य सूचक कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना।

(8) ऋण पुनर्भुगतान निधियों के एक भाग का उपयोग करने के उद्देश्य से भारत, रूस और तीसरे देशों के राज्य क्षेत्र में सहयोग की संभावित परियोजना संबंधी प्रस्ताव तैयार करना।

(9) दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना तथा भारत में रूसी संस्कृति दिवस तथा रूस में भारतीय संस्कृति दिवस आयोजित करना।

सहकारी बैंक

1730. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कितने सहकारी बैंक कार्यरत हैं और उनकी वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों से नए सहकारी बैंक खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचा और उनकी वित्तीय स्थिति विवरण-I में दी गई है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचा एकात्मक प्रकृति का है जिसका शीर्ष स्तर पर बैंक राज्य भूमि विकास बैंक है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। राज्य भूमि विकास बैंकों (एस.एल.डी.बी.) का विस्तृत ब्यौरा और उनकी वित्तीय स्थिति विवरण-II में दी गई है। दिल्ली में कोई दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचा नहीं है।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि नये सहकारी बैंक खोलने के लिए उन्हें इन राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचा

राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है :-

बिहार

बिहार में अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे में 3 श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक (बी एस सी बी), जिला स्तर पर 34 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डी सी सी बी) और ग्राम स्तर पर 7057 प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण समितियां (पी ए सी एस)। बी एस सी बी, डी सी सी बी और पी ए सी एस की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है :-

(लाख-रुपये में)

	बी एस बी बी (31.3.93 की स्थिति के अनुसार)	डीसीसीबी (31.3.93 की स्थिति के अनुसार)	पीएसीएस (31.3.93 की स्थिति के अनुसार)
(i) स्वाधिकृत निधियां	4926	10927	3479
(ii) जमाराशियां	29521	27340	उपलब्ध नहीं
(iii) उधार	17334	34982	39930
(iv) बकाया ऋण	33003	37108	23517

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे में 3 श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि. (यूपीसीबी), जिला स्तर पर 60 डीसीसीबी और ग्राम स्तर पर 8599 प्राथमिक स्तर की ऋण समितियां।

यू.पी.सी.बी., डी.सी.सी.बी. और पी.ए.सी.एस. की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है :-

(लाख रुपए)

	(31.3.94 की स्थिति)		
	यूपीसीबी	डीसीसीबी	पी.ए.सी.एस.
1. स्वाधिकृत निधियां	15376	24723	17562
2. जमाराशियां	120863	186205	6219
3. उधार राशियां	251690	78099	75994
4. बकाया ऋण	135033	167810	122263

दिल्ली

दिल्ली राज्य की राज्य सहकारी ऋण संरचना दोहरी है अर्थात राज्य स्तर पर दिल्ली एस.सी.बी. और ग्राम स्तर पर 100 प्राथमिक स्तरीय सहकारी ऋण समितियां। डी.सी.बी. और सम्बद्ध समितियों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है :-

(लाख रुपए)

	डी.एस.सी.बी. (31.3.93 की स्थिति)	पी.ए.सी.एस (31.3.94 की स्थिति)
i. स्वाधिकृत निधियां	197	18
ii. जमाराशियां	7843	3
iii. उधार राशियां	468	187
iv. बकाया ऋण	2414	202

विवरण-II

दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना

उत्तर प्रदेश और बिहार में दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना का स्वरूप एकात्मक है जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है जो अपनी शाखाओं के मार्फत कार्य करता है। स्थिति इस प्रकार है :-

	उत्तर प्रदेश	बिहार
एसएलडीबी	1	1
शाखाएं	287	187

30.3.1994 की स्थिति के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है :-

(लाख रुपए)

	उत्तर प्रदेश	बिहार
1. शेयर पूंजी	6824	3218
2. प्रारक्षित निधि	23467	604
3. जमाराशियां	29	1965
4. उधार राशियां	84958	18070
5. बकाया ऋण	81723	14340

पुष्प उत्पादन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता

1731. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के छंटाई किए हुए पुष्पों की बेहतर उत्पादन विशेषता और विपणन जानकारी पर आधारित निर्यात क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार करने वाली परियोजना को सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितना अनुदान दिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के जरिए यूएनडीपी की सहायता से "पुष्पोत्पाद निर्यात संवर्धन" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि उत्पादन की उन्नत विशेषज्ञता तथा विपणन ज्ञान के जरिए छंटाई किए हुए फूलों का निर्यात तथा उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस परियोजना के तहत किए जाने वाले कुछ क्रियाकलापों में शामिल हैं : फूलों के निर्यात के लिए उद्यमियों को उत्पादन तथा कार्य-नीतियों के बारे में सलाह देना; फसल-मैनुअल तथा बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना; बाजार सूचना उपलब्ध कराना; सेमिनार तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

(ग) इस परियोजना के लिए 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 इन तीन वर्षों के लिए कुल यूएनडीपी सहायता की राशि 6 लाख अमरीकी डालर होगी।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में बांटे गए ऋण

1732. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की अधिकांश जनसंख्या और विशेषरूप से ग्रामीण लोगों को अभी तक आर्थिक विकास के लाभ नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में दिए गए ऋण तथा बैंक को इन क्षेत्रों से प्राप्त जमाराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बैंकों से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु एक नई नीति तैयार करने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख), (घ) और (ङ). ग्रामीण आबादी के बड़े भाग को कवर करने और आर्थिक क्रिया-कलापों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में ऋण का विस्तार और प्रभावी अभिनियोजन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पन्न करने की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले दो वर्ष के दौरान ग्रामीण ऋण के प्रवाह की निरंतर पुनरीक्षा की है। ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। बैंकों से निवल बैंक ऋण का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दिये जाने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को प्राप्त करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको से कृषि के लिए ऋण के प्रवाह में स्पष्ट सुधार लाने के उद्देश्य से नवोन्मेषी और उच्च तकनीक वाली कृषि परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए भी कहा है। ग्रामीण ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत और पुनरुज्जीवित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कई उपायों की पहचान की गई है। कृषि उत्पादन के लिए समय से और पर्याप्त ऋण के लिए बैंकों को नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण सहायता प्रदान करने की सलाह दी गई, जो उनकी मिली-जुली ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मौसमी कृषि कार्यों के लिए बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य ऋण श्रृंखला-I के तहत नाबार्ड को 4850 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई ऋण सीमा और वर्ष 1994-95 के लिए सामान्य ऋण श्रृंखला-II के तहत 750 करोड़ रुपए की ऋण सीमा मंजूर की है। हाल ही में नाबार्ड की शेयर पूंजी को भी 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 330 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस संबंध में 1995-96 के कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गयी थी।

(ग) बैंकों द्वारा पिछड़े क्षेत्र को दिए गए ऋणों का ब्यौरा और पिछले 3 वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों से इन बैंकों द्वारा प्राप्त कुल जमाराशियों की सूचना एकत्रित की जाएगी और यथा उपलब्ध सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा

1733. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
डा. वसन्त पवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पालिसियों का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत इस समय लगभग कितने परिवारों/व्यक्तियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु कोई सघन स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कंपनियों अर्थात् नेशनल इन्श्योरेंस क.लि. (ii) न्यू इंडिया एंश्योरेंस क.लि. (iii) ओरियेंटल इन्श्योरेंस क.लि. और (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस क.लि. द्वारा देश में पहले से ही अनेक चिकित्सा बीमा पालिसियां विपणित की जा रही हैं और वेतन भोगी वर्ग सहित कोई भी व्यक्ति इन बीमा कंपनियों से इन पालिसियों को खरीद सकता है। इन पालिसियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(एक) वैयक्तिक चिकित्सा दावा पालिसी : इस पालिसी में चिकित्सालयावसीय और/या अधिवास चिकित्सालय आवासीय खर्चों की वापसी अदायगी बीमाकृत व्यक्ति की बीमारी/संक्रमित रोगों या उसे चोट लगने पर ही किए जाने की व्यवस्था है। इस पालिसी में तीन महीने के बच्चों से लेकर बशर्ते कि सम्बद्ध बच्चों के माता-पिता भी बीमाकृत हों, बड़ी उमर तक के सभी व्यक्ति आते हैं और यह पालिसी देयता की घटी हुई सीमाओं सहित 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है।

(दो) समूह चिकित्सा-दावा पालिसी : इस पालिसी के अंतर्गत प्रस्तावित लाभ बुनियादी तौर पर वैयक्तिक चिकित्सा-दावा पालिसी के अंतर्गत उपलब्ध होने वाले लोगों के समान ही हैं। इस स्कीम में समूह के आकार के अनुरूप कटौती की व्यवस्था है। दावों के अनुभव के अनुरूप इसमें बोनस/मालस के लिए भी व्यवस्था है।

(तीन) समूह स्वास्थ्य बीमा योजना : समूह चिकित्सा-दावा पालिसी के अतिरिक्त, ऐसे निगमित निकायों को जो समूह के रूप में अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चलाते हैं, निरपेक्ष रूप से टेलर-मेड पालिसियों की भी पेशकश की जाती है।

(चार) भविष्य आरोग्य : व्यक्तियों को उनके बुढ़ापे में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से तैयार की गयी यह स्कीम पहली दिसम्बर, 1990 से देश में आरंभ की गयी है। योजना के अंतर्गत, व्यक्ति को अपने आय-अर्जन वर्षों के दौरान एकल प्रीमियम अथवा मामूली प्रीमियम देकर 55 से 60 वर्षों की चयनित आयु के बीच चिकित्सालय आवासीय और अधिवास चिकित्सालय आवासीय खर्चों की वापसी अदायगी की जाएगी।

(पांच) विदेशी चिकित्सा-दावा पालिसी : विदेशों में आपातिक उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों के लिए व्यवस्था प्रदान करने हेतु विदेशी चिकित्सा-दावा बीमा 1984 से आरंभ की गई थी। प्रभारित प्रीमियम आयु, ट्रिप बैंड (14 दिन से 180 दिन के बीच परिवर्तनशील) और क्षेत्रीय समूहीकरण पर आधारित है।

चार अनुषंगी कंपनियों द्वारा जारी की गयी उपयुक्त पालिसियों के अतिरिक्त, न्यू इंडिया एंश्योरेंस क.लि. दो अन्य पालिसियां भी प्रदान करती है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(i) **कैंसर बीमा पालिसी :** "न्यू इंडिया" द्वारा आरंभ की गई इस पालिसी में कैंसर के उपचार पर 50,000 रुपए तक की राशि की वापसी अदायगी की व्यवस्था है। कंपनी की कैंसर रोगी सहायता संघ के साथ सहबद्ध व्यवस्था भी है जिसके अनुसार कैंसर रोगी सहायता संघ के सदस्यों को कैंसर बीमा पालिसी का लाभ प्राप्त होगा जिसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक उपचार की लागत कवर होगी। इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है।

(ii) **वरिष्ठ नागरिक यूनिट योजना :** यह योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सहयोग से आरंभ की गयी थी जिसमें यह व्यवस्था है कि सदस्य और उसकी पत्नी अथवा पति 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 23 शहरों के चुने हुए अस्पतालों में से किसी भी अस्पताल में चिकित्सीय उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता है।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम ने 7 सितम्बर से 30 नवम्बर, 1993 के बीच 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों के लिए "आशा दीप" नामक शीघ्र समाप्त होने वाली बीमा स्कीम आरंभ की थी। इस स्कीम में पालिसीधारकों को निम्नलिखित लाभों के लिए तभी व्यवस्था होगी जबकि वह कतिपय अपवादों के अंतर्गत पालिसी की अवधि के दौरान चार प्रमुख बीमारियों, यथा कैंसर, पक्षाघात, गुर्दे का फेल होना और हृदय धमनी रोगों से किसी भी एक रोग से ग्रस्त हो और बाई-पास सर्जरी की आवश्यकता हो।

(क) बीमांकित राशि के 50 प्रतिशत का तत्काल भुगतान;

(ख) सभी भविष्यात्मक प्रीमियमों की माफी;

(ग) पालिसी की अवधि के अंत तक अथवा बीमाकृत जीवन की मृत्यु तक, इनमें से जो भी पहले घटित होगा तब तक बीमाकृत राशि के 10 प्रतिशत का वार्षिक भुगतान;

(घ) पालिसी की परिपक्वता की तारीख को अथवा बीमाकृत जीवन की इससे पहले मृत्यु होने पर पूर्ण बीमाकृत राशि पर मिलने वाले बोनस सहित बीमाकृत राशि के शेष 50 प्रतिशत का भुगतान।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 4,000 करोड़ रुपए की कुल बीमाकृत राशि सहित लगभग 6 लाख पालिसियां उपर्युक्त अवधि के दौरान उन्होंने जारी की थीं। जहां तक साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रशासित की जा रही स्कीमों के अंतर्गत कवर होने वाले परिवारों/व्यक्तियों की संख्या का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हवाला गिरोह

1734. **श्री सी.के. कृप्पुस्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि हाल के महीनों में करोड़ों रुपए की भारतीय मुद्रा नियमित रूप से बंगलादेश में भेजी गई है जो हवाला व्यापार करने वाले गिरोहों की दृष्टि में धन की हेराफेरी के लिए सुरक्षित स्थान माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो सीमा-क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). हाल ही में भारत और बंगला देश के बीच हवाला करोबार के कुछ मामलों का प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है। निदेशालय के कलकत्ता कार्यालय को सचेत कर दिया गया है और ऐसे कारोबार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

1735. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तकनीकी कर्मियों ने 1994 और 1995 के शुरू के माहों में देशव्यापी आंदोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की हड़ताल रोज-ब-रोज की बात हो गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की हड़तालों/आंदोलनों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). वर्ष 1994 में कोई देशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन तो नहीं हुआ था, परन्तु राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी कर्मचारी संघ ने समयबद्ध पदोन्नति के लिए अपनी मांगों पर जोर डालने हेतु पूरे देश में एक दिन का अग्रिम नोटिस देकर 1-2-1995 से 3-2-1995 तक सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और आंदोलन से बचने के लिए कर्मचारियों की समस्याओं और संघों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लए प्रबंधकों और संघों के बीच आवधिक बैठकें की जाती हैं।

पैट्रोलियम क्षेत्र में राजस्व में घाटा

1736. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितने रुपये का घाटा हुआ है; और

(ग) इस संबंध में खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 तक की अवधि के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों से सीमा शुल्क राजस्व में पिछली इसी अवधि की तुलना में 15.75 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 1994-95 के दौरान क्रूड आयल का कम आयात इसकी कमी का मुख्य कारण था। फिर भी, उत्पाद शुल्क में इसी अवधि के दौरान 28.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपभोग ढांचा

1737. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने आर्थिक सुधार प्रक्रिया के प्रथम दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के उपभोग ढांचे के बारे में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्थिक सुधार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अमीर-गरीब के बीच अंतर और अधिक बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) समाज के गरीब वर्ग की और गरीब बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने जुलाई-दिसम्बर, 1991 (सैंतालीसवां दौर) तथा जनवरी-दिसम्बर, 1992 (अड़तालीसवां दौर) के दौरान उपभोक्ता व्यय पर वार्षिक सर्वेक्षण किया है।

(ख) से (घ). नवीनतम सर्वेक्षण में नमूने के आंकड़ों का संबंध कैलेण्डर वर्ष, 1992 से है, एक ऐसा वर्ष जिसमें अर्थव्यवस्था उस

समय भी महत्वपूर्ण रूप से 1991-92 के आर्थिक संकट से प्रभावित थी। अतः गरीबों के लिए आर्थिक सुधारों के लाभों का आंकलन करना एक अनुपयुक्त नमूना है।

(ङ) संक्रमण के दौरान समाज के सबसे कमजोर और निर्धन तबके की ढांचागत समायोजन तथा स्थिरीकरण नीतियों की कठोरता से रक्षा करने के लिए सरकार ने पिछले तीन बजटों में सामाजिक क्षेत्रों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि की है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए परिव्यय में 129 प्रतिशत तक की वृद्धि कर देने तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिव्यय में 95 प्रतिशत तक की वृद्धि कर देने के साथ शिक्षा के लिए बजट-आवंटन पिछले तीन वर्षों में 92 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए आवंटन में 122 प्रतिशत की वृद्धि की गई। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय जिसमें गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार पैदा करने के लिए बड़े कार्यक्रम सम्मिलित हैं, में पिछले तीन वर्षों में 148 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई तथा 1995-96 (बजट अनुमान) में यह 7700 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया।

रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) की शुरूआत 1993-94 में की गई तथा उन्हें मजबूत किया जा रहा है और विस्तार किया जा रहा है। 1995-96 के बजट के दौरान निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता एवं सामूहिक जीवन बीमा की नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। 1995-96 के बजट में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन प्रदान करने की योजना का भी प्रस्ताव रखा गया है।

कनाडा के साथ व्यापार

1738. **श्री शरत पटनायक :**
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या कनाडा पन और तापीय विद्युत उत्पादन, निर्माण, परिवहन, परियोजना प्रबंध प्रणालियों और प्रौद्योगिकी निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ संयुक्त उद्यम लगाने की इच्छुक है, जैसाकि हाल ही की यात्रा से स्पष्ट हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कनाडा के साथ कोई व्यापार समझौता हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री रौय मैकलैरेन ने भारत में व्यापार एवं निवेश-अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से मंत्रालयी प्रतिनिधि मंडल और एक बड़े व्यापार-प्रतिनिधि मंडल सहित दिनांक 7 से 12 अक्तूबर, 1994 तक भारत का दौरा किया।

(ग) और (घ). दौरे के दौरान श्री मैकलैरेन ने सूचित किया कि कनाडा की कंपनियों में भारत में निवेश-वातावरण के बारे में जानने का उत्साह है और गैर-सरकारी क्षेत्र में कई संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण करारों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) और (च). भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच कोई व्यापार करार नहीं हुआ है।

अमरीका द्वारा भारतीय इस्पात का आयात

1739. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैट समझौते तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद अमरीकी प्राधिकारियों ने भारत से इस्पात, स्टेनलैस स्टील, वायर रॉड, इस्पात के पाइप तथा ट्यूबों सहित कुछ मदों के आयात पर किसी नए शुल्क की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क में संशोधन दोनों पक्षों के परामर्श से लगाया गया था अथवा इसकी एकतरफा घोषणा कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारत और संयुक्त राज्य अमरीका गाट के संविदाकारी पक्षों के रूप में एक-दूसरे को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देते हैं। अमरीका ने हाल ही में भारत से स्टेनलैस स्टील की कुछ मदों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है। पाटन-रोधी शुल्क सरकारों द्वारा, गाट के अनुच्छेद 6 की पुष्टि करते हुए, राष्ट्रीय कानूनों के तहत लगाया जाता है।

(घ) सरकार व्यावहारिक रूप में पाटन-रोधी कार्रवाइयों का सामना करने वाले अलग-अलग निर्यातकों को संभव सीमा तक तकनीकी सहायता देती है।

बोइंग जम्बो

1740. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया को दो बोइंग जम्बो खरीदने के लिए अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानों की कुल लागत कितनी है; और

(ग) इन विमानों की खरीददारी के पश्चात एयर इंडिया के पास कुल कितने विमान हो जायेंगे और इनमें से कितने विमान कार्य कर रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). सरकार ने एयर इंडिया द्वारा 1137.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो बी 747-400 विमान प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिनकी जुलाई और अगस्त, 1996 में सुपुर्दगी होने का कार्यक्रम है। एयर इंडिया के विमान-बेड़े में इस समय 26 विमान हैं। दो और बोइंग 747-400 विमान प्राप्त हो जाने के बाद वर्ष 1996 में इसके विमान-बेड़े में विमानों की संख्या 28 हो जाएगी।

गुजरात में 'मेन्ड्रेक्स' की जब्ती

1741. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान गुजरात में 'मेन्ड्रेक्स' की जब्ती के लिए कितने छापे मारे गये और 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने मूल्य की 'मेन्ड्रेक्स' जब्त की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष में जब्त की गई 'मेंड्रेक्स' की मात्रा गत वर्ष जब्त की गई मात्रा से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार ने 'मेन्ड्रेक्स' की तस्करी को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात में मेन्ड्रेक्स के दो छापे मारे गए। स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, जो प्रायः अनिर्धारित क्षमता तथा मिश्रण के होते हैं तथा नष्ट किए जाने होते हैं, संभव नहीं है।

(ख) चालू वर्ष 1994-95 के दौरान जब्त की गई मेन्ड्रेक्स की मात्रा 5660.500 कि.ग्रा. रही तथा पिछले वर्ष 1993-94 के दौरान यह मात्रा 2067 किलोग्राम थी।

(ग) सतर्कता बढ़ाने के कारण जब्ती की अधिक मात्रा रही।

(घ) गुजरात में 5 व्यक्ति पकड़े गए। सभी व्यक्ति एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन कड़े दण्ड के भागी हैं।

(ङ) हेरोइन तथा मैथाक्वालोन बनाने के लिए एसीटिक ऐन्हाड्राइड एक प्रारंभिक रसायन है जिसे एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन एक 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित किया गया है तथा एसीटिक ऐनहाड्राइड के निर्माण, वितरण, विक्रय, आयात, निर्यात तथा उपभोग को नियंत्रित करने के लिए एक विनियमन आदेश जारी कर दिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन रसायन के संचलन को भारत-पाक सीमा के 50 कि.मी. तथा भारत-म्यांमार सीमा के 100 कि.मी. के भीतर नियंत्रण में रखा है। एसीटिक ऐन्हाइड्राइड के आयात एवं निर्यात को भी नियंत्रित किया गया है।

सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान कर दिए गए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है।

[अनुवाद]

मास्को में भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन का मेला

1742. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन ने हाल ही में मास्को में एक व्यापार मेले का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मेले में भाग लेने वाली भारतीय और विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों द्वारा मास्को के साथ किसी संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मेले की क्या उपलब्धियां रहीं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन (इटपो) ने 18-27 जुलाई, 1994 के दौरान मास्को में एक अनन्य भारत व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की थी।

(ख) हरियाणा राज्य सहित कुल 109 अग्रणी भारतीय कंपनियों ने प्रदर्शनी में साझीदार के रूप में भाग लिया। चूंकि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय माल एवं सेवाओं को प्रदर्शित करना और उनका संवर्धन करना था अतः किसी भी विदेशी कंपनी ने न तो इस प्रदर्शनी में भाग लिया और न ही उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

(ग) और (घ). हालांकि भारतीय पक्ष ने किसी संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं परन्तु फिक्की के प्रतिनिधिमंडल और उनके रूसी प्रतिपक्ष के बीच गंभीर समझौता-वार्ताएं हुईं। प्रदर्शनी में पैट्रोल पम्प यूनिट, आयल कूलर रेडियेटर, वेल्डिंग उपस्कर, कम्प्रेसर, एयर कंडीशनर, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, पैकेजिंग प्रयोग हेतु प्लास्टिक

बैगों, चाय, मसाले, चमड़े का सामान, डिटर्जेन्ट हर्बल प्रसाधन सामग्री, बैड लाइन्स और बुने हुए परिधान जैसे उत्पादों के लिए कुल 391.36 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इसके अलावा कुल 231 गम्भीर व्यापारिक पूछताछें भी की गईं।

केरल के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात

1743. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात में सुधार के लिये भारतीय रिजर्व बैंक कृतिक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केरल में ऋण जमा अनुपात पर कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, केरल सरकार ने उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी पहली बैठक 19.12.1994 को की थी। सिफारिशों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का समन्वय केरल के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, केनरा बैंक द्वारा किया जा रहा है। कृतिक बल की विभिन्न सिफारिशों पर केरल के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चर्चा की गई है और कार्य बिन्दुओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के पास भेज दिया गया है।

निजी विमान कंपनियों द्वारा विमान सेवाएं

1744. श्री अनंतराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कंपनियों ने उनके विमान संचालन में सहायता देने के लिये इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निजी प्रचालकों ने इंडियन एयरलाइंस को अनुरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था में उनकी सहायता एक दूसरे के यातायात दस्तावेजों को स्वीकार करने और विमान चालकों को प्रशिक्षण करने के लिए कहा। इंजन कलपुर्जों के ओवरहाल/मरम्मत और उनके उपकरणों आदि के परीक्षण/शोधन में सहायता प्रदान करने के लिए एयर इंडिया को कहा गया है। इंडियन एयरलाइंस ने निजी प्रचालकों को अनुरक्षण सहायता प्रदान न करने का निर्णय लिया है। अन्य क्षेत्रों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जब कभी संभव होता है, एयर इंडिया सहायता प्रदान करता है बशर्ते कि जन शक्ति और मशीनरी की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

बैंक द्वारा ऋणों को बट्टे खाते में डालना

1745. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्यिक बैंकों को पच्चीस हजार रुपये की वर्तमान सीमा के स्थान पर पच्चीस लाख रुपये तक के अशोध्य ऋणों की धनराशि को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऋणों को बट्टे खाते में डालने की बढ़ी हुई सीमा राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) 31 दिसम्बर, 1994 तक कितने अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया और ऐसे ऋणों की कुल धनराशि कितनी थी; और

(ङ) 1 लाख रुपये, 1 लाख से 5 लाख रुपये, 5 लाख से 10 लाख रुपये तथा 10 लाख से 25 लाख रुपये की धनराशि के बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन एयरलाइंस की कार्यप्रणाली को कारगर बनाना

1746. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस की कार्यप्रणाली को कारगर बनाने हेतु कदम उठाए हैं ताकि यात्रियों की जरूरतों तथा उनकी शिकायतों की तरफ और अधिक ध्यान दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने आरक्षण हवाई अड्डों पर यात्री हैंडलिंग, बैगेज हैंडलिंग, उड़ान गत सेवाओं और विलंबित/व्यवधान वाली उड़ानें आदि के क्षेत्रों में विभिन्न उपाय किए हैं ताकि ये यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक कारगर सिद्ध हो सकें।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा उठाए गए उपायों के परिणामस्वरूप ग्राहकों की बेहतर संतुष्टि हुई है। ग्राहकों से सराहना और प्रशंसा के पत्र प्राप्त हुए हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

1747. श्री रतिलाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम नें वर्ष 1993 में गुजरात में तृतीय श्रेणी के लगभग 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की थी, जिसके लिये जनवरी, 1994 में लिखित परीक्षा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसका परीक्षाफल घोषित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परीक्षा का परीक्षाफल कब तक घोषित किया जायेगा और भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने गुजरात में 2272 उम्मीदवारों का पैनल बनाने के लिए अक्तूबर, 93 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए 2 जनवरी, 1994 को लिखित परीक्षा ली गई थी।

(ख) और (ग). जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उपर्युक्त भर्ती की अधिसूचना में अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों के आरक्षण के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। जो रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जानी हैं, उनका आंकलन करके उन्हें अधिसूचित करने, उन्हें भरने के लिए अलग से परीक्षा लेने तथा रिक्तियों को भरते समय दोनों पैनलों को साथ-साथ चलाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए जनवरी, 1994 में ली गई परीक्षा का परिणाम, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ली गई परीक्षा के परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही घोषित किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

औद्योगिक घरानों में यू.टी.आई./आई.डी.बी.आई. का निवेश

1748. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यू.टी.आई., आई.डी.बी.आई. इत्यादि द्वारा औद्योगिक घरानों (सार्वजनिक क्षेत्र एककों सहित) में किये गये पूंजी निवेश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. द्वारा 10 बड़े औद्योगिक घरानों में निवेश इक्विटी ऋण इत्यादि के रूप में कुल कितना निवेश किया है;

(ग) इस तरह के पूंजी निवेश के लिए बनाये गये नीति-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन नीति निर्देशों का कड़ाई से पालन हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 30.6.93, 30.6.94 और 31.12.94 की स्थिति के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में प्रथम दस कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संबंध में एकत्र की जा रही सूचना यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ). इन संस्थानों के निवेश संबंधी निर्णय संबंधित संगठनों के वाणिज्यिक अवबोधन पर छोड़ दिए गए हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में निवेश संबंधी निर्णय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम और विनियमों द्वारा शासित किए जाते हैं और न्यासी बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन भी होते हैं।

विवरण

30.6.93 की स्थिति के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश के अनुसार प्रथम दस कंपनियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि (क़रोड़ रुपए)
1.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	1952.84
2.	आई.सी.आई.सी.आई.	1219.45
3.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी	1022.90
4.	ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	886.98
5.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	857.75
6.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	824.57
7.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	770.95
8.	टेलको लि.	762.47
9.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	687.50
10.	औद्योगिक वित्त निगम	644.87

30.6.94 की स्थिति के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश के अनुसार प्रथम दस कंपनियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए)
1.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	3677.67
2.	आई.सी.आई.सी.आई. लि.	1670.08
3.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	1336.26
4.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	1144.31
5.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1025.57
6.	ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	1012.42
7.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	997.51
8.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	906.97
9.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	662.97
10.	टेलको लि.	655.07

30.12.94 की स्थिति के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश के अनुसार प्रथम दस कंपनियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए)
1.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	3678.62
2.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	2113.69
3.	आई.सी.आई.सी.आई. लि.	1768.98
4.	ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	1053.05
5.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	1046.33
6.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1037.72
7.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	790.17
8.	टेलको लि.	665.57
9.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि.	649.57
10.	इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	619.15

आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1749. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आजकल आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं और उनमें हुई प्रगति के ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में संलग्न हैं।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश (राज्य परियोजनाओं) में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(दाता देशों की करेंसी मिलियन में)

क्र.सं.	स्रोत	ऋण का ब्यौरा	करेंसी	ऋण/अनुदान की राशि	28.2.95 की स्थिति के अनुसार संचयी उपयोग	28.2.95 की स्थिति के अनुसार निकाली न गई शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	जापान	आई डी पी-43 श्री सेलम वाया किनारा विद्युत केन्द्र चरण-II	जापान येन	26101.0	14750.50	11350.50
2.	जापान	आई डी पी-85 श्री सेलम विद्युत संप्रेषण प्रणाली	जापान येन	3806.000	2.00	3804.00
3.	एशियाई विकास बैंक	रायल तापीय विद्युत परियोजना	अमरीकी डालर	190.000	143.81	46.19
4.	औद्योगिक विकास संघ	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	अमरीकी डालर	77.400	4.13	73.27
5.	आई.एफ.ए.डी.	आंध्र प्रदेश जातीय विकास	अमरीकी डालर	20.649	6.72	13.93
6.	स्वीडन	पर्यावरण प्रशिक्षण परियोजना, हैदराबाद	स्वीडिश क्रोनर	15.000	1.41	13.60
7.	यूनाइटिड किंगडम	आंध्र प्रदेश स्कूल भवन चरण-II	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	27.900	21.41	6.49
8.	यूनाइटिड किंगडम	हैदराबाद आवास चरण-III	- तदैव -	14.940	10.11	4.83

1	2	3	4	5	6	7
9.	यूनाइटिड किंगडम	आंध्र प्रदेश स्कूल स्वास्थ्य परियोजना	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	6.690	0.65	6.04
10.	औद्योगिक विकास संघ	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	अमरीकी डालर	79.900	40.30	39.61
11.	यूनाइटिड किंगडम	विजयवाडा गंदी बस्ती सुधार परियोजना	यू.के.पौंड स्टर्लिंग	16.250	7.22	9.03
12.	यूनाइटिड किंगडम	चिनगाडिली क्षेत्र सुधार परियोजना	– तदैव –	1.500	1.43	0.08
13.	आई.एफ.ए.डी.	आंध्र प्रदेश सम्मिलित जन-जातीय विकास परियोजना	अमरीकी डालर	26.710	1.80	24.91
14.	यूनाइटिड किंगडम	विशाखापत्तनम आवास	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	9.191	9.03	0.17
15.	यूनाइटिड किंगडम	आंध्र प्रदेश कोयला परियोजना	तदैव	11.250	10.67	0.58
16.	यूनाइटिड किंगडम	नागार्जुन सागर विद्युत परियोजना	तदैव	12.930	13.31	0.00
17.	औद्योगिक विकास संघ	II-आंध्र प्रदेश सिंचाई	अमरीकी डालर	140.000	177.07	0.00

विवरण–II

आंध्र प्रदेश (बहुराज्य परियोजनाओं) में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(दाता देशों की करेंसी मिलियन में)

क्र.सं.	स्रोत	ऋण का ब्यौरा	करेंसी	ऋण/अनुदान की राशि	28.2.95 की स्थिति के अनुसार संचयी उपायोग	28.2.95 की स्थिति के अनुसार निकाली न गई शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	औद्योगिक विकास संघ (आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल)	झींगा मछली और मछली पालन	अमरीकी डालर	85.890	5.61	80.28
2.	औद्योगिक विकास संघ (आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब)	तकनीकी शिक्षा–II	अमरीकी डालर	255.735	41.36	214.37
3.	औद्योगिक विकास संघ (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा)	आई.सी.डी.एस.	अमरीकी डालर	74.348	32.03	42.32

1	2	3	4	5	6	7
4.	स्वीस (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु)	रेशम पालन का संवर्द्धन	भारतीया रुपया	41.055	22.27	18.78
5.	औद्योगिक विकास संघ (आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल)	राष्ट्रीय रेशम पालन	अमरीकी डालर	133.346	84.62	48.73
6.	एशियाई विकास बैंक (आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल)	दूसरी सड़क परियोजना	- तदैव -	250.000	81.81	168.19
7.	एशियाई विकास बैंक (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु)	सड़क सुधार परियोजना	- तदैव -	188.000	97.51	90.49
8.	एशियाई विकास बैंक (आंध्र प्रदेश)	द्वितीय पत्तन परियोजना	- तदैव -	129.000	50.13	78.88
9.	स्वीस (आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक)	राष्ट्रीय रेशम पालन	स्वीस फ्रैंक	40.000	12.15	27.85
10.	औद्योगिक विकास संघ (उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हरियाणा)	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	अमरीकी डालर	136.975	134.68	2.30
11.	औद्योगिक विकास संघ (आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र)	वर्षा पोषित जलसंभर क्षेत्र परियोजना	अमरीकी डालर	29.783	27.58	2.20

कारीगरों और बुनकरों के लिए विपणन सुविधाएं

1750. डा. असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमान्त हस्तशिल्पियों और हथकरघा उत्पादकों को उपलब्ध कराई गई विपणन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नई निर्यात नीति से कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों को कितना फायदा पहुंचा है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) लघु तथा मार्जिनल हस्तशिल्प तथा हथकरघा विनिर्माताओं को प्रदान की गई विपणन सुविधाओं में शिल्प बाजार/प्रदर्शनियां, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम, बाजार बैठकें, राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, मिनी स्तर के एक्सपो का आयोजन करना, डिजाइन विकास, लक्ष्य विदेशी बाजार के लिए उत्पादों को अपनाना, गुणवत्ता नियंत्रण, केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को स्थायी शहरी शिल्प हाट बाजार स्थापित करने सहित विपणन संबंधी कार्यकलापों के लिए सहायता देना शामिल है।

(ख) चूंकि हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों का निर्यात निशुल्क अर्थात निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों अथवा किसी लाइसेंस के बिना अनुमेय है तथा भारत सरकार की विभिन्न निर्यात नीतियों एवं नियमावलियों के उदारीकरण से भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं तथा कारीगरों, शिल्पियों और बुनकरों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को तंग करना

1751. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री लाल बाबू राय :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को तंग करने तथा लूटने के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त की गई इन शिकायतों की क्या संख्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही की है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). जनवरी, 92 से पर्यटन विभाग को जो 209 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन्हें उपचारी उपाय करने के लिए होटल तथा पर्यटन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों तथा साथ ही राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर कानून प्रवर्तित करने वाली एजेंसियों के साथ उनके मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उठाया गया था। भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय भी शिकायतों पर सीधी कार्रवाई करते हैं। आपसी अथवा कानून प्रवर्तित एजेंसियों के माध्यम से समझौता कराकर पर्यटकों को संतुष्टि प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है। शिकायतें मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में प्राप्त होती हैं और उन पर शिकायत के स्वरूप को देखकर कार्यवाही की जाती है। पर्यटक की संतुष्टि के लिए ही प्रयास किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में वैयक्तिक पर्यटक के लिए भी ऐसी शिकायतों की कानूनी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध करने के लिये कार्य योजना

1752. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री मंजय लाल :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये बनाई गई कार्य योजना और इस हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों तथा ऐसे ऋण प्रदान करने के लिये नियत मानदंडों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋणों का भुगतान करने के मामले में लघु उद्योगों को कोई रियायत दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों को कितना ऋण दिया गया है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को कितना ऋण दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत तैयार की गई वार्षिक योजना (एपीसी) के तहत लघु उद्योग एककों को संवितरित ऋण की राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत अखिल भारत संवितरण
1991-92	2558.29
1992-93	3028.04
1993-94	3953.10

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास से संबंधित सामान्य दिशानिर्देश जारी किया है जिसके अन्तर्गत यदि कोई बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उसके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार एकक संभावित रूप से अर्थक्षम है तो पुनः निर्धारित ऋणों के राहतों/रियायतों और वापसी अदायगी की समय सीमा, पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन की तारीख से 7 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अति लघु/विकेन्द्रित क्षेत्र एककों के मामले में वापसी अदायगी की अवधि तीन वर्ष की होगी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अखिल भारत के लिये लघु उद्योग के संबंध में वर्ष 1994-95 के लिये उसकी वार्षिक कार्य योजना के अधीन लक्ष्य 5048.09 करोड़ रु. है।

बिहार में सरकारी क्षेत्र में बैंक

1753. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंक-वार कितनी धनराशि जमा की गई और किसानों के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उन्हें वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसे ऋण वितरित करने के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) इस अवधि के दौरान किसानों से कितनी धनराशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 3017 शाखाएं थीं। इन शाखाओं का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

31.12.1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में (बैंक वार) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	912
2.	एस.बी.बी. जयपुर	9
3.	एस.बी. पटियाला	1
4.	इलाहाबाद बैंक	223
5.	आंध्रा बैंक	3
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा	98
7.	बैंक ऑफ इंडिया	385
8.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1
9.	केनरा बैंक	100
10.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	369
11.	कारपोरेशन बैंक	3
12.	देना बैंक	9
13.	इंडियन बैंक	25
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	16
15.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	2
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	10
17.	पंजाब नेशनल बैंक	431
18.	सिंडिकेट बैंक	22
19.	यूको बैंक	206
20.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	74
21.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	110
22.	विजया बैंक	8
	योग	3017

गेहूं और चावल का निर्यात

1754. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और चावल के निर्यात में वृद्धि करने हेतु किसी भारतीय शिष्टमंडल ने अनेक देशों की यात्रा की है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समझौता विशेषतः संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब और चीन के साथ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1995 के दौरान देशवार और किस्मवार कुल कितने चावल और गेहूं का निर्यात किया जाएगा और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तंबाकू का निर्यात बढ़ाने हेतु एक कार्यबल का गठन

1755. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु एक कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यबल कब तक गठित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए एक दीर्घावधि कार्यनीति पर तम्बाकू बोर्ड द्वारा पहले ही अमल किया जा रहा है और इसकी सतत समीक्षा की जा रही है।

पर्यटन-विकास हेतु सिंगापुर के साथ संयुक्त उद्यम

1756. **श्री चित्त बसु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन के विकास हेतु सिंगापुर सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत और सिंगापुर के बीच पर्यटन सहयोग पर नई दिल्ली में 24.1.1994 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंगापुर पर्यटन प्रोमोशन बोर्ड द्वारा भारत के लिए एक पर्यटन योजना तैयार की गई थी और उस पर विचार करने के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। उस पर विचार-विमर्श करने के लिए सिंगापुर पर्यटन प्रोमोशन बोर्ड और पर्यटन विभाग के बीच नई दिल्ली में 15.12.94 को एक बैठक हुई थी। 4.1.95 को कलकत्ता में उस पर फिर विचार-विमर्श हुआ था जिसमें पर्यटन विभाग ने 11 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर सिंगापुर पर्यटन प्रोमोशन बोर्ड और सिंगापुर के कुछ उद्यमियों को भारत में पर्यटन पर पूंजी निवेश सम्बन्धी अवसरों के लिए परस्पर रूप से प्रभावित किया था।

पांचवां वेतन आयोग

1757. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
श्री वी. कृष्णा राव :
कुमारी ममता बेनर्जी :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु गठित पांचवें वेतन आयोग के कार्यकरण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 माह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग का विचार अपनी रिपोर्ट इस अवधि के अंदर प्रस्तुत करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु क्या नई समय-सीमा निर्धारित की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयोग ने सूचित किया है कि वह इस समय (I) व्यक्तिगत रूप से और कर्मचारी संघों द्वारा भेजे गए लगभग 18000 ज्ञापनों में उठाई गई मांगों/सुझावों की जांच करने तथा (II) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन और कार्य की परिस्थितियों का मौके पर अध्ययन करने में व्यस्त हैं। आयोग ने एक व्यापक प्रश्नावली भी तैयार की है तथा इसे उनके विचार जानने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के 5746 व्यक्तियों को भेजा है।

(ख) से (घ). आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सिफारिश यथा संभव शीघ्र करे। इसके अतिरिक्त विचारार्थ विषयों में यह उपबंध भी किया गया है कि अगर आयोग यह महसूस करता है कि अपनी नियुक्ति की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा तो वह अंतरिम राहत की एक और किस्त प्रदान करने तथा मंहगाई भत्ते के एक और भाग को वेतन के साथ मिलाने (केवल ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ) के लिये कर्मचारी पक्ष की मांगों पर एक रिपोर्ट भेजे।

विमानपत्तनों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

1758. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री तारा सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों के निर्माण में गैर सरकारी क्षेत्र को भागीदार बनाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या देश में नए विमानपत्तनों के निर्माण हेतु कोई योजना बनायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कर्नाटक में बंगलौर और केरल में कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को अपनी अनापत्ति दे दी है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना की लागत और अन्य तौर-तरीके तय किए जाने हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

(ख) और (ग). मेघालय में तूरा और मिजोरम में लेंगपुई में नए हवाई अड्डों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

पत्रकारों के लिये वेतन बोर्ड

1759. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिये 2 सितम्बर, 1994 को गठित वेतन बोर्डों ने कार्य करना आरंभ किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों बोर्डों के लिये श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन करने हेतु मंत्रालय ने क्या मानदंड अपनाया है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). जी, हां। वेतन बोर्डों का सचिवालय उनके गठन से ही तैयारी संबंधी कार्य करता रहा

है। 3.4.1995 को वेतन बोर्डों की एक बैठक बुलायी गयी है। दोनों ही वेतन बोर्डों के लिए कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन श्रम-जीवी पत्रकार एवं गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी संगठन की सिफारिश के आधार पर किया गया है।

[हिन्दी]

औषधियों की आपूर्ति

1760. डा. जी.एल. कनौजिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण के लिये अवयव के रूप में निर्माताओं को अफीम, गांजा और भांग जैसी औषधियों की आपूर्ति के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का अनिद्रा, मनोविकृति तथा पीड़ा आदि रोगों का देश में ही इलाज करने के लिये आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण और अधिकाधिक निर्यात के लिये कोई कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव है ताकि विश्व में पेटेंट एलोपैथिक दवाइयों के विदेशी निर्माताओं से मुक्ति प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी अफीम और एल्कलॉइड उपक्रम, गाजीपुर द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए योजकों के रूप में विनिर्माता रसायनज्ञों को औषधीय अफीम की आपूर्ति संबद्ध राज्यों के औषध नियंत्रकों द्वारा उनको आबंटित विनिर्दिष्ट मात्राओं के आधार पर की जाती है। गांजा और भांग की आपूर्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए शून्य।

(घ) ऐसी जरूरत अभी नहीं हुई है।

बचत की दर

1761. श्री महेश कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में बचत की दर क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान बचत की दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बचत की दर को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). बचत दर से सम्बन्धित आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा तैयार किए जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के बचत दर सम्बन्धी ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :-

विभिन्न संस्थाओं द्वारा सकल घरेलू बचत-दरें

(सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में)

		1991-92	1992-93	1993-94 (त्व)
1.	घरेलू क्षेत्र	17.8	15.5	15.9
	वित्तीय बचतें	10.1	7.8	10.3
	प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में बचतें	7.8	7.7	5.6
2.	निजी नैगम क्षेत्र	3.2	3.0	4.0
3.	सार्वजनिक क्षेत्र	2.1	1.5	0.2
4.	सकल घरेलू बचतें (1+2+3)	23.1	20.0	20.0

जी.डी.पी. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद

(त्व) : त्वरित अनुमान

टिप्पणी : पूर्णांक की वजह से हो सकता है आंकड़े मेल न खायें।

(ग) बचत-दर में गिरावट का मिला-जुला कारण अधिकांश रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में गिरावट तथा प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचतों के नपे-तुले अनुमान हैं।

(घ) बचतों को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि उन मानदण्डों में सुधार लाया जाय जिनका बचत व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इनके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में अभिवृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर-नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली तथा पूंजी बाजारों की कार्यकुशलता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल है। आर्थिक सुधार सम्बन्धी अब तक उठाये गये विभिन्न कदमों का कुल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

गुजरात में हथकरघा का विकास

1762. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार को हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत 1994-95 में (22 मार्च 1995 तक) निम्नलिखित सहायता दी गई :—

	हथकरघा	राशि (लाख रु. में)
1.	हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई की स्थापना	14.29
2.	जनता कपड़ा अनुदान	147.15
3.	हैंक यार्न मूल्य अनुदान योजना	15.48
4.	विपणन विकास सहायता/विशेष छूट योजना	15.51
5.	प्रोजैक्ट पैकेज योजना	16.00
6.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	32.00
7.	थ्रिफ्ट फंड योजना	3.614
8.	स्वास्थ्य पैकेज योजना	4.60
9.	राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना	4.25
10.	निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	1.56
		254.454

हस्तशिल्प

हस्तशिल्प क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों को सीधे सहायता नहीं दी जाती। तथापि प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गुजरात राज्य में हस्तशिल्प विकास निगम अहमदाबाद को 1994-95 के दौरान (22 मार्च, 1995 तक) प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए 7.00 लाख रुपये की राशि दी गई।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों हेतु हेलीकॉप्टर सेवा

1763. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गर्मी के दिनों में श्रीनगर, गौचर और जोशीमठ (औली) जैसे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों हेतु हेलीकाप्टर सेवा की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

1764. **श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के लिए खाद्यान्नों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और देश-वार निर्यात किए जाने वाले विभिन्न खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1993-94 में, 447.3 मिलियन अमरीकीन डालर/ 1402.32 करोड़ रु. के अनाज का निर्यात किया गया। अगले तीन वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

छंटनी के समय मिलने वाले लाभ

1765. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छंटनी के समय दिए जाने वाले लाभों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में श्रमिकों से सकारात्मक उत्तर मिला है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). नए औद्योगिक संबंध विधान संबंधी रामानुजम समिति द्वारा की गयी सिफारिशों और विभिन्न मंचों पर हुए विचार-विमर्शों के आधार पर तथा औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अन्तर-मंत्रालयी ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों (छंटनी लाभों में बढ़ोत्तरी किये जाने संबंधी प्रस्ताव सहित) को उचित समय पर अंतिम रूप दिये जाने का विचार किया गया है।

[हिन्दी]

रबड़ का आयात

1766. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की मांग व पूर्ति में कोई अन्तर रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में रबड़ किसी कर का भुगतान किए बिना आयात किये जाने के बावजूद घरेलू बाजार में टायर तथा अन्य रबड़ उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने 1995 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने आयातकों पर प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के लिए कुछ गत शर्तें भी थोप दी हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बढ़ती मांग पूरी करने और रबड़ के पेड़ उगाने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1991-92	1992-93 (मी.टन)	1993-94
उत्पादन	366,745	393,490	435,160
उपभोग	380,150	414,105	450,480
अन्तर	13,405	20,615	15,320

(ग) और (घ). टायर के निर्माताओं ने 1 अक्तूबर, 1994 से टायर के मूल्य 5.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं जब रबड़ का मूल्य 24.90 रु. प्रति कि.ग्रा. न्यूनतम निर्धारित कीमत की तुलना में बढ़कर 32 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया था। इसके बाद रबड़ और ट्यूबों की कीमतों में बढ़ोत्तरी की कोई खबर नहीं है।

(ङ) से (झ). जी, हां। चूंकि देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन मांग से कम है, इसलिए मन्दी के चालू मौसम के दौरान वास्तविक प्रयोक्ताओं (उद्योग) को बिना आयात शुल्क के 10,000 मी. टन एन आर रबड़ आयात करने की अनुमति दी गई है। यह आयात वास्तविक उपभोक्ता शर्त पर किया जा सकेगा और आयात 31 अगस्त, 1995 से पहले पूरा करना जरूरी होगा। इससे रबड़ उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों को ऋण

1767. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अल्पसंख्यकों को विकास के लिये तथा अपना कारोबार शुरू करने के लिए अधिसूचित बैंकों से ऋण नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौ. क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों को अपने बैंक स्थापित करने तथा अपनी सहकारी ऋण समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों और बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण का सुचारू और पर्याप्त ऋण का प्रवाह प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठायें । फिर भी, जब कभी अल्पसंख्यक समुदायों सहित जनता से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें ऋण मंजूर करने या बैंक ऋण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का जिक्र किया गया हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा वह शिकायत संबद्ध बैंक के साथ उठाई जाती है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय बहुल वाले पता लगाए गए 41 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के ऋणकर्ता खातों की संख्या मार्च, 1990 में 12.25 लाख थी। यह संख्या मार्च, 1994 में बढ़कर 12.75 लाख हो गई। इन अल्पसंख्यक समुदाय बहुल वाले पता लगाए गए 41 जिलों में इसी अवधि के दौरान बकाया राशियां 721 करोड़ रुपए से बढ़कर 1070 करोड़ रुपए हो गई। देश के सभी जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण भी मार्च, 1990

में 4,332 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 1994 में 6352 करोड़ रुपए हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय के ऋणकर्ता खातों की संख्या भी मार्च, 1990 में 52.90 लाख से बढ़कर मार्च, 1994 में 59.11 लाख हो गई।

(घ) से (च). भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति आवश्यकता, संभाव्यता और निर्धारित समय के भीतर प्रस्तावित प्राथमिक सहकारी बैंक की अर्थक्षमता प्राप्त करने की संभावना के आधार पर प्राथमिक सहकारी बैंकों की स्थापना की अनुमति देने की है। किसी भी प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना जाति/पंथ/व्यवसाय/पेशा या आबादी या समाज के विशिष्ट भाग के आधार पर नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा, नशीले पदार्थ और सोने को जब्त किया जाना

1768. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन महीनों के दौरान भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा, सोना और नशीले पदार्थ जब्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गयी मदों में प्रत्येक मद की मात्रा कितनी है और जब्त करने संबंधी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों पर उपकर

1769. प्रो. के.वी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों मे प्रत्येक वर्ष के दौरान समुद्री क्षेत्र के कल्याण हेतु कुल कितना उपकर अर्जित किया गया और उपयोग में लाया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार समुद्री उत्पादों के निर्यात पर लगने वाला उपकर समाप्त करने का था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समुद्री उत्पाद क्षेत्र के विकास के लिए बजटीकृत योजना तथा गैर-योजना स्कीमों पर एपीडा द्वारा किया गया कुल खर्च तथा एपीडा एक्ट,1972 के अंतर्गत वसुल किया गया कुल उपकर नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	वसूल किया गया उपकर (लाख रु.)	एपीडा द्वारा किया गया व्यय
1991-92	687.95	896.40
1992-93	884.28	1111.48
1993-94	1251.81	1208.86

(स्रोत : एपीडा)

(ख) और (ग). समुद्री उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले उपकर को समाप्त करने के बारे में सरकार ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

अधिकारियों के विरूद्ध सी.बी.आई. जांच

1770 श्री खोलन राम जांगडे :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारी विभिन्न आरोपों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जांच कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी चल रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

1771. श्री मंजय लाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 जनवरी, 1995 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बन्धुआ बाल मजदूरों को मुक्त करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधित श्रमिकों की पहचान करने और उनका पुनर्वास करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। भारत सरकार बंधित श्रम पद्धति को समाप्त करने की समस्या को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन का सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पूरी तरह से प्रबोधन कर रही है। राज्य सरकारों की कोशिशों को अनुपूरित करने के लिए श्रम मंत्रालय ने 1978-79 से बंधित श्रम के पुनर्वास के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रमिक के लिए अधिकतम 6,250/-रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसका आधा केन्द्रीय हिस्से के रूप में दिया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना को पहचान किए गए बंधित श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास के लिए अन्य निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन की योजनाओं के साथ उपयुक्त रूप से समायोजित करें। केन्द्रीय और राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित रोजगारों के बारे मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती हैं। मीडिया के माध्यम से इस संबंध में पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है।

कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंक

1772. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान बैंक-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 में घाटा उठाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाने और दिए गए अग्रिमों के उचित अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन पर प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने, प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित करने तथा उत्पादन स्तर में सुधार लाने के लिए बैंकों पर जोर दिया है। पूंजी पर्याप्तता, आय के निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड लागू किये गये हैं। बैंकों की देय राशियों की वूसली में गति लाने के लिये सरकार ने ऋण वसूली अधिकरण भी स्थापित किए हैं। व्यस्त/चुने हुए क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है।

विवरण

उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा जिन्हें वर्ष 1993-94 के दौरान घाटा हुआ

क्र.सं.	बैंक का नाम		(करोड़ रुपये में)
1.	इलाहाबाद बैंक	-	367.72
2.	आन्ध्रा बैंक	-	162.25
3.	बैंक आफ इंडिया	-	1089.15
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	-	296.93
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	711.93
6.	देना बैंक	-	69.84
7.	इंडियन बैंक	-	390.65
8	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	351.18
9.	पंजाब नेशनल बैंक		*
10.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-	175.99
11.	सिंडिकेट बैंक	-	299.40
12.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	618.06
13.	यूको बैंक	-	546.45

* तुलन पत्र को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की फालतू भूमि

1773. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम/भारतीय यूनिट ट्रस्ट/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की फालतू भूमि बेचने/खरीदने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बेची जाने वाली भूमि और उन भू-भागों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उक्त धनराशि का किस तरह से उपयोग करेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). वस्त्र अनुसंधान संघों ने 2005.72 करोड़ रु. के पूंजी निवेश से एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार की हैं। आधुनिकीकरण योजनाओं में 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर पुनर्निर्माण करने की परिकल्पना भी की गई है। श्रम मंत्रालय की एन टी सी विषयक विशेष त्रिपक्षीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ ही यह सिफारिश की है कि एन टी सी मिलों के साथ-साथ अधिग्रहित मिलों को वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा किए गए प्रस्ताव अनुसार

आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है तथा एन टी सी मिलों की बेशी भूमि तथा अन्य परिसम्पदाओं को बेचा जा सकता है तथा उससे प्राप्त होने वाली आय को प्रबंधकों द्वारा आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी आदि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने भी भारत में विभिन्न शहरों में एन टी सी के स्वामित्वाधीन बेशी भूमि को खरीदने के प्रति सिद्धांत रूप से सहमति प्रकट की है। तथापि, भूमि के विशेष खण्ड को खरीदने के बारे में एन टी सी/यू टी आई/ आई डी बी आई द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त पोषण के स्रोत आदि सहित आधुनिकीकरण योजनाओं के ब्यौरों की सरकार जांच कर रही है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं इसलिए जो भी अंतिम योजना उभरकर सामने आएगी उस पर बी आई एफ आर का अनुमोदन भी प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों को वेतन

1774. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वस्त्र निगम और ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों से उपदान और वेतन सहित छुट्टी जैसी देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). कार्यशील पूंजी की अधिक कमी के कारण एन टी सी के 9 सहायक निगमों में से 5 के सम्बन्ध में कर्मचारियों के 9 माह से 2 वर्ष की अवधि के लिए उपदान, वेतन सहित छुट्टी आदि के कुछ देय बकाया हैं। एन टी सी मिलों के पुनरूद्धार के लिए सर्वांगीण सुधार योजना सरकार के विचाराधीन है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तरिम द्रव्यता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है जो कि इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायका होगी।

बी आई सी के सम्बन्ध में आज की तारीख में कोई बकाया नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश से अंगूरों का निर्यात

1775. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से अंगूर निर्यात की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में अंगूर निर्यात करने के लिए उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). निर्यात के लिए अंगूरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। तथापि, घरेलू और निर्यात विपणन दोनों के लिए अंगूरों सहित फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम है। इसके अलावा, फसल-पश्चात् अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, निर्यात बाजार विकास, बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रचार के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

[हिन्दी]

कपड़े का आयात

1776. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन मानदंडों के अंतर्गत विकसित देशों से पुराने कपड़ों जैसे पतलूनों, कोटों, जैकिटों का बहुत बड़ी संख्या में आयात किया जाता है;

(ख) क्या इन वस्त्रों के आयात की अनुमति इन कपड़ों का पुनः प्रयोग करके नए कपड़े का निर्माण करने के लिए दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ कंपनियां इन मानदंडों का पालन न करके इन्हें बाजार में बड़ी मात्रा में सीधे ही सप्लाई कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). विद्यमान एक्जिम नीति के अन्तर्गत पुराने कपड़ों जैसे पतलूनों, कोटों, जैकिटों के आयात को आयात की निषिद्ध सूची में शामिल किए गए हैं। तथापि, प्रक्रिया संबंधी नियम पुस्तिका, 1992-97 के पेरा 27 (1) के अनुसार पूर्ण रूप से कटे फटे ऊनी चिथड़े/सिंथेटिक चिथड़े/शोडी ऊन को बिना लाइसेंस के आयात करने की अनुमति है, बशर्ते कि कटे फटे कपड़े सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपने सार्वजनिक/व्यापार सूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षताओं के अनुरूप हों।

[अनुवाद]

चावल का निर्यात

1777. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चावल के निर्यात में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने चावल के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मात्रा मी.टन में
कीमत लाख रु. में

मद	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
बासमती चावल	266528	49917.85	324790	80064.42	536534	103095.29
गैर-बासमती चावल	411935	25640.9	255619	17495.7	268908	24913.78
कुल	678463	75558.75	580409	97560.12	805442	128009.07

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में मात्रा व कीमत के हिसाब से आई गिरावट का मुख्य कारण था घरेलू उत्पादन में कमी, अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी जिससे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आयी है।

(ग) तथा (घ). चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए किये गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(i) न्यूनतम निर्यात मूल्य व मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना;

(ii) व्यापार शिष्टमंडल भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और सम्भाव्य क्रेताओं को आमंत्रित कर सम्भाव्य देशों में आक्रामक विपणन;

(iii) गुणवत्ता एवं पैकिंग में सुधार करने, उत्पादों का ब्रांड संवर्धन करने, बाजार सर्वेक्षण आदि कार्यों के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

काला धन

1778. श्री सुधीर सावंत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में काले धन की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो हमारी अर्थव्यवस्था में काले धन का पता लगाने के लिए सी.बी.डी.टी., भारतीय रिजर्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय के बीच सहयोग और समन्वय की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काले धन की उपस्थिति के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा काले धन पर अंकुश लगाने और काले धन को विभिन्न तरीकों से सफेद धन में परिवर्तित करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्र सरकार के आदेश पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पन्न काले धन के अनुमान के बारे में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन को मार्च, 1985 में "एस्पेक्ट्स आफ ब्लैक मनी इन इंडिया" शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1983-84 में काला धन 31584 करोड़ रु. से 36786 करोड़ रु. के बीच है। यह अनुमान अनेक कल्पनाओं और अनुमानों पर आधारित था। इसके बाद इस संबंध में कोई प्रामाणिक अध्ययन किया गया प्रतीत नहीं होता।

(ख) आर्थिक आसूचना परिषद द्वारा आयोजित बैठकों में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि नियमित रूप से भाग लेते हैं और पारस्परिक हित के मामलों में सूचना का आदान-प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ). काले धन को उत्पन्न करने वाले कारणों की जड़ें अर्थव्यवस्था में गहरी हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट में पता लगाए गए कुछ कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कराधान संरचना, आर्थिक नियंत्रण की जटिलता, सरकारी व्यय में वृद्धि, मुद्रास्फीति और कर-अपवंचन के विरूद्ध कमजोर निवारक उपाय शामिल हैं। उपर्युक्त कारण केवल अकेले ही नहीं बल्कि संयुक्त रूप से भी कार्य करते हैं।

(ङ) कर-अपवंचन की रोकथाम और काले धन के उत्पन्न होने को रोकना किसी भी अर्थव्यवस्था में निहित निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। सरकार काले धन के उत्पन्न होने एवं उसकी वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर यथोचित आवश्यक कानूनी, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दर को उत्तरोत्तर कम किया गया है और आय के स्तरों को उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक ऐसे

प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य काले धन के उत्पन्न होने को रोकना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44-क क और 44 क ख के अधीन उचित मामलों में लेखों को अनिवार्य रूप से रखने एवं उनकी लेखा-परीक्षा, धारा 40क(3), 269 ध ध और 269 न के अंतर्गत नकद लेन-देन पर प्रतिबंध, अध्याय **-ग के अधीन संपत्तियों की पूर्वाधिकार खरीद के बारे में प्रावधान और कर न देने वालों को दंडित करने के लिए दण्ड और अभियोजन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों, तलाशियों और दूसरे जांच-कार्यों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। उचित मामलों में इन प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय काली मिर्च के आयात पर प्रतिबंध

1779. **श्री प्रेम चन्द राम :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने एक विशिष्ट किस्म की भारतीय काली मिर्च के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रम कानून

1780. **श्री वी. धनंजय कुमार : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक श्रम कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इससे श्रमिकों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने तथा ओद्योगिक सम्बन्धों को बनाये रखने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). नए औद्योगिक विधान संबंधी रामानुजम समिति द्वारा की गयी सिफारिशों और विभिन्न मंचों पर किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर तथा औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अन्तर-मंत्रालयी ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन किये जाने से संबंधित विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया है। व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्तावों को हाल ही में अंतिम रूप दे दिया गया है और संशोधन विधेयक को विचार करने और रिपोर्ट देने हेतु श्रम एवं कल्याण से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्तावों को उचित समय पर अंतिम रूप दिये जाने पर विचार किया गया है।

गोवा में विमानपत्तन सुविधाएं

1781. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा में विमानपत्तन सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु कोई व्यापक कार्य योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोवा में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बढ़ते हुए आगमन से निपटने के लिए वहां रात्रि में विमान उतरने और माल ढुलाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कुल कितने विदेशी पर्यटकों ने गोवा की यात्रा की और आगामी पांच वर्षों में कितने पर्यटकों के आने का अनुमान है; और

(ङ) गोवा में विदेशी पर्यटकों के सतत आगमन हेतु आधारभूत नेटवर्क सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बनायी गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). गोवा के नौ सेना हवाई अड्डे पर, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण वर्तमान टर्मिनल भवन के परिवर्धन और अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए नये ब्लॉक का निर्माण और एप्रेन का विस्तार कर रहा है। रात्रि अवतरण सुविधाओं का उन्नयन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा की यात्रा पर आये विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आगमन
1992	121442
1993	170658
1994 (अगस्त तक)	118523

राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराए हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों पर खर्च की गयी धनराशि

1782. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) रूग्ण एककों की कुल संख्या कितनी है और इनमें अब तक कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या उनकी रूग्णता के कारणों की जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने एकक अपने मालिकों की अपेक्षा के कारण रूग्ण पड़े हैं; और

(ङ) इन रूग्ण एककों की ऋण अदायगी क्षमता की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार देश में 23.84 लाख लघु उद्योग एकक थे। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से इन पर किए गए कुल व्यय से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) मार्च, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पोर्टफोलियो में 2,56,425 रूग्ण लघु उद्योग एककों के पास 3,680.37 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री पी.आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने कई सिफारिशें की थी और लगभग सभी प्रमुख सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया था और बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

(घ) और (ङ). पूछे गए ढंग से भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंजों से सम्बन्धित समिति

1783. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों में वायदा बाजार "केरी फार्वर्ड बिजनिस" की जांच-पड़ताल के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) इस समिति द्वारा अब तक की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या समिति को अब तक कोई वांछित परिणाम मिले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों में लेन-देनों की वायदा-व्यापार प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी।

(ख) इस समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

(1) श्री जी.एस. पटेल
(2) श्री दीपक पारेख
(3) श्री एम.आर. मय्या

"सेबी" में डिवीजन प्रमुख श्री राजीव नाबर इस समिति के सचिव थे। समिति गठित करने का प्रयोजन ऊपर (क) के उत्तर में बताया गया है। इसके अलावा समिति के कोई विशिष्ट विचारणीय विषय नहीं है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों में अल्ट्रा वायलेट मशीनों की स्थापना

1784. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली-नोटों को रोकने के लिए सभी बैंकों में अल्ट्रावायलेट मशीनें लगाने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने बैंकों में ऐसी मशीनें लगायी गई हैं और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाली ड्राफ्ट

1785. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1995 के "जनसत्ता" में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि

जाली बैंक ड्राफ्टों के भुगतान के कारण भारतीय बैंकों को 23 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धोखाधड़ी के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 16.9.94 को श्री रामी शौकत बारी और अन्यों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता और विदेशियों विषयक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पूरी हो गई है और मुख्य मेट्रो-पोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई है।

[अनुवाद]

पूंजीगत सामान का करमुक्त आयात

1786. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 700 प्रतिशत निर्यात वचनबद्धता के स्थान पर पूंजीगत सामान का करमुक्त आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस निर्णय के विरूद्ध पूंजीगत सामान के भारतीय निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार द्वारा एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसमें निर्यात-बाध्यता के प्रति पूंजीगत माल का निःशुल्क आयात किए जाने की मांग की गयी है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा इनमें उठाये गए मुद्दों को भी इस प्रस्ताव पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सैक्यूरिटी प्रेस

1787. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में सैक्यूरिटी प्रेस के निर्माण के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इस कार्य के लिए अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) इसे पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि अपेक्षित होगी; और

(घ) उपरोक्त सैक्यूरिटी प्रेस कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान (1 अप्रैल, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक) मैसूर में प्रस्तावित सैक्यूरिटी प्रेस के निर्माण में 99.72 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।

(ख) मैसूर में प्रस्तावित उपर्युक्त सैक्यूरिटी प्रेस पर अब तक (28 फरवरी, 1995 तक) व्यय की गई कुल राशि 135,33 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 1994 की चौथी, तिमाही तक (चालू कीमतों/मुद्रा मूल्यों) के अनुसार नवीनतम परियोजना लागत के अनुमान 878.4 करोड़ रुपए प्राक्कलित किए गए हैं।

(घ) उत्पादन की पहली श्रृंखला मार्च, अप्रैल, 1996 तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है। पूरी तरह से प्रेस वर्ष 1999 तक पूरी किए जाने की सम्भावना है।

केरल के बैंकों में सी.डी.आर.

1788. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल से औसतन प्रतिवर्ष कुल कितनी जमाराशि एकत्र की गई है;

(ख) प्रतिवर्ष औसतन कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ग) राज्य में ऋण संचालन कार्य को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). मार्च, 1992, 1993 और 1994 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण नीचे दिया गया है :—

(राशि लाख रुपए)

	1992	1993	1994
जमाराशियां	3771,63	4556,59	5493,85
ऋण	1795,88	1992,36	2052,61

भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से वार्षिक औसतों के आधार पर सूचना प्राप्त न होकर ऊपर दर्शाये गए अनुसार बकाया जमाराशियों और ऋण के संबंध में सूचना प्राप्त होती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ केरल में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों की समीक्षा करने के लिए कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केरल सरकार ने विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मानीटरिंग समिति गठित की है। इन सिफारिशों पर राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों मे भी चर्चा की जाती है और कार्य बिन्दु को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के पास भेजा जाता है।

अमरीकी कंपनियों के लिए विमानों का उत्पादन

1789. श्री येल्लैया नंदी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1995 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में "इंडिया बिल प्रोड्यूस एअरक्राफ्टस फार यू.एस. कंपनीज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार अमरीकी कंपनियों के लिए आठ हवाई जहाज और हेलीकाप्टर बनाने को सहमत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी और देश से ऐसा ही आदेश प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). अमेरिकी कंपनियों या अन्य देशों के लिए विमानों या हेलीकाप्टरों का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बोइंग, यू.एस.ए. फोक्कर, नीदरलैंडस और एयर बस इंडस्ट्री, फ्रांस के लिए कुल कल पुर्जों का उत्पादन कर रहा है। मैसर्स तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लिमिटेड ने पार्टनेविया इटली के सहयोग से छोटे परिवहन विमान (पी 68 ओब्जर्वर-2 और ए.पी. 68 टी.पी. 600 वायटर) का उत्पादन शुरू किया है।

केरल में पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

1790. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए पर्यटन विकास परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने केरल में पर्यटन विकास के लिए कितनी धनराशि जारी की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1994-95 के दौरान केरल राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 168.65 लाख रु. राशि की सात परियोजनाओं/स्कीमों को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाओं और राशि का बयौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
1.	कालीकट में यात्री निवास	41.14
2.	पीरमेड में यात्री निवास	34.98
3.	एलेप्पी में यात्री निवास	38.93
4.	अर्नमूला में पर्यटक-गृह	22.41
5.	अदूर में कैफेटेरिया	11.19
6.	अर्नाकुलम में इंदिरा गांधी बोटरेस आयोजित करने के लिए सहायता	15.00
7.	प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए सहायता	5.00

गुजरात में ऋण राहत योजना

1791. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में ऋण राहत योजना से कितने किसान और ग्रामीण दस्तकार लाभान्वित हुए हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 1994 से गुजरात को कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) बकाया राशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक बार उठाये गये कदम के रूप में थी और कोई वर्ष-वार आबंटन नहीं किया गया था। योजना, 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई थी। उन सभी पात्र उधारकर्ताओं को, जो योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते थे, निर्दिष्ट तारीख के अन्दर बैंकों द्वारा ऋण राहत उपलब्ध कराया गया था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एआरडीआर योजना, 1990 के अन्तर्गत गुजरात राज्य में 3,78,027 किसानों और 81,198 ग्रामीण कारीगरों को 140.12 करोड़ रुपए (लगभग) की ऋण राहत उपलब्ध कराया था।

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गुजरात राज्य में एआरडीआर योजना, 1990 के अन्तर्गत 8,84,297 लाभार्थियों को 341.81 करोड़ रुपए की ऋण राहत उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी दावे अब निपटा दिये गये हैं।

रुपये का मूल्य

1792. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी तथा मार्च, 1995 के दौरान यूरोपीय देशों की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारतीय रुपये के मूल्य में कितनी गिरावट आई है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। चुनी हुई यूरोपीय मुद्राओं के लिए जनवरी, 1995, फरवरी, 1995 और 16 मार्च, 1995 तक के महीनों के लिए प्रति एकक रुपए निम्नानुसार हैं :—

विदेशी मुद्रा के प्रति एकक रुपए
(एफ.ई.डी.ए. आई. निर्देशक दरों पर आधारित)

मुद्रा	जनवरी	फरवरी	मार्च (16.3.1995 तक)
पौंड स्टर्लिंग	49.3578	49.3380 (0.04)	50.9161 (-3.10)
ड्यूश मार्क	20.4685	20.8666 (-1.86)	22.4667 (-7.17)
नीदरलैंड गिल्डर	18.3064	18.6190 (-1.68)	20.0386 (-7.08)
स्विस फ्रांक	24.5456	24.6645 (-0.93)	26.8651 (-8.19)
बेल्जियन फ्रांक	0.9961	1.0144 (-1.80)	1.0877 (-6.74)
फ्रैंच फ्रांक	5.9339	6.0051 (-1.19)	6.3397 (-5.28)

कोष्ठकों में आंकड़े पिछले महीने से रुपए की मूल्य वृद्धि (+)/मूल्य ह्रास (-) दर्शाते हैं।

(ग) और (घ). रुपए की विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की स्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

तम्बाकू की खरीद के लिए नीलामी केन्द्र/प्लेटफार्म

1793. श्री अमर रायप्रधान : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू के उत्पादकों के लिए देश भर में किन-किन स्थानों पर तम्बाकू की खरीद के लिए नीलामी केन्द्र/क्रय केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा किन-किन किस्मों के तम्बाकू क्रय किये जा रहे हैं तथा अन्य किस्मों को क्रय न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को तम्बाकू उत्पादकों की तरफ से इन केन्द्रों द्वारा सभी किस्मों की तम्बाकू की खरीद के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तंबाकू बोर्ड ने वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए निम्नलिखित स्थानों पर बिक्री प्लेट-फार्म स्थापित किए हैं :—

आंध्र प्रदेश

1. भद्राचलम
2. थोरेडु
3. कपावरम
4. नंदीगामा
5. कांचीकचोरला
6. गुंटूर
7. चिलकालुरिपेट
8. वेलमपल्ली
9. ओंगोले-1
10. ओंगोले-2
11. तंगुतूर-1
12. तंगुतूर-2
13. पोदिली
14. कंडुकुर
15. कालीगिरि
16. डी. सी. पल्ली
17. देवरापल्ली
18. कोयलागुडम
19. जंगरेडीगुडम

कर्नाटक

1. एच.डी. कोटे
2. हंसुर
3. पेरियापटना-1
4. पेरियापटना-2
5. पेरियापटना-2
6. रामनाथपुरा
7. शिमोगा

(ख) से (ङ). तंबाकू बोर्ड पंजीकृत उपजकर्त्ताओं द्वारा उगाए जाने वाले वर्जीनिया तंबाकू की नीलामी के लिए प्लेटफार्म स्थापित करता है। तंबाकू बोर्ड अधिनिमय के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा केवल वर्जीनिया तंबाकू के उपजकर्त्ताओं का पंजीकरण किया जाता है। इस प्रकार इन केन्द्रों पर तंबाकू की सभी किस्मों की खरीद के लिए तंबाकू उपजकर्त्ताओं के अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

जर्मनी को सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात

1794. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की सरकार ने अपने देश में कैंसर पैदा करने वाले रंगों से छपे और रंगे वस्त्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या इस प्रतिबंध से जर्मनी को भारत से किए जाने वाले निर्यात के कुप्रभावित होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). जर्मन सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके अनुसार ऐसे वस्त्र उत्पाद जिसका मानव शरीर के साथ स्पर्श मात्र अस्थाई प्रकृति के लिए नहीं है तथा जो ऐजो रंगों से रंगा तथा प्रिंट किया गया है और सूचीबद्ध कारसीनोजेनिक एमीन्स बना सकता हो, को जर्मनी में आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन की तिथि जोकि 1-1-95 से शुरू होनी थी, को 1-7-95 तक आस्थगित कर दिया गया है।

जर्मन सरकार के विशिष्ट्रीकृत ऐजो रंगों के प्रयोग सहित वस्त्रों के आयात को जुलाई, 1995 से प्रतिबन्ध लगाने के सन्दर्भ में भारत सरकार ने निर्यातों की गति को बनाये रखने के लिए इन रंगों की समीक्षा करने तथा वैकल्पिक अनुमेय रंगों को अभिज्ञात करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र समिति विभिन्न वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्त्र अनुसंधान संघ जर्मन कानून के अनुरूप परि-अनुकूलन वस्त्रों के निर्यातों के लिए रंगों के संबंध में वस्त्र उद्योग तथा व्यापार में जागरूकता पैदा करने के काम में सक्रियता से लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

जनता वस्त्र का उत्पादन

1795. डा. साक्षीची : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जनता वस्त्र का उत्पादन करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में जनता वस्त्र के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में किस समय तक इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उत्तर प्रदेश में जनता कपड़ा तैयार करने वाले अभिकरणों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि., कानपुर।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लि., कानपुर।

(ख) लक्ष्य : 80 मिलियन वर्ग मीटर

उपलब्धि : 72.65 मिलियन वर्ग मीटर। (जिसमें 30 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य को छोड़ने के लिए पैकेज-2 के अंतर्गत दी गई इक्विटी सहायता भी शामिल है)

(ग) 70 मिलियन वर्ग मीटर।

फलों और सब्जियों का निर्यात

1796. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष फलों और सब्जियों की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) फलों और सब्जियों के निर्यात में तेजी से वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्ष से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए फलों एवं सब्जियों की कुल मात्रा एवं उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

मात्रा : टन
कीमत : लाख रु.

1991-92		1992-93		1993-94	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
493200	29398	512996	34708	475332	38543
79952	15778	95476	20593	120522	26850

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) फलों एवं सब्जियों का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, जो उपाय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं :- (I) बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए योजनाएं जैसे विशेष परिवहन इकाइयों की खरीद के लिए निर्यातकों की सहायता देना, एयर हैंडलिंग व्यवस्था वाली प्रशीतन-पूर्व सुविधाओं की स्थापना करना, निर्यात के प्रयोजनार्थ हवाई अड्डों/बन्दरगाहों पर प्रशीतन भण्डार गृहों की स्थापना; (II) फसल पश्चात रख-रखाव के लिए यंत्रीकृत व्यवस्था की स्थापना; (III) उन्नत पैकिंग, (IV) गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण; (V) उत्पाद नमूनों की आपूर्ति; (VI) प्रचार; (VII) ब्रांड संवर्धन अभियान के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात का संवर्धन; (VIII) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और (IX) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी ।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

1797. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र हेतु 700 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा क्षेत्रवार इसका कितना-कितना आवंटन किया जाएगा; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से 700 मिलियन अमरीकी डालर ऋण लेने की बातचीत पूरी कर ली है। इस ऋण को अभी विश्व बैंक के बोर्ड के निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ख) और (ग). इस ऋण के तीन संघटक हैं। पहला, 350 मिलियन अमरीकी डालर का एक पूंजी की पुनर्संरचना करने वाला संघटक है जो सरकार को छः राष्ट्रीयकृत बैंकों को टायर-II पूंजीगत अंशदान देने में सहायता प्रदान करने के लिए है, ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजीगत पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को प्राप्त कर सकें। दूसरा, 150 मिलियन अमरीकी डालर का आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास संबंधी संघटक है जिसका उद्देश्य अधिक उदारीकृत बैंकिंग पर्यावरण में इन छः बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना और दीर्घावधिक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाना है तथा इसमें स्वचलन, कम्प्यूटरीकरण, परिसम्पत्ति देयता और ऋण प्रबन्ध तथा संस्थागत सुधार जैसे कार्यकलाप शामिल होंगे। तीसरा, 200 मिलियन अमरीकी डालर का बैकस्टाप सुविधा संबंधी संघटक है जिसका उद्देश्य आवांधक ऋण बाजार में विदेशी मुद्रा में सुव्यवस्थित विकास करने के लिए सहायता टन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों और अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं को नकदी संबंधी आश्वासन देना है। इसे वित्तीय बाजार अस्तव्यस्तता के दौरान निर्धारित शर्तों के अधीन निधियों को उधार लेने के विकल्प को पेशकश करके प्राप्त किया जा सकता है।

निर्यात संवर्द्धन कोष

1798. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी विशेष कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कोष कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विमान टर्बाइन ईंधन का आयात

1799. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमान टर्बाइन ईंधन का आयात बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय से राष्ट्रीय विमान सेवा प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). विमानन टर्बाइन ईंधन सरणीबद्ध मदों की सूची के अन्तर्गत आता है और इसका आयात सरणीकरण एजेंसी अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा सकता है। निर्यात गृहों, व्यापार गृहों, स्टार व्यापार गृहों, सुपर स्टार व्यापार गृहों आदि को जारी निर्बाध हस्तांतरण विशेष आयात लाइसेंसों के आधार पर भी इस मद का आयात करने की अनुमति है।

आयात निर्यात नीति की संवीक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा जब और जैसे आवश्यक समझा जाता है उसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को बैंक ऋण

1800. श्रीमती बिम्बू कुमारी देवी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के कितने उद्यमियों को बैंक ऋण दिया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा संस्तुत ऐसे कितने बेरोजगारों को अभी तक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(ग) जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा संस्तुत सभी लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). [illegible]वतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बे[illegible]जगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (एसईईयू[illegible]ाई [illegible]र प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत [illegible] द्वारा मंजूर ऋणों से है। दिनांक 2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ [illegible] गई पीएमआरवाई का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। पहली अप्रैल, 1994 से एसईईयूवाई योजना, पीएमआरवाई में शामिल कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में 1993-94 और 1994-95 (31 जनवरी, 1995 तक) के वर्षों के दौरान पीएमआरवाई के तहत प्राप्त हुए और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

बैंकों को 25,000/- रुपये तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह तक और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह तक निपटाना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित समय सीमाओं के अंतर्गत आवेदन पत्रों को [illegible]टायें।

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 (31.1.95 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत प्राप्त हुए और मंजूर हुए पत्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	1993-94 प्राप्त आवेदन	पत्रों की सं.	1994-95 मंजूर किए गए आवेदन	पत्रों की संख्[illegible]
1.	अरुणाचल प्रदेश	161	43	163	49
2.	असम	945	751	2816	704
3.	मिजोरम	224	167	647	[illegible]
4.	मेघालय	170	136	315	[illegible]
5.	मिजोरम	40	14	238	1[illegible]
6.	नागालैंड	130	70	190	11
7.	सिक्किम		-	117	3[illegible]
8.	त्रिपुरा		121	785	[illegible]

* 31 जनवरी, 1995 तक, अद्यतन उपलब्ध

भारत से निर्यात

1801. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या वाणिज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "फेडरेशन आफ इंडियन एक[illegible] ओर्गेनाइजेशन" से सुझाव प्राप्त हुए हैं [illegible]त सुविधा [illegible] अभाव और उनके घटिया रख-रखाव के कारण हाल के महीनों में निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). वाणिज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में व्यापार बोर्ड की दिनांक 24 फरवरी, 1995 को आयोजित बैठक में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ ने बुनियादी संरचना संबंधी विकास के लिए सुझाव सहित [illegible]ई सुझाव प्रस्तुत किए। जिन क्षेत्रों में सुधार का अनुरोध किया गया है, वे हैं : विद्युत, परिवहन एवं संचार क्षेत्र।

(ग) सरकार ने देश में बुनियादी संरचना संबंधी विकास और साथ ही मौजूदा बुनियादी संरचना संबंधी सुविधाओं के बेहतर रख-रखाव के लिए कई उपाय किए हैं। बुनियादी संरचना संबंधी विकास क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति पहले ही दे[illegible] दी गई है। यह मंत्रालय निर्यात संबंधी बुनियादी संरचना के संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वायुयान एवं जल-परिवहन के जरिए निर्यात-संवर्धन संबंधी स्थायी समिति (स्कोप-एयर एण्ड स्कोप शिपिंग) की नियमित बैठकें करवाता है। निर्यात संवर्धन जोनों के विकास के अलावा राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी संरचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना भी बनाई गई है।

अमरीकी निवेश

1802. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :**
डा. वसंत पवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापार मिशन ने अपने हाल की यात्रा के दौरान कुछ भविष्यवाणियां कीं तथा विशेषरूप से भारत में निवेश की संभावनाओं का पता लगाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अमरीकी निवेश और पूंजी आधार को आकर्षित करने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाने का है क्योंकि इस निवेश और पूंजी का चीन से अन्य राष्ट्रों की ओर स्थानांतरण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग द्वारा भारत को पहले दस उभरते बाजारों में से एक माना गया है।

यू.एस. व्यापार मिशन ने भारत में संयुक्त राज्य अमरीका की पूंजी के प्रवाहों के बारे में विश्वास और आशा व्यक्त की है।

(ग) से (ङ). भारत सरकार की विदेश निवेश नीति और सम्बन्धित उपाय प्रौद्योगिकी अन्तरण, विदेशी मुद्रा के भण्डारों की वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के एक साधन के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बढ़ते महत्व को स्वीकारते हुए किए गए हैं। तथापि, सरकार द्वारा देश-विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन नहीं दिए जा रहे हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1803. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को अनिवासी भारतीयों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में निवेश के कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के लिए भेजे गये सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार के निवेशों के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). नई औद्योगिक नीति, 1991 के बाद 28.2.1995 तक सरकार के पास 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 12 प्रस्तावों को, आन्ध्र प्रदेश राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए लगभग 2688.00 रु. लाख के अनिवासी भारतीय निवेश की परिकल्पना करते हुए, अनुमोदित कर दिया गया है।

(घ) इस प्रकार के अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है। राज्य सरकार इन इकाइयों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा पावर, जल इत्यादि उपलब्ध कराती है।

रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय योजना

1804. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोक्ताओं और राज्य व्यापार संघों द्वारा संयुक्त रूप से रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सरकार को, नियोक्ताओं तथा राज्य व्यापार संघों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही रोजगार सृजन योजना संबंधी, किसी राष्ट्रीय प्लान की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

1805. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विमानपत्तन के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन के आधुनिकीकरण हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ग). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लगभग 176 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान यातायात नियंत्रण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसके अलावा, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग 520 करोड़ रुपए की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल कांप्लैक्स चरण-II अतिरिक्त रिमोट पार्किंग वे, निजी एयरलाइंस के लिए हैंगर एनेक्स और एप्रेन कार्गो वे मल्टी लेबल कार पार्क कार्गो काम्पलैक्स में जन सुविधा ब्लॉक के निर्माण की योजनाएं हैं।

केरल में बैंकों की शाखाओं का बन्द होना/स्थानांतरण

1806. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की किन्हीं शाखाओं/कार्यालयों को बन्द करने अथवा उन्हें स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1994 के दौरान ऐसी किसी शाखा/कार्यालय को बन्द/स्थानांतरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक को केरल में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा को बंद/स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गोस्वामी समिति की रिपोर्ट

1807. श्री अन्ना जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूग्णता के संबंध में गोस्वामी समिति की रिपोर्ट का उद्योगपतियों ने विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोस्वामी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रूग्ण इकाइयों को तीव्रता से बंद करने के लिए कोई तरीका खोज निकालने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने जुलाई, 1994 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा रूग्ण कम्पनियों के पुनरूद्धार का शीर्घ निर्णय करने की आवश्यकता और पुनरूद्धार योजनाओं के तुरन्त कार्यान्वयन के लिए बीआईएफआर को अधिदेशात्मक शक्तियां प्रदान करने पर बल दिया गया था।

सरकार ने 1993 में डा. ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में औद्योगिक रूग्णता और कार्पोरेट पुनर्संरचना पर एक समिति नियुक्त की थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, रूग्णता का जल्दी पता लगाने, बीआईएफआर का एक शीघ्र निपटान करने वाली संस्था के रूप में पुनर्गठन करने और परिसमापन अधिकरणों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने की सिफारिश की गयी है।

बीजों के निर्यात हेतु वित्तीय सहायता

1808. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीजों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). बीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए अपनाए गये उपायों में अन्य के अलावा ये भी शामिल हैं: कुछ श्रेणियों को छोड़कर, जो निर्यात-आयात नीति के तहत निर्यातों की नकारात्मक सूची का भाग हैं, बिना प्रतिबंध के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति, आयात शुल्क में कमी, इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास के लिए कर-लाभ और रियायती ब्याज दरों पर लदान-पूर्व और लदान-पश्चात ऋण।

आयातित चीनी का निर्यात

1809. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित चीनी के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी निर्यातकों के संगठन ने सरकार द्वारा आयातित चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगाने हेतु जारी की गई अधिसूचना से बचने के लिए अपने विदेशी सहयोगियों के माध्यम से पिछली तिथियों के साख-पत्रों और अनुबन्धों को जारी कराने हेतु विदेशी बैंकों से सम्पर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है और कुल कितनी आयातित चीनी का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने चीनी निर्यातकों के इस कार्य को गम्भीरता से लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश से आयातित चीनी के निर्यात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). आयातित चीनी के पुनर्निर्यात को प्रतिबन्धित मदों से सम्बन्धित निर्यातों की निषेधात्मक सूची के भाग-2 में रखा गया है, जिससे निर्यात की अनुमति दिनांक 13.1.1995 की अधिसूचना सं. 64 के अनुसार केवल लाइसेन्स के तहत दी जाती है। इस अधिसूचना की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। मुक्त अधिसूचना में पहले से ही आयी हुई और सीमाशुल्क निकासी के लिए लम्बित आयातित चीनी सहित आयातित चीनी के सम्बन्ध में नीति के पैरा-5 के अन्तर्गत निर्धारित किसी व्यापार सुविधा का प्रावधान नहीं है। इसलिए, पक्षकारों द्वारा अधिसूचना को निरर्थक करने और व्यापार सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से पिछली तारीखों के साख-पत्र प्राप्त करने के लिए किए गये प्रयास का कोई लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

मजदूरों के लिए विशेष शिक्षा योजना

1810. श्री रामपाल सिंह :
श्री बच्चभूषण शरण सिंह :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोखिम वाले उद्योगों में कार्यरत मजदूरों और बाल श्रमिकों के लिए कोई विशेष शिक्षा योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना से कितने मजदूरों को लाभ होगा; और

(घ) यह योजना कब से आरम्भ की जायेगी?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार जोखिम वाले उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों/बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, शिक्षा विभाग पहले ही 1979-80 से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिसमें 6-14 आयु समूह के ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक की वजह से स्कूलो में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त के अलावा, श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, जोखिम वाले व्यवसायों सहित विभिन्न व्यवसायों में कार्य से हटाये गए बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा इस उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष स्कूलों के माध्यम से दी जाती है।

सरकार इस समय जोखिम वाले व्यवसायों में लगे बाल श्रम, जिनकी संख्या 20 लाख है, के उन्मूलन के लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया में लगी है। इस योजना के अंतर्गत जोखिम वाले व्यवसायों में लगे बच्चों को जोखिम भरे व्यवसायों जिनमें में वे लगे हैं, से चरणबद्ध रूप में हटाये जाने और उन्हें विशेष स्कूलों में भेजने का प्रस्ताव है। जोखिम वाले व्यवसायों में लगे बाल श्रम का वर्ष 2000 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय औषधियों के आयात पर प्रतिबंध

1811. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की कुछ औषधियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय औषध उत्पादकों को कितनी अनुमानित हानि हो रही है; और

(ग) इस प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) यू.ए.ई. के अधिकारियों ने जनवरी, 1994 में औषधियों के आयात के लिए संशोधित पंजीकरण क्रियाविधि अधिसूचित की। चूंकि भारतीय निर्यातक नए मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसलिए यू.ए.ई. को औषधियों के निर्यात पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा है।

(ख) संशोधित मानदण्डों को लागू किए जाने से पहले यू.ए.ई. प्राधिकारियों के पास पंजीकृत औषधियों सहित भारत से निर्यात की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ओषधियां तथा भेषज प्रभावित हुए हैं। केमीकल्स ने निर्यात में प्रतिवर्ष लगभग 25-30 करोड़ रु. की हानि होने का अनुमान लगाया है।

(ग) अधिकारियों तथा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडलों ने यू.ए.ई. का दौरा किया तथा इस मुद्दे पर यू.ए.ई. से संबधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चाएं कीं। यू.ए.ई. में स्थित हमारे आयोग ने भी वहां के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। इन चर्चाओं के आधार पर समस्या के समाधान के लिए और उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

श्री थाइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं सम्माननीय सभा के सामने यह तथ्य लाना चाहता हूं कि श्री मुतुम देबेन सिंह मणिपुर पीपल्स पार्टी का भावी उम्मीदवार था। इसके साथ ही, वह मणिपुर राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्री भी था। वह जब अपने साथियों के साथ जिनकी संख्या सौ से अधिक थी, चुनाव प्रचार कर रहा था तो उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या खुलेआम 11 फरवरी, 1995 को की गई। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता श्री मधु मंगल शर्मा की भी हत्या उनके निवास स्थान पर कर दी गई। श्री देबेन सिंह राज्य मंत्री थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और मणिपुर पीपल्स पार्टी ने सरकार से इस बारे में श्वेत पत्र लाने की मांग की। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं इस सदन में यह मामला इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि पार्टी को ऐसा प्रतीत होता है कि यह हत्या राजनीति से प्रेरित है क्योंकि भूतपूर्व मंत्री वर्तमान सदस्य थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोई शोक प्रकट नहीं किया। यहां तक कि सरकार ने इस हत्या की भर्त्सना भी नहीं की। अतः यह मानां जा रहा है कि यह हत्या राजनीति से प्रेरित है। अतः मैं यह मामला सदन की जानकारी में लाया हूं और मैं यह चाहता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करे कि वह इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये ताकि हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

मेरा अन्तिम कथन यह है कि अभी तक शोकाकुल परिवार को कोई अनुग्रह राशि नहीं दी गई है। अतः मैं इस सम्मानीय सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि शोकाकुल परिवार को पांच लाख रुपये की राशि मानवीय आधार पर दी जाये।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार से करीब 400 उम्मीदवारों और उनके चुनाव अभिकर्ताओं को यहां दिल्ली में बुलाया गया है जहां चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें दिल्ली न बुलाकर, निर्वाचन आयोग पटना में जाकर या निर्वाचन आयोग अपने किसी अधिकारी को वहां भेजकर उनसे जो बातें जाननी हैं या जो जानकारी प्राप्त करनी है, वह जानकारी प्राप्त करे क्योंकि

उन 400 आदमियों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तथा खर्च अलग हो रहा है। इसी कारण मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग इस सुझाव पर विचार करे और जिन लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है, उन्हें दिल्ली न बुलाकर, पटना में ही उनकी बात सुनी जाये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है कि पिछले दिनों राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण राजस्थान के 12 जिले जिनमें झालावाड़, टोंक, राजसमन्द, झुंझुनूं, दौसा, जयपुर, अलवर, बांसवाडा, चित्तौड़, उदयपुर, और अजमेर शामिल हैं, बहुत अधिक प्रभावित हुये हैं। उन जिलों में किसानों की करोड़ों रुपये की खड़ी फसलें बर्बाद हो गयी हैं। भारी ओलावृष्टि के कारण कई मकानों को क्षति पहुंची है और अनेक लोग बेघरबार हो गये हैं। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि यहां यह एक टीम ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों में भेजी जाये जो वहां मौके पर जाकर लोगों और फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले तथा जिन किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिन मकानों को क्षति पहुंची है या जो मकान गिर गये हैं, भारत सरकार की ओर से उन्हें मदद दी जाये। इसके साथ-साथ कॉर्प इन्श्योरेंस स्कीम वहां लागू की जाये, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार वहां तुरन्त एक टीम स्थिति का जायजा लेने के लिये भेजेगी तथा जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें मुआवजा देगी और जिनके मकान गिर गये हैं, उन्हें रिस्टोर कराने की व्यवस्था करेगी क्योंकि यह बहुत अहमियत का प्रश्न है, किसानों से जुड़ा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं मणिपुर में हुई हत्याओं के बारे में इनका समर्थन करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि दिल्ली में 15 स्थानों पर विस्फोट हुए हैं और कनॉट प्लेस में 15 व्यक्ति घायल हुए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और सरकार से इस बारे में एक वक्तव्य अपेक्षित है कि दिल्ली जैसे स्थान पर इन प्रमुख स्थानों पर ऐसी घटनाएं कैसे घटीं। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस घटना के बारे में गृह मंत्री आज ही एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : हमें आज एक अध्यादेश पारित करना है और कल भी सदस्यों ने सहयोग दिया था। मैं यह समझता हूं कि वह अध्यादेश पारित करना आवश्यक है अन्यथा हमें शनिवार को भी बैठना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, आप सरकार को दिल्ली में हुये बम-ब्लास्ट के संबंध में स्टेटमेंट देने के लिये कहिये क्योंकि यह बहुत चिन्ताजनक मामला है, इम्पौर्टेंट मामला है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी पुलिस नहीं है कि वह ऐसी घटनाओं को देख सके। केन्द्र की सारी पुलिस वी.आई.पी. लोगों की सेवा में लगी रह जाती है। भारत सरकार को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी चाहिये ताकि दिल्ली गवर्नमेंट ब्लास्ट जैसे मामलों को ठीक से डील कर सके।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

12.09 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें। सबको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठें।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में दो दलित महिलाओं के साथ पुलिस ने बलात्कार किया है। आज तक न तो इस मामले में कोई इंक्वायरी की गयी है, न कोई रिपोर्ट लिखी गयी है और न कोई अन्य कार्यवाही की गयी। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस मामले की जांच के आदेश दिये जायें, इंक्वायरी कराई जाये और दोषी पुलिस वालों को दंडित किया जाये। ... **(व्यवधान)** उन महिलाओं के साथ वहां के दो कांस्टेबल और एक ए.एस.आई. ने बलात्कार किया, उनके कपड़े फाड़ दिये, बर्तन तोड़ दिये और उनकी फरियाद पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों का नाम एक-एक करके पुकारूंगा। आप सबको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं सरकार के सामने एक अविलम्बनीय लोक महत्व का बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। बम्बई में सहारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनेक अवांछनीय और गन्दी घटनाएं घट रही हैं। खाड़ी देशों से आने वाले लोगों को दलालों द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। यह मामला मेरे सहित अनेक सदस्य सम्मानीय सदन में अनेक बार उठा चुके हैं। इस मामले पर भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

गत मंगलवार को, जैसाकि समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है, खाड़ी देशों से लौटकर केरल जाने वाले तीन व्यक्तियों को दलालों द्वारा घेर लिया गया और उन्हें कुरला में एक होटल में ले जाया गया। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं और मेहनत की कमाई लूट ली और उन्हें बहुत कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस से शिकायत किये जाने पर अनिच्छा से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मेरा यह आरोप है कि इस प्रकार की घटनाएं पुलिस के एक वर्ग की सांठ-गांठ से हो रही हैं। अधिकारियों और सरकार द्वारा उदासीन रूख अपनाये जाने के परिणामस्वरूप ही इन शिकायतों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। खाड़ी देशों से और भी कुछ यात्री आ रहे थे उन्हें केरल जाना था, वो भी इन दलालों के शिकार हुए।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं इस मामले को गम्भीरता से ले और खाड़ी देशों से सहारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले उन यात्रियों को, जिन्हें बम्बई से अन्य गन्तव्य स्थानों को जाना होता है, सुरक्षा प्रदान करे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी का नाम पुकारूंगा, यदि आप सहयोग करेंगे तो। शून्य काल 12.30 म.घ. पर समाप्त हो जाता है। आप सहयोग करें। प्रत्येक सदस्य को एक-एक मिनट बोलने का समय दिया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में आजकल इस प्रकार का गिरोह सक्रिय है जो किशोर छात्र-छात्राओं का अपहरण कर रहा है और उन्हें पता नहीं किसी अन्य बड़े शहर में भेजता जा रहा है। इस प्रकार से करीब 40 छात्र-छात्राओं का अपहरण इस शहर से हो चुका है और फिरोजाबाद का पुलिस प्रशासन इनकी आज तक कोई खोज-खबर नहीं लगा पाया है जिसके कारण पूरे शहर में तनाव व्याप्त है। इस सम्बन्ध में स्कूल के छात्र-छात्राओं ने एक प्रदर्शन करके गिरोह को पकड़ने का मांग भी की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में फिरोजाबाद की कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां से पांच उद्योगपतियों का भी अपहरण हो चुका है, परन्तु एस.एस.पी. उनका भी पता लगाने में असमर्थ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह लाना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में मुस्लिम और हिन्दू समुदाय की लगभग आधी-आधी जनसंख्या है और बढ़ती हुई अपहरण की घटनाओं से कहीं एक दूसरे समुदाय में भ्रम की यह भावना फैल गई कि इन घटनाओं में दूसरे समुदाय का हाथ है, तो इससे फिरोजाबाद शहर की स्थिति ही विस्फोटक नहीं होगी, बल्कि पूरे देश में स्थिति बिगड़ने की संभावना है। अभी अलीगढ़ और आगरा में अल्पसंख्यक समुदाय के झगड़े हो चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वह इस स्थिति को दूर करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए और जो अपहरण की घटनाएं हुई हैं उनका पता लगाने और उन्हें अविलम्ब खोजकर पीड़ित परिवारों को पहुंचाया जाए।

चूंकि आपने मुझे सिर्फ एक मिनट की अपनी बात कहने के लिए दिया है। इसलिए मैं विस्तार में न जाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप सबने नोटिस दिया है। मेरे पास आप सबके नाम हैं। आप सभा का समय क्यों नहीं उचित तरीके से उपयोग करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वह क्षेत्र इस समय उग्रवादियों के चंगुल में चला गया है। यहां पर गरीब और दलित वर्ग के नौजवानों का विकास नहीं हो रहा है जिसके चलते वह राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग हो रहा है। मैंने बार-बार सरकार से निवेदन किया था कि जिन जिलों को सघन जवाहर रोजगार योजना में लिया गया है उसमें जहानाबाद जिले को भी लेना चाहिये और जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिये। आप बराबर अखबार में पढ़ते रहते हैं कि वहां उग्रवाद संगठन का बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है। हम चाहेंगे कि नियमों को शिथिल करके जहानाबाद को सघन जवाहर रोजगार योजना में लिया जाये जिससे उग्रवादी संगठन वहां से खत्म हो सके क्योंकि विकास ही एक मात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिये उग्रवाद को हटाया जा सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. के.वी.आर. चौधरी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा. के.वी.आर. चौधरी का नाम पुकारा था।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं भी चौधरी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वरिष्ठ चौधरी हैं। मैं कनिष्ठ चौधरी का नाम पुकार रहा हूं।

डा. के.वी.आर. चौधरी (राजमुन्दरी) : मैं आपका ध्यान पंचायत राज अधिनियम में व्याप्त त्रुटियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : डा. चौधरी, भाषण पढ़ना मना है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मौखिक रूप से कहें।

डा.के.वी.आर. चौधरी : हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों, पंचायत सरपंच पदों, मंडल और जिला परिषदों के चुनाव अलग-अलग कर अधिनियम का दुरूपयोग किया है। ऐसा करने से राजकोष को लगभग 75 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अधिसूचना अलग से जारी करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी गतिविधियां आरम्भ करने में दो महीने और अधिक समय लगा क्योंकि सब विकास कार्य रूक गये थे।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री और शहरी विकास मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि परिषदों, मंडलों और पंचायतों के चुनाव साथ-साथ एक ही दिन में कराये जायें जिससे धनराशि की बचत हो।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में एक पलामू जिला है जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। हुसैनाबाद प्रखंड में एक सीमेंट की फैक्ट्री है जो बहुत दिनों से बन्द पड़ी है। वहां के हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के लिए चिकित्सा और पढ़ने की व्यवस्था नहीं है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार उनके साथ दगा कर रही है। सत्य ही कहा गया है :-

दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो तो कर देखो।
जिस-जिसने दगा किया है, उसका जाकर घर देखो।

मैं आग्रह करूंगा कि उन मजदूरों को सुविधा देने की कृपा की जाए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि संचार मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का दूसरा परिमंडल बनाने का फैसला किया है। दूसरा परिमंडल देहरादून में बनाया जा रहा है लेकिन उसमें जो जिले जोड़े गए हैं, वे बहुत असुविधाजनक हैं। उसमें आगरा मंडल, बरेली मंडल, कुमाऊं और मुरादाबाद मंडल भी शामिल किए गए हैं, जो किसी भी भौगोलिक दृष्टि से देहरादून के नजदीक नहीं हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उन मंडलों की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि आवागमन का कोई उपयुक्त रास्ता नहीं है जबकि लखनऊ उसके बिल्कुल नजदीक है। यदि वास्तव में सरकार का फैसला एक सही दिशा में काम करने का है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान बरेली होगा। यदि दूसरा परिमंडल बनाना है तो उसे बरेली में बनाया जाए। केन्द्र सरकार ने बरेली को काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला भी लिया है और वह हर दृष्टि से सुविधाजनक है। इससे करीब एक लाख टेलीफोन के उपभोक्ता प्रभावित होंगे और विभागीय खर्च भी बचेगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें और उत्तर प्रदेश का दूसरा परिमंडल बरेली में स्थापित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ऐसे पिछड़े हुए जिले की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि हिन्दुस्तान का एक अजूबा जिला है, जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। 1950 में जब पन्तसागर की नींव पड़ी तो उस समय उसके नीचे रेणु नदी पर दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए एक स्प्रिंग पुल बनाया गया था। सितम्बर, 1991 की बारिश में वह पुल टूट गया। उस समय जब आपने मुझे समय दिया था तो मैंने हाउस में इस मामले को उठाया था तब वह स्प्रिंग पुल किसी तरह से बना था। अब सितम्बर, 1994 में फिर वह पुल टूट गया, जिससे उत्तर प्रदेश में मेरे क्षेत्र और मध्य प्रदेश में सम्पर्क टूट गया, जहां कि NCL,NTPC और भारत सरकार की कोयला खदानें हैं और प्राइवेट एल्यूमीनियम का कारखाना, कनौड़िया कैमीकल और हाईटैक कार्बन आदि तमाम कारखाने हैं। वहां आवागमन अवरूद्ध हो गया है। इसी के साथ हमारे आदिवासी, वनवासी जो कि रेणुसागर से रेणुकूट में बाजार करने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाते हैं, जंगल में आज उन बेचारों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है और इसलिए आज वह भुखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि पन्तसागर और रेणुसागर का जो बन्धा है, उसपर आने जाने की हमारे किसी भी आदिवासी को परमीशन नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं, उस समय भी मैंने मांग की थी कि बनारस से एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाय, इस बार वह चली लेकिन हमारे रेल मंत्री जी ने, पता नहीं मुझसे क्यों नाराज होकर उस पैसेंजर ट्रेन को बन्द कर दिया। मैं चाहता हूं कि उस पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाय और NCL,NTPC और भारत सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई करके शीघ्र उस पुल का निर्माण कराया जाय।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने राज्य में हाल ही के चुनावों में घटी एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ धार्मिक प्रचार किया जा रहा था। भारत में इस प्रकार के धार्मिक प्रचार की जानकारी सम्मानीय सदन को देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। भारत एक लोकतंत्र देश है और हमें एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ना होता है। अर्थात् देश में चुनाव लड़ने के लिए केवल दो पार्टी होनी चाहिये। उदाहरणार्थ ब्रिटिश राज्य में केवल दो पार्टियां होती हैं। इसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत में अनेक पार्टियां होती हैं। वे धन बांट रहे हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। वे आदिवासी लोगों का शोषण कर रहे हैं और मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासियों को धमकी दे रहे हैं और उनका वोट प्राप्त कर रहे हैं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्योंझर से केवल पांच विधान सभा सदस्य हैं। इनमें से एक सीट पर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र क्योंझर के मुख्यालय से मेरा पुत्र श्री लिंगराज मुंडा 6000 मतों से जीत रहा था। लेकिन इन धार्मिक पार्टियों ने, जिनका मैं यहां सभा में नाम नहीं ले सकता हूं, धार्मिक प्रचार किया और वह 3 सीट 4000 मतों से हार गये। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार का धार्मिक प्रचार नहीं किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जो आम नागरिकों को सुलभता से रसोई गैस उपलब्ध कराने का दावा करती हैं। उनका यह भी कहना है कि हमने केन्द्र सरकार से भी अनुमति प्राप्त कर ली है, लाइसेंस भी ले लिये हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इनके पास किसी प्रकार का कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न इनके पास बाटलिंग प्लाण्ट है, न परिवहन सुविधाऐं हैं। केवल डिस्ट्रीब्यूटर एपाइण्ट करके या डीलरशिप देकर उसके नाम पर लाखों रुपया यह कंपनियां प्राप्त कर रही हैं। इससे किसी को अभी तक रसोई गैस उपलब्ध नहीं हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको इस प्रकार के लाइसेंस दिये गये तथा अधिकृत किया गया कि वे लोगों से इस प्रकार की पूंजी इकट्ठा करके लोगों को गैस उपलब्ध कराने का वायदा कर रहे हैं। जिस प्रकार लाखों रुपया गगन कंपनी और अन्यान्य बैंकों की चिट कंपनियां पीअरलैस, लक्ष्मी चंद बग्गा, लोगों से पैसा इकट्ठा करती रहीं और करोड़ों रुपया डकार गई, क्या इसमें इस प्रकार की संभावना नहीं हो सकती? इसलिये सरकार इस आशंका को निर्मूल करने के लिए ऐसी कंपनियों के नाम प्रदर्शित करे। वे कंपनियां अधिकृत हैं या नहीं, इनके बारे में भी हमें जानकारी दी जाये।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान हजारीबाग जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हजारीबाग में एक साल पहले इलैक्ट्रॉनिक मशीन जल गई लेकिन वह आज तक बदली नहीं गई है। वहां कोई भी संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं इस बारे में सुखराम जी से मिला और उनको दर्जनों चिट्ठियां भी लिखीं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं पटना के चीफ जनरल मैनेजर से भी मिला और पत्र भी लिखे। दुख इस बात का है कि उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा एक साल से हजारीबाग का टेलीफोन भी खराब है। इससे हम किसी से बात नहीं कर पाते। 7 करोड़ की मशीनें वहां के पदाधिकारियों ने इसलिये जला दीं क्योंकि उनकी आमदनी मारी गई थी। मशीन वहां के पदाधिकारियों ने इसलिये जला दी क्यों कि उनकी आमदनी मारी गई थी। मशीन खराब होने से 20-25 हजार रुपये की आमदनी वहां के पदाधिकारियों को हो रही है। धनबाद में भी इस प्रकार की मशीन जला दी गई। इस मामले की जांच करवाई जाये और जितनी जल्दी हो सके, हजारीबाग में इलैक्ट्रॉनिक मशीन लगायी जाये।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के अधीन हस्तशिल्प निदेशालय ने मुम्बई स्थित रीजनल डिजाइन एंड टैक्निकल डैवलपमैंट सैंटर फॉर हैंडिक्राफ्टस के कार्यालय को मुम्बई से भोपाल स्थानांतरित करने के आदेश हैं। जवाहर लाल जी ने पत्र लिखकर माननीय वेंकट स्वामी जी को बताया था कि हैंडिक्राफ्ट्स की चीजों का 99 परसैंट एक्सपोर्ट मुम्बई से लिया जाता है। इसलिये इसका कार्यालय मुम्बई में ही रखने की जरूरत है। 38 साल से मजदूर लोग वहां काम कर रहे हैं। तीन महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वेंकट स्वामी जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इनका कार्यालय भोपाल शिफ्ट न किया जाये और उसे मुम्बई में ही रहने दिया जाये। जो ढ़ाई सौ लोग वहां ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हें भी वेतन मिल सकता है। आप उन्हें भी वेतन दें इस बारे में जल्दी से डिसीजन लिया जाये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा सहित सारे राजस्थान में गैस की एकदम कमी हो गई है। सवाई माधोपुर में गैस सिलैंडर के रिफिलिंग प्लांट की स्थापना गैस एथॉरिटी ने की थी लेकिन कुछ दिनों पूर्व वर्क टू रूल और हड़ताल के कारण राजस्थान में गैस सप्लाई का क्रम टूट गया। तीन महीने से भी अधिक समय से वहां गैस उपलब्ध नहीं हो रही है।

जहां एक ओर आम उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध नहीं हो रही है वहां दूसरी ओर केन्द्र सरकार ने कैरोसिन का पूरा कोटा 6 माह से सप्लाई नहीं किया है। इससे लोगों को गैस के साथ-साथ कैरोसिन तेल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। राजस्थान के बाजारों में 12 से लेकर 15 रुपये लीटर के हिसाब से घासलेट उपलब्ध हो रहा है। मुझे निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त सवाई-माधोपुर में रि-बोटलिंग प्लान्ट लगाने का आदेश दे और युद्ध स्तर पर राजस्थान में गैस-सिलेन्डर ठीक प्रकार से सप्लाई करे, क्योंकि वहां का आम उपभोक्ता बहुत दुखी है। मुझे आज ही प्रातःकाल कोटा जिले के जिला प्रमुख का फोन आया है और उन्होंने बताया है कि वास्तव में वहां पर बहुत तंगी है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस दिशा में अवश्य कदम उठायेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में भी न गैस है और न मिट्टी का तेल है। मेरा निवेदन है कि जयपुर में गैस और मिट्टी का तेल दोनों उपलब्ध कराए जायें।...**(व्यवधान)** जयपुर में तो कोटा से भी ज्यादा हालत खराब है।...**(व्यवधान)**

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कागज के मूल्यों में जो 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। सन् 1991 में नरसिंह राव जी और वित्त मंत्री जी ने एक नयी औद्योगिक नीति लागू की थी, जिसके तहत उसी वर्ष से 17.50 रु. प्रति किलो के हिसाब से कागजों के दाम बढ़ गए। 1994 की जनवरी में 20 से 30 रुपए प्रति किलो दामों में बढ़ोत्तरी हुई और 1995 के शुरूआत में 35 से 40 रु. प्रति किलो कागज के दाम बढ़ गए हैं। पर 7.50 परसेंट सैल्स टैक्स लगाया जाता है और इसके साथ माल भाड़े में भी बढ़ोत्तरी हो गई है। इस कारण से भारत का पुस्तक व्यवसाय, छात्र-पाठक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पायेंगे और इस वजह से साक्षरता में गिरावट होगी, शिक्षा पहुंच के बाहर हो जाएगी, ज्ञान भन्डार में गिरावट होगी और कला-संस्कृति का भी ह्रास होगा। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि कागज मूल्यों में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए और पुस्तक व्यवसाय को संकट से उबारने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करें, जिससे कागज के मूल्यों में गिरावट हो।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे अखबारी कागज के उद्योग हों या दूसरे उद्योग हों या किताबें छापने की बात हो या देश में साक्षरता बढ़ाने की बात हो या विद्यार्थियों को कापियां उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे राज्य में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की बात हो, सारा प्रकाशन उद्योग संकट में आ गया है। पिछले चार महीने के अंदर कागज मूल्यों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह एक असाधारण और अभूतपूर्व बात है और इसका संकट सारे देश में है। चाहे मुद्रक हो, चाहे बुक-बाइन्डर हो, चारे पब्लिशर हो या लेखक हो, इन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखबारी कागज का संकट देश में काफी बढ़ गया है और अखबारी कागज के संगठनों ने बार-बार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि देश में कागज का उत्पादन, चाहे सामान्य हो या अखबारी कागज हो, उसके उत्पादन को बढ़ाकर राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही जो इस पर कंट्रोल लगा रखा है, उस कंट्रोल को हटाया जाए और कागज मुफ्त मंगाने की व्यवस्था करें, ताकि इसके भाव को कम किया जाए।

डा. परशुराम गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह का शासन जब से आया है, तब से वहां डकैती, चोरी, बलात्कार और आतंकवाद जोरों से बढ़ रहा है। उनका शासन पर कोई अकुंश नहीं रह गया है। इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में अभी 28 तारीख को द्योरिया कोतवाली, गांव बरखेड़ाकटा, के इन्सपैक्टर और दो कांस्टेबल्स ने दो दलित महिलाओं-एक, रामकुमारी उम्र 22 वर्ष और दूसरी, मुन्नी देवी उम्र 20 वर्ष के साथ बलात्कार किया। उनके कपड़े फाड़ दिए और घर के बर्तन तोड़ दिए। इस घटना के बाद जब वे मेरे पास आए, तो मैंने उनको पीलीभीत एसपी के पास भेजा और टेलीफोन भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब एन्क्वायरी के लिए उसी थाने के कोतवाल को नियुक्त किया है। मैं कहना चाहता हूं, जिस थाने के अंतर्गत यह घटना घटी है, उसी थाने के एसपी को एन्क्वायरी करने के लिए कहा गया है, तो वह कैसे रिपोर्ट कर सकता है। आज तक उनको कोई दंड नहीं दिया गया है।...**(व्यवधान)** मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, वहां एन्क्वारी करके पुलिसवालों को दंडित किया जाए और महिलाओं को राहत प्रदान की जाए।... **(व्यवधान)**

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परशुराम गंगवार की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि आगरा में पुलिस ने दलितों पर भारी अत्याचार किया है। 21 लोग पुलिस की मार-पीट से जख्मी हुए हैं। इसके अतिरिक्त इतने ही आदमी आई.एस.आई. समर्थक तत्वों द्वारा मार-पीट करने पर घायल हुए हैं और एक व्यक्ति मारा गया है। आगरा में दलितों पर पुलिस का घोर अत्याचार हो रहा है। सरकार आई.एस.आई. के एजेंटों द्वारा मार-पीट करने को झुठला रही है और दलितों को आपस में ही लड़ाने की साजिश कर रही है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुलायम सिंह सरकार दलितों पर जो अत्याचार कर रही है, उनको रोका जाए। पुलिस भी आई.एस.आई. के समर्थकों को संरक्षण दे रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि शासन दलितों को और अन्य लोगों को मुलायम सिंह सरकार के उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करे।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश, खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले अनेक वर्षों में सदैव हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और जिस जिले गोंडा से मैं आता हूं वहां का किसान, गरीब भूमिहीन मजदूर आगजनी की पीड़ा से ग्रस्त है। वहां सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती। पिछले दिनों जनवरी महीने से ही हमारे क्षेत्र बलरामपुर के अनेक गांव आग की लपेट में स्वाह हो गए। जाड़े के दिनों में गरीब किसानों को पेड़ के नीचे अपना जीवन-यापन करना पड़ा। सरकार के द्वारा यह नियम है कि तत्काल अहैतुक सहायता के लिए साढ़े सात सौ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाए। यह सहायता राशि भी पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष 1993-94 और अब 1995 का वर्ष चल रहा है इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा कोई राशि नहीं दी जा रही है। किसान पेड़ के नीचे रह रहा है।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि बाढ़ में तो किसानों की कुछ रक्षा हो जाती है लेकिन अग्नि कांड में एक भी चीज नहीं बचती है। यहां पर मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो अभी जीवन जनरल इश्यारेंस की बात हो रही थी, आपने कुटी बीमा और खलिहान बीमा की योजना लागू कर रखी है कि जिन किसानों के कुटी और खलिहान जले उनको पैसा उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यह पैसा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मेरी आपसे मांग है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात पर ध्यान दे। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि इन किसानों की जो अहैतुक सहायता है वह उन्हें दें, उनके साथ अमानवीय व्यवहार न करें और तुरंत गोंडा जनपद के और विशेष रूप से बलरामपुर क्षेत्र के लोगों को अहैतुक सहायता उपलब्ध कराएं।.. .**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में जहां देश के कुल कोयला भंडार का एक तिहाई उत्पन्न होता है, हाल ही में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना हुए आज तीन वर्ष हो गए हैं। स्थिति यह है कि पांच वर्ष बाद एक और कंपनी स्थापित की जायेगी। अब वहां एक कंपनी पहले से ही कार्य कर रही है, कंपनी में सी.एम.डी. के अतिरिक्त केवल एक डायरेक्टर (तकनीकी) है।

डायरेक्टर (पर्सनल) और डायरेक्टर (फाइनेंस) के पदों को अभी स्वीकृति दी जानी है और इन पदों के रिक्त होने से काम प्रभावित हो रहा है। यदि इन डायरेक्टरों के पद नहीं भरे जाते तो न तो संयंत्र में सुचारू रूप से कार्य हो सकता है और न ही उसका विस्तार हो सकता है।

तलचर एक विशाल कोयला क्षेत्र है और कंपनी के कुल उत्पादन का एक तिहाई उत्पादन यहां होता है और आज आवश्यकता इस बात की है कि एक पूर्ण कार्लिक डायरेक्टर (तकनीक) के साथ नियुक्त एम.सी.एल. के अधीन कोयला डिवीजन होना चाहिये।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि मामले की आवश्यकता को समझते हुए इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही की जाये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सभा का ध्यान पाकिस्तानी गायिका कुमारी आबिदा प्रवीन, जो सुफियान संगीत, जिसे समस्त उप-महाद्वीप में विरासत में प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है, के दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रद्द किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस कार्यक्रम को कुछ प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण रद्द करना पड़ा। सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रमों के बारे में वीसा संबंधी नीति के संबंध में कुछ कहना आवश्यक है।

एक राजनीतिज्ञ होने नाते मैं यह जानता हूं कि दो स्वतंत्र राज्यों के बीच संबंध बनाये रखने के लिये पारस्परिक आदान-प्रदान की आवश्यकता है लेकिन जब उद्देश्य दूसरा हो, तो पूर्णतया पारस्परिक आदान-प्रदान की आवश्यकता नहीं होती।

पाकिस्तान का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों को जोड़ना है। हमारा उद्देश्य उप-महाद्वीप के लोगों के बीच सम्पर्क और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। अतः मेरा अनुरोध है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पाकिस्तानी कलाकारों के भारत दौरे के बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिये और भविष्य में सभी पाकिस्तानी सांस्कृतिक कलाकारों को भारत का दौरा करने के लिए तुरंत वीसा दिया जाना चाहिये ताकि पाकिस्तान को यह कहने का मौका न मिल पाये कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने में वचन के पक्के नहीं हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश से आये और समुद्र तट पर कोणार्क में रह रहे लोलिया मछुआरों के हजारों मकान कुछ शरारती तत्वों ने जला दिये और सारी बस्ती जलकर राख हो गई है। उनके पास रहने के लिये कोई आवास नहीं है। उनके सब मछली पकड़ने के उपकरण तथा संपत्ति नष्ट हो गई है। उनके पास पहनने के लिये कपड़े तक नहीं हैं। चूकि वे वहां विस्थापित नहीं हुए हैं— यद्यपि वे वहां पचास साल से रह रहे हैं—उड़ीसा सरकार उनको इस आधार पर कोई सहायता नहीं दे रही है कि वे उड़ीसा के लोग नहीं हैं क्योंकि उनका नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है। इन लोगों के घर जल गये हैं। यह मानवीय समस्या है। अतः भारत सरकार को उड़ीसा सरकार पर इस बात के लिये जोर डालना चाहिये कि वह उन्हें मकान बनवाने के लिये सहायता दे। दुर्भाग्य से, शरारती तत्वों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वे राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं। सरकार ने उन शरारती तत्वों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा सरकार पर जोर डाले कि वह उनको अपने मकान बनाने के लिये सहायता दे। प्रधान मंत्री को भी समुद्र तट पर रह रहे असहाय लोगों के लिये कुछ धनराशि जारी करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान व उत्तर भारत के व्यक्तियों पर लखीमपुर आसाम में हो रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। लखीमपुर के अंदर दीपक कुमार अग्रवाल और इन्द्र सिंह सेठी, इन दो व्यक्तियों का पहले अपहरण किया गया, फिर वहां के एक बड़े नेता के दो अंग रक्षकों को गिरफ्तार किया गया, बाद में जिनकी लाशें मिलीं। पता लगा कि इन हत्याओं के पीछे कोई बड़ा षडयंत्र है। इसके बारे में वहां पर कई ज्ञापन दिए गए, बंद हुआ, हड़ताल हुई...**(व्यवधान)**** तथा कुछ विधायक 1992, 1993 और 1994 में बीजाई, बंगाई गांव, कोकराझार व बरपेटा जिलों में निर्दोष लोगों की हत्याओं में लिप्त थे** उनकी हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी गई, ताकि सारे मामले को दबा दिया जाये। बाडीगार्ड की हत्या कर दी गई, 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। पहले "उल्फा" द्वारा अत्याचार होते थे, अब बंगलादेश से आये हुए लोगों द्वारा अत्याचार होते हैं। मेरा निवेदन है कि जो हत्याएं हुई हैं, उनके बारे में व्हाइट पेपर निकाला जाये तथा गृह मंत्री महोदय सदन में वक्तव्य दें।

यह बहुत गंभीर मामला है, राजस्थान के दो व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं **(व्यवधान)** राजस्थान के लोगों पर आसाम में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इस संबंध में सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और इसके बारे में गृह मंत्री वक्तव्य दें।...**(व्यवधान)** .

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात संविधान के विरुद्ध होगी तो नाम निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप शून्य काल में उत्तर की आशा करते हैं। कृपया मुझे अनुग्रहीत करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रासा सिंह रावत जी, आपने नियमों का अध्ययन किया है। आप एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। आप जब चाहें नहीं उठ सकते और बोल सकते। इसके लिये नियम हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि सम्बद्ध मंत्री द्वारा सदन में विशेष उत्तर दिया जाये तो उसकी नियमों में व्यवस्था है। आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए हैं उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दें, असम के बारे में स्टेटमेंट नहीं दें...**(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम पुकारा गया था और आप सदन में उपस्थित नहीं थे। श्री बसुदेव आचार्य का नाम पुकारा गया था और वह भी सदन में उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कहां गये थे। जब आपका नाम पुकारा जाये तो यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी सीट पर उपस्थित हों और उत्तर दें। श्री आचार्य सदन में उपस्थित नहीं थे जब उनका नाम पुकारा गया।...

(व्यवधान)

डा.वी. राजेश्वरन (रामनाथपुरम) : हमारी सरकार द्वारा भारतीय कंपनी के विविधीकरण के प्रस्तावों अथवा प्रौद्योगिकी की विकास योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दिये बिना बड़ी संख्या में निगमों को नियंत्रण में लेना विश्वव्यापी नीति को चुनौती देना होगा। यह आश्चर्यजनक है कि 'बैट' ने आई.टी.सी. को संदिग्ध तरीकों और उपायों से नियंत्रण में लेने के प्रयास किये हैं। आई.टी.सी. भारत की एक शीर्ष कम्पनी है जो विश्वव्यापी प्रयास का समर्थन करती है। कंपनी के विकास और उसे हुए लाभ से कंपनी के उत्कृष्ट प्रबंध का बोध होता है। अतः हमारी मांग है कि 'बैट' शेयरों में निवेश न करें और वित्तीय संस्थाओं को वर्तमान प्रबंध को समर्थन देना चाहिये। 'बैट' को आई.टी.सी. में 51 प्रतिशत शेयर प्राप्त कर लाभ में चल रही कंपनी को नियंत्रण में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि वर्तमान प्रबंध का रिकार्ड अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गृह मंत्रालय की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : मैं, श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खंड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7164/95]

(2) गृह मंत्रालय (विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खंड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7165/95]

अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (चेयरमैन और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1993

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियमन, 1971 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (चेयरमैन और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1993, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 545(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनके बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7166/95]

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नौएडा का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नौएडा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नौएडा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7167/95]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7168/95]

(आठ) का.आ. 62(अ), जो 30 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 63(अ), जो 30 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7185/95]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 1994, जो 23 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 928(अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 1995, जो 17 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1995, जो 17 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7186/95]

(8) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 1995 जो 31 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 70(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7187/95]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 829(अ) जो 30 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मैसर्स भारत डाइनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विनिर्मित और केन्द्र के सशस्त्र बलों और राज्यों या संघ क्षेत्रों के पुलिस बलों को सप्लाई की जाने वाली "9 एमएम पिस्तौलों" और "7.62 एमएम एसएल आरस" को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 854(अ) जो 7 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रबराइज्ड टेक्सटाइल फैब्रिकों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पादन शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 977(अ) जो 22 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 20/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1995 जो 16 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1995 जो 19 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7188/95]

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आदेश, जो मैसर्स उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के बारे में कर निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 32कख(5) में निर्धारित शर्तों के शिथिलीकरण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7189/95]

(11) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण ("संयुक्त राष्ट्र की 50 वीं वर्षगांठ" 1995 के अवसर पर निर्मित किये जाने वाले 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल तथा 5 प्रतिशत जिंक वाले 100 रुपये के तथा 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले 50 रुपये और 5 रुपये के स्मारक सिक्कों के मानक वजन तथा गुणों के अंतर की सीमा) नियम, 1995, जो 9 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 19 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7190/95]

(12) 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुई वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :-

(एक) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे (महाराष्ट्र)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7191/95]

(दो) मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7192/95]

(तीन) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7193/95]

(चार) गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7194/95]

(पांच) श्री अनन्थ ग्रामीण बैंक, अनन्तापुर (आंध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7195/95]

(छह) विन्ध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7196/95]

(सात) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर (केरल)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7197/95]

(आठ) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड़ (महाराष्ट्र)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7198/95]

(नौ) साबरकान्ठा गांधी नगर ग्रामीण बैंक, हिम्मत नगर (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7199/95]

(दस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7200/95]

(ग्यारह) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7201/95]

(बारह) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज, (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7202/95]

(तेरह) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7203/95]

(चौदह) भंडारा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7204/95]

(पंद्रह) एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7205/95]

(सोलह) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुंद्री (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7206/95]

(सत्तरह) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7207/95]

(अट्ठारह) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7208/95]

(उन्नीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7209/95]

(बीस) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी (आंध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7210/95]

(इक्कीस) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7211/95]

(बाईस) ककठिया ग्रामीण बैंक, हनामकोण्डा, जिला वारंगल (आंध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7212/95]

(तेईस) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदल (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7213/95]

(चौबीस) पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7214/95]

(पच्चीस) श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7215/95]

(छब्बीस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, तुमकुर (कर्नाटक)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7216/95]

(सत्ताईस) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7217/95]

(अट्ठाईस) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7218/95]

(उनतीस) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7219/95]

(तीस) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7220/95]

(इकतीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7221/95]

(बत्तीस) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7222/95]

(तैंतीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7223/95]

(चौंतीस) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7224/95]

(पैंतीस) वलसाड़ डैंगस ग्रामीण बैंक, वलसाड़ (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7225/95]

(छत्तीस) झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7226/95]

(सैंतीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7227/95]

(अड़तीस) इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7228/95]

(उनतालीस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी, (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7229/95]

(चालीस) राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहोर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7230/95]

(इक्तालीस) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7231/95]

(बयालीस) नीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगौन (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7232/95]

(तैंतालीस) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7233/95]

(चवालीस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार (हरियाणा)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7234/95]

(पैंतालीस) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7235/95]

(छयालीस) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7236/95]

(सैंतालीस) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर (पंजाब)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7237/95]

(13) संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुई वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (1995 का संख्या 4) (राजस्व प्राप्ति-अप्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7238/95]

(दो) 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (1995 का संख्या 4) (राजस्व प्राप्ति-प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7239/95]

(14) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 का उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के 1 जुलाई, 1993 से 30 जून, 1994 की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी 7240/95]

12.48 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

इकतालीसवां, बयालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं :-

(1) उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)-भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(2) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय-तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन के बारे में बयालीसवां प्रतिवेदन। कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सैंतालीसवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

12.48½ म.प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.49 म.प.

कृषि संबंधी समिति

सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन

श्री तारा सिंह (कुरुक्षेत्र) : मै, कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई के संबंध में अठारहवां प्रतिवेदन।

12.50 म.प.

लोक लेखा समिति

नब्बेवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं, लाटरी व्यवसाय के मूल्यांकन के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी नब्बेवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

12.50½ म.प.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि 27 मार्च, 1995 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. वर्ष 1995-96 के लिए लेखानुदान मांगों (रेल) को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना।
3. वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।
4. वर्ष 1995-96 के लिए जम्मू और कश्मीर बजट पर सामान्य चर्चा।
5. वर्ष 1995-96 के लिए लेखानुदान मांगों (जम्मू और कश्मीर) को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना।
6. वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान।
7. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

   (क) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण विधेयक, 1992

   (ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1994

   (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :-

(1) जयपुर स्थित नमक आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय को गुजरात राज्य में स्थानान्तरित करने के निर्णय को निरस्त कर जयपुर में ही पूर्ववत् चालू रखने की आवश्यकता।

(2) अजमेर स्थित सबसे पुराने रेलवे कारखाने लोको एवं कैरीज की ब्रोडगेज की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े आमानों से जोड़कर बड़ी लाइनों सम्बन्धी गाड़ियों के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु विशेष बजट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :-

(1) मध्य प्रदेश के उड़ीसा, महाराष्ट्र व आन्ध्र की सीमावर्ती इलाकों में विगत दिनों नक्सली गतिविधियों में हान तथा बस्तर जैसा आदिवासी बहुल क्षेत्र में समानान्तर सरकार चलाने से आम लोगों में भय व असुरक्षा का वातावरण।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग की अव्यावहारिक नीति के फलस्वरूप मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य के पिछड़े इलाकों म ना

देश की राजधानी को जोड़ने वाले मार्ग हैं तथा नसीरा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़े जाने की आवश्यकता व सम्पूर्ण नीति पर विचार।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ) : मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करवा दें :-

(1) "संसद की भूमिका और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकरण" पर चर्चा

(2) विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा की कोयला पट्टी में पेय जल की समस्या।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :-

(1) देश के विभिन्न प्रदेशों में लाटरी बिक्री चरम सीमा पर है। यह कार्य सभ्य समाज की दृष्टि से सरकारी जुआ है। देशवासियों के कल्याणार्थ तत्काल लाटरी बिक्री को समाप्त करने की कार्यवाही की जाये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये :-

(1) राजस्थान के बारीनगर में टी.वी. रिले केन्द्र की शीघ्र स्थापना की जाये।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये :-

(1) बड़े पैमाने पर मानव अंगों की चोरी व तस्करी से उत्पन्न समस्या, जिसके कारण लाखों गरीब अपने अंग जैसे गुर्दा, आंख आदि बेच रहे हैं, पर विचार किया जाये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :-

(1) केवल 4 महीनों में नये आर्थिक सुधारों द्वारा स्कूल के बच्चों की किताबें, कापियां व समाचार पत्रों के कागज के मूल्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

(2) राजस्थान में 12 जिलों में हुई भयंकर ओलावृष्टि से हुए किसानों की फसल, मकानों को हुए नुकसान की पूर्ति हेतु एक दल केन्द्र द्वारा राजस्थान भेजा जाये।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लें :-

1. नगर भूमि सीमा रोपण की धाराओं में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त संशोधन किये जायें जो काफी समय से केन्द्र सरकार पर लम्बित हैं।

2. देश में कार्यरत डाक विभाग के तीन लाख से अधिक अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों के लिये पांचवें वेतन आयोग के साथ कमेटी के गठन की घोषणा की जाये जिसके लिये केन्द्र सरकार पूर्व में आश्वासन दे चुकी है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करवा दे :-

1. अवैज्ञानिक खनन कार्य के कारण आसनसोल-रानीगंज कोयला पट्टी के आसपास बड़े पैमाने पर धंसाव रोकने के लिये उपचारात्मक उपाय।

12.56म.प.

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह सभा को सूचित करना है कि उड़ीसा के भद्रक (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अर्जुन चरण सेठी का दिनांक 24 मार्च, 1995 का एक पत्र अध्यक्ष को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय ने 24 मार्च, 1995 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

12.56 ½ म.प.

जम्मू-कश्मीर बजट, 1995-96

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वर्ष 1995-96 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7241/95]

12.57 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1994-95

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वर्ष 1994-95 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुदानों

की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7242/95]

12.57¼ म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **उड़ीसा के गजपति जिले में बैजल नल लघु सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता**

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : उड़ीसा राज्य के नये गजपति जिले के पारलखेमुंडी नगर मुख्यालय के निकट स्थित चिर-प्रतीक्षित बैजल नल लघु परियोजना को लगभग 15 साल से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस प्रस्तावित झरने का जल स्रोत एक बारहमासी पहाड़ी झरना है। यदि इस झरने का उचित रूप से उपयोग किया जाये तो इससे खदीफ के मौसम में लगभग 1500 एकड़ और रबी के मौसम में लगभग 1000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इस परियोजना से उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के सैंकड़ों किसानों को लाभ प्राप्त होगा। आरम्भ में इस परियोजना पर लगभग 75 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। लेकिन कुछ वर्षों में मूल्यों में वृद्धि के कारण इसकी वर्तमान लागत लगभग 5 करोड़ तक पहुंच गई है। विश्वसनीय सूत्र से यह जानकारी मिली है कि उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के पक्ष में अपनी सिफारिश पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यक मंजूरी के लिये केन्द्र सरकार के पास भेजी थी।

अतः मेरा पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध है कि उड़ीसा के न्यू गजपति जिले में इस चिर-प्रतीक्षित बैजल नल लघु सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

(दो) **महाराष्ट्र के कराड़ में स्वर्गीय श्री वाई. बी. चव्हाण की समाधि को कृष्णा नदी के कटाव से बचाने हेतु कृष्णा नदी पर सुरक्षा दीवार और बांध के निर्माण के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता**

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : भारत के भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री वाई. बी. चव्हाण की समाधि कराड़, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण नदी के किनारों का कटाव होता है और समाधि को खतरा उत्पन्न होता है। इस स्मारक को बचाने के लिये वहां एक सुरक्षा दीवार और तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव है। जल संसाधन मंत्री माननीय श्री विद्याचरण शुक्ल ने अप्रैल, 1992 में इस स्थल का स्वयं दौरा किया था। राज्य सरकार ने इसके लिये योजना बनाई है। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में सहायता देने का वचन दिया है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कराड़ के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य शीघ्र करवाने के लिये धनराशि शीघ्र प्रदान करें।

(तीन) **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का विपथन करने और असम के मंगलदेई शहर में मंगलदेई नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता**

श्री प्रबीन डेका (मंदलदेई) : असम में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिला मुख्यालय मंगलदेई शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का मार्ग बदलने की बहुत आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप मंगलदेई कस्बे को ब्रह्मपुत्र नदी से बचाया जा सकेगा और परिवहन व्यवस्था और सुगम हो जायेगी।

मंगलदेई नदी पर बने इस पुल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश शासन में वर्ष 1936 में किया गया था। यह किसी भी समय गिर सकता है। अतः इस पुल के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर शीघ्र विचार करे।

(चार) **उड़ीसा में आपदा राहत कोष से और अधिक धनराशि शीघ्र जारी किये जाने की आवश्यकता**

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उड़ीसा राज्य में प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, तूफान तथा बाढ़ आदि हर साल आती रहती है। इस साल भी यहां तीन बार अप्रत्याशित आपदा तीन बार आई है। आपदा राहत कोष के अन्तर्गत राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बहुत कम राशि की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि को बढ़ाकर 110.00 करोड़ रुपये किये जाने के बारे में केन्द्र सरकार को पहले ही ज्ञापन दिया जा चुका है। राज्य की वास्तविक मांग को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार को कम से कम 100.00 करोड़ रुपये गैर-योजना अनुदान के रूप में दिये जाने पर विचार करना चाहिये ताकि राज्य सरकार परियोजना का कार्य बिना रोके जारी रख सके। परियोजनाओं की मरम्मत और उन्हें पुनः चालू करने के लिये तत्काल 188.40 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशेष सहायता के रूप में अपेक्षित धनराशि तत्काल उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

(पांच) **बिहार के नालन्दा जिले में फल्गू नदी पर पक्के बांध के निर्माण के लिये पर्याप्त धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता**

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सिंचाई के मामले में अति पिछड़ा राज्य है। नालन्दा जिला स्थित फल्गू नदी के दोनों ओर पक्का तटबंध बनाने पर करीब एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर होने वाले खर्च की जांच-पड़ताल कर इसके निर्माण क

काम शुरू किया जाएगा पर अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

अतः अनुरोध है कि केन्द्र सरकार तटबंध निर्माण की दिशा में अविलंब कदम उठाए जिससे इसमें सहायता मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

1.03 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2.00 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.09

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.09 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

और

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 16 और 17 पर साथ-साथ चर्चा करेगी। इसके लिये आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है। श्री संतोष कुमार गंगवार।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 25 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष जी, सरकार की अध्यादेश लाने की जो नीति है, उससे वास्तव में ऐसा लगता है कि यह सरकार केवल अध्यादेश के बल पर ही चल रही है। मुझे लगता है कि इसका महत्व ही समाप्त हो गया है।

लोक सभा के सत्र बहुत जल्दी हो रहे हैं, उसके बाद भी बीच में यदि एक सप्ताह की छुट्टी हो जाए तो अध्यादेश आ सकता है चाहे उसका कोई लाभ हो या न हो। मैं सेबी के विरोध में कुछ कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सरकार को जानना चाहिए और उसके हिसाब से प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सेबी का गठन 1991 में हुआ और उम्मीद यह थी कि उसका कार्य तुरन्त होगा क्योंकि उसका गठन देर से हुआ था जिसकी वजह से हजारों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई का क्या असर हुआ है? अभी 25 जनवरी को अध्यादेश जारी किया लेकिन उसके बाद भी क्या असर हुआ? इन दिनों एम.एस. शूज के बारे में बहुत चर्चा है लेकिन उसके बाद भी सेबी मौन रही है। पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई। इसके प्रबन्धक एस.बी.आई. केपिटल मार्किट, टूरिज्म एण्ड फाइनेंशल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, लॉयडस फाईनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ोदा और मर्चेंट बैंकिग सर्विसेज आदि के थे। लेकिन उसके बाद भी सेबी के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पहले जो अध्यादेश लाया गया था उसमें क्या कमी थी?

मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं लेकिन मैं जानता हूं कि सेबी का मतलब क्या है और उसके मुख्य कार्य क्या हैं? सेबी का मुख्य कार्य यह है कि छोटे जमाकर्ताओं व पूंजी निवेशकर्ताओं को संरक्षण दिया जाये। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो लोगों का बैंकों पर और विश्वास बढ़ा, लोगों को महसूस हुआ कि बैंक सही ढंग से काम करेंगे। लेकिन परिणाम यह सामने आया कि इस समय कुछ बैंकों में साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा चल रहा है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी हैं। मैं उस घाटे का विवरण सुनाकर आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। सेबी को पहले भी अधिकार थे। धारा 11(2)(बी) में यह लिखा हुआ है :-

"बाजार बिचौलियों के कार्य को रजिस्टर और नियमित करना।"

लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब पुनर्गठन के बाद हम सही ढंग से काम कर पाएंगे, हमारा वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री इस बारे में चिन्तित हैं। हिन्दुस्तान में 80 करोड़ की आबादी है। छोटे जमाकर्ता बहुत हैं। यदि उनका विश्वास उठ गया तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इस समय देश में जो कुछ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री उस ओर ध्यान दें। यदि हमने छोटे जमाकर्ताओं के धन को संरक्षण नहीं दिया और चंद लोगों के लिए काम किया तो उसका लाभ नहीं होगा और छोटे जमाकर्ताओं की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां पर एक काशीनाथ बैंक है। यह बात अलग है कि अभी जानकारी में आया है कि उस बैंक को टोरेंटो ग्रुप को दिया जा रहा है, पर पिछले एक डेढ़ साल से उसके जमाकर्ताओं का और वहां उसमें जो कार्यरत कर्मचारी थे, उनका भविष्य बिल्कुल अनिश्चित सा है। आज भी लोग हमारे पास आते हैं कि साहब इस बैंक में हमारा पैसा जमा है, हमारे पास फिक्स डिपाजिट की रसीदें हैं और हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिल रहा है, कैसे क्या कारण हैं।

पूरे देश के अन्दर इतनी सारी चिट कम्पनियां हैं, फाइनेंस कम्पनियां हैं, आप ध्यान दें तो सारी चिट कम्पनियां पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में जाती हैं और लोगों से उनका छोटा पैसा जमा करती हैं। इन चिट कम्पनियों में केवल छोटे पैसे वाले ही निवेश करते हैं,

जिनका लक्ष्य यह होता है कि बैंकों के माध्यम से हमको जो पैसा मिलेगा, वह तो बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं और चिट कम्पनियां लुभावनी बातें करती हैं। वह यह कहती हैं कि पांच साल में आपका पैसा चार गुना हो जायेगा, 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जायेगा। निश्चित रूप से छोटे जमाकर्ता, जिनकी छोटी पूंजी होती है, जो रोज काम करके पैसा पैदा करते हैं, वह उसमें अपना पैसा जमा करते हैं। उसका असर क्या होता है, उसका असर यह होता है कि 4-5 साल के बाद वह चिट कम्पनी बन्द होकर वहां से चली जाती है। इस बारे में मैंने कई बार माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिखे हैं, मैंने कहा है कि लायड कम्पनी है, सहारा कम्पनी है, जनप्रिय कम्पनी है, ऐसी बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जिनके पास करोड़ों में रुपया है, पर लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्रालय से मुझे जवाब आता है कि साहब इनस आपको पैसा दिलवाने में हम असमर्थ हैं, हम आपको पैसा नहीं दिला सकते। इस प्रकार वित्त मंत्रालय को विश्वास में लेकर धोखा करते हैं।

उत्तर प्रदेश और देश के किसानों के साथ नाबार्ड के सहयोग से विमको कम्पनी ने धोखा किया। उन्होंने सारे देश के किसानों को एक ऐसे धोखे में खड़ा कर दिया कि आज किसानों की जमीन बिकने की नौबत आ रही है। हम जिला स्तर पर कहते हैं कि यह कैसी बात चल रही है और जब नाबार्ड को लिखते हैं तो नाबार्ड कहता है कि साहब, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस कारण किसान का पोपलर पैदा होता है, उसकी सही कीमत उसे नहीं मिलती और बदले में जब उसे बैंक का पैसा देना होता है तो उसमें उसकी जमीन बिक रही है। इस दिशा में सेबी का काम क्या है, मैं यह जानकारी चाहता हूं? थोड़े से निवेशकर्ताओं की या केवल चन्द इश्यू करने वालों की चिन्ता करना ही सेबी का काम नहीं है, बल्कि पूरे समग्र देश की चिन्ता करना उसका काम है। उसके हिसाब से हमको काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी परिधि में इन सारे कामों को लें और निश्चित रूप से आपको कोई लीगल स्थिति मिले और उसके हिसाब से आप काम करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं, उसके हिसाब से काम भी होगा और जो छोटे निवेशकर्ता हैं, उनको लाभ भी मिलेगा। उन्हें भी यह महसूस होगा कि उनका धन सुरक्षित है और धन जमा करने की दिशा में वह अग्रसर भी होंगे, पर मैं ऐसा समझता हूं कि उसके हिसाब से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आजकल रोज अखबारों में आता है कि आप पेड़ लगाइये, पेड़ की स्कीम में पैसा जमा करिये, आपको बीस साल के बाद 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना पैसा मिल जायेगा। इस बात की गारण्टी क्या वित्त मंत्रालय ले रहा है? क्या इस बात की गारण्टी सरकार ले रही है कि वास्तव में जो 10 हजार रुपया लगा रहा है, उसे वाकई में 20 साल के बाद एक लाख रुपया मिल जायेगा? वाकई में उसका 10 हजार रुपया सुरक्षित रहेगा? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कड़े कदम उठाये जाने चाहिए। इस दिशा में सक्रियता से काम करना चाहिए। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं, वहां एक सौ से ऊपर फाइनेंस कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं और ऐसी फाइनेंस कम्पनियां हैं, जो कागजों पर हैं। जो लोगों से पैसा जमा करवाती हैं और वह पैसा उनको वापस नहीं मिलता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सेबी की परिधि में यह सारे काम आते हैं।

ऐसा माना जा सकता है कि 1991 में आने के बाद सेबी को शायद ऐसा महसूस हुआ है कि वह उतना इफैक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, तब उसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित हुए हैं और जैसा मैंने जाना समझा है, सेबी के पास काम करने के लिए स्टाफ बहुत थोड़ा है। बहुत कम लोग इस देश को कैसे संचालित कर पायेंगे, इस दिशा में विचार करना चाहिए।

मैं और बहुत ज्यादा न कहते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम एक पूरा मजबूत बिल ला रहे हैं, पूरा अध्यादेश हमने जारी किया है तो ऐसा न हो कि 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर जरूरत पड़े कि यह कमी रह गई। दुर्भाग्य यह है कि यह कमी नजर आती है। जिन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला किया, वह तो आज सरेआम घूम रहे हैं, उनकी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वह फाइव स्टार होटलों में घूमते हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं और जो बेचारा गरीब मजबूर है, जिसका पैसा जमा है, उसके पैसे की कोई चिन्ता नहीं है और सरकार भी उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पा रही है, क्योंकि उसे हर तरह का संरक्षण प्राप्त है। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में लोगों को लगे कि अगर किसी ने किसी के धन का अपहरण किया है या किसी ने उसके धन के साथ गलत व्यवहार किया है तो उसे कड़ी सजा मिल रही है। यह सजा निश्चित रूप से ऐसी मिले, जो लोगों को समझ में आये, सेबी का काम तभी सही होगा, जब हमें ऐसी डायरैक्ट कार्रवाई पता चले।

अब एम.एस. शूज का सारा मामला सामने है, मैं चाहता हूं कि लोगों को लगे कि अध्यादेश लागू होने के बाद इस सम्बन्ध में इस हिसाब से कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान भी इस ओर जायेगा और लोगों के दिल में एक साख भी आपकी सरकार की बनेगी कि हां, वास्तव में सरकार अब एक ऐसा अध्यादेश लाई है कि निश्चित रूप से अब अच्छी दिशा में काम होगा।

मैं अपने इस प्रस्ताव को रखते हुए आग्रह करूंगा कि सरकार यह अध्यादेश लाने की बात को बिलकुल समाप्त करे और जो भी काम करे, सब सदन को विश्वास में लेकर उसके हिसाब से करे।

मैं इस समय अपनी इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी 1992 को सांविधिक दर्जा प्राप्त करने के बाद से 'सेबी' पूंजी बाजार को विनियमित और व्यवस्थापित करने के कार्य में लगा हुआ है। विगत दो वर्षों में पूंजी बाजार में बहुत

परिवर्तन आया है। सेबी की कारगरता बढ़ाने और प्रतिभूति बाजार में और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिभूति (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को 25 जनवरी, 1995 को प्रख्यापित किया गया, जिसके अन्तर्गत 'सेबी' को व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं। यह विधेयक इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाया गया है।

यह विधेयक जब अधिनियम बन जायेगा और परिचालन में आ जायेगा तो 'सेबी' को अधिनियम में निर्धारित नियमों के उल्लंघन के मामलों में आर्थिक दण्ड देने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। 'सेबी' को जमाकर्ताओं, प्रतिभूतियों के लिये संरक्षक, और प्रतिभूति बाजार से सम्बद्ध जैसे विदेशी संस्थाओं में निवेशकों, ऋण देने सम्बन्धी एजेंसियों और पूंजी कोष पर निगरानी रखने और अतिरिक्त मध्यवर्ती प्रवर्गों को विनियमित करने का अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त 'सेबी, को पूंजी निर्गम, प्रतिभूति के अन्तरण और अन्य सम्बन्धित मामलों में कम्पनियों को विनियमित करने का भी अधिकार प्राप्त हो जायेगा। प्रस्तावित परिवर्तनों से 'सेबी' को विनियम जारी करने और केन्द्र की पुर्व अनुमति के बिना शिकायत दायर करने की अनुमति हीगी। इससे 'सेबी' को और स्वायत्तता मिल जायेगी। मुझे विश्वास है कि सदस्य प्रतिभूति बाजार के स्वस्थ और सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिये 'सेबी' को दी जाने वाली शक्तियों की आवश्यकता का समर्थन करेंगे।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं सभा द्वारा व्यक्त इस चिन्ता को समझता हूं कि अध्यादेशों का सहारा कम से कम लिया जाना चाहिये। यद्यपि, 'सेबी' को 1992 में सांविधिक शक्ति दी गई थी और तभी से हम 'कार्य करके सीखना' नामक प्रक्रिया में हैं। भारत जैसे विविधता प्रधान और विशाल देश में किसी को भी एकाधिपत्य और पूर्व जानकारी नहीं होती और हम सीख रहे हैं और साथ-साथ सुधार ला रहे हैं। प्राप्त अनुभवों, विशेषकर न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व में पूंजी बाजारों में अशान्ति को देखते हुए, हमने यह अनुभव किया कि निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिये 'सेबी' को अतिरिक्त शक्तियां देना आवश्यक था। अतः इन परिस्थितियों में अध्यादेश लाना आवश्यक था। लेकिन मैं सभा की इस भावना से सहमत हूं कि जहां तक सम्भव हो अध्यादेश का सहारा तभी लेना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प न हो। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

> "कि यह सभा 25 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 की संख्यांक-5) का निरनुमोदन करती है।"
>
> "कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

मैं, सभा को यह पुनः स्मरण कराना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिये लगभग डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। साढ़े तीन बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना है। अतः कृपया आप यह ध्यान रखें कि हमें इस विधेयक पर इससे पूर्व चर्चा पूरी करनी है।

श्री राम नायक (बम्बई उत्तर) : मैं अध्यादेश के विरोध करने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 1955 के बारे में भी बोलना चाहता हूं। मैं अध्यादेश का विरोध केवल विरोध करने के लिये नहीं कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने बताया है कि उन्हें मजबूर होकर अध्यादेश लाना पड़ा। मैं उन मजबूरियों से सहमत नहीं हूं। जैसा कि विदित है कि सभा के 31 सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। केवल चार या पांच सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों ने इसका विरोध किया है। यह इस बात का संकेत है कि हम अध्यादेश के माध्यम में नियम अथवा अधिनियम बनाना पसन्द नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, 1992 में भी मूल अधिनियम अध्यादेश द्वारा लाया गया था। स्थिति उस समय असामान्य थी और बाजार में व्याप्त स्थिति इतनी खराब थी कि जब मूल अध्यादेश लाया गया तब हमने इसका विरोध नहीं किया था।

लेकिन अध्यादेश 25 जनवरी, 1995 को प्रख्यापित किया गया था। वित्त मंत्री को यह सभा को अवश्य बताना चाहिये कि पिछले डेढ़ महीने में उन्होंने क्या कार्यवाही की। यदि अध्यादेश को प्रख्यापित करना इतना आवश्यक था तो हम यह अवश्य जानना चाहेंगे कि वे पिछले डेढ़ दो महीनों में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे थे। इस बात का अवश्य स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये। विधेयक में एक मुख्य प्रावधान विभिन्न त्रुटियों और अपराधों के लिये आर्थिक दण्ड देने का अधिकार देना है। हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई अपराध किया गया जिसके लिये आर्थिक दण्ड दिया गया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका अभिप्राय है कि इस अधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया।

2.26 म.प.

(श्री तारा सिंह **पीठासीन हुए**)

अतः सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि 'सेबी' ने अध्यादेश प्रख्यापित होने के बाद क्या कार्यवाही की। दूसरे, 'सेबी' को कार्य करते आज तीन वर्ष हो गये हैं। अब उसे कुछ अनुभव हो गया होगा। मान्य मंत्री ने ठीक ही कहा है कि वह सीख रही है। हमारा देश विशाल है। बहुत अधिक लोग निवेश लिये आगे आ रहे हैं। हमारे देश में भारी प्रतिभूति घोटाला हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'सेबी' को कार्य करते तीन वर्ष हो गये हैं, क्या सेबी का कार्य संतोषजनक है।

अतः मेरा यह सुझाव है कि संसद को गत तीन वर्षों के दौरान 'सेबी' के कार्यकरण का मूल्यांकन करना चाहिये और इसके लिये उचित यही होगा कि हम 'सेबी' के गत तीन वर्ष के कार्यकरण के मूल्यांकन के लिये संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें। सभी को

विदित है कि मैं संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य रहा हूं। संयुक्त संसदीय समिति ने सर्व सम्मति से सिफारिशें की हैं। संयुक्त समिति द्वारा क्रियान्वित की गई इन सिफारिशों की लोगों को भली-भांति जानकारी है। जहां तक सेबी का सम्बन्ध है, हम 'सेबी' के गत तीन वर्षों के कार्यनिष्पादन की जानकारी चाहते हैं। हमें ज्ञात है कि कुछ दलालों को गिरफ्तार किया गया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह एक मात्र नाटक था। मैं यह कहूंगा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन यह समझने में असमर्थ हूं कि अभी तक उनके विरूद्ध एक भी मामले को अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया गया? ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग सब मामलों में जांच कर रही है चाहे वह हर्षद दलाल का मामला हो अथवा अन्य व्यक्ति का लेकिन एक भी मामले को निपटाया नहीं गया है।

न्यायमूर्ति वरिंबा अपने अच्छे चरित्र और निर्णयों के लिये प्रसिद्ध हैं। क्या सरकार ऐसा कहने की स्थिति में है कि एक भी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप सिद्ध हुआ है। मुकदमे दायर किये गये हैं, जहां वे मुकदमे उचित नहीं थे और मुकदमे दायर किये गये हैं और इसी प्रकार चलता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि गत तीन वर्षों में 'सेबी' अथवा उसकी एजेंसियों ने, जिनसे यह अपेक्षित था कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दें, केवल मुकदमे दायर किये हैं और दोषी व्यक्तियों को दण्डित नहीं किया है। इस दृष्टिकोण से भी 'सेबी' के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक है। वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

'सेबी' का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि निवेशकों, विशेष रूप से छोटे निवेशकों में यह विश्वास उत्पन्न हो कि वे अपने कठिन परिश्रम से अर्जित धन शेयर बाजार और स्टाक एक्सचेंजों में निवेश कर सकें। यदि वे अधिक निवेश करते हैं तो देश समृद्ध हो सकता है। हमारे पास संसाधन हैं; लोग निवेश करते हैं। शेयरों में अधिक से अधिक निवेश करने की प्रवृत्ति है लेकिन यदि ऐसी घटनाएं यदा-कदा होती रहती हैं तो साधारण व्यक्ति का विश्वास समाप्त हो जाता है।

श्री गंगवार ने एम-एस शूज कम्पनी का उल्लेख किया है। लेकिन मैं इस विषय में कुछ और अधिक कहना चाहूंगा। बम्बई स्टाक एक्सचेंज तीन दिन बन्द रहा। प्रतिभूति घोटाले के बाद भी शेयर बाजार इस प्रकार बन्द नहीं रहा। अतः शेयर बाजार का तीन दिन बन्द रहना एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में वित्त मंत्री को अवश्य स्पष्टीकरण देना चाहिये। 20 मार्च से 22 मार्च तक तीन दिन स्टाक एक्सचेंज के बन्द होने के बाद जब स्टाक एक्सचेंज खुला तो शेयर के मूल्यों में भारी कमी आई थी। बम्बई स्टाक एक्सचेंज के अनुसार कीमतें 74 अंक तक गिर गई थीं। यह कोई कम राशि नहीं हैं मूल्यों में इस प्रकार भारी गिरावट आने से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। अतः वित्त मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि बम्बई स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण में कैसे सुधार लायेंगे? अन्यथा लोग यह अनुभव करेंगे कि 'सेबी' कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। यह तो केवल एक डाकिये का कार्य कर रही है इसी प्रकार एम.एस. शूज कम्पनी के मामले में श्री आर. एस. झावेरी ने क्या भूमिका अदा की एम.एस. शू कम्पनी द्वारा शेयरों के मूल्य नीचे लाने में मुख्यतया स्टे बैंक का हाथ रहा है। हम यह अवश्य जानना चाहेंगे कि ऐसा कै और क्यों हुआ? अतः मैं यह बात फिर दोहराऊंगा कि छोटे निवेशक का विश्वास उठ जायेगा। आपको विदित होगा कि एम.एस. शू कम्पन के मामले में क्या हुआ। शेयरों का प्रत्यक्ष मूल्य लगभग 18 रुप था जब वह पहले बाजार में आये थे और उस पर 20 रुपये क प्रीमियम था। इसका यह अर्थ हुआ कि इसकी बिक्री 20 रुपये प अपेक्षित थी। लेकिन मूल्य इतने अधिक बढ़े कि इसकी बिक्री 16 रुपये में हुई। इसके मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि को देखकर, कम : कम जिन लोगों को इस व्यापार की जानकारी है, निश्चित रूप : आश्चर्यचकित हो गये। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न तो सेब और न ही बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने इस बारे में कोई कार्यवाही की यद्यपि उनके पास शक्ति है, तथापि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की यहां तक कि वास्तविक डिलीवरी भी नहीं दी गई। जैसा कि समाचा दिया जा चुका है, मुझे निजी जानकारी भी है, यहां तक कि पुरा समझौतों जिनकी संख्या 35,36 और 37 थी, का निपटान नहीं किर गया। यह कैसे हो सकता है कि यह बात 'सेबी' की जानकारी में ना आई हो? इन सब बातों का अवश्य स्पष्टीकरण दिया जाना चाहि अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि 'सेबी' एक मूक दर्शक है।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें। ह इस विषय पर चर्चा साढ़े तीन बजे तक समाप्त करनी है।

श्री राम नायक : हमारी ओर से शायद मैं ही एक मात्र वक्त हूं।

सभापति महोदय : जी, नहीं।

श्री राम नायक : वित्त मंत्री यह अवश्य स्पष्ट करें कि इ विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में केवल ए एस. शू कम्पनी ही शामिल नहीं है। इससे पूर्व मोरगन स्टेनले मामला भी था। फिर भारत पैट्रोलियम निगम के पहले सार्वजनि शेयर जारी करने का मामला उठा। रिलायन्स पोलिथेलीन रिलाय पोलिरोपलीन आदि मामले सामने आये लेकिन 'सेबी' ने क सकारात्मक कार्यवाही नहीं की।

मैं अभी पांच-छः विषयों का उल्लेख करूंगा जो मेरे विचार महत्वपूर्ण हैं। मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं उनके ब में संक्षिप्त रूप से उल्लेख करूंगा ताकि वित्त मंत्री उन मुद्दों के ब में अपनी प्रतिक्रिया बतायें। इसके साथ-साथ सभा का समय भी ब जायेगा।

'सेबी' निवेशकों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है। केवल डाकघर का काम कर रही है और केवल निवेशकों' शिकायतें कम्पनियों के पास भेज रही है। यह डाकघर का कार्य 'से से अपेक्षित नहीं है। उसे प्राप्त सभी शिकायतों पर गम्भीरता से विच करना चाहिये। यद्यपि कम्पनी अधिनियम में दोषी कम्पनियों के लि दण्ड की व्यवस्था है लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है। हमें

अवश्य बताया जाना चाहिये कि इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

शेयरों की डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। निवेशकों को तीन अथवा चार अथवा पांच महीनों तक शेयर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आप शेयरों की वास्तविक डिलीवरी के इस महत्वपूर्ण पहलू को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। जब कभी नये शेयर बाजार में आते हैं तो उनकी अपेक्षाकृत अधिक खरीद कर ली जाती है। इस राशि का वितरण कैसे किया जाता है। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है और कारण छोटा निवेशक हमेशा प्रभावित होता है। यदि बैंक अथवा अन्य संस्था जो बड़ी संख्या में शेयरों की खरीद करती है, तो उन्हें पूरे शेयर मिलते हैं। छोटे निवेशक की उपेक्षा की जाती है। आप शेयरों के आनुपातिक अलॉटमेट और डिलीवरी को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? 'सेबी' द्वारा इस सम्बन्ध में एक त्रुटिपूर्ण योजना तैयार की जानी चाहिए। क्या यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

मैं, दो और अन्य मुद्दों पर भी जोर देना चाहूंगा। यह सर्वविदित है कि यदि 100 में से एक चोर पकड़ा जाता है तो 99 चोर बच निकलते हैं। इसी प्रकार यदि एक शेयर दलाल पकड़ा जाता है तो 99 बच जाते हैं और एक सौदे पर ध्यान दिया जाता है तो अनेक सौदे बिना ध्यान दिये निकल जाते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि केवल आर्थिक दण्ड देना पर्याप्त है।

वे करोड़ों में कमाते हैं और यदि उन पर 5 लाख, 10 लाख अथवा 15 लाख का आर्थिक दण्ड गणना कर लगा भी दिया जाये तो मेरी निजी राय यह है कि इससे उनमें भय की भावना उत्पन्न नहीं होगी। आर्थिक दण्ड महत्वपूर्ण है लेकिन केवल जुर्माना लगाने से ही उन लोगों में भय की भावना उत्पन्न नहीं होती जिनके पास करोड़ों रुपया है। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि कुछ कारावास दण्ड का अवश्य प्रावधान होना चाहिये जैसाकि अन्य आयकर और बिक्री कर सम्बन्धी आर्थिक अपराधों के मामलों में व्यवस्था है। आप ऐसी व्यवस्था इन अपराधों के लिये भी क्यों नहीं करते। यह एक मुद्दा है जिसपर वित्त मंत्री को कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्य मुद्दा 'सेबी' के बोर्ड में अन्य निवेशकों का नाम निर्देशन करने का है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि विभिन्न कम्पनियों के निदेशक 'सेबी' में नाम निर्देशित किये जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी व्यावसायिक दक्षता 'सेबी' को उपलब्ध होगी। इस मुद्दे पर मैं सहमत हूं, पर आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने लाभ के लिये नहीं करेंगे । इस बारे में कुछ निगरानी रखने की आवश्यकता है। जैसाकि हर जगह किया जाता है कि यदि कोई मंत्री हो जाता है तो वह उसी कम्पनी या ट्रस्ट से त्यागपत्र दे देता है जिसमें वह कार्यरत होता है। अतः इस प्रकार इन निवेशकों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है जिन्हें 'सेबी' के निर्देशित किया जाता है ताकि वे केवल अपनी कम्पनी के हितों का ही ध्यान न रखें।

मैं यह अनुभव करता हूं कि ऐसा अध्यादेश जारी करने की बजाये एक उचित कानून द्वारा किया जा सकता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहूंगा कि 'सेबी' के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम. रमन्ना राय (कासरगोड) : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी अध्यादेश प्रख्यापित करने की पद्धति का विरोध करता हूं जब तक कि वह आवश्यक न हो। विशेषकर, इस मामले में यह आवश्यक नहीं था। यद्यपि वित्त मंत्री ने यह कहा है कि सामान्यतया वह भी अध्यादेश जारी करने की पद्धति से सहमत नहीं हैं। उन्होंने यह कहा है कि इस मामले में अध्यादेश जारी करने का पर्याप्त कारण था।

लेकिन जहां तक हम समझते हैं इस मामले में अध्यादेश जारी करना आवश्यक नहीं था। कुछ मामलों में अध्यादेश आवश्यक होते हैं। लेकिन इस मामले में अध्यादेश जारी करना बिल्कुल आवश्यक नहीं था। यह अध्यादेश अनुचित तरीके से जारी किया गया है, इसे जारी करने का कोई कारण नहीं था।

मैं प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के संशोधन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सामान्य लोगों के हितों की रक्षा के लिये हमने पहले ही पर्याप्त अधिनियम और नियम बनाये हुए हैं। कभी उनका उचित प्रयोग नहीं होता, कभी उनका प्रयोग जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती, किया जाता है और कभी उनका दुरुपयोग होता है।

हम सब जानते हैं कि बैंक स्वतन्त्रता से पहले से कार्य कर रहे हैं। बैंकों में राशि जमा करने पर लोगों को पर्याप्त गारंटी दी जाती है। पांच वर्ष से पूर्व हमने इस प्रकार के घोटाले और दलालों द्वारा जनता के धन का दुरुपयोग करने की बात नहीं सुनी थी।

अचानक ही जनता के धन का इस प्रकार दुरुपयोग होना कैसे आरम्भ हो गया? इस मामले में यह शंका है कि इस प्रकार की कुचेष्टा किसने की। क्योंकि इस कार्य में सरकारी पदाधिकारियों की सांठ-गांठ थी। सरकार ने जनता के धन का दुरुपयोग रोकने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। उसने कुछ समय पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कुछ कार्यवाही की गई थी। श्री अर्जुन सिंह सहित अनेक लोगों ने मेरा यह प्रश्न किया है कि इसके परिणामस्वरूप अन्ततः किन लोगों को लाभ पहुंचा। इस प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का अभी तक उत्तर क्यों नहीं दिया गया है।

संयुक्त संसदीय समिति में साक्ष्य के दौरान श्री हर्षद मेहता ने हमारे प्रधान मंत्री के विरूद्ध यह आरोप लगाया था कि उसने प्रधान मंत्री को एक करोड़ रुपये दिये थे। आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यदि हर्षद मेहता द्वारा लगाया गया आरोप झूठा पाया गया तो उसके विरूद्ध कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये थी। मैं इस बारे में वित्त मंत्री से उत्तर जानना चाहूंगा। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। इस सम्बन्ध में मुझे संस्कृत की एक कहावत स्मरण होती है और वह इस प्रकार है :—

"यथा राजा, तथा प्रजा"

ऐसा इसलिये होता है कि शासक भी उसी श्रेणी के हैं। अन्यथा इस प्रकार की कुचेष्टा नहीं होती।

आप अपीलीय न्यायालय में अधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार करने जा रहे हैं? यह कहा जाता है कि अपीलीय प्राधिकारण में केवल एक व्यक्ति ही होना चाहिये। वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिये। क्या आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? एक व्यक्ति, जिसने दीवानी अदालत अथवा किसी अन्य न्यायालय में कुछ निश्चित वर्षों तक प्रैक्टिस की तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के योग्य है। यदि बात ऐसी है, तो मैं यह कहूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि शासक दल में अनेक ऐसे अधिवक्ता हैं। आज कांग्रेस (आई) शासक दल है, कल हो सकता हो देश का शासन किसी अन्य पार्टी के हाथ में हो। अतः मैं कहूंगा कि उनकी नियुक्ति की पद्धति कुछ और होनी चाहिए। सभा की अनेक समितियां हैं जिनमें निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति भी संसद द्वारा की जानी चाहिए।

यह मेरा सुझाव है। यदि हम ऐसा करते हैं तो न केवल बैंकों के लिये बल्कि जनता के लिये भी पर्याप्त सुरक्षा होगी।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त में कहें। हमारे पास समय नहीं है।

श्री एम. रमन्ना राय : यदि हमारे पास निर्धारित नियम होंगे, तो चिन्ता करने की कोई बात नहीं होगी। इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति ने एक केबिनेट मंत्री श्री शंकरानन्द को दोषी पाया था। जिन्होंने अन्ततः त्याग पत्र दे दिया। संयुक्त संसदीय समिति ने एक अन्य मंत्री श्री ठाकुर को भी दोषी पाया था। जब जांच आरम्भ हुई अथवा सभा में इस बारे में चर्चा हुई, तो एक अन्य मंत्री श्री चिदम्बरम ने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन इसके बाद इस बारे में कुछ भी नहीं सुना गया। चूंकि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। संयुक्त संसदीय समिति ने प्रतिभूति घोटाले में उनका हाथ होने की बात की उपेक्षा की। संयुक्त संसदीय समिति में श्री चिदम्बरम के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया।

इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उन्होंने क्यों त्याग पत्र दिया, क्या उनके लिये त्यागपत्र देना आवश्यक था अथवा उन्होंने इसलिये त्यागपत्र दिया क्योंकि वह त्याग पत्र देना चाहते थे। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उन्हें फिर से मंत्री क्यों नियुक्त कर लिया गया। इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये। यदि शासक अच्छे होंगे तो जनता भी अच्छी होगी। यदि शासक अच्छे नहीं होंगे तो इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह संशोधन अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसकी कार्यान्वित सख्ती से की जानी चाहिए। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापतिजी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सदन में पेश हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी की एक आम भावना है, मंत्रीजी भी समझ गये होंगे, कि जो यह अध्यादेश लाया गया है, यह नहीं लाया जाना चाहिए था। आप इसकी जगह बिल लाते। सभी लोगों ने इस अध्यादेश की निन्दा की है। यह अध्यादेश 25 जनवरी, 1995 को लाया गया। इसमें जो शक्तियां आपने प्रदान की हैं वह तो आप अध्यादेश से प्रदान कर चुके हैं। लेकिन इन शक्तियों से इन्होंने कितना काम इस डेढ़ महीने में किया है वह भी आपको बताना चाहिए था। देश में जो छोटे-छोटे निवेशकर्ता हैं, जो छोटा-मोटा धंधा करते हैं और पैसा जमा करके शेयर में लगाते हैं, यह बिल उनसे सम्बन्धित है, यानि कि यह पूरे देश से सम्बन्धित है। आपको सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके एक सम्पूर्ण बिल लाना चाहिए था जिससे ज्यादा मजबूती आती। चूंकि हमारे देश में जिस दल का शासन होता है वही अपने हितों के अनुसार बिल ले आते हैं। आपने भी वही काम किया है। हम जानते हैं कि वित्त मंत्रीजी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं।

लेकिन और लोगों की मदद लेने में विद्वता कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। प्रतिभूति घोटाले में कितने लोगों ने आत्महत्या की है, यह वित्त मंत्री जी को मालूम है। कलकत्ता में कई लोगों ने अपनी जायदाद बेच दी और आज सड़कों पर फिर रहे हैं। यह सब किसने किया? उस समय 'सेबी' का गठन हो चुका था लेकिन उसको शक्तियां प्रदान नहीं की गयी थी। उस समय क्या यह नहीं समझते थे कि हर्षद मेहता कैसा आदमी है? आज शक्ति दे रहे हैं लेकिन काम होना चाहिये क्योंकि इसमें छोटे-छोटे निवेशकर्ता होते हैं उनको विश्वास में लेना होगा कि उनका लगाया हुआ धन कहीं नहीं जायेगा। आज बहुत सी कम्पनियां केवल कागजों तक रजिस्टर्ड हैं और लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। गरीब निवेशकर्ता फंस जाते हैं। आपसे आग्रह है कि आपको यह देखना होगा कि वे कम्पनियां दिवालिया न हो जायें और इन चीट करने वाली कम्पनियों पर कैसे पाबंदी लगायेंगे? छोटे लोगों द्वारा लगाया गया पैसा देश के विकास के काम आता है तो उन लोगों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

मेरा एक आग्रह यह है कि यह शक्तियां सही मानों में इस्तेमाल होनी चाहिये। ऐसा न हो कि पालिटिकल हो। जे.पी.सी. रिपोर्ट को लागू करने में काफी संघर्ष करना पड़ा।

वे लोग देश के लिये सोचते परन्तु अपनी पार्टी के लिये सोचते हैं। इस देश में जबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई है, तब से पार्टी को बचाया गया, देश के हित के लिये सोचा ही नहीं गया। यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, यह देशद्रोह का काम है।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह चुमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक और संकल्प का समर्थन करता हूं। यद्यपि मैं उन सदस्यों में नहीं था जिन्होंने इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने के लिये हस्ताक्षर किये थे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन ऐसा अध्यादेश जारी करना एक आसान साधन नहीं माना जाना चाहिये

वित्त मंत्री ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की है और इस बात का आश्वासन दिया है कि भविष्य में वे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं गे। अन्यथा यह लोकतन्त्र की भावना को नष्ट कर देगी और हम ानाशाही की ओर अग्रसर होंगे। अतः सरकार को इस प्रकार के ध्यादेश लाने की आदत नहीं डालनी चाहिये।

मेरे विचार से यदि सरकार पूंजी बाजार में नये विकास के प्रति तर्क होती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था, जैसाकि विवरण ं उल्लेख किया गया है।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री द्वारा इस संशोधन को लाये जाने के बारे में दिये गये स्पष्टीकरण को सुनने के बाद में सका समर्थन करता हूं। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं सकी सराहना करता हूं।

अपराधियों को दण्ड देने के लिये 'सेबी' को और अधिकार का झाव स्वागत योग्य है। इसके साथ ही 'सेबी' को और सुविधाएं देने ा सुझाव है ताकि वह छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित कर सके। यह ाष्ट्र के हित में होगा।

माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में, जिसे परिचालित किया या और विस्तार से बताया जा सकता था कि पूंजी बाजार में नए कास कार्य क्या हैं और अनियमितताएं आदि क्या हैं। यदि इस बारे स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है, तो इसमें सभा को और जानकारी लती।

अतः हमारा यह मत है कि सरकार 'सेबी' के कार्यकरण पलब्धियों आदि की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट स्तुत करने का प्रयास करे। इससे सभा को जानकारी प्राप्त होगी और ाष्ट्र के हित में यह एक स्वस्थ प्रक्रिया होगी। इन शब्दों के साथ मैं धेयक का समर्थन करता हूं।

हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, श्री तोष गंगवार जी ने जो निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा है उसका मैं मर्थन करता हूं। साथ ही सरकार निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ा और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो बिल लाई है, सका मैं आंशिक समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे हले तो मैं जानना चाहता हूं कि बंबई स्टॉक ऐक्सचेन्ज में जब वित्त त्रालय का प्रतिनिधि है तो उस प्रतिनिधि के होते हुए भी क्या वहां ानीटरिंग नहीं होती? जब आप आर्डिनेन्स ले आए 25 जनवरी, 1995 को और लागू कर दिया, उसके बाद भी दो दिन पहले समाचार-पत्रों ं पढ़ने को मिला कि बंबई का स्टॉक ऐक्सचेन्ज दो दिन तक बंद रहा ौर सारा कारोबार ठप्प रहा। एक शू कंपनी द्वारा 16 करोड़ रुपए का हला सौदा, दूसरा सौदा और तीसरा सौदा जबानी हो गया उधार ही धार में, और जमा कुछ नहीं किया और एकदम से अपने को वालिया घोषित कर दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वित्त त्रालय का प्रतिनिधि जब वहां बैठता है तो उसकी मानीटरिंग होती होगी। रोज-रोज क्या आर्थिक स्थिति है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते होंगे। उन्होंने वित्त मंत्रालय को सूचित भी किया होगा। जब 'सेबी' को आर्डिनेन्स के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई तो उसके बाद भी उसका उपयोग नहीं किया गया। देश के छोटे-छोटे निवेशक इस मनोवृत्ति के शिकार होकर दस बीस या पचास हजार रुपया शेयर्स में लगा देते हैं कि उन्हें मुनाफा होगा औरा ऐसी कंपनियां जिनको 'सेबी' भी नहीं देख पाती है, वे खासकर इस प्रकार के घोटाले करती जाती हैं। इससे निवेशकों की भावनाओं को बहुत आघात पहुंचता है।

3.00 म.प.

और उनकी उम्र भर की कमाई चली जाती है। मान्यवर, अभी माननीय वित्त मंत्रीजी कह रहे थे कि "लर्निंग बाई डुईंग", अर्थात् कुछ करके ही सीखा जाता है। मैं मानता हूं कि अनुभव से आदमी कुछ सीखता है लेकिन आप तो अनुभव ले रहे हैं और देश की जनता को भोगना पड़ रहा है। अभी दो-तीन दिन पहले वित्त मंत्रीजी से पूछा गया था कि देश भर में उन सबसे बड़े आयकरदाताओं के नाम बताओ जिन पर करोड़ों रुपए का आयकर बकाया है, उनमें हर्षद मेहता और भूपेन दलाल जो स्टॉक मार्केट के सम्राट माने जाते थे और जिनकी सिक्योरिटी स्कैम के बाद कलई खुल गयी कि 5 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। पहले बैंकों की मोनोपोली थी कि वहां जो जमा होगा उसका अच्छा मुनाफा मिलेगा लेकिन उनकी विश्वसनीयता को आघात लगा और अब सेबी की विश्वसनीयता पर आघात लगने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह ऑर्डिनेंस तो ले आई लेकिन ऑर्डिनेंस के बाद भी खर्चा बढ़ता गया। आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? या तो हम यह मानें कि हम डाल-डाल और वे पात-पात। सरकार दो कदम बढ़ाती है तो वे चार कदम और आगे बढ़ जाते हैं। दलाली के क्षेत्र में काम करने वाले भूपेन दलाल और हर्षद मेहता के ऊपर करोड़ों रुपए का आयकर बकाया है और ऐसे दलाल अपनी विश्वसनीयता जमाने का दुस्साहस करते हैं तो जनता की विश्वसनीयता घटेगी या बढ़ेगी? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय और सेबी को इस बारे में जागरूक रहना चाहिए।

मान्यवर, सेबी का स्थापना 1991 में हुई थी। उस समय यह माना गया था कि इसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वी. कृष्णाराव जैसे वित्तीय जगत के दिग्गज इसके चेयरमैन थे और इसके डायरेक्टर्स भी वित्तीय क्षेत्र के बड़े-बड़े विशेषज्ञ थे। उन लोगों ने बराबर वित्त मंत्रालय को अनुरोध किया कि सेबी को कुछ अधिकार प्रदान करें लेकिन उसके बाद स्कैम हो गया, जे.पी.सी. की रिपोर्ट आ गयी, कई महीने उसमें उलझ गए। उसके बाद 1992 में हालांकि 'सेबी' को कुछ कानूनी शक्तियां दी गयीं लेकिन वे सब आंशिक शक्तियां थीं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर सरकार शिक्षा ग्रहण करती तो 1992 के बाद विधिक शक्तियां देने के बाद कुछ सुधार इसमें आता। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सरकार का जैसा नियंत्रण स्टॉक एक्सचेंज, विनिमय प्रणाली, हवाला व्यापार व सट्टे की प्रवृतियों को रोकने पर होना चाहिए वैसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा

था कि सशक्त हाथों में सशक्त हथियार दिया जाय तो उसका उपयोग भली प्रकार से हो सकता है लेकिन कमजोर हाथों के अंदर और स्वयं सरकार में शामिल लोग भी, जिनके दामन पर दाग लगे हुए हैं, जिनको सिक्योसिटी स्कैम व अन्य घोटालों के कारण इस्तीफा देना पड़ा, वे इस प्रकार की अविश्वसनीयता पैदा करने वाले, जनता की पूंजी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ कार्यवाही कर पायेंगे?

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस के बाद एम.एस. शूज कम्पनी का 16 करोड़ का घोटाला हुआ यह जान-बूझकर हुआ या गलती से हुआ या अनदेखी करने के कारण हुआ। आपने अभी कहा था कि अनहैल्थी प्रेक्टिसेज को रोकने के लिए, तो फिर इन गलत बातों को रोका क्यों नहीं गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

मान्यवर, बाजार में ऐसे दलाल लोग जो अपनी सामर्थ्य के आधार पर या बनावटी रूप से कीमतें बढ़ा करके खरीददारी जारी रखते हुए चुकाता नहीं करके स्टॉक मार्केट को साफ धोखा देते हैं तो सबके लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इसके लिए सही मानिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, गांव का रहने वाला या मामूली बचत करने वाला अखबारों के माध्यम से ही जान पाता है कि कौन सी कम्पनी के शेयर की कीमत कितनी है और यह उस मुनाफे की प्रवृत्ति से आकर्षित होकर या नई कम्पनियों के इश्यूज के माध्यम से उनको खरीद लेता है इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को सही स्थिति की जानकारी प्रदान करके उनको बचाना चाहिए। अन्यथा आम जनता के साथ धोखाधड़ी होती है और वह धोखे का शिकार होकर अपने जीवन भर की कमाई को गंवा बैठता है। स्कीम स्कैण्डल के बाद तो कई बड़े-बड़े शहरों में लोग अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर जल गए क्योंकि उनकी पूंजी मिट्टी में मिल गयी थी।

ऐसा न हो कि उनके साथ बार-बार धोखाधड़ी होती रहे। कैपिटल मार्केट का संचालन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंज के अन्दर विनिमय की क्या दरें चल रही हैं, इन बातों को जानने और रेगुलेट करने के लिए, स्पैसीफिक केसेस ऑफ बायलेशन के ऊपर मानीटरी पैनलटीज कितनी होगी, उसकी क्या सीमा है, वह किस आधार पर तय होगी, उनपर कितना जुर्माना किया जाए, जुर्माना वसूल करने का क्या तरीका रहेगा, दलाली करने वाले बिचोलिये या निवेशकर्ता, कस्टोडियन्स या सिक्युरिटी को रेगुलेट करने के लिए, उसमें नियमितता लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सेबी ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी ऑटोनोमी को और ज्यादा बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए कार्य करें ताकि भविष्य में इस प्रकार के कारनामे और न हों। आप बार-बार सदन को आश्वस्त करते हैं और फिर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इससे देश की जनता अविश्वसनीय तरह से देखती है कि सरकार कहती क्या है और हो क्या रहा है? बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज शेयर में जनता धन लगा सके और धोखाधड़ी से खड़ी होने वाली कम्पनियां ठगी न करें, उसे सुदृढ़, सम्पुष्ट करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इसके बारे में बताएं।

इस देश में लाखों, करोड़ों छोटे-छोटे इनवैस्टर्स हैं, उनका भी हमें थोडा सा ध्यान रखना चाहिए। देश के समुचित विकास के लिए, देश की योजनाओं के लिए हम बचत को बढ़ावा देना चाहते हैं। बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और पैसा लाभदायी कार्यों में लगाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी विनिमय का विशेषज्ञ नहीं होता। वह कम्पनियों के बारे में यह नहीं जानता कि कौन सी कम्पनी सुदृढ़ है, कौन सी सक्षम है, कौन सी कम्पनी समय पर मुनाफा दे पाएगी, इसलिए उनको सही जानकारी भी मिलनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आजकल गैस कनैक्शन और एल.पी.जी. के नाम पर बाजारों में कई कम्पनियां खुल गई हैं जो लोगों से लाखों रुपये बटोर रही है। फ्रिट फंड कम्पनी या लक्ष्मीफंड भगतजी कम्पनी, जिसके बारे में हमने वित्त मंत्री जी को अपने पत्र में लिखा था, ने अजमेर में लोगों से करोड़ों रुपये इकट्ठे किए और उसके बाद एक रात में कम्पनी का बोर्ड गायब हो गया। इसलिए प्रमाणिकता हो, विश्वसनीयता पैदा हो, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की सुरक्षा हो और बार-बार ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैंने चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को बहुत ध्यान से सुना है। मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में यह कहा है कि "मैं सभा की चिन्ता से अवगत हूं कि अध्यादेश का सहारा कम से कम लिया जाना चाहिए" लेकिन इस विशेष मामले में न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व में वित्तीय बाजारों में व्याप्त अव्यवस्था को देखते हुए हमने यह अनुभव किया कि आवश्यक कार्यवाही बहुत जरूरी है। अतः हमने 'सेबी' को अतिरिक्त अधिकार दिये और इसी कारण उक्त अध्यादेश लाया गया। आगामी वर्षों में भारत को अपनी विकास सम्बन्धी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सुदृढ़ विस्तृत पूंजी बाजार की आवश्यकता है।

इसके साथ ही यदि हमारे शेयर बाजार को सामाजिक विकास का कार्य पूरा करना है, तो इस बाजार से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिये आचार संहिता निर्धारित की जानी चाहिये। इसी वातावरण में भारत के शेयर बाजार अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। ये बाजार केवल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं होने चाहिये बल्कि उनका विकास हमारे देश की महत्वपूर्ण आकांक्षा को पूरा करने के लिये एक उद्देश्यपूर्ण तंत्र के रूप में होनी चाहिये। इसीलिये हमारी सरकार ने 1992 में शक्ति में आने के तुरन्त बाद—जनवरी 1992 में 'सेबी' को सांविधिक शक्तियां प्रदान कीं।

'सेबी' के पास उक्त सांविधिक शक्तियां लगभग तीन वर्षों से हैं। यह भी समस्याएं है कि 'सेबी' को सरकार द्वारा एकदम क्या शक्तियां दी जायें क्योंकि इससे पूर्व 'सेबी' को इस बारे में कोई अनुभव नहीं है। इसके अतिरिक्त 'सेबी' और कम्पनी कानून के सम्बन्धों के बारे में भी ध्यान देना होगा। इस कार्य में समय लगा है और हम आज अनुभव करते हैं कि हमने जो कुछ भी किया है वह 'सेबी' को एक

और अधिक प्रभावशाली तंत्र बनाने के लिये किया है जिससे शेयर बाजार के हितों की रक्षा की जा सके।

चर्चा के दौरान अनेक मुद्दे उठाये गये हैं और मैं यथासम्भव उन सब मुद्दों का उत्तर दूंगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि कुछ लोगों के पास बशर्ते के स्वामित्व आदि की योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत निवेशकों को 20 से 25 वर्षों में स्वामित्व मिल जाता है और उन निवेशकों को यह विश्वास होना चाहिये कि उन्हें ठगा नहीं जा रहा है। अतः अध्यादेश में यह व्यवस्था है कि सभी सामूहिक निवेश योजनाओं को 'सेबी' के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिये। अतः हम एक पग आगे बढे हैं।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी वित्तीय प्रणाली अनियमितताओं से पूर्णतया मुक्त हो सकती है। ऐसा आश्वासन देना मानवीय तौर पर सम्भव नहीं है। उदाहरण के तौर पर सिंगापुर में हमारी बहुत ही विनियमित वित्तीय प्रणाली है। तथापि हमने यह देखा कि किस प्रकार बारिंगस बैंक जो सबसे पुराना बैंक था, भारी घाटे के कारण एक पखवाड़े में दिवालिया हो गया। फ्रांस जैसे देश में भी एक प्रमुख बैंक 'क्रेडिट ल्यून', भारी घाटे में चला गया। ऐसा समस्त विश्व में पूंजी बाजार में भारी अनिश्चितता के कारण होता है। अतः हमारा यह प्रयास होगा कि इन बाजारों के विकास पर अनिश्चितताओं का प्रभाव न पड़े, गलती करने वालों को उचित दण्ड मिले। सभी गलती करने वालों के मन में कानून का भय हो। इन विनियमों का यही उद्देश्य है। हमें ऐसे वित्तीय बाजारों की आवश्यकता है जो सुचारू रूप से कार्य करें। इसके साथ ही हमें ऐसे सुदृढ़ विनियमित तंत्र की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सके कि देश में व्यापक हितों की रक्षा की जा रही है। 'सेबी' को अतिरिक्त शक्तियां देने के पीछे हमारा यही मुख्य उद्देश्य था।

श्री राम नाईक ने अनेक मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने यह जानना चाहा है कि अध्यादेश जारी किये जाने के डेढ़ महीने बाद, नई शक्तियां प्राप्त करने के उपरान्त, क्या कार्यवाही की गई। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि कानूनी परिवर्तन अध्यादेश द्वारा किये गये थे क्योंकि जनवरी में पूंजी बाजार में अनिश्चितता विद्यमान थी। यदि हम उसको दूर नहीं करते तो लोगों का और विश्वास उठ जाता। अतः हमने यह अनुभव किया कि जनवरी में अध्यादेश जारी करने का समय उचित था।

अब क्या हुआ? 'सेबी' को पहली बार कम्पनियों को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जो पहले प्राप्त नहीं था। एम.एस. शूज का भी उल्लेख किया गया है। मैं यह मानता हूं कि यही एक मामला है जिसमें गलती की गई है। यह अब सम्भव है— ऐसा पहले सम्भव नहीं था कि किसी कम्पनी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि हम इस मामले के सब पहलुओं पर विचार करेंगे। इस मामले में जो भी त्रुटियां और अनियमितताएं हुई हैं, हम उनकी जांच करेंगे। जो भी जिम्मेवार होगा—चाहे वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो अथवा अन्य लोग— मैं किसी भी गलत काम करने वाले को बचने नहीं दूंगा। लेकिन इस अवस्था में मैं इस मामले को प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनने दूंगा। इस मामले की 'सेबी' द्वारा जांच की जा रही है। अतः जांच पूरी होने दें। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हमारी जानकारी में जो भी बातें आयेंगी हम उन्हें गम्भीरता से लेंगे। इस विशेष मामले में हमें उचित सबक मिलेगा।

श्री राम नाईक ने विदेशी निवेशकों की भूमिका के बारे में प्रश्न पूछा था। हमें विदेशी निवेशकों की आवश्यकता होती है और हमें इस बात पर जोर नहीं देना होगा कि एक विदेशी निदेशक किसी अन्य कम्पनी में निदेशक नहीं होना चाहिये। इस बात का अनुभव हमने सरकार में लम्बे समय तक किया है। मैं लगभग 25 से 30 वर्ष तक किसी न किसी प्रकार वित्तीय प्रशासन से सम्बद्ध रहा हूं। हमने अनेक निगमों का गठन किया है। हमें आशा थी कि समय के साथ-साथ इन निगमों में व्यापारिक कुशलता आयेगी ताकि जब हम अपने देश के व्यापारियों से और विदेशी व्यापारियों से लेन-देन करें तो हमारे पास विशेषज्ञता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी संस्थाएं अनेक बार विरक्तता में काम करती हैं। व्यापारी और नौकरशाही आपस में नहीं मिलते और यदि हम ऐसे लोगों को रखते हैं जो नौकरशाही हैं, तो इस बात का खतरा है कि अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब हम पर निश्चित नियंत्रण तंत्र होगा जिसे व्यापार सम्बन्धी कठोर वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी। अतः हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कर्त्तव्यनिष्ठ हों जिनके पास वास्तविक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो। इसीलिये हम ये शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत 'सेबी' के केवल वही सदस्यों को जिनकी कर्तव्य निष्ठता सिद्ध हो चुकी हो। यदि यह विधेयक अधिनियम बनता है तो यदि एक बार एक व्यक्ति निदेशक नियुक्त होता है, तो उसे यह बात सार्वजनिक रूप से घोषित करनी होगी। यदि कम्पनी के किसी मामले पर 'सेबी' द्वारा विचार किया जाता है तो वह निश्चित रूप से निर्णय लेने सम्बन्धी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा।

श्री राम नाईक ने यह भी पूछा है कि 'सेबी' के कार्यकरण के बारे में हमारा अनुभव क्या है। जैसाकि मैंने आरम्भ में ही कहा है 'सेबी' को अभी तीन वर्ष से ही सांविधिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यह बहुत अशान्ति का समय रहा है। संयुक्त संसदीय समिति ने इसके कुछ पहलुओं पर विचार किया है। उसने **'बदला'** के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये हैं। अतः संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में **बदला** कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाया गया लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वह अनिश्चितता और जटिलता का संसार है। कुछ अन्य समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। अतः हम स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सके। कोई भी व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगा सकता कि आने वाले वर्षों में क्या होगा। हमें नियामक तंत्र की आवश्यकता है जो बदलती हुई परिस्थितियों को शीघ्रता और कुशलता से जानकारी देता रहे। मेरा

अपना यह विचार है कि 'सेबी' उचित दिशा में कार्य कर रही है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि 'सेबी' में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम कार्य कर सीख रहे हैं और 'सेबी' के पास अभी बहुत कम कर्मचारी हैं। उसे अभी और विशेषज्ञता प्राप्त करनी है। लेकिन वह पूरा प्रयास कर रही है। मेरे विचार से उसे पूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिये ताकि वह संसद द्वारा दिये गये दायित्व को प्रभावशाली ढंग से निभा सके। हम यथा समय इसके कार्यकरण की जांच करेंगे। लेकिन संसदीय जांच करने से पहले कुछ समय तक 'सेबी' का विकास होना चाहिए, जैसाकि श्री राम नाईक चाहते हैं।

श्री रासा सिंह रावत ने बम्बई स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण का मामला उठाया है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि अब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में कोई सरकारी प्रतिनिधि नहीं है। हमने ये शक्तियां 'सेबी' को हस्तान्तरित कर दी हैं और 'सेबी' निश्चित रूप से स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकरण की ओर ध्यान दे रही है। 'सेबी' के पास अब वे शक्तियां हैं जिनके अन्तर्गत दो महीने की अल्प अवधि में स्टाक एक्सचेंजों के उपनियमों में संशोधन किया जा सकता है। अतः मुझे पूर्ण आशा है कि अगामी वर्षों में 'सेबी' द्वारा हमारे स्टाक मार्किट के लिये प्रभावशाली नियम लागू कर दिये जायेंगे।

यह निश्चित रूप से सच है कि पहले स्टॉक एक्सचेंज सहज रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। इन एक्सचेंजों को दलालों द्वारा चलाया जा रहा था। उनमें दलालों का आधिपत्य था। जब से 'सेबी' को सांविधिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वह स्टाक एक्सचेंज का गठन कर सकता है और इस बात पर बल दे सकता है कि स्वतन्त्र निदेशकों को अधिक महत्व दिया जाये, अनुशासनात्मक मामलों में जांच के लिये विभिन्न समितियां नियुक्त की जायें तथा इन समितियों में पर्याप्त संख्या में निष्पक्ष प्रतिनिधि हों।

जैसाकि मैंने कहा है यह एक विस्तृत प्रक्रिया है और मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि जब 'सेबी' इन नियमों को लागू करवाने की स्थिति में होगी, तो उसके पास अपना उत्तरदायित्व भली-भांति निभाने के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे।

अतः जिस सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है उससे मेरा अनुरोध है कि वह इस पर जोर न दें और मेरा अनुरोध है कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे क्योंकि देश के लिये यह आवश्यक है। आज हम सबको एक स्वस्थ और सुदृढ़ पूंजी बाजार की आवश्यकता है जो सहजता से कार्य करे जिसमें ईमानदार निवेशकों की पूरी आस्था है।

श्री राम नाईक : मैं इस बारे में केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वित्त मंत्री ने मेरे द्वारा पूछे गये दण्ड सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा था कि कभी-कभी शारीरिक दण्ड भी आवश्यक होता है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैंने उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पूर्व अधिनियम में 'सेबी' के पास रजिस्ट्रेशन को निलम्बित अथवा रद्द करने की पूरी शक्ति होती थी। हमने यह अनुभव किया कि यह उपाय बहुत कठोर हैं। उदाहरणतया यदि कोई म्यूचुयल फंड कुछ गलती करता है, तो सेबी कहता है कि वह उसका लाइसेंस रद्द कर देगा, तो इसके परिणामस्वरूप म्यूचुयल फंड धारकों को नुकसान होता है। अतः हमने महसूस किया कि ये अन्तिम उपाय के रूप में ही किये जाने चाहिय। मध्यवर्ती अवस्था में आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिये और इससे उन्हें संकेत मिल जायेगा। 'सेबी' रजिस्ट्रेशन को निलम्बित अथवा रद्द करने की उस शक्ति का कभी भी प्रयोग कर सकती है लेकिन हमने अनुभव किया कि दण्डात्मक कार्यवाही के लिये ग्रेडिड प्रणाली अपनाई जाये। यदि अपराध मामूली है तो आर्थिक दण्ड पर्याप्त है और यदि अपराध गम्भीर है तो इसके लिये उनके पास पहले ही शक्तियां हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, सिक्योरिटीज कांट्रेक्ट्स एक्ट और कम्पनीज एक्ट की दो धाराएं हैं। सिक्योरिटीज कांट्रेक्ट्स एक्ट की धारा 111 और कम्पनीज एक्ट की धारा 80 और 81 के प्रावधान और इस प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों में विसंगतियां हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उन विसंगतियों के बारे में स्पष्ट करें। हमने भले ही सेबी को अधिकार दे दिए हों लेकिन अगर सिक्योरिटीज कांट्रेक्ट्स के अंतर्गत किसी भी बैंक या संबंधित संस्था को इस बात का अधिकार है कि वह चाहे तो शेयर के बारे में मना करें या रजिस्टर करें, भले ही आपने अधिकार दिए हों लेकिन विसंगतियों के रहते हुए उस अधिकार का क्या अर्थ होगा?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक पाण्डेय जी का प्रश्न मेरी समझ में आया है, उनका अभिप्राय कम्पनियों द्वारा पंजीकरण अस्वीकृत किये जाने से है। देश में ऐसी समस्याएं हैं। इस सम्बन्ध में कम्पनी कानून में संशोधन की आवश्यकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि प्रतिभूतियों के वास्तविक हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याओं का मुख्य कारण हमारी निपटान की पुरानी प्रणाली है। अतः मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि नई प्रणाली अपनाने का समय आ गया है जिसमें सेन्ट्रल डिपाजटी और स्क्रिपलेस ट्रेडिंग हो। मैंने पाण्डेय जी द्वारा उठाये गये मुद्दे को नोट कर लिया है और मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता। माननीय मंत्री जी की कार्य करने की अच्छी प्रक्रिया और सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

महोदय, मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से सभा माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापिस लेने की अनुमति देती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 26 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.28 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 22 मार्च, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 22 मार्च, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गये अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.30 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाने संबंधी संकल्प—जारी

सभापति महोदय : श्री सत्यदेव सिंह आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : सबसे पहले तो मुझे इस बात पर खेद व्यक्त करना है कि मेरा इतना महत्वपूर्ण संकल्प सदन में आया, जो गरीबों और महिलाओं से जुड़ा हुआ है लेकिन गृह मंत्रालय का कोई भी माननीय मंत्री यहां नहीं है। वैसे तकनीकी दृष्टि से तो मंत्रीगण यहां हैं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : चार मंत्री हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : चार मंत्रियों से सदन का काम नहीं चलेगा। मान्यवर, आप ही का विषय है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, 16 दिसम्बर को जब मैंने अपना यह महत्वपूर्ण संकल्प सम्मानित सदन के सामने रखा था तो उद्देश्य यही था। आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और उनके द्वारा संचालित सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का लगातार संयोजित ढंग से उत्पीड़न किया जा रहा है, राजनैतिक कारणों से उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि यह सरकार अपने आपको दलितों की सरकार बताती है और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, इसलिए इन बातों पर मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। किस प्रकार से हरिजन महिलाओं के साथ न केवल बलात्कार और उत्पीड़न हो रहे हैं बल्कि उनको अमानवीय ढंग से करने के कृत्य बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, रौंगटे खड़े कर देने वाले दुष्कृत्य किये जा रहे हैं लेकिन यह केन्द्र में बैठी हुई सरकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है। वहां किसी प्रकार की कानून-सम्मत या विधि-सम्मत सरकार है ही नहीं और न ही इसका आने वाले समय में किसी प्रकार का अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का कोई इरादा दिखाई दे रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश में इस ढंग से यह सब क्यों हो रहा है? महोदय, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन

है। हम सब यहां संविधान की शपथ लेते हैं और इस बात का निश्चय करके आते हैं कि हम इस प्रकार के कार्य करेंगे जिससे भारत अपने पुराने गौरव पर पहुंचे और हम दुनिया में सम्मान से यह कह सकें कि हमारे यहां के नागरिक का, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, गांव और शहर के आधार पर कोई भेद नहीं होता और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। लेकिन महोदय, समानता का आचरण करने की कल्पना भी ईमानदारी से हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे शब्द अच्छे हो सकते हैं, भावनाएं सदन में व्यक्त करने के लिए बड़ी तीखी हो सकती हैं लेकिन आचरण की बात आती है तो इसके ठीक विपरीत दिखाई देता है।

आज उत्तर प्रदेश में यह जो हो रहा है इसका कारण क्या है? कारण यही है कि आज वहां पर तथाकथित जो चुनी हुई सरकार है और जिसको 1993 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था और जिसमें दो पुरुषों के बीच में गठबंधन हुआ था और इसी के कारण, इस प्रकार के अपवित्र गठबंधन के कारण उत्तर प्रदेश में आज कुछ नहीं हो पा रहा है। इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने पुरोहित की तरह से इस अवैध विवाह में अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी से श्रीमन् बच नहीं सकते। मान्यवर, लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ हमने अपनी नीति निर्धारित की है। किसी ने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है। हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्था के संस्थापकों ने बहुत मेहनत करके संविधान की रचना की थी। उत्तर प्रदेश में 16 दिसम्बर को जैसे ही नयी सरकार ने अपना पहला अधिवेशन शुरू किया, विधायिका को कब्जे में लेने के, प्रैस में जंगल राज्य लागू करने के लिए, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है उसपर हमला हुआ। विधान सभा के अंदर सम्मानित सदस्यों पीटा गया। इससे एक संदेश उन्होंने दे दिया कि जो हमारा विरोध करेगा, हमारे दुष्कृत्यों का विरोध करेगा, जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा- चाहे वह सदन के अंदर ही क्यों न हो, वह कहीं सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, उन्होंने अपने इस आश्वासन को पूरा किया है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को वे लोग कर रहे हैं।

दूसरा खम्भा जो महत्वपूर्ण होता है वह ब्यूरोक्रेसी का होता है। लोकतंत्र में उसका भी अपना महत्व है। नौकरशाही का महत्व यह है कि राजतंत्र के अंदर जो निर्णय लिये जाते हैं उन निर्णयों को विधि-सम्मत, जनता की इच्छा के अनुरूप, निर्भय और स्वतंत्र होकर लागू किया जाए। हमारे जो आई.ए.एस. और आई.पी.एस. बनाए गए हैं उनको संविधान में संरक्षण भी इसलिए दिया गया है ताकि वह अपना कार्य स्वतंत्र होकर कर सकें। लेकिन इस पर भी कुठाराघात हुआ है। जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को आज गुलाम से भी बदतर बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अधिकारी में रीढ़ की हड्डी नहीं रह गई है। वे इतने लाचार हो सकते हैं और इतना नीचे जा सकते हैं, इसके मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र के अनुरूप सदन में कार्य करें, देश की व्यवस्था चले, वह दूसरा अति-महत्वपूर्ण पाया भी उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया गया है।

लोकतंत्र का तीसरा पाया अखबार है। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर उसको अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे तो पत्रकारिता ईमानदारी से काम नहीं कर पायेगी। आज पत्रकारिता का कार्य है कि वह सदन में और उसके बाहर राजनेताओं द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं, उसमें अच्छे कार्यों की प्रशंसा करे और जो नीति के विरूद्ध कार्य हैं, उनकी निन्दा होनी चाहिए। आज उसको यह कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसका पहला शिकार दो अखबार हुए हैं। जिन्होंने उनके दुष्कृत्यों को छिपाने का काम नहीं किया। बाद में एक अखबार दैनिक जागरण को उन्होंने छोड़ दिया, जैसे अयातुल्ला खुमैनी ने अपना फतवा वापस ले लिया हो, लेकिन अमर उजाला को नहीं छोड़ा। उनके अखबारों के बंडलों पर, हाकरों पर और पत्रकारों पर हल्ला बोला जा रहा है। वहां सपा और बसपा के पास कोई जनमत नहीं है कि वे संविधान में प्रदत्त अधिकारों से बलात्कार करें और नागरिकों का उत्पीड़न करें। लेकिन आज सरकारी संरक्षण में और सरकारी साये में इस प्रकार की कायरता का प्रदर्शन हमारे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उसका आपको कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा।

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पाया ज्यूडिशरी है, उसको भी नहीं छोड़ा गया है। हम यहां कोई नियम बनायें उसका एक बार पुनरीक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो सकता है, यह भी हमारे संविधान की मंशा थी, लेकिन उस पर भी हमला किया जा रहा है। 13 दिसम्बर को सरकारी बंद कराया गया। कोई भी दल मंडल आयोग का विरोध नहीं करता है। सभी दल इसका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन करती है। उसी ने सबसे पहले 1985 में इसका समर्थन किया था। फिर 13 दिसम्बर को सरकारी स्तर पर क्यों बंद कराया गया, वह इसलिए कराया गया कि लोकतंत्र का चौथा पाया जो हमारी ज्यूडिशरी है, उसको धमकाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया। वह सरकारी संरक्षण में हुआ। एक सी.ओ. के नेतृत्व में हुआ। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही लाई जाये। शायद वहां की सरकार 1975 से 1977 तक का इतिहास भूल गई। जब इस देश पर तानाशाही थोपने का काम हुआ था, तब भी देश के लोगों ने उसको बर्दाश्त नहीं किया था। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का राजनैतिक कद या हैसियत इतनी बड़ी है कि वह देश की पूर्व प्रधान मंत्री का मुकाबला कर सके और उनके बराबर काम कर सके। लेकिन उनके पैर इसी ओर बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा विषयान्तर होकर बताना चाहता हूं और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद नहीं दिया जा रहा है। सरकारी कामकाज किया जा रहा है। क्या हम राष्ट्रपति महोदय को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम इतने अकृतज्ञ हो गये हैं कि उनको धन्यवाद नहीं दे सकते। यह जो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का पुलिंदा है, यह उनका अपना नहीं है, बल्कि यह सरकार का पुलिंदा है। यह तो आपका प्रशस्ति पत्र है, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने यहां हम लोगों के बीच पढ़ा था। उसी पर गुणगान करने से आप मुकर रहे हैं। इसी प्रकार का एक कृतकृत्य उत्तर प्रदेश

की विधान सभा में हुआ था। वहां अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए किस तरह के अत्याचार हुए यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में शाहगंज में जी.आर.पी चौकी है। वहां सवारी गाड़ी में बैठने वाले दो मुसाफिरों में झगड़ा हुआ। उनमें से एक वहां के समाजवादी पार्टी के विधायक का भतीजा था। जब उनको जी. आर.पी. वालों ने झगड़ा करने के आरोप में थाने में बंद कर दिया तो उक्त सपा के विधायक अपने दल-बल के साथ वहां थाने में पहुंचे।

आश्चर्य होगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पंजाब में पुलिस द्वारा आतंकवादियों की हत्या हुई होगी लेकिन इस तरीके से सरकार के संरक्षण में हमले नहीं हुये। वहां पर विधायक अपने गुंडों के साथ पहुंचता है। एक सिपाही मौके पर मार दिया जाता है और दूसरा बनारस मैडिकल कालेज में मरता है। मुख्यमंत्री उसको लेकर सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के समय आते हैं और अपने पास बैठा लेते हैं और उसके खिलाफ सी.आई.डी. द्वारा इन्क्वारी करवाकर उसको बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से एक आदमी जो हत्यारा है, मुख्यमंत्री के साथ सदन में प्रवेश करता है। यह केवल एक हत्यारे को संरक्षण देने की बात नहीं है, एक विकृत मानसिकता का अच्छा उदाहरण है। पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं। हमारे खिलाफ खड़े होने का क्या परिणाम निकलेगा कि सोच लो कि हम इस हद तक जा सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुये, उसमें बड़ी संख्या में लोगों की हत्यायें हुई। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। अभी वर्तमान शासन द्वारा एक आदेश होने जा रहा है कि सभी सांसद और विधायक को जो शैडो मिले हुये हैं, वे वापस ले लिये जायें। सारे हथियार रखवा लिये जायें। लेकिन बसपा-सपा के साथ गुंडे पुलिस संरक्षण में काम करेंगे। अवैध हथियार रखने वाले लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है।

मान्यवर, मैंने सोचा था कि पिछली बार बोलने के बाद इस सदन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और कांग्रेस के माननीय सदस्य और श्री सुल्तानपुरी जी कम से कम इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि आज के बाद, जब सदन में प्रस्ताव आ गया तो भविष्य में हरिजनों पर अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन 15 दिसम्बर को बांदा जिला, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का पड़ोस का जिला है, बवेर थाना में कमला टोलन

3.40 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

अपनी बांस से बनी डौलची को बेचकर आ रही थी कि उसको पकड़ लिया गया। उसके साथ 5 बार बलात्कार किया गया। वह विधवा थी जिसका पति 8 साल पहले टी.बी. से मर गया था और 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। जब वह पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने गयी तो नहीं लिखी गयी और थानेदार ने कहा कि जब देखा रिपोर्ट लिखवाने चली आती हो अगर किसी ने थोड़ा सा छेड़-छाड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जब वह बांदा मुख्यालय पर पहुंचती है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। उसी दिन रात में, जिन लोगों ने बलात्कार किया, उसके मुंह में लाईसेंसी बन्दूक डालकर हत्या कर दी। वहां उन लोगों ने ऐसा आतंक बना रखा है कि जिसको चाहते हैं पकड़ लेते हैं, मुंह काला करते हैं और पुलिस प्रशासन तथा मुख्यमंत्री उसको संरक्षण देने में जुटे हुये हैं।

मान्यवर, आज से तीन दिन पूर्व हिन्दी दैनिक जागरण में खबर पढ़ी होगी। यह बड़े शर्म की बात है कि सगे भाई के सामने उसकी बहिन को निर्वस्त्र किया जाता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाते हैं। उस महिला को मार-मार कर नचाया जाता है और भाई के सामने जवान बहिन का बलात्कार कर दिया जाता है, क्या आप इस घटना की कल्पना कर सकते हैं? क्या इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? सिर्फ इसलिये कि वह दलित है, गरीब है और उसकी कोई आवाज नहीं है। अगर उस भाई में दम होता तो इस प्रकार का अपमान न सहता। महाभारत में भी 13 करोड़ लोग मारे गये थे। इसलिये कहता हूं कि यदि आप नहीं संभलेंगे तो यह महाभारत इस सदन में न होकर सड़कों पर होगा और इस देश के अंदर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। और आपको क्या-क्या गिनायें? अभी हमारे सांसद डा. परशुराम गंगवार 28 फरवरी की घटना बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में मझौला चीनी मिल से 8-10 साल की लड़की को दरवाजे से उठा लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : सभापति महोदय, प्रत्येक सदस्य के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है?

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आपको निश्चित रूप से बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिये। यह कोई सामान्य विषय नहीं है।

लेकिन यह हमारे मानवीय व्यवहार का सवाल है, गरीबों की आत्मरक्षा और उनकी सुरक्षा का प्रश्न है। इन कृत्यों के कारण पूरा देश कलंकित हो रहा है। इसलिए आप इसका समय बढ़ा दें तो सभी लोगों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय : अभी तो समय है। मैं निश्चित रूप से समय बढ़ाऊंगी।

श्री सत्यदेव सिंह : डा. परशुराम गंगवार ने बताया कि बड़खेड़ा कटा गांव जो थाना देवरिया जिला पीलीभीत में है, उसमें मुन्नी देवी 20 वर्ष की और राजकुमारी दलित परिवारों की हैं, उनके साथ कुसी गुण्डे ने बलात्कार नहीं किया, उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों द्वारा बलात्कार किया गया। जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसके लिए न्याय नहीं है। पूरा शासन और प्रशासन इन बलात्कारी अधिकारियों को बचाने में लगा हुआ है। इसी के क्रम में यहां पर पिछली बार बात आई। 2 अक्तूबर को जब गांधी जयन्ती मनायी जा रही थी, उस वक्त उत्तरांचल के लोग 200 बसों में वहां से सरकार की इजाजत लेने के बाद चले थे और दिल्ली में केन्द्र सरकार ने इजाजत दी थी कि आप अपनी रैली करिये और अपनी

उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर यहां आइए। 200 बसों को परमिट दिया गया और उत्तरांचल के आठ जिलों से लोग आए। उनको रामपुर तिराहे पर रोका गया। हमने उस समय इस सवाल को उठाया था कि वहां संवैधानिक संकट आ गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार बरख्वास्त की जानी चाहिए। नेशनल विमेन कमीशन भी वहां जांच करने के लिए गया था, सांसदों का एक दल भी गया था। उस समय एक हलकी सी रिपोर्ट आ गई थी। 28 फरवरी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जो इंटरिम रिपोर्ट दी है उसको आपने पढ़ा होगा। 31 मार्च तक उनको फाइनल रिपोर्ट देनी है। उन्होंने स्वीकार किया कि 7 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, 17 के साथ दुराचार किया गया और जो लोग वहां जा रहे थे उनके ऊपर झूठे मुकदमें आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित किये गए। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। यह भारत सरकार की सर्वोच्च जांच एजेन्सी सी बी आई कहती है जिसके ऊपर सबको विश्वास है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वकील चौबे ने कहा कि हमें मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा लोकतंत्र पर क्या हो सकता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हाई कोर्ट में प्रार्थना करनी पड़े और सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट देकर यह कहना पड़े कि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाए। इसलिए नहीं किया जाए कि उनको यह शंका थी कि अगर हम इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे तो जो हमारे गवाह हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार से अपराधियों को संरक्षण मिल सकता है लेकिन जो उस अपराध को उजागर करने के लिए पुलिस या प्रशासन के सामने आने की हिम्मत करते हैं उनकी हत्या की योजना प्रशासनिक स्तर पर हो सकती है। उस प्रदेश का शासन यह काम कर सकता है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। संविधान के अनुरूप शासन नहीं चलाया जा रहा है।

धारा 356 का प्रयोग आप बड़ी तेजी से करते हैं। भाजपा की सरकारें हों तो बड़ी तेजी से यह कलम चलती है लेकिन आज क्या हो रहा है? चन्द सीटों के पीछे आप सौदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कुछ सीटें आ जाएंगी। आज आपके दल के पांच आए हैं, कल आपको कंधा देने वाले चार भी नहीं मिलेंगे, अगर यही कर्म आपके रहे। आप समर्थन दीजिए उस सरकार को और जनता आपसे हिसाब लेगी। हम भी जनता के सामने आपके और अपने कामों का हिसाब रखेंगे और आपके द्वारा जो समर्थित सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा।... **(व्यवधान)**

मान्यवर, कमजोरों की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका हो रहा है? महिलाओं और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और इसके साथ-साथ अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अधिकारियों के नाम आपको बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं, आप जानते हैं कि यहां नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, यह विषय एक डिबेटिंग पाइंट का नहीं है। इस विषय पर हमें इंट्रोस्पैक्शन करना चाहिए कि हम कुछ करेंगे या नहीं। हर बार यह डिबेट होती जाएगी और कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय : पूरी जांच होगी, लेकिन आप नाम मत लीजिए।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं नाम नहीं लेता लेकिन पद तो बता सकता हूं। आई.जी. इलाहाबाद सस्पेंण्डेड। आई.जी. बरेली, "गहन जांच के अन्तर्गत उनके अपने इंस्पेक्टर द्वारा उनके खिलाफ लगाये गये आरोप" डी.आई.जी. इलाहाबाद तनाव से मर गए।

दूसरे डी.आई.जी. साहब ने आत्महत्या कर ली। तीसरे डी.आई.जी. को लखनऊ की पुलिस ने 107 व 117 के तहत गिरफ्तार किया। वे सर्विंग डी.आई.जी. हैं और उनको पुलिस ने पैट्रोल कार में पीछे बिठाकर, जिसके चित्र भारत के सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए, उनको हजरतगंज थाने में ले जाया गया। एक आई.ए.एस. अधिकारी है, पूर्व डी.एम., इलाहाबाद, वे सस्पेंड हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जिन लोगों ने हमला किया वे सब बचे हुए हैं। एक दूसरे एस.एस.पी, अलीगढ़ सस्पेंड हुए क्योंकि वहां भट्टे के ऊपर बलात्कार हुआ था उस बलात्कार के पीछे सत्ता पक्ष के लोग थे उनको गिरफ्तार करके उन्होंने थाने में बुलाने की जरूरत की थी। ये नाम उन लोगों के हैं जिनकी दलितों की सरकार चल रही है। उन दलितों की सरकार में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की यह हालत हो तो सामान्य अधिकारियों की क्या दशा होगी, यह कल्पना की जा सकती है। जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने की हैसियत और हिम्मत किसी में नहीं रही है। आज यहां पर वे नहीं हैं जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बिहार में फंसे होंगे क्योंकि वहां भी उनका चरित्र सामने आ रहा है क्योंकि 5 साल का हिसाब-किताब वहीं की जनता ले रही है। पंजाब के अंदर जितनी हत्याएं हुई हैं मेरा ख्याल है कि बिहार में उससे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। यह जो हो रहा है यह हमारे और सबके चरित्र पर एक काला धब्बा है। यह सती सावित्री का देश है, सती मदालसा का देश है, रानी झांसीबाई का देश है। यहां महिलाओं को हम देवियों के रूप में मानते हैं और आज वहीं पर यह दशा हो रही है? थानों में बलात्कार हो रहा है, पुलिस के द्वारा बलात्कार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में शासन के संरक्षकों द्वारा बलात्कार किया जा रहा है, योजनाबद्ध और राजनीतिक कारणों से ताकि उत्तरांचल नहीं बने, यह मांग कैसे कुचली जाये इसके लिए हम लोकतंत्र में इस स्तर पर उतर रहे हैं। अगर यही लोकतंत्र का तकाजा है और यही लोकतंत्र का व्यवहार है तो मैं समझता हूं कि ज्यादा समय तक इस तरह का लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा।

हम बार-बार मण्डल आयोग के लिए कहते हैं लेकिन क्या आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे कभी भरा गया? कोटा आप तय करते हैं, सरकार तय करती है और आप आज तक उनको नौकरी नहीं दे पाए और उनको आप महत्वपूर्ण पदों पर रखने में असफल रहे हैं। जहां उनकी आवश्यकता है, जहां वे अपने

हृदय से अपने बारे में कुछ सोच सकें और यही कारण है कि अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में डी.आई.जी. लेबल पर, आई.जी. लेवल पर हरिजन सैल है और डी.जी. जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके कार्यालय में यह सैल बना हुआ है। आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन आंकड़ों से पेट नहीं भरता। उसी तरह से आंकड़ों से इन गरीबों व दुःखियों को कोई राहत नहीं मिलती। कोर्ट के अन्दर यदि कोई मुकदमा चला जाता है तो महिला से किस तरह के प्रश्न बलात्कार करने वाले व्यक्ति का वकील पूछता है। इस तरह की हमारी कानूनी व्यवस्था है, सी.आर.पी.सी और आई.पी.सी. ऐसे बने हुए हैं। लेकिन आंकड़े इकट्ठे करने में हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार समाप्त नहीं हो रहा है।

माननीय कल्याण राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। मैं सोचता हूं सीतारामजी कुछ नहीं कर पाये। आपसे कुछ आशा है।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : आप हमेशा केवल 'राम' के बारे में सोचते रहते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : आपके मंत्रालय में 'सीता' और 'राम' दोनों हैं। आप सीता राम से क्यों डरते हैं?

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 382, 8 दिसंबर, 1994 को उसका लम्बा-चौड़ा उत्तर दिया है और दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि इनको हरिजनों पर उत्पीड़न की कितनी चिन्ता है। मैं इस उत्तर को कोट कर रहा हूं :-

[अनुवाद]

श्री सत्यदेव सिंह : मैं भारत के माननीय और अति विशिष्ट कल्याण मंत्री द्वारा एक सदस्य के प्रश्न के दिए गए उत्तर को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा :

> "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :
>
> (एक) राज्यों को प्रति वर्ष केन्द्रीय सहायता 50:50 के आधार पर दी जाती है और केन्द्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है ताकि केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमों को लागू किया जा सके। 1994-95 के दौरान आजतक 600 लाख रुपये के स्थान पर 142 लाख रुपये दिए गए हैं।"

मान्यवर, यही काम मुलायम सिंह की सरकार कर रही है। हाथ-पैर टूट जाएं, 10 हजार रुपये ले जाइए, बलात्कार की कीमत 50 हजार रुपये है। आपने छः करोड़ रुपया रखा और सवा करोड़ रुपया दिया। आपसे लोगों ने मांगा नहीं या अभी इतने स्तर के बलात्कार नहीं हुए कि आप पूरा रुपया दे पाएं। इस सवाल को दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। यह उत्पीड़न कैसे कम हो, यह देखना पड़ेगा। उत्पीड़न को कम करने के लिए हमें अपने कानून में वास्तविक संशोधन करने पड़ेंगे। इस सामाजिक कुरीति पर हमें दो तरह से हमला करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि आप अमैंडमेंट करते रहते हैं लेकिन आपने महिलाओं, दलितों के बारे में सिर्फ कानून बना दिए और उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, राजनैतिक कारणों से उनको फंसाया जा रहा है और वास्तव में उनको जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

नैशनल कमीशन फॉर वीमैन को गुलदस्ता मत बनाइए, कुछ अधिकार दीजिए। जहां घटनाएं होती हैं, वहां लोग पहुंचें, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। आपको जितनी सी.आर.पी. बिहार के चुनाव में भेजनी पड़ी उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शक्ति लगानी पड़ेगी। डाउरी प्रिवैन्शन एक्ट, 1961 - इसमें भी किसी की बेटी, किसी की बहन जलाई जाती है लेकिन जो लोग जलाते हैं, हो सकता है वे अपनी बहू के बारे में कोई चिन्ता नहीं करते।

[अनुवाद]

दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 में उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उसे कुछ शक्ति मिल सके।

[हिन्दी]

इंडियन पैनल कोड, सी.आर.पी.सी. को आपने कई बार अमेंड किया। ऐवीडेंस एक्ट ठीक है लेकिन उसमें इस प्रकार के जुर्मों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आप उसे भी देखिए। सवाल यह उठता है कि आपकी नीयत कितनी है। सती प्रिवैन्शन एक्ट है लेकिन फिर भी सती हो रही हैं और उन्हें जलाया जा रहा है। एक समय में सती की आवश्यकता होगी। पुरुष युद्ध में चले गए, इज्जत बचाने के लिए महिलाओं ने जौहर कर लिया होगा। वह समय और वह दिन चले गए। आज लोकतंत्र के युग में, जब हम 21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत में, जो सभ्यता का देश माना जाता है, जहां की गंगा-यमुना संस्कृति का ढिंढोरा आप चारों तरफ पीटते हैं, जहां पर हम यह कहते नहीं हारते कि यह देवी-देवताओं का, आदर्शों का, सिद्धान्तों का, चरित्र और संस्कृति का, भाईचारे का देश है, हमने दुनिया में कई प्रकार के संदेश भेजे हैं, आज यदि उस देश में महिलाएं 20वीं सदी की तरह पीड़ित हों और 90 करोड़ की जनता का रिफलैक्शन करने वाला सदन यह कहकर चुप हो जाए कि यह राज्य सरकार का मामला है तो फिर आपने हरिजनों के लिए अलग से कानून और कमीशन क्यों बिठाए। यदि इसमें आपका दायित्व नहीं है तो इस प्रकार की बहस का कोई फायदा नहीं है। हमें पार्टी लाइन से हटकर सोचना चाहिए। यह सरकार और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, यह सबके गौरव का सवाल है, भारत की मर्यादा का सवाल है, हमारे चरित्र का सवाल है, दुनिया में इससे क्या संदेश जा रहा है, इसका भी प्रश्न है। हम पाषाण युग में नहीं रहते, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, क्रायोजेनिक

इंजन बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन आज महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है और थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। रातभर सगे, जवान बाप के सामने, भाई के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो, दुष्कर्म हो, अंधेरे में नहीं, उजाले में नचा-नचा कर बलात्कार किया जाए, मालूम होता है जैसे शोले की शूटिंग हो रही हो। यदि यही आचरण है तो मैं समझता हूं कि इस देश में वह दिन ज्यादा दूर नहीं है,

4.00 म.प.

अराजकता तो आप फैला ही रहे हो, उसका आप संवैधानीकरण भी कर रहे हो लेकिन कम से कम इन दलितों के लिए, जिनके नाम पर आप पिछले 45 वर्षों से वोट लेते आये हैं, इन महिलाओं के लिए, ईमानदारी से कुछ करने का प्रयास कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं श्री सत्यदेव सिंह का भी धन्यवाद करता हूं जो सम्मानीय सदन के विचार के लिये यह संकल्प लाये हैं। इस प्रकार के विषय पर विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह बड़े दुःख और शर्म की बात है कि कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्यों और कुछ मामलों में अल्प संख्यक समुदाय पर अत्याचारों में वृद्धि हो रही है। हमारे जैसे स्वतन्त्र देश, जिसे महान् संस्कृति विरासत में मिली है, जिसकी सभ्यता की महान पृष्ठभूमि है, का सिर शर्म से झुक जाता है जब यह पता लगता है कि कुछ क्षेत्रों में **दलित** अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं करते। आज के रिकार्ड से यही प्रतीत होता है। हम ऐसी स्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी दयनीय स्थिति का संकल्प के प्रस्तावक, श्री सत्य देव सिंह ने उल्लेख किया है। एक समय देश में ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे यह आभास होता है कि ये सब बर्बर जीवन के प्रतीक हैं। ऐसा केवल बर्बर समाज में ही हो सकता है। इन सबको रोकने और इनकी पुनरावृति रोकने के लिये प्रभावशाली उपाय किये जाने बहुत आवश्यक हैं।

हमारे संविधान में, जो विश्व में बेमिसाल है, और जो बहुत बड़ा दस्तावेज है, स्पष्ट रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 21 देश में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को गोरव से रहने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया है। इसने 10 फरवरी को 14 पृष्ठ के अपने निर्णय में यह कहा है कि जिन लोगों को सदियों से उनके अधिकारों से वंचित किया है उन्हें अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिये।

हमारा समाज संतुलित नहीं है। यह बहुत असंतुलित है। हमारे समाज में जाति, सम्प्रदाय, धर्म के आधार पर अनेक असंतुलन है। स्वार्थी हितों द्वारा जानबूझकर नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक ऐसे समूह हैं जो विभेद का प्रचार करते हैं। एक दो वर्ष पूर्व एक शंकराचार्य ने यह प्रचार किया था कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने चाहिये। हमारे जैसे विशाल और देश में जहां एक दूसरे के विरूद्ध बातें चलती रहती हैं, कुछ भी सम्भव है। हमारे समाज में असंतुलन का मुख्य कारण यही है और यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे समाज में कमजोर वर्गों और दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

हमारे देश का ढांचा संघीय है। केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों पर ही ऐसी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। अतः इस प्रकार की सुरक्षा का भार राज्यों पर अधिक है। केन्द्र राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दे सकता है। लेकिन भूमि स्तर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करने की गारंटी केवल राज्य प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिये।

हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है। इसके साथ-साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों का ह्रास हो रहा है और न्यायपालिका उससे अछूती नहीं है। तथापि हमारी न्यायपालिका ने प्रशंसनीय कार्य किया है और यह उच्चतम सम्मान की हकदार है। इस संदर्भ में मैं एक विशेष मामले का उल्लेख करूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचार कर अपराधी तुरन्त अग्रिम जमानत के लिये न्यायालयों की शरण लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की अग्रिम जमानत दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील की कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिये। हमारे शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अस्पृश्यता आदि सम्बन्धी ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिये। मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें मुझे प्रकाश की किरण नजर आती है और मैं सन्तुष्ट हूं कि देश में सब कुछ खराब नहीं है। काले बादलों के पीछे रोशनी छिपी होती है। यह एक इसी प्रकार का उदाहरण है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे अपराधों के मामले में अग्रिम जमानत की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये।

यदि समाज में जन आन्दोलन होगा तो अस्पृश्यता, और कमजोरों पर हो रहे अत्याचारों को पूरी तरह रोका जा सकता है। स्वभावतया विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे हमेशा विशेषाधिकार प्राप्त करते रहें और कभी-कभी अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाकर भी वह ऐसा करना चाहते हैं। अतः लोगों में त्याग और एकता की भावना पैदा करनी होगी।

हमें अत्याचारों के मुख्य कारणों की ओर ध्यान देना होगा। इसके अन्य कारण हैं। एक कारण है—जाति अस्पृश्यता सम्बन्धी पक्षपात। यहां तक कि हमारे कुछ शास्त्रों और पवित्र ग्रन्थों में जातियों के बारे में विरोधाभास विचार व्यक्त किये गये हैं। हमारे शास्त्र और पवित्र ग्रन्थ सब मामलों में एकमत अथवा समान नहीं हैं।

कर्जदारी भी अन्य कारण है। गरीबी और आर्थिक परिस्थितियां भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। शिक्षित और अमीर दलित, अनुसूचित जातियों और हरिजनों में अत्याचार की ऐसी घटनाएं कम होती हैं।

हमारा समाज भौतिकवादी है। जिनके पास पैसा है, चाहे वे हरिजन हों अथवा मुसलमान हो अथवा किसी भी समुदाय के हों, अन्य के मुकाबले, अपने समुदाय के लोगों की तुलना में, कुछ लाभ मिलता है। शिक्षा समाज में उन्हें उच्च स्थान दिलाती है। यदि कोई हरिजन उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और सिविल सेवा की परीक्षा पास कर लेता है और कलेक्टर बन जाता है तो वह एक ब्राह्मण को अपने घर में रसोइया भी नियुक्त कर सकता है। क्या ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है? शिक्षा और उच्च स्थान के कारण यह सब अन्तर होता है। अतः निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारण है।

लोगों के पास भूमि न होना भी एक प्रमुख कारण है। मुझे आपात्काल के दिनों का अनुभव है। मेरे पास उस समय उड़ीसा में राजस्व विभाग था। हमने तेजी से अधिकतम भूमि सीमा सम्बन्धी कानून लागू किया। लगभग एक लाख एकड़ भूमि अधिकतम सीमा से अधिक थी। परती भूमि का वितरण भी एक अन्य कारण है। उक्त भूमि पर घास की एक पत्ती भी नहीं उगती। ऐसी भूमि का वितरण केवल रिकार्ड रखने के लिये किया जाता है। लेकिन फालतू भूमि पर अधिकतम भूमि-सीमा लागू होती है। यहां तक कि भाई-भाई भी एक-एक की इंच भूमि के लिये लड़ते हैं और कभी-कभी इसमें लोगों की जान भी चली जाती है।

महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध कौरवों द्वारा पांच गांवों को पाण्डवों को न दिये जाने के कारण लड़ा गया। अतः लोगों के पास भूमि का न होना, तथा लोगों में भूमि के प्रति लगाव, अत्याचार आदि भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सदन में हमें इस प्रकार के पिछड़ेपन और संतुलित समाज की स्थापना के लिये जूझना होगा। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सवर्ण लोगों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हरिजनों पर अधिक अत्याचार कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है?

कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रतिदिन का अनुभव क्या है? क्या वे एक साथ सौहार्दपूर्वक रह सकते हैं? अतः यह भूमि का न होना भी अन्य समस्या है।

पेय जल स्थलों पर प्रवेश करना भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये एक अन्य समस्या है। लोगों में यह अन्धविश्वास है कि यदि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का कोई व्यक्ति कुएं को छू लेता है तो कुआं अपनी पवित्रता खो देता है और उसका जल अशुद्ध हो जाता है। उच्च वर्ग के कहे जाने वाले ये लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की इन कुओं पर परछांई भी नहीं पड़ने देना चाहते। यदि ये ही लोग अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, जैसाकि बहुत से हमारे पूर्वजों ने किया है, तो समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है। हम राष्ट्रपिता के प्रति आभारी हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : आपकी उनसे सांठ-गांठ है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कृपया हस्तक्षेप न करें। हम क्या कर सकते हैं? हमारा दुर्भाग्य यह है कि जब हम तुम पर विश्वास करते हैं, तो तुम हमें धोखा देते हो। आपने उच्चतम न्यायालय को भी धोखा दिया। जहां तक बाबरी मस्जिद का सम्बन्ध है, हमें पता है आप किस सीमा तक पहुंच गये थे।

श्री सत्यदेव सिंह : प्रश्न यह है कि आप वास्तविक समस्या को समझने में असफल रहे हैं। आप केवल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आप कृपया अपना स्तर सुधारने का प्रयास करें। मैं विभिन्न सत्ता की बात कर रहा हूं।

हमें समाज के निर्बल वर्गों के प्रति अपने दायित्व को महसूस करना है और उनकी सुरक्षा करनी है तथा उनकी स्थिति में सुधार लाना है। गांधी जी ने हरिजन शब्द का आविष्कार किया। जिसका अर्थ है वे भी भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। उन्होंने उनमें सहयोग की भावना पैदा करने और उनके प्रति नफरत को पूर्ण रूप से दूर करने के लिये इस शब्द का आविष्कार किया। मैं एक उदाहरण देकर यह स्पष्ट करूंगा कि उनको दलित वर्गों और हरिजनों की कितनी चिन्ता थी।

आप यह जानती हैं कि पुरी भगवान जगन्नाथ मन्दिर के लिये प्रसिद्ध है। यह स्थान इस मन्दिर के लिये विश्व विख्यात है। एक बार महात्मा जी अपनी पत्नी के साथ पुरी गये। मेरे विचार से वह एक पदयात्रा के सम्बन्ध में वहां गये थे। कस्तूरबाजी, एक धार्मिक महिला होने के नाते, मन्दिर में जाने का मोह नहीं छोड़ सकीं। लेकिन महात्माजी ने कहा कि जब तक हरिजनों के मन्दिर में जाने की अनुमति नहीं होगी, हमारे लिये मन्दिर में जाना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद जब गांधी जी एक सम्मेलन में व्यस्त थे, वह कुछ सेवादल कार्यकर्ताओं के साथ गांधी जी की पूर्व अनुमति के मन्दिर में चली गईं।

इसकी उन्हें जानकारी कब तक नहीं होती? इसकी जानकारी बापू जी को कैसे मिली?

इसके बाद उनकी आपस में कई सालों तक बोलचाल बन्द रही।

हरिजनों और गिरिजनों के लिये वे इतने अधिक चिन्तित थे। लेकिन आज कुछ नये नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उत्तर प्रदेश में आप उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जिनके बारे में आप यहां कह रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : हमारी वर्किंग कमेटी में यह डिसकस हुआ और हमने अपना सपोर्ट विदड्रा किया था।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : इससे कुछ लोगों को आप थोड़ी देर के लिये बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन इस ढकोसलेबाजी से आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिगृही : यह तर्कसंगत है। क्योंकि हम लोकतन्त्र के प्रति चिन्तित हैं। अतः हमें गलत नहीं समझना चाहिये। आज बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में हमारे प्रधान मंत्री राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं चाहते।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : आप वहां मस्जिद बनवायें, आपको कौन रोकता है। आपने कहा कि मस्जिद टूटी, तो आप अब बनवा दीजिये। मुंडा जी को आप मौका नहीं दे रहे हैं, मुंडा जी कुछ बोलना चाहते हैं। आप चिन्ता न करें, राष्ट्रपति शासन 28 तारीख को लागू हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यदि मजबूरी होगी, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अनिश्चितता की स्थिति नहीं बने रहना देना चाहती। लेकिन इसके साथ-साथ कांग्रेस इस प्रकार की दुखद स्थिति का कभी भी समर्थन नहीं करेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक महिला ने राष्ट्रपिता के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है। यह उनका पागलपन है। निश्चित रूप से जनता उन्हें उचित उत्तर देगी।

जैसाकि आप जानते हैं, वर्तमान सरकार ने वर्ष 1991 में कार्यभार संभाला। इसके तुरन्त बाद कुछ उपाय किये गये। आप संकल्प का क्रियात्मक पैरा देखें। इसमें कहा गया है कि :

> "वह केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह इस समस्या के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठायें"

भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अनेक उपाय किये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिये 5 अक्तूबर, 1991 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अनेक सिफारिशें की गई थीं। एक पृथक कोष्ठ और नियंत्रण कक्ष खोला गया था और धनराशि की भी व्यवस्था की गई थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों की अत्याचार वाले क्षेत्रों में नियुक्ति की गई थी और अनेक अन्य उपाय भी किये गये थे। मुझे इन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत सरकार द्वारा बतलाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक मत से लिये गये निर्णयों का पूर्णतया पालन किया जाता तो इन अत्याचारों में पूर्ण रूप से नहीं तो, कम से कम काफी कमी आ जाती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और इसके लिये जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिये। माननीय मंत्री को इस बारे में अपने उत्तर में स्पष्ट करना चाहिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचारों में हुई वृद्धि को देखते हुए हमें इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिये। श्री रामधन, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों में भारी वृद्धि हुई है। अतः सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस बारे में क्या कदम उठाये जायें। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कभी-कभी लोग अनुच्छेद 356 को लागू करने का सुझाव देते हैं। लेकिन मेरे विचार से यह बहुत सख्त कदम होगा। मेरे विचार से हमें इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा करनी चाहिये क्योंकि जब कभी समाज के किसी वर्ग पर अत्याचार किया जाता है, चाहे देश में हो अथवा देश के बाहर, तो हम अपने को सुखकर स्थिति में महसूस नहीं करते।

सभापति महोदय : यदि सभा अनुमति दे, तो हम चर्चा का समय एक घंटे बढ़ा सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सत्यदेव सिंह : क्या मंत्री महोदय को समय बढ़ाने पर कोई आपत्ति है?

श्री के.वी. तंगका बालू : नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यदि स्थानीय प्रशासन परिस्थिति के प्रति जागरूक नहीं है तो जिला प्रशासन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। ज्यादातर अत्याचार राजनीतिक सहयोग से किये जाते हैं। ऐसे मामलों में शासक दल अपराधियों के विरूद्ध कार्य करने का राजनीतिक साहस नहीं जुटा पाता। ऐसे मामलों में हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये इस बात पर विचार किया जाना चाहिये। आज अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं। वे विधान सभा के सदस्य, संसद सदस्य और कभी-कभी मंत्री भी हो जाते हैं। उन पर क्या प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिये, इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिये। क्या उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिये?

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं और वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों में शामिल होते हैं। अतः यदि वे ऐसी बातें करते हैं, तो क्या उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिये जाने चाहिये, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिये। मेरा विश्वास है, मैं इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हूं। जिन लोगों को जाति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और वे अत्याचार करने में शामिल होते हैं, उनके विशेषाधिकार समाप्त किये जाने चाहिये, जो उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आदि के अन्तर्गत प्राप्त हैं। यह विचार के लिये मेरा ठोस सुझाव है।

मैं शस्त्र और हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। हाल ही के चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव के

ठीक पहले शस्त्र आदि को वापिस लौटवाने के अपने प्रयास में असफल रहे। लेकिन यह एक अच्छा प्रयास था।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उन हथियारों के लाइसेंस थे। लेकिन प्रश्न यह है लाइसेंस प्राप्त हथियारों की संख्या में बिना लाइसेंस के हथियारों की संख्या बहुत अधिक है। अतः यह चिन्ता का विषय है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : यह सच है कि लोगों के पास हथियार हैं। कभी उनके लाइसेंस होते हैं और कभी नहीं। हमें यह देखना है कि लोगों के पास शस्त्र और हथियार न हों।

जहां गरीबी अधिक है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग असहाय हैं। उन पर और अधिक अत्याचार किये जाते हैं। अतः हमें गरीबी का ईमानदारी से मुकाबला करना है। गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना होगा।

मैं एक और महत्वपूर्ण विषय शिक्षा पर बोलना चाहूंगा। हमें यह देखना है कि देश में परिवार का प्रत्येक सदस्य शिक्षित हो। इसके परिणाम एक अथवा दो दिनों में प्राप्त नहीं होंगे। इसमें समय लगेगा। यदि लोग उचित रूप से शिक्षित होंगे और उनके जीवनस्तर में सुधार होगा तो यह अत्याचार धीरे-धीरे कम होते जायेंगे।

ऐसा वातावारण पैदा करने के लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसके लिये जन आन्दोलन की आवश्यकता है। यदि सभी सम्बन्धित लोग ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे, तो हम अत्याचारों को रोकने में सफल होंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। आज स्थिति यह है कि यदि कोई गिरोह महिला यात्री पर अत्याचार करता है, तो अन्य यात्री मूकदर्शक बने रहते हैं। अतः हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये कि आगामी दिनों में अत्याचार न किये जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस सम्बन्ध में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूं जो संकल्प लाए हैं। इस तरह के संकल्प इस सदन में मैं पिछले ग्यारह सालों से देख रहा हूं और हम लोग इसको बहस का मुद्दा बनाकर छोड़ देते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार सचमुच इस चीज को दबाना चाहती है, रोकना चाहती है तो यह रुक सकता है। लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है। यह मामला राज्यों में होता है। राज्यों में देखने को मिलता है कि इस मुद्दे पर पिछड़ी जाति की जहां सरकारें हैं वहां भी इसी तरह के अत्याचार हो रहे हैं। यह बात नहीं है कि उनके आने से अत्याचार रुक गए हैं। ये अत्याचार बहुत दिनों से चल रहे हैं। इनका निराकरण कैसे होगा यह सवाल है।

हमारे केन्द्र में मौजूदा सरकार 40 वर्षों से अनुसूचित जाति और जनजाति तथा मुस्लिम लोगों के वोट लेकर राज कर रही है। जब इन लोगों को समझ में आया कि हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो वे इनकी तरफ से खिसक गए और इनकी कुर्सी भी खिसकने लगी। फिर यह जोड़-तोड़ की राजनीति में लग गए। कितने दिन ये इस तरह से चलेंगे? जब यह बात सदन में आती है कि हरिजनों और अनुसूचित जातियों पर अत्याचार होते हैं तो हमारे लोकतंत्र के लिए इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती। अगर हम इसको दूर करना चाहते हैं तो चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबसे पहले उन गरीबों की शिक्षा के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा। इन वर्गों के बच्चों और बच्चियों को शिक्षित करना हम शुरू करें और उसका सारा खर्च सरकार वहन करे। रात-दिन बहस करने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। हममें से कुछ विद्वान दो घंटे भी बोल सकते हैं लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होगा। अगर हम इन वर्गों की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च करें तो यह बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। हमने देखा है कि जिन गांवों में हमारे अनुसूचित जाति के लड़के पढ़-लिख गए हैं, वहां बेकारी जरूर है लेकिन वह जुल्म बरदास्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वहां जुल्म करने वालों को भी सोचना पड़ता है। इन गरीबों पर दो तरह के जुल्म होते हैं। एक जुल्म वह करते हैं जो शक्तिशाली लोग होते हैं। जब वह गरीबों को नहीं दबा पाते हैं तो दूसरे प्रकार का जुल्म वह पुलिस की सहायता लेकर करते हैं और उनको दबाते हैं। इस तरह की आवाज हर साल इस सदन में उठती है और इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। कहीं औरतों को नंगा कर नचाया जाता है, कहीं उनके कपड़े खोले जाते हैं। यह काम उन शक्तिशाली जाति की बहू-बेटियों के साथ होगा तो क्या होगा? हम लोग यहां पर बात उठाकर सोचते हैं कि अपना काम हम पूरा कर रहे हैं। यह काम पूरा करना नहीं है बल्कि यह दुनियां की नजर में भारत की छवि और खराब करना है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बिहार में हरिजन महिलाओं की साड़ी पोलिंग बूथ पर खोली गई, उनकी पिटाई की गई, गोली चलाई गई। यह हमारे ही क्षेत्र की बात है। लेकिन यह करने वाला कौन है? जो शक्तिशाली है, चाहे वह किसी भी जाति का हों, वह यह काम करता है। आपने बंदूकों के लाइसेंस किसको दिये हैं? गरीबों को आपने लाइसेंस नहीं दिये हैं। इन निरीह लोगों को लाइसेंस नहीं दिये हैं।

लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया बनी हुई है उस प्रक्रिया में जिन लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं वे चुनावों में धड़ल्ले से बंदूकें उठा लेते हैं। चुनावों का अधिकार गरीबों का ही छीना गया है, शक्तिशाली लोगों का अधिकार नहीं छीना गया। इन लोगों का राजनीतिक अधिकार भी छीना जाएगा तो इन लोगों पर क्या गुजरे? यह हमको सरकार बताए। वे बोलकर रह जायेंगे क्योंकि बड़े लोग नहीं चाहते कि उनको अधिकार मिले। समाज में जो भारी असंतुलन है जिसके चलते पढ़े-लिखे नौजवान भी बेकार हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है, वे राष्ट्रीय धारा से कटकर उग्रवाद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन धनीमानी हर घर में उग्रवादी है। हम उग्रवादी उसको मानते हैं जो गुस्सा होकर तैयार हो जाये। ऐसे व्यक्ति हर बड़े घर में है। लेकिन गरीब

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े तबके के लोग अगर बोलते हैं तो उनको नक्सली कहा जाता है और उनको सताया जाता है।

हमारे धौंसी में लखीसा नाम का एक गांव है। उस गांव में दर्जनों बी.ए. एम.ए. पास अनुसूचित जाति के पढ़े-लिखे लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि हम पढ़े-लिखे हैं, हमारे लिए काम तो नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई जुल्म-अत्याचार नहीं हो। लेकिन बड़े लोग इस बात को बर्दास्त नहीं करते हैं और पुलिस को बुलाकर कहते हैं कि ये सब नक्सलाइट हैं। क्या वे नक्सलाइट हैं? आप उनको जरा भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। हम वास्तव में उनका भला नहीं चाहते हैं तो समाज का सबसे बड़ा तबका जो समान स्तर पर नहीं आया है उसको समान स्तर पर लाया जाय। आज जो अनुसूचित जाति के लोग पढ़ गए हैं या छोटी-मोटी नौकरी में चले गए हैं उनको तो कोई नहीं सता रहा है लेकिन जो अनपढ़ है, जो मजदूरी कर रहे हैं, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं उनको सताया जा रहा है। आज आदिवासी क्षेत्रों में, मैं मण्डल जी जैसे बड़े नेताओं या जो लखपति-करोड़पति हो गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी वहां महिला 4-6 महीने के बच्चे को पीठ पर बिठाकर काम करती हैं। क्या यही भारत का विकास है। यह बड़े शर्म की बात है लेकिन इसके लिये किसी को लज्जा शर्म नहीं है। हम केवल बहस कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हम इन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ायें लिखायें। इन तबकों को कुछ देने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही करना है कि सरकार इनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्च करे, गांव-गांव में विद्यालय खोल दें तो 28 वर्ष बाद गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आज हम यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में बातें कर रहे हैं और वहां पर महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं और हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल बिहार में कोई सरकार नहीं है और आशा करते हैं कि भविष्य में जो सरकार आए वह इस प्रकार का कुकर्म नहीं करे और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मेरे साथी सत्यदेव जी ने विस्तार से बताया है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है।

यहां पर हम लखनऊ की उस सरकार के बारे में शिकायत कर रहे हैं, जिस सरकार की मानसिक प्रवृत्ति, सोच और शासन की विचारधारा नोर्मल नहीं है। लखनऊ में बैठी सरकार का प्रशासन करने का तरीका पूरी तरह से दानवी, राक्षसी और विकृत है, उसकी प्रवृत्ति विकृत हो गयी है। उसके बारे में आज हम शिकायत दिल्ली में बैठी उस सरकार से कर रहे हैं जिसने उस उत्तर प्रदेश दानवी प्रकृति वाली सरकार को अपने कंधों पर बिठाकर चला रखा है।

अभी कुछ समय पहले हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। गृह मंत्री जी शायद व्यस्त हैं, सुन नहीं रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समर्थन वापस लेने का मतलब यह था कि आप उस सरकार के काम से सहमत नहीं हैं, उसकी निन्दा करते हैं या उसे चलने नहीं देना चाहते, उसे गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने ऐसा कहकर मात्र औपचारिकता दिखायी है, धोखाधड़ी की है और इस तरह से आपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है जिससे चित्त भी आपकी रहे और पट्ट भी आपकी रहे। आपका एक धड़ा उत्तर प्रदेश में कहता है, आपके एक बहुत पुराने नेता तिवारी जी कहते हैं कि ऐसी सरकार से समर्थन वापस लिया जाये, उस सरकार को भंग किया जाये लेकिन आपका दूसरा धड़ा कहता है कि हम समर्थन तो वापस कर लेंगे लेकिन सरकार गिरायेंगे नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि समर्थन वापस लेने का मतलब क्या है? आपके समर्थन पर ही एक माईनोरिटी सरकार उत्तर प्रदेश में आज चल रही है।

माननीय सभापति जी, मैं कह रहा था कि हम यहां ऐसे लोगों से क्यों शिकायत कर रहे हैं जिनकी लखनऊ में होने वाले मुकदमों में उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उस सरकार के सारे कामों को यहां गिनवा दिया गया है। जिस सरकार की शासन करने की मानसिकता गुंडागर्दी हो, जिसका प्रशासन करने का तरीका नादिरशाही हो, उससे क्या आशा की जा सकती है और उसके बारे में हम यहां क्या विचार करें। जिस सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुंडागर्दी करने के लिये अपने आदमी भेजे, वैसे तो प्रशासनिक तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट की रक्षा करे लेकिन रक्षा करने के बजाय जो सरकार योजनाबद्ध तरीके से अपने आदमी हाई कोर्ट में भेजें और वहां उच्च न्यायालय में जाकर वो मार-पीट, डराने धमकाने का काम करें, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। जिस सरकार का काम करने का तरीका ऐसा हो, उससे स्वच्छ प्रशासन की आशा कैसे की जा सकती है।

वहां महिलाओं पर तो अत्याचार हो ही रहे हैं लेकिन अत्याचार और कुप्रशासन से वे समाज के किसी अंग को नहीं छोड़ रहे हैं। जिस सरकार के बारे में भारतवर्ष के उप-एटोर्नी जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में महिलाओं पर हुये अत्याचारों से संबंधित सी.बी.आई. की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार को न दिखाया जाये अन्यथा जिन्होंने उस मामले में सरकार के खिलाफ गवाही दी है, उनका कत्ल करवा दिया जायेगा, मरवा दिया जायेगा, जब भारत के उप-एटोर्नी जनरल ऐसा बयान देते हैं, उस सरकार से क्या आशा की जा सकती है? जिस सरकार के बारे में अभी यहां बताया गया, उसे मैं फिर से यहां दोहराना चाहता हूं। जिस सरकार का विधान सभा में बहुमत न हो, जो अपनी नक्सलवादी, नादिरशाही और जोर-जबर्दस्ती के जरिये, गिनती में गलती करके कहती है कि हमारा बहुमत है उससे आप क्या आशा कर सकते हैं। हमारे सामने यहां बैठी कांग्रेस की सरकार जब उस लखनऊ में बैठी कुकर्म करने वाली सरकार को, जिसके कुकर्म सब लोगों ने यहां गिनाये, अपना समर्थन दे रही है, अपने कंधों पर बिठाकर चला रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर जो अत्याचार हुये हैं, उनका वर्णन करते हुये मुझे यहां शर्म आती है, कुछ वक्ताओं ने पिछली बार यहां उनका जिक्र भी किया, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया गया, जिस सरकार को

अभी 15-16 महीने ही हुये हों और इसने समय में दो हजार बलात्कार के मामले सामने आ जाये जो सरकार अपने को गरीबों का मसीहा कहती है, जो पिछड़े वर्गों के लोगों का मसीहा कहती है और उनके वोट-बैंक पर अपनी राजनीति चलाना चाहती है, समाज के गरीब लोगों पर अपनी सरकार चलाना चाहती है, जो महिलाओं पर अत्याचार करना चाहती है और उनमें से 98 प्रतिशत या शत-प्रतिशत महिलाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की हैं। वहां गरीब लोगों पर ही ज्यादातर अत्याचार या बलात्कार हुये हैं।

यह सरकार कहती है कि हम गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई चाहते हैं। इसी से यह अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उदाहरण दिए गए हैं कि इनके एम.एल.ए. ने दलित महिलाओं से बलात्कार किए हैं, एक नहीं, अनेकों बार किए हैं और यहां पर केन्द्र सरकार अपना दायित्व निभाने के बदले अपने छोटे से लाभ के लिए वहां पर उनको समर्थन दे रही है। इसके साथ एक और पहलू जोड़ना चाहता हूं। देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं या आज तक हुए हैं, ये या तो जायदाद के झगड़े या आपसी पारिवारिक झगड़े की वजह से होते हैं, जैसे अलीगढ़ में हुआ था। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काला इतिहास बनाया है। मुजफ्फरनगर में महिलाओं पर सरकार की पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से केवल इसलिए बलात्कार किए गए क्योंकि वे उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिल्ली आ रही थीं। उत्तर प्रदेश की ढोंगी सरकार कहती है कि हमने उत्तराखंड का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेज दिया है। महिलाओं की वह रैली उस समर्थन में दिल्ली आ रही थी। जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो सरकार के यंत्र ने सजा देने के लिए उन पर अत्याचार करवाए। यह एक नई प्रणाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। जब मैंने शुरू में कहा था कि मुजफ्फरनगर में बलात्कार हुए हैं तो काफी लोगों ने कहा था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज सी.बी.आई. की इन्क्वारी द्वारा बताया गया है और आपने पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट में बयान दिया गया है कि सात महिलाओं पर बसों में बलात्कार हुए हैं, 17 महिलाओं के साथ जिस प्रकार से मोलीस्टेशन हुआ है, उससे ज्यादा अच्छा तो रेप होता। 23 साल की महिला को हाईवे में नंगा करके छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार का काम कर रही है और केन्द्र सरकार की सोच पता नहीं क्या है। थोड़े से वोटों के लिए यह कितना गिर गई है।

. यहां पर गृह उप मंत्री बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको उस कटघरे में खड़ा करने वाला है जहां पार्टी को कालिख लगाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। कृपया छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए राष्ट्र का अहित मत कीजिए। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर कुछ तो कीजिए...**(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : वे गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आप तो गलत बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप गलत बोलने की बात कर रहे हैं तो यह आपका प्रैरोगेटिव है, यह काम आप करते हैं।...**(व्यवधान)** अभी उत्तर प्रदेश से समर्थन विदड्रा करने की बात हो रही थी। आप ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यह नौटंकी नहीं है, उससे भी ज्यादा गिरे हुए स्तर पर आप आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की आज जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी प्रशासनिक, शासनिक सोच है, उससे कुछ भी आशा रखना, उम्मीद करना बेकार है। जब सी.बी.आई. की इन्क्वारी, जो आपका एक यंत्र है, में अभी खटीमा के बारे में क्या बातें वहां पर कही गई हैं। एक एस.पी. नैनीताल में बैठा हुआ आदेश देता है कि गोलियां चलाइये और उन लोगों को मार दीजिए। जब वहां का पुलिस का आदमी कहता है कि जो डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वह शान्तिपूर्ण हो रहा है। इस प्रकार की बातें खुलेआम हो रही हैं। लोगों पर अत्याचार करना, चाहे वह महिलाओं के ऊपर हो, चाहे आम जनता के ऊपर हो, चाहे वह शान्तिपूर्ण ढंग से चलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर हो या कोई भी डिमोन्स्ट्रेशन करने वालों के ऊपर हो, उत्तर प्रदेश के अन्दर आज जंगल का राज है। जंगल के राज में भी कुछ व्यवस्था होती होगी, उसमें भी कुछ रूल्स रैगुलेशंस, कायदे कानून जानवरों के भी अपने होते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई काननू कायदा नहीं है।

उत्तराखण्ड में जिस प्रकार कर्फ्यू चला और जिस प्रकार उसके अन्दर उसका दुरुपयोग हुआ, उसका विवरण देने की इस समय जरूरत नहीं है लेकिन इस सरकार की बदले की भावना इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है कि आज उत्तराखण्ड के अन्दर विकास के कार्यों का पैसा भी रोका जा रहा है। उत्तराखण्ड के अन्दर इस प्रकार की सजा उनको दी जा रही है कि डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म का ऑफिस वहां से हटा दिया गया है, टूरिज्म जो कि पहाड़ का एक बहुत ही आमदनी का स्रोत होता है, देहरादून के अन्दर डायरेक्टर टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, पता नहीं वह कितने सालों से चल रहा था लेकिन उसको तोड़ दिया। लोगों को सबक सिखाइये, जो आपसे सहमत नहीं हैं, उनको सबक सिखाइये। जो महिलाएं या जो वर्ग या समाज के जो लोग आपकी लाइन को टो नहीं करते हैं, आपके समर्थक नहीं हैं, जो खुलेआम आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनको आप सजा दीजिए। चाहे उनके साथ बलात्कार करिये, चाहे उनको गोली मारिये, चाहे उन पर डण्डे बरसाइये, चाहे उनके मकान पर कब्जा करिये, जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वह करें। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इन सब बातों का समर्थन कर रही है और यहां बैठी हुई सरकार उनको पूर्ण, सम्पूर्ण सहयोग दे रही है।

अन्त में मैं आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी क्या आपका एक मिनट मैं ले लूं? एक बात आप सुन लें कि आज उत्तराखण्ड के और उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में यह स्थिति आ गई है कि कल यहां पर दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों की एक छोटी रैली आई थी, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष के एक पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। उसके अन्दर एक डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, दो लैफ्टिनेंट जनरल, इतने बड़े-बड़े अधिकारी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में जो अन्याय, अत्याचार हो

रहे हैं, उसके ऊपर आप कान में रूई डालकर बैठे हुए हैं। आप अपनी समस्या में उलझे हैं, हम उसको समझते हैं लेकिन यह भी बड़ी समस्या है। इस प्रकार आप चुप रहेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार को आप इसी तरह चलाते रहेंगे तो आपको भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग तो भुगत रहे हैं, हम जो उत्तराखण्ड के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर आप कुछ सोचिये। यहां पर कुछ सुझाव दिये गये हैं, पाणिग्रही जी ने कुछ सुझाव दिये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इस सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश में यह सरकार रहेगी, वहां पर कोई सुधार होने वाला नहीं है। वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जायेंगे, महिलाओं के ऊपर बलात्कार बढ़ते जायेंगे और हम जो उत्तराखण्ड के लोग हैं, हमारे ऊपर जो अत्याचार हैं, वह तो होंगे ही। लेकिन इसमें आज सबसे पहला अगर आप काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में समाज को सुधारना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में प्रशासन की प्रणाली को ठीक से चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला आप काम करिये कि वहां पर जो सरकार बैठी है, इसको भंग करिये, इसको भगाइये और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करिये, तब आप वहां पर महिलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, वरना जितनी भी बातें आप यहां करें, उनमें से कोई भी उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली नहीं है।

मैं आपके माध्यम से प्रथम सुझाव यह देता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कीजिए। सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं इस रैजोल्यूशन का भी समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : सभापति महोदय, इस सभा के सम्मुख प्रस्तुत संकल्प के बारे में मैं पहली बार कहने के लिये उठा हूं।

5.00 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मेरे मित्र श्री पाणिग्रही ने शिक्षा के बारे में सभा में विचार व्यक्त किये हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा का अर्थ क्या है? यह आध्यात्मिक है अथवा कुछ अन्य प्रकार का।

[हिन्दी]

हम महिला-महिला बहुत करते हैं। आज महिला किस सेक्शन में नहीं हैं। वह थ्री टायर सेक्शन में है।

[अनुवाद]

यहां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य सेक्शन हैं। अतः अत्याचार के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं, वह गम्भीर मामला है। अत्याचार का अर्थ क्या है। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे। इसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत में विभिन्न सरकारें हैं। केन्द्र में कांग्रेस सरकार है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वह क्या कर रही है...**(व्यवधान)** आप वहां क्या कर रहे हैं? उड़ीसा में कांग्रेस सरकार है। उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई अत्याचार नहीं है। ये कहीं और हो सकते हैं।

[हिन्दी]

बी.जे.पी. एट्रोसिटीज कराती है। यही वजह है कि वह उड़ीसा में हार गई। इसने मेरे लड़के पर अत्याचार किया और मेरा लड़का चुनाव हार गया। आपका वहां कोई आल्टरनेटिव नहीं है। उन्होंने हमारे एजेंट को पोलिंग बूथ में एंट्री नहीं करने दी और आदिवासी लोगों को मारा।

[अनुवाद]

ऐसा क्यों किया गया। आपकी पार्टी सभ्य लोगों की पार्टी है। आप राजनीतिज्ञ हैं। आपको राजनीति राजनीतिज्ञों की तरह से करनी चाहिये। इस प्रकार के अत्याचार किये जाने का क्या औचित्य है?

[हिन्दी]

अब मैं हिन्दी में अपनी बात कहना चाहूंगा। आज हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी फैमिली प्लानिंग को नहीं मानती। उसकी वजह से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। उनको फैमिल छोटी करने के बारे में कोई नहीं कहता है।

महतो जाति मंडल कमीशन में आ गई तो उसने डिसाइड किया कि वह बी.जे.पी. को वोट नहीं देगी और मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि वह बी.जे.पी. को वोट नहीं देंगे। जब से राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का झगड़ा हुआ है, मुसलमान बी.जे.पी. को वोट देना पसन्द नहीं करते हैं। लिकराज मुंडा चुनाव में खड़ा हुआ। वह तो नहीं हारा लेकिन कांग्रेस हार गई।

[अनुवाद]

हमारा देश लोकतांत्रिक है। अब हम सब भारतीय हैं। हमें शान्तिपूर्वक रहना चाहिये।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सब से मिलो, अपना श्रम करो, अपना खाओ, अच्छा सा खाओ, अच्छा सा मर जाओ।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी का यही उद्देश्य था। लेकिन हम उन्हें भूल गये हैं। हमारे प्रधान मंत्री बहुत ही भद्र पुरुष हैं। वह ईमानदार व्यक्ति हैं। आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। मैं उनका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी जी ने बोला था कि छूआछूत के भेदभाव को खत्म करो।

[अनुवाद]

हमारी एक योजना होनी चाहिये। योजना क्रमबद्ध तरीके से तैयार की जानी चाहिये। लेकिन योजना त्रुटिपूर्ण है।

[हिन्दी]

इंडिया में कितनी पापुलेशन है, कितने परसैंट हरिजन, आदिवासी हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि इनको 5-10 रुपए कोई देता है तो ये उनके साथ चले जाते हैं। हम आपको सपोर्ट करते हैं। अभी तक 50 परसेंट आदिवासी, हरिजन गरीब हैं। इन लोगों को कौन पूछता है। अभी एजुकेशन के बारे में पाणिग्रही जी बोले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी, हरिजनों के लिए आश्रम स्कूल, सेवाश्रम स्कूल हैं जहां कांग्रेस गवर्नमेंट खर्च करती है। मेरा यह कहना है कि अभी गुजरात में बी.जे.पी. की गवर्नमेंट है, अब आप वहां कुछ करके दिखाओ तो हम आपको मानेंगे।

[अनुवाद]

यह संसद है। यह सम्मानीय सभा है। इस समय इसके 545 सदस्य हैं। हम क्या कर रहे हैं। हमें इस पहलू पर निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक रूप से विचार करना चाहिये। केवल तभी अत्याचार की समस्या हल हो सकती है। यदि हम इस समस्या को राजनीतिक तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे तो हम इस समस्या को हल करने में सफल नहीं होंगे। यह और गम्भीर हो जायेगी।

[हिन्दी]

महोदय, प्लानिंग में आमा आदमी भी नहीं रहता है। प्लानिंग बोर्ड में खुद प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हैं लेकिन उसमें 22 चीफ मिनिस्टर्स हैं। हमने अपने क्षेत्र में पांच एम.एल.ए. जिताये हैं। परन्तु मेरा लड़का हार गया है। मैं चार साल तक मिनिस्टर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं 1952 में विधान सभा का सदस्य था। मेरे गुरु श्री ए.पी. सिंह देव थे। आप उन्हें नहीं जानते। मैं किसी को चुनौती नहीं देता हूं। आपको इस पहलू पर भी ध्यान देना है। मैंने इस बारे में जांच की है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के विरूद्ध मुकदमा दायर किया है। मैं यह जानता हूं कौन क्या है।

[हिन्दी]

महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा ही बोलूंगा। हमारे क्षेत्र में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अन्त में मेरा इतना ही कहना है कि बी.जे.पी. वालों की नहीं चलने देंगे।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं संकल्प में व्यक्त दुखद घटनाओं और मानवीय कष्ट को महसूस करता हूं तथा उन अपने सहयोगियों की मानसिक पीड़ा को भी समझता हूं जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या हम केवल राजनीति तक ही सीमित हैं। मैं यह जानता हूं कि संसद एक राजनीतिक मैच है। क्या हमें सब स्थिति को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना होगा। क्या हमें अपनी बहनों के साथ किये गये बलात्कार, अपने भाइयों की हत्याओं और अपने सहयोगियों पर किये गये अत्याचारों को राजनीतिक रंग देना होगा?

कभी-कभी हमें राजनीति से ऊपर उठना होता है। यह चर्चा केवल एक या दो राज्यों के विरूद्ध निन्दा का विषय नहीं होना चाहिये। चर्चा का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिये। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के कार्यकरण का बहुत आलोचक हूं। निश्चित रूप से ये सरकार कल नहीं थी अथवा कल चली जायेगी। क्या माननीय प्रस्ताव की मानसिक पीड़ा कम होगी? क्या हमारे आस-पास के लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों की संख्या कम है? जी, नहीं। निश्चित रूप से इस संकल्प का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए था। हम केवल कुछ विशेष राज्यों में एक विशेष समुदाय और उनकी महिलाओं पर किये गये अत्याचारों की ही चर्चा क्यों करें? हमें अपवाद के बिना इस कार्य की पूरी तौर पर भर्त्सना करनी चाहिये। हमें किसी भी समुदाय, किसी भी महिला, देश में किसी भी राज्य में किये जा रहे अत्याचारों की भर्त्सना करनी चाहिये। तभी हम अपनी परम्परा के सच्चे अनुयायी कहे जायेंगे। हमें अपने कष्टों और भावनाओं का चयन नहीं करना होगा। हमें न केवल मुजफ्फरनगर में महिलाओं पर किये गये अत्याचारों को याद दिलाना होगा बल्कि सूरत में महिलाओं पर किये गये अत्याचारों को नहीं भुलाना होगा। हमें ऐसा नहीं करना होगा।

किसी भी समुदाय और किसी भी महिला पर देश के किसी भी कोने में हो रहे अत्याचार की निन्दा की जानी चाहिए। यदि हम उसकी इज्जत की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं, उसके जीवन और अधिकारों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो प्रशासन, सरकार या पार्टी द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिये। एक भारतीय की यही सच्ची परीक्षा है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर कमजोर लोगों को शक्तिशाली लोगों के अत्याचारों से बचाना चाहिये। कम से कम हमारी राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय प्रशासन और सभ्य प्रशासन को लोगों को उन हत्यारों से बचाना होगा जिन्हें हमारे समाज ने शरण दी हुई है।

हमें अपने भीतर यह भावना जागृत करनी होगी कि अत्याचार के परिणामस्वरूप मरने वाला हमारा भाई है, जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया है वह हमारी बहन है तथा जिस मकान को जलाया गया है वह हमारा अपना मकान है। यदि हम में ऐसी भावना होगी तो हम स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला कर सकेंगे और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। इस सभा में समाज में कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिये किये गये हमारे वायदे भी शामिल हैं।

आज हमारे समाज में महिलाओं का बहुत अनादर होता है। चाहे हम सीता की बात करें। यद्यपि आज हमारे समाज में महिलाओं को संविधान के अन्तर्गत बराबरी का दर्जा प्राप्त है तथापि महिलाएं

अत्याचार की शिकार होती रहती हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में जिस क्षण मादा शिशु मां के पेट में आता है उसी क्षण से भ्रूण हत्या के रूप में उस पर अत्याचार होने आरम्भ हो जाते हैं। अभी भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पर मादा शिशुओं की हत्या की जाती है क्योंकि हम परिवार में लड़कियां नहीं चाहते। वे कुपोषण की शिकार होती हैं। हम उनके साथ बेटों के समान व्यवहार नहीं करते। हम अपने घर में भी उन्हें उनके अधिकार नहीं देते। शादी के बाद जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है, दहेज न मिलने पर उन्हें जलाया जाता है।

इससे अधिक दुर्दशा क्या होगी? उन्हें राजनीति के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने और पुराना हिसाब चुकता करने के लिये प्रयोग किया जाता है। सभी राज्यों में चाहे वह उत्तर प्रदेश हो अथवा बिहार, कुछ समुदायों पर इस प्रकार का आतंक फैलाकर अत्याचार किये जाते हैं। हमें इस प्रवृत्ति का मुकाबला करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस स्थिति का उचित रूप से मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

आज समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का एक कारण यह है कि सारी राजनीति प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गई है। समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रत्येक स्तर पर-चाहे वह राजनीति स्तर हो, सरकारी स्तर पर हो अथवा प्रशासनिक स्तर पर हो, अपराधीकरण व्याप्त है। इसे भ्रष्टाचार का भी समर्थन प्राप्त है। अपराधी साफ बच निकलते हैं। कानून कम प्रभावशाली रह गया है।

आज, सब राज्यों में, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। कोई भी दल इसका अपवाद नहीं है। कोई भी दल स्वच्छ रिकार्ड होने का दावा नहीं कर सकता। इस हमाम में सब नंगे हैं, जैसाकि कहावत है। अत्याचार कम अथवा अधिक हो सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि केवल पुराने कानूनों से काम नहीं चलेगा। हमारे पास नागरिक अधिकार अधिनियम हैं। लेकिन आप उसकी वार्षिक रिपोर्ट की ओर ध्यान दें। उसमें यह प्रतीत होता है कि नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या बहुत कम है। ये आज हमारे जीवन का अंग बन गये हैं। हम इन्हें आज प्रतिदिन, सब जगह, सब नुक्कड़ पर, सब कोनों में, सब दुकानों में सब सार्वजनिक स्थलों पर देख सकते हैं। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में इनकी संख्या बहुत कम बताई गई है। क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं? क्या हम समाज में होने वाली घटनाओं को कम बतलाकर स्वयं को झुठला रहे हैं। अतः केवल इन कानूनों को रखने से काम नहीं चलेगा। हमें इस सम्बन्ध में कुछ और करना होगा।

इसी प्रकार, हमने अत्याचारों को रोकने के लिये अधिनियम बनाया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अब तक कितने मामलों में अपराधियों को सजा दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद गत तीन-चार वर्षों में कितने अपराधियों को सजा दी गई है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस कार्य के लिये किस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिये तथा किस सरकार की आलोचना करनी चाहिये। किसी भी सरकार न इस मुद्दे को गम्भीरता से नहीं लिया है।

हम यह सोचते हैं कि हमने अपने हाथ उठाकर 'हां' कहकर कानून बना दिया है। समाज में परिवर्तन आ गया है। लेकिन में इस प्रकार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

समाज में परिवर्तन तब ही आयेगा जब नई सामाजिक चेतना जागृत होगी। इस बारे में मेरी मित्र पूर्णतया सही है। इसके लिये दीर्घावधि उपाय किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में आज हमारा गणतंत्र असफल रहा है। 48 वर्षों बाद भी हम मानवता की भावना पैदा नहीं कर सके हैं जिसकी हम स्वतन्त्रता से पहले ही कामना करते आ रहे थे। यह टेगोर का स्वप्न था, गांधी का स्वप्न था यह स्वतन्त्रता आन्दोलन का स्वप्न था स्वतन्त्र होने के 45 वर्ष बाद भी आज हम इस स्वप्न को पूरा होते नहीं देख सकते हैं। आज यही हमारा गणतंत्र असफल रहा है। हम अपनी असफलताओं को दूर करने तथा स्थिति में सुधार लाने के लिये आज यह जागृति सामाजिक शिक्षा द्वारा ला सकते हैं।

कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। इसका पालन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि समाज में लोगों के दिमाग में कम से कम भय की भावना उत्पन्न हो। प्रतिरोधक सजा ही पर्याप्त नहीं है। कानून में और सुधार लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों के विभिन्न प्रतिवेदनो में दिये गये सुझावों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें लोगों में भारतीयता की भावना पैदा करनी होगी। हम समाचार देखते हैं और कहते हैं "जो लोग मारे गये हैं उनमें हमारे कोई सम्बन्धी नहीं हैं।" हमारी सहानुभूति केवल यहीं तक होती है। लेकिन जब इनमें हमारे सम्बन्धी होते हैं, तो हम यह मामला लोकसभा में उठाते हैं और शोर मचाते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। हमें इतना चयनात्मक नहीं होना चाहिये।

हमें इस समस्या की ओर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना होगा। आज आदिवासी क्षेत्रों में, जैसाकि श्री मुण्डा ने बताया, भारी असंतोष है। ऐसा शताब्दियों से इनका शोषण किये जाने के कारण है। आज उनका शारीरिक शोषण ही नहीं होता बल्कि लैंगिक शोषण भी होता है। इस निरन्तर शोषण ने उनमें विद्रोह की भावना जागृत कर दी है। यदि आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह समाज को विखंडित करने का कारण बन सकता है। यह बात ऐसे अनेक समुदायों पर लागू होती है जिनमें हताशा व्याप्त है। उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। हमें उनका गुस्सा नहीं भड़काना चाहिये। हमें उनमें बदले की भावना पैदा नहीं करनी चाहिये क्योंकि इससे वह अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। अतः हमारी सामाजिक परिस्थितियों को दी जाने वाली ऐसी धमकियों का मुकाबला करने के लिये हमें उन बातों को, उन आयामों को, जिससे हमारी राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पैदा होता हो, राज्य और सभ्य समाज के अस्तित्व को खतरा हो। शिक्षा के माध्यम से हमें अपनी नई पहचान बनानी चाहिये, जिसमें धार्मिकता और जातिवाद का पक्ष न लिया गया हो। इसके अतिरिक्त, हमें बातों से नहीं, बल्कि ठोस उपायों से इन लोगों को आर्थिक दर्जा दिलाने का प्रभावशाली उपाय करने चाहिये। मेरा सुझाव है कि नया

प्राधिकरण बनाने की बजाये इन सब मामलों की, जिनकी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने अपेक्षा की है और ध्यान देने के उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाये। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन महिलाओं और किसी समुदाय के पुरुषों के प्रति किये जा रहे अत्याचार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इन मामलों में कार्यवाही करने की मानव अधिकार आयोग की वैध जिम्मेवारी होनी चाहिये।

मुझे इस संकल्प के विद्वान प्रस्तावक के इरादे के बारे में कोई शंका नहीं है। मेरा विचार है संकल्प का क्षेत्र और विस्तृत होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्थिति की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके और शायद इसमें राजनीति की बातें कम होती। अन्यथा मुझे संदेह था कि सारी चर्चा श्री लालू और श्री मुलायम के दुराचारों तक ही केन्द्रित रहती। हम इसके लिये यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे सहयोगी श्री सत्यदेव सिंह द्वारा प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का अवसर दिया।

मैं संकल्प की भावना से पूर्णतया सहमत हूं जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर किये जाने वाले अत्याचारों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। लेकिन संकल्प के प्रस्तावक मेरे मित्र ने केवल उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों का ही उल्लेख किया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मेरे पास संसद में दिये गये उस उत्तर की प्रति है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये गये अत्याचारों की राज्यवार सूची दी गई है। इसमें सभा को यह सूचित किया गया है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के सैकड़ों मामले रजिस्टर किये गये। मध्य प्रदेश में वर्ष 1992 में 4571 मामले दर्ज किये गये और वर्ष 1993 में 4387 मामले दर्ज किये गये। जहां तक अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार किये जाने का सम्बन्ध है, 1992 में 576 और 1993 में 1586 मामले दर्ज किये गये।

मैं अपने सहयोगी श्री शहाबुद्दीन के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि इस प्रकार के अत्याचार केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहे हैं। हमें इनके बारे में चिन्ता व्यक्त करनी चाहिये, चाहे वे देश के किसी भी भाग में हो। कभी-कभी जब हम इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं तो हमें स्वयं से घृणा होती है और हमारा हृदय बहुत दुखी होता है। दुर्भाग्य से उत्तरी राज्यों से हमें बहुत ही चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जब एक सामाजिक कार्य करने वाली महिला महिलाओं में प्रचार करने के लिये गई, **सती** के लिये नहीं, जिस पर रोक है, तो उस पर इतना अत्याचार किया गया, जो हृदय विदारक है।

कभी-कभी हमें ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि एक जाति के युवक का दूसरी जाति की युवती से प्रेम हो गया और जब वे दोनों शादी करना चाहते हैं तो उनके माता-पिता के सामने, गांव वालों द्वारा उस युवक की बर्बर हत्या कर दी जाती है, यदि वह युवक अनुसूचित जाति अथवा समुदाय का होता है जिससे युवती सम्बद्ध नहीं होती। आज कल ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

राजधानी के बहुत ही निकट ऐसी घटना घटी, जिसके कारण हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। ऐसी ही एक घटना कुछ वर्ष पूर्व हुई थी जब हम आठवीं लोक सभा के सदस्य थे।

हम इस समाचार को नहीं भूल सकते जिसमें मध्य प्रदेश में मुझे गांव का नाम याद नहीं, वहां लगभग 100 कांस्टेबल की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या इसलिये की गई थी क्योंकि वह मन्दिर परिसर में था। यह सच है कि हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश की अनुमति न देने या हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश पर रोक लगाने के बारे में महात्मा गांधी, महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर के समय से अनेक लड़ाइयां लड़ी गईं। अनेक अन्य लोगों ने भी इसके लिये संघर्ष किया। यह अविश्वसनीय है। आज भी कुछ लोग हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नहीं देते।

कभी-कभी हम यह समाचार सुनते हैं कि एक 38-40 वर्ष के पुरुष ने तीन वर्ष की बालिका से बलात्कार किया। क्या उस पुरुष का दिमाग नहीं था?

जब हम ऐसे समाचार सुनते हैं तब हमें बहुत दुख होता है। दुर्भाग्यवश जब भी ऐसी घटना होती है, चाहे वह भूमि की समस्या के कारण हो अथवा किसी अन्य समस्या के कारण हो, यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप-विभागीय अधिकारी घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेते हैं और उस क्षेत्र के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तो मेरे विचार से स्थिति इतनी नहीं बिगड़ेगी। विशेषरूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां अत्याचारों की संख्या बहुत अधिक है, कुछ जिम्मेवार व्यक्तियों की समितियां बना दी जायें, जो शान्ति में विश्वास रखते हैं और जो लोगों के विभिन्न वर्गों में सौहार्द स्थापित करने में विश्वास रखते हैं, तो स्थिति बिगड़ने से बचाई जा सकती है।

नागपुर में, जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है, जब विधान सभा सत्र चल रहा था। बड़ी संख्या में विशेष आदिवासी जाति समुदाय के लोग अपनी वास्तविक समस्या, जिसके बारे में वह चिन्तित थे, लेकर पहुंचे, तो दुर्भाग्यवश, मुख्य मंत्री को छोड़ दें, जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ ठेके पर हस्ताक्षर करने में अति व्यस्त थे--यहां तक कि आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री ने भी उनसे मिलना उचित नहीं समझा और यह नहीं पूछा कि 'उनकी समस्या क्या है' यदि हम कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कि हम इस बारे में विचार करेंगे। इसमें आसमान गिरने वाला नहीं। दुर्भाग्यवश, सरकार के विचित्र रवैये के कारण 120 से अधिक लोग मारे गये और यह काला दाग हमारे ऊपर लग गया।

मेरा विचार है कि जिन लोगों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य निर्बल वर्गों पर, जिनमें महिलाएं और अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, पर अत्याचार किया हो उन्हें न केवल विधान सभा और

संसद बल्कि स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये। सामान्यतः इन लोगों का ही घटना के पीछे हाथ होता है।

दुर्भाग्यवश मुझे एक घटना की याद है। यहां तक जिम्मेवार सरकारें और पार्टियां भी कभी-कभी राजनीतिक कारणों से कार्य करती हैं। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि यदि मैं उस घटना का उल्लेख करूं तो कृपया मुझे क्षमा करें। हुबली में ईदगाह में एक राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वहां की सरकार ने इस बारे में उनसे नहीं पूछा जिनका ईदगाह पर नियंत्रण था। वह पार्टी वहां ध्वज फहराने क्यों जाती है?

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : क्या हमारी पार्टी के लोगों ने कहा था? आप गलत काम क्यों कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : राष्ट्रीय ध्वज हम सब 90 करोड़ लोगों के लिये राष्ट्रीय ध्वज है। यह हो सकता है एक राजनीतिक पार्टी राजनैतिक लाभ उठाना चाहती हो लेकिन वहां शासन कर रही सरकार अथवा संगठन को आगे आना चाहिये था और कहना चाहिये था कि 'यह क्या है'? आप क्यों वहां जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? हम सब भारतीय हैं हम स्वयं उसको फहरायेंगे। इस प्रकार का रूख अपनाया जाना चाहिये था। लेकिन भूतपूर्व सरकार ने ऐसा रूख नहीं अपनाया, परन्तु वर्तमान सरकार ने ऐसा रूख अपनाया। मैं वर्तमान सरकार को तथा सम्बद्ध लोगों को बधाई देता हूं। मैंने इस घटना का इसलिये उल्लेख किया क्योंकि इस छोटी से घटना के कारण लगभग दो वर्ष तक संघर्ष जारी रहा। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी बातें क्यों होती हैं।

मेरा केवल यही सुझाव है कि हमें ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिये और इन सब बातों का राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये। धीरे-धीरे अब यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि सब राजनीतिक बल आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़न का अवसर दे रही है। इनमें से कुछ लोग विधान सभा के, कुछ लोग संसद के सदस्य हो गये हैं और कुछ मंत्री भी हो गये हैं। यह लोग जनजीवन को दूषित कर रहे हैं। आज लोगों में यह भावना घर कर गई है कि ऐसे बुरे चरित्र वाले लोग को जो हत्या करते हैं, डकैती डालते हैं और जो समाज में आशान्ति फैलाते हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बात चिन्ता का विषय है। सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसी बातों को निरूत्साहित करना चाहिये।

बिहार में भागलपुर में पांच वर्ष पूर्व एक घटना घटी थी। सारा देश इस घटना से आश्चर्यचकित रह गया था। मुझे याद है कि भागलपुर घटना की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। लेकिन इसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इससे यह पता लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ओर कितना ध्यान दिया जाता है और उनकी कितनी चिन्ता की जाती है। मैं श्री सत्यदेव सिंह को ऐसा संकल्प लाने के लिये बधाई देता हूं। उसके पणिामस्वरूप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सभा में चर्चा करने का अवसर मिला, जिस कारण देश के लोग बहुत चिन्तित थे। अतः मैं संकल्प की इस भावना का समर्थन करता हूं। सरकार को समस्त देश में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये भरसक प्रयास करने चाहिये। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिण के राज्यों में उत्तरी राज्यों की तुलना में सुधार और जागृति अधिक शीघ्रता से आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ कारणों से उत्तरी राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और सवर्णों में भारी मतभेद है। ऐसा विशेषकर बिहार में है और इसका मुख्य कारण भूमि सम्बन्धी समस्याएं हैं। दुर्भाग्य से अनेक राज्य सरकारों, जो अन्यथा सफल रही हैं, इस समस्या के समाधान में असफल रही हैं। इससे गैर-सरकारी सेना को उठने में मदद मिली है और वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और भूमिहीनों की बड़ी संख्या में हत्या कर रही है।

मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीला) : सभापति जी, मैं माननीय सत्यदेव सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने का हमें अवसर प्रदान किया जो हिन्दुस्तान की संस्कृति, हिन्दुस्तान की गरिमा और हिन्दुस्तान की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय के अपराध पंजीकरण ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार देश में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाएं पिछले एक दशक में दुगनी हुई हैं। नौबत यहां तक आ गयी है कि औसत हर 6 मिनट में कोई न कोई महिला किसी न किसी अपराध की चपेट में आती है, हर 47 मिनट में कोई महिला बलात्कार का शिकार होती है, हर 44 मिनट में औसत एक महिला का अपहरण कर लिया जाता है और हर तीसरी महिला अपने पति या किसी सम्बन्धी के अत्याचार का सामना कर रही है। इसके अलावा दहेज के मामलों में हर 17 मिनट में एक महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। पिछले वर्ष 82,819 महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार हुई हैं। ये सभी आंकड़े हमारे लिये बहुत चिन्ता का विषय है।

अभी सैयद शहाबुद्दीन जी कह रहे थे कि यह एक ऐसा मामला है जिसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये और वास्तव में इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना अपरिहार्य है। यह हमारे लिये चिन्ता का एक कारण है और इसका निदान ढूंढा जाना चाहिये। अब सवाल है कि ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी किस पर आती है। वह कौन सी संस्था होगी जो इन घटनाओं को रोकने के लिये कठोर कदम उठायेगी-सरकार या प्रशासन। सरकार और प्रशासन इन घटनाओं को होने से रोकने के लिये कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन जब वे ही इनमें शरीक हो जायें, वे स्वयं इन घटनाओं में लिप्त हो जायें तो फिर इन घटनाओं को कौन रोकेगा। किसकी तरफ निगाह उठाकर हिन्दुस्तान के

नहीं देखें। जब हम इन घटनाओं की चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नम्बर सबसे पहले स्थान पर आता है। हम उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा इसलिये नहीं करते हैं कि वहां सपा-बसपा की सरकार है लेकिन हम उत्तर प्रदेश की चर्चा किये बगैर इसलिये नहीं रह सकते क्योंकि वहां केवल एक साल के अंदर 3880 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई और 1880 से अधिक अपहरण की घटनाएं सामने आयीं। यदि एक-एक घटना की मैं चर्चा करना चाहूं तो यही तथ्य सामने आयेगा कि उन सभी घटनाओं में वहां की सरकार का सीधा हाथ रहा है। वहां महिलाओं के साथ बलात्कार इसलिये होता है क्योंकि उस सरकार के किसी विधायक ने चुनाव जीता है और उसे जश्न मनाना है। इलाहाबाद के दौला गांव में विगत 13 दिसम्बर को एक महिला को नंगा करके इसलिये घुमाया गया क्योंकि उसने किसी के घर जाकर काम करने से मना कर दिया था। 28 दिसम्बर को 9 महिलाओं के साथ वहां सामूहिक बलात्कार किया गया।

सभापति जी, अगर एक-एक घटना को हम गिनते चलें तो घटना के पीछे आपको कोई न कोई सपा-बसपा का विधायक दिखाई देगा और जहां-जहां अपराधी या बलात्कारी के खिलाफ किसी अधिकारी ने कदम उठाया है तो उसे सजा मिल गयी है। हमारे बस्ती जिले में एक 12 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी को सपा का एक विधायक अपनी गाड़ी में बिठाकर लखनऊ ले गया। ऐसी स्थिति में पुलिस का अधिकारी क्या कर सकता है? उसके ठीक 5 दिन बाद एक दूसरी 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार होता है और कांग्रेस का एक विधायक बलात्कारी को अपनी गाड़ी में बिठाकर लखनऊ ले आता है।

सभापति जी, हमारे यहां उन्हीं सपा विधायक के भतीजे की दिन में 12 बजे हत्या हो जाती है। यहां से कोई बड़े मंत्री और बड़े नेता हमारे यहां बस्ती में गये थे और भाषण करके आये थे। वहां के लोग जानते हैं। लेकिन जिस दिलेरी से वहां के पुलिस थानाध्यक्ष ने तफतीश का काम किया, जिस दिलेरी से पुलिस कप्तान ने काम किया, उसका नतीजा यह हुआ कि थानाध्यक्ष को सस्पैंड कर दिया गया और कप्तान को विजिलेंस में भेज दिया गया। उनका गुनाह इतना ही था कि उन्होंने सही अपराधियों को पकड़ने का काम किया था। अभी माननीय सत्यदेव सिंह जी कुछ अपराधियों के नाम गिना रहे थे। उनके गुनाह केवल इतने ही हैं कि उन्होंने सही अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत दिखायी थी। यदि इसी प्रकार की बातें होने लगें तो लोग न्याय मांगने किसके पास जायें, किससे न्याय की अपेक्षा की जा सकती है। इन सारी बातों को देखते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार को एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। उसने क्या नहीं किया।

उसने न्यायालय की अवमानना की। उसने प्रैस पर हमला किया। वह ब्यूरोक्रेसी को तंग कर रहा है। सारा प्रशासन चरमरा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक जिलाधिकारी को डिमांड गई है कि ढाई करोड़ रुपया भेजो। यह सब क्या हो रहा है, यह सब किस प्रकार हो रहा है? अब वे यहां तक आ गए हैं? अब जिलाधिकारी ढाई करोड़ रुपए भेजने जा रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह सुना था कि राजनीति करने वाले लोग गुंडों को पनाह देते हैं, लेकिन बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देखकर कुछ विश्वसनीयता बन रही है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक अपराधी सरकार को केन्द्रीय सरकार संरक्षण दे रही है। मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाह को संरक्षण देने वाला होता है और केन्द्र की सरकार बसपा व सपा की सरकार को उत्तर प्रदेश में पनाह दे रही है, संरक्षण दे रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार इस प्रकार से उस अपराधी सरकार को संरक्षण देकर राजनीति को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है?

गोवा में आपने अपनी सरकार बना ली है और आपने मान लिया कि हम सबसे बड़े दल के रूप में आ गए हैं। मणिपुर में आपने अपनी सरकार बना ली यह कहकर कि हम बहुत बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आ गए, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। संविधान क्या दो परिभाषाएं करता है? राज्यपाल का विवेक क्या दो प्रकार से चलेगा और अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी तो क्या वह सरकार नहीं बना सकती थी और सभी दलों ने मिलकर जब बसपा व सपा की सरकार बनाई थी और अब जब सबने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, तो फिर सरकार सत्ता में कैसे है? **(व्यवधान)** अगर गोवा और मणिपुर की तरह आपकी बात महाराष्ट्र में चल गई होती, तो आप महाराष्ट्र में भी पीछे नहीं रहते। यह तो महाराष्ट्र की जनता को श्रेय जाता है कि उसने इतने प्रचंड बहुमत से हमें सरकार बनाने के लिए भेजा कि आपकी एक बात नहीं चली और आप कुछ नहीं कर सके।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार और जो प्रशासन जिस चीज को रोकने का काम कर सकता है, अगर वही उसको करने में शरीक हो, तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? मुजफ्फरपुर की घटना आप सबको मालूम है। दिल्ली के करीब होने के कारण सभी दलों के लोग अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहे थे। वे एक आंदोलन के जरिए, एक प्रदर्शन करनफरनगर के लिए दिल्ली आ रहे थे। इसलिए उनके साथ बलात्कार हो जाए, इसलिए उनकी बसों को जला दिया जाए कि वे अपनी बात को दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकें। यह जो सरकार की नीति है, यह सरकार की जो मंशा है, यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, हम यहां चर्चा करते चले जाएं और सरकारें इस प्रकार के कार्य करें, तो कैसे काम चलेगा। जश्न मनाने के लिए विधायक बलात्कार करे। हत्यारे को विधायक प्रदेश में अपने साथ लेकर घूमे, यह कैसे चलेगा? भाई सत्यदेव सिंह जी कह रहे थे कि जी.आर.पी. के जवान की हत्या के बाद एक विधायक, मुख्य मंत्री महोदय से उनके चैम्बर में मिलते हैं। आखिरकार आप किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। कौन सा काम आप करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सरकार हो, अपराध यदि संगीन है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपराध करता है, तो सरकार सजा दे सकती है। इससे समाज

का बड़ा अहित नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार ही अपराध करने लगे, तो देश की सम्प्रभुता एवं सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बसपा व सपा सरकार को केन्द्र सरकार संरक्षण देना बन्द करे। क्या आप चाहते हैं कि यह बहस केवल बहस ही बनकर रह जाए? मैं चाहता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति हो या सरकार हो, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, जो इस प्रकार के जघन्य अपराध में शामिल हो, उसे संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार क्या चाहती है, वह बताए। क्या वह यह चाहती है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति या सरकार के आदमी किसी महिला के साथ बलात्कार करे, महिला का उत्पीड़न करे, यह स्पष्ट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा कृत्य कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

सभापति महोदय, मेरे लोक सभा में एक 22 वर्षीय यादव जाति के नौजवान की हत्या हो जाती है और उस हत्यारे के घर, पूर्व शिक्षा मंत्री अपने हैलीकाप्टर में बैठकर भोजन करने जाते हैं और पुलिस खड़ी होकर, जो अपराधी है, जो वांटेड है, उसको कप्तान से लेकर डी.आई.जी. तक माला पहनाने का काम करते हैं। जहां की सरकारें इस जघन अपराध में हों, मैं कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं तो कोई न कोई कठोर कार्यवाही का उदाहरण प्रस्तुत करें। आपने समर्थन दिया है तो गृह मंत्री से लेकर बाकी सारे लोगों ने जो रिपोर्ट दी है, देखा है उत्तर प्रदेश का नंगा नाच। आप पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं फिर कार्यवाही करने में क्यों हिचकते हैं। यदि आपने दोहरेपन की नीति नहीं छोड़ी तो आपके सामने उदाहरण आ रहा है, वहां बी.जे.पी. आने के लिए तैयार बैठी है और फिर वह महिलाओं पर हुए अत्याचार के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएगी।

इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : सभापति महोदय, श्री सत्यदेव ने जो संकल्प यहां पर रखा है, उसपर मैंने बड़े-बड़े नेताओं के भाषण सुने हैं। उसपर मैं भी बोलना चाहता हूं। उन्होंने एक अच्छा सुझाव यहां पर रखा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसके कई उदाहरण मैंने यहां पर सुने। मैं कहना चाहता हूं कि वे भी इस देश के नागरिक हैं। उनके साथ जो हो रहा है, इस बात की जानकारी हम सबको है। हमारे देश के संविधान में उनको संरक्षण दिया गया है लेकिन स्थानीय सरकारें, केन्द्र सरकार और प्रशासन उन लोगों को कितना समर्थन दे रही है, यह भी हम देख रहे हैं।

सभापति महोदय, सदन को मालूम होना चाहिए कि मैं भी अनुसूचित जनजाति का हूं। इसलिए पिछड़ी जाति में जिसका जन्म होता है, उसपर क्या अत्याचार होते हैं, यह हमने अपने पर होता हुआ देखा है। यहां पर लम्बी-चौड़ी बातें करने से उनपर अत्याचार कम नहीं होंगे। मुझे ... करें, मैं पूरे देश की एडवांस जाति से कहना चाहता हूं कि यदि वे पिछड़ी जाति के लोगों के साथ यह सोचकर बर्ताव करेंगे कि वे भी इंसान हैं तो अत्याचार कम हो स... हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों में जनजागृति आ... जरूरी है। इस जाति के पढ़े-लिखे लोगों पर इतनी बड़ी ... अत्याचार नहीं होते।

जैसे उत्तर पूर्वी हिन्दुस्तान के मेघालय वगैरह जो राज्य हैं, वहां अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या है। वहां सब लोग पढ़े-लिखे भी हैं इसलिए यह मामले वहां पर नहीं हो सकते हैं। उत्तरी हिन्दुस्तान के जो राज्य हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में अन्याय, अत्याचार और महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं। इसमें कायदा और कानून भी है तो भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस में जो बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने अगर कोई न्याय मांगने जाता है, तो उसको थाने से निकाल दिया जाता है और वही लोग उनके ऊपर अत्याचार भी करते हैं, यह हमने सुना है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में रहने वाले समाज के सभी लोगों के प्रति सभी धर्म के लोगों की जवाबदेही है कि पिछड़ी जातियों के लोगों के बारे में हम यह सोचें कि यह भी इस देश के निवासी हैं और उनके साथ उस हिसाब से व्यवहार करें। इस तरह की सामाजिक नीति अगर हम अपनायेंगे तो यह अन्याय, अत्याचार रुक सकता है, ऐसा मेरा मानना है।

गुण्डे लोग कौन होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े जमींदार हैं। जो गरीबों को अपने खेत की मजदूरी के काम में या किसी धन्धे के काम में मजदूर के रूप में अपने यहां रखते हैं, वहां भी इनपर अन्याय, अत्याचार होता है, यह भी हमने सुना है।

आज जो जातिवादी ताकतें हैं, वह हमारी पिछड़ी जाति के लोगों में जातिवाद का जहर फैलाती हैं कि तुम उस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, ऐसा कहकर उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार और महिलाओं के ऊपर बलात्कार किये जाते हैं। यह बातें भी हमने यहां पर सुनी हैं। बहुत सालों से मैं यह बातें इस हाउस से सुन रहा हूं। दक्षिण के राज्यों में और महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय, अत्याचार या बलात्कार के किस्से कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन उत्तरी हिन्दुस्तान के राज्यों में हम यह चिन्ताजनक और दुखदायी बातें बहुत सुनाई देती हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी हैं, या कर्मचारी हैं, उनपर भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी अन्याय करने में कमी नहीं करते। उनको शहर की पोस्ट से कहीं बहुत दूरी की जगह पर ढकेल देना, उनके ऊपर कोई इन्क्वायरी लगा देना वगैरह भी हमने देखा है। अनुसूचित जाति, जनजाति के बहुत से अधिकारी, कर्मचारी बड़े-बड़े पदों पर हैं, लेकिन उनको डिसमिस या ससपैण्ड किया जाता है, इसलिए कि वह लोग पिछड़ी जातियों के हैं। मैंने पहले ही बताया कि आदिवासी इस देश के पूर्व निवासी हैं, लेकिन उनको अच्छी जगह पर नहीं रखा जाता। वह कितने ही पढ़े-लिखे हों, लेकिन वह पिछड़ी जाति के हैं, इस दृष्टि से उनकी तरफ देखा जाता है। कानून से यह सब बातें होने वाली नहीं हैं, ऐसा मैं समझता हूं।

6.00 म.प.

पिछड़ी जातियां भी इन्सान हैं। इनको सामाजिक दृष्टि से देखा जाना चाहिये। जब तक इस दृष्टि से नहीं सोचा जायेगा तब तक उन पर होने वाले अन्याय और अत्याचार नहीं रुकेंगे। देखने में आया है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसका फायदा उठाती हैं। चुनावों के समय उनके वोट हासिल करके बाद में उनको फंसाती हैं। वोट लेने के बाद उन पर हो रहे अत्याचार देखने की उनके पास फुरसत नहीं होती है। इससे उन पर अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जीवन सुरक्षित होना चाहिये। यह बड़े दुख की बात है कि कानून में ऐसा प्रावधान होने के बावजूद भी वे सुरक्षित जीवन नहीं जी रहे हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, एडवांस जातियों और बड़े-बड़े विद्वानों को इनके बारे में सोचना चाहिये। इन लोगों पर हो रहे सामाजिक अत्याचार सामाजिक दृष्टि से भी कम करने चाहिये।

मैं सत्यदेव सिंह जी को ऐसा संकल्प लाने के लिये धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह चर्चा आगे जारी रहेगी।

6.01 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 27 मार्च, 1995 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

6.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा, 27 मार्च, 1995/6 चैत्र, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।